षष्ठम् माला, खंड 17, अंक 11, सोमवार, 31 जुलाई, 1978/9 श्रावण, 1900 (शक)
Sixth Series, Vol. XVII, No. 11, Monday, July 31, 1978/Sravana 9, 1900 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 17 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XVII, contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

चार रुपये

Price Four Rupees

अंक 11 सोमवार, जुलाई 31, 1978/श्रावण 9, 1900 (शक)

No. 11, Monday, July 31, 1978/Sravana 9, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 205, 207, 209, 212 से 214, 218 और 220	*Starred Questions Nos. 205, 207, 209, 212 to 214, 218 and 220	1-23
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	Short Notice Question No. 1	23-27
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 203, 204, 206, 208, 210, 211, 215 से 217, 219, 221 और 222	Starred Question Nos. 203, 204, 206, 208, 210, 211, 215 to 217, 219, 221 and 222	27-33
अतारांकित प्रश्न सं० 1969 से 2050, 2052 से 2078 और 2080 से 2168	Unstarred Question Nos. 1969 to 2050, 2052 to 2078 and 2080 to 2168 :	34-157
सदस्य के निवास स्थान से उसके परिवार की बेदखली के बारे में	Re. Eviction of a Member's Family from his Residence	157-160
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा संसदीय औचित्य के कथित उल्लंघन के बारे में	Re. Alleged Violation of Parliamentary Propriety by Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers . .	160
भूतपूर्व गृह मंत्री श्री चरण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विनिर्णय	Ruling on Question of Privilege against Shri Charan Singh, Former Minister of Home Affairs	160-161
भूतपूर्व गृह मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच पत्र-व्यवहार को सभा पटल पर रखने के बारे में	Re. Laying of Correspondence between former Minister of Home Affairs and Prime Minister—	
प्रो० श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	161
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar .	161
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen . . .	16 2

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta . .	163
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan .	163
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K.P. Unnikrishanan .	164
श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर	Shri Krishna Chander Halder .	165
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M.N. Govindan Nair .	165
श्री निर्मल चन्द जैन	Shri Nirmal Chandra Jain	165
डा० वी०ए० सैयद मोहम्मद	Dr. V.A. Seyid Muhammad .	166
श्री शांतिभूषण	Shri Shanti Bhushan . .	167
सभा पटल पर रखे गए पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE	169-171
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha .	171
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 14वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Committee on Public Undertakings—Fourteenth Report—Presented	171
सदस्य के परिवार की उसके निवास स्थान से बेदखली के बारे में वक्तव्य	Statement re. Eviction of a Member's Family from his Residence—	
श्री सिकन्दर बक्त	Shri Sikandar Bakht . .	171
विश्वविद्यालय के छात्रों में बढ़ रहे असंतोष के बारे में प्रस्ताव —	Motion re. Growing Student Unrest in Universities—	
श्री यशवन्त बोरोले	Shri Yashwant Borole . . .	172
श्री वी०एम० सुधीरम	Shri V.M. Sudheeran . .	172
श्री चित्त वसु	Shri Chitta Basu . . .	173
श्री युवराज	Shri Yuvraj	173
श्री बी० अरूणाचलम उर्फ 'अलादी अरूणा'	Shri V. Arunachalam alias 'Aladi Aruna'	174
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain	175
डा० प्रताप चन्द्र चन्दर	Dr. Pratap Chandra Chunder .	175
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta . . .	176
आधे घंटे की चर्चा	HALF--ANHOUR DISCUSSION—	179
साउथ इण्डिया विस्कोस के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आरोप	Charges against the Managing Director of South India Viscose—	
श्री ज्योतिमय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . . .	179
श्री युवराज	Shri Yuvraj	181
श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव	Shri V. Kishore Chandra S. Deo .	181
श्री मलिकार्जुन	Shri Mallikarjun	181

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 31 जुलाई, 1978/9 श्रावण, 1900 (शक)

Monday, July 31, 1978/*Sravana* 9, 1900 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 203 . . . . . .

श्री कवंर लाला गुप्त : महोदय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आज बैलट था और मुझे बताया गया है कि मेरा नाम तीसरा है। परन्तु सूची में मेरा नाम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले की जांच करूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह पहला मौका नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है। आप अपने कार्यालय से अधिक सतर्क रहने को कहिएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं जांच करूंगा।

श्री ज्योतिमयं बसु : प्रश्नों के बारे में हम अधिक निराश होते जा रहे हैं। 15 दिन हो गये हैं, परन्तु एक भी अल्प सूचना प्रश्न गृहीत नहीं किया गया है। राज्यों में गृहीत किये जाने वाले प्रश्न लोक सभा में गृहीत नहीं किये जाते।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा प्रश्न सूची में न आने के क्या कारण हैं, मुझे बताये जाये। मैं प्रतिदिन पांच प्रश्न भेजता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जांच करूंगा।

Literacy in West Bengal

*205. **Shri Raj Krishna Dawn** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Government are aware that the State of West Bengal was top in literacy at the time of Independence, now taking the States and Union Territories together, the State's position has deteriorated to 11th position from 1st; and

(b) what action present Central Government are taking to improve the literacy the State of West Bengal ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) to (b) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) No census data are available to show the position of West Bengal in regard to literacy at the time of Independence. The first Census of independent India was held in 1951. According to this Census, the literacy position of West Bengal (excluding 0-4 age-group) in relation to other States and Union Territories in the country was *fifth*. According to 1961 and 1971 Censuses, the literacy position of the State (excluding 0-4 age-group) was *eleventh* and *twelfth* respectively.

(b) In order to eradicate illiteracy from the country, the major thrust would be on two priority programmes of universalisation of elementary education and National Adult Education Programme. In West Bengal, 43.13 lakh additional un-enrolled children in the age-group 6-14 are planned to be covered during 1978-83 to achieve the goal of Universalisation of elementary education. Under the National Adult Education Programme, it is proposed to cover the entire illiterate population of 72.89 lakhs in the age-group 15-35 in West Bengal by extending adult education facilities to them in a phased manner. The primary responsibility for implementing the Schemes rests with the State Government. It is hoped that with the implementation of these two programmes, the literacy position would improve substantially.

श्री राज कृष्ण डान: : मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण से ज्ञात होता है कि 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता स्थिति बारहवीं हैं अब 1978 का वर्ष चल रहा है और ऐसी आशंका है कि राज्य की साक्षरता स्थिति और भी बदतर हुई होगी। इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने कितनी बार शिक्षा क्षेत्र की गंभीर स्थिति की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया है और (ख) क्या उन्होंने राज्य में साक्षरता की स्थिति सुधारने के लिए अधिक अनुदान की मांग की है और भारत सरकार ने इस बारे में क्या किया है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: अनुपूरक प्रश्न (1) के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि साक्षरता और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का काम मुख्यता राज्य सरकार का है इस लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अनुरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अनुदान का प्रश्न में संगत नहीं है। तथापि मैं सभा को कई बार बता चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रन स्वीकार किया है जिसे 2 अक्तूबर 1978 से लागू किया जायगा। हमने पांच वर्ष की अवधि में 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का निर्णय किया है । यह एक वृहद कार्यक्रम है। यह निर्णय किया गया है कि पश्चिम बंगाल में 15 से 35 वर्ष की आयु वाले 72.89 लाख व्यक्तियों को शिक्षा की सुविधायें दी जायें और इस व्यय का 50 प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायगा।

जहां तक आगामी प्रयोजना में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का सम्बन्ध है एक विशेष योजना के अन्तर्गत 14–16 वर्ष आयु के 43.13 लाख अतिरिक्त बच्चों को शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराई जायगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें जानकारी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसे गांवों में जहां प्राथमिक विद्यालय नहीं है, 1000 प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की है और क्या इससे पश्चिम में से निरक्षरता के उन्मूलन में सहायता मिलेगी और क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि हाल में पश्चिम बंगाल में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी और

उसमें यह मत व्यक्त किया गया था कि शिक्षा समवर्ती सूची के बजाय राज्य सूची में होनी चाहिए और यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है मैं 100 प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं । इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करना पूर्णतया राज्य सरकार का काम है ।

Shri Phirangi Prasad : The hon. Minister has stated that the task of spreading of literacy and primary education lies with the State Governments. The fact is that the children of the poor people are unable to attend school while in the school going age group and when they become adult, they are not attracted towards adult education school. I want to know from the hon. Minister whether he will issue clear instructions to the States to ensure that education is given to the children of the poor people ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : The attention of the Government has been drawn towards this matter. It has been decided that 50 per cent of the total expenditure on education will be incurred on primary education. The Planning Commission has stated that the allocation on education which was about Rs. 450 crores in the previous plan would be Rs. 900 crores in the next plan. It is evident therefrom that sufficient funds would be made available to the States for primary education.

Education of illiterate blind persons

*207. **Shri Y.C. Shastri** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there is any provision to educate about one crore illiterate blind persons through braille system under the adult education programme to be launched throughout the country from 2 October, 1978;

(b) if so, the State-wise number and names of places where centres are being set up to educate the blind adults; and

(c) the assistance proposed to be given by Government to the social organisations or trusts taking up the work of imparting education to blind adults through braille system and making them self reliant by imparting the technical education ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) The Department of Social Welfare proposes to set up a National Institute for the Visually Handicapped which will have a correspondence section. The Institute is expected to devise courses for imparting adult education through Braille to illiterate blind persons and by utilising the services of local institutions, it expects to spread literacy among the blind.

(c) The Department of Social Welfare offers assistance to voluntary organisations for the handicapped, including those for the blind for developmental activities.

Shri Y.P. Shastri : The reply given by the hon. Minister is very disappointing. There are one crore blind persons in the country and only one National Institute will be set up. How is it possible to import education to blind persons through only one National Institute throughout the country ? The question asked in part (b) i.e. how many centres will be

set up in each State, has not been replied to. The hon. Minister is aware that education to blind persons is imparted in a special manner. You are going to introduce Adult Education Programme. Blindmen are imparted education through Braille System. It is not possible to do so through correspondence course. This education can only be imparted when there are trained teachers of Braille System. The Society owes a responsibility to blind persons. Hence, I want to know when this national institute will be set up ? Secondly, may I also know whether you are going to set up such institutes in each State in the country ?

Dr. P.C. Chunder : The complaints made by the hon. Member are absolutely correct. The number of blindmen in our country is very large, but the educational facilities are not adequate. I agree that this is an important problem. But merely setting up centres will not solve this problem. The question of trained personnel is also there as education is to be imparted to blindmen through Braille system. For this we have set up some centres but these are not sufficient at present. It is a matter of regret that we have not got adequate sources due to which we are unable to do so.

Shri Y.P. Shastri : In the Sixth Five Year Plan you have provided Rs. 200 crore for adult education. It is a thing worth appreciating. Whether you have made any separate provision for this, because blindmen are imparted education in a special manner ? If so, the amount proposed to be spent by Govt. on imparting education to blindmen ? Merely expressing regret will not serve the purpose. It is the duty of the Govt. to enable the blind persons to be useful for the society. May I know how much amount has been provided by you for adult education for each year and how much amount is proposed to be provided by you to impart education to blind persons ?

Dr. P.C. Chunder : It has not yet been decided for blind persons. But we are holding discussion in this regard. There is some difficulty in it as blind persons are not limited to certain areas only but they are scattered all over the country. Besides, blind persons are imparted education through Braille system which cannot be introduced at each village. All these difficulties are there. If the hon. Minister wants, I am prepared to talk to him

श्री बी० राचैया : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि पुराने मैसूर नगर में स्वतंत्रता से अन्धे, बहरे और गूगों के लिए एक स्कूल खोला गया था ? मंत्री महोदय ने वास्तव में बताया है कि ऐसी स्वयं सेवी संगठनों के लिये जो ऐसी संस्थायें चलाती हैं, वित्तीय सहायता दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि मैत्री महोदय इस संस्था को वित्तीय सहायता देने को तैयार है, जो कि पहले ही मौजूद है और अपने विस्तार और रखरखाव के लिये वित्तीय सहायता की जरुरत है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : अन्धों के प्रशिक्षण के लिये 170 से अधिक संस्थायें हैं। माननीय सदस्य उस विशेष संस्थान को आवेदन पत्र देने को कहें, उस पर विचार किया जायगा।

Shri O.P. Tyagi : You have set up educational institutes for blind persons. You have also installed a press in braille script for them. In this context may I know whether you have prepared or propose to prepare any literature in braille script in order to educate them with religious and cultural heiritage of the country; if not, the reasons therefor, and if so, the details thereof ?

Dr. P.C. Chunder : It is a matter to be considered.

त्रि-भाषा नीति का कार्यान्वयन

209. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने त्रिभाषा नीति को कार्यान्वित किया है ; और

(ख) क्या सरकार इस कार्यान्वयन के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन की मूल रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इस नीति की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शुरू की गई भाषाएं	कक्षाएं,/स्तर जिनसे भाषाएं शुरू की जाती है
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	(1) तेलुगु, हिन्दी, उर्दू, कन्नड,तमिल, उड़िया, मराठी और गुजराती ।	उपलब्ध नहीं ।
	(2) हिन्दी अथवा तेलुगु अथवा कोई आधुनिक भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी ।	उपलब्ध नहीं । कक्षा 5 से
	(3) अंग्रेजी	
असम	(1) मातृ भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा	त्रिभाषा सूत्र केवल कक्षा 5 से 7 में ही
	(2) अंग्रेजी	कार्यन्वित किया जा रहा है।
	(3) हिन्दी (असम वालों के लिये) अथवा असमी गैर-असमियों के लिए ।	
बिहार	(1) मातृभाषा	कक्षा 1 से 10 तक
	(2) संस्कृत (हिन्दी भाषियों के लिए अथवा (अहिन्दी भाषियों के लिए) ।	कक्षा 3 से 10 तक
	(3) अंग्रेजी	कक्षा 5 से 10 तक
गुजरात	(1) क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा	कक्षा 1 से
	(2) हिन्दी	कक्षा 5 से
	(3) अंग्रेजी	कक्षा 8 से 9 में

1	2	3
हरियाणा	(1) हिन्दी	कक्षा 1 से
	(2) अंग्रेजी	कक्षा 6 से
	(3) संस्कृत अथवा उर्दू अथवा पंजाबी अथवा तेलुगु	कक्षा 7 और 8 में
हिमाचल प्रदेश	(1) हिन्दी	कक्षा 1 से
	(2) अंग्रेजी	अंग्रेजी तथा हिन्दी के अलावा उर्दू तीसरी भाषा के रूप में
	(3) उर्दू	कक्षा 6 से 8 तक
जम्मू तथा कश्मीर	(1) आसान उर्दू	कक्षा 1 से 10 तक
	(2) अंग्रेजी	कक्षा 1 से 10 तक
	(3) उर्दू/हिन्दी अथवा पंजाबी	कक्षा 1 से 9 तक
कर्नाटक	(1) कन्नड़ अथवा अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा तमिल अथवा तेलुगु अथवा मराठी अथवा हिन्दी (2) अंग्रेजी अथवा अन्य नौ भाषाओं में से कोई भी। (3) हिन्दी अथवा आठ अन्य भाषाओं में से कोई भी	1 से 10 तक की कक्षाओं में त्रि-भाषा सूत्र क्रियान्वित किया जा रहा है।
केरल	(1) मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषाएं अर्थात् मलयालम अथवा तमिल अथवा कन्नड़ अथवा उर्दू अथवा गुजराती अथवा कोंकणी	कक्षा 5 से 10 तक तीन भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। प्रथम भाषा--मलयालम, तमिल, कन्नड़ अथवा गुजराती
	(2) अंग्रेजी	द्वितीयभाषा– कक्षा 5 से 10 तक अंग्रेजी
	(3) हिन्दी	तृतीय भाषा--कक्षा 5 से 10 तक हिन्दी
मध्य प्रदेश	(1) मातृभाषा (2) (क) हिन्दी (अहिन्दी भाषियों के लिए) (ख) संस्कृत (हिन्दी भाषियों के लिए) (3) अंग्रेजी	केवल मिडिल स्कूल स्तर पर अर्थात् कक्षा 6 से 8 तक त्रि-भाषा सूत्र प्रचलन में है।
महाराष्ट्र	(1) मराठी, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, कन्नड़ का समुच्चय अधिकतर (1) मराठी, (2) अंग्रेजी, (3) हिन्दी	त्रि-भाषा सूत्र कक्षा 5 से 10 तक क्रियावित किया जा रहा है।

1	2	3
मणिपुर	(1) मातृभाषा	कक्षा 1 से
	(2) अंग्रेजी	कक्षा 3 से
	(3) हिन्दी	कक्षा 6 से 10 तक
मेघालय	(1) अंग्रेजी	कक्षा 4 से
	(2) हिन्दी	मिडिल तथा माध्यमिक स्तरों पर
	(3) मातृभाषा (असमियां या बंगला या हिन्दी या उर्दू या खासी या गारी)	उपलब्ध नहीं।
नागालैण्ड	(1) मातृभाषा	कक्षा 1 से 3 तक
	(2) अंग्रेजी	कक्षा 1 से
	(3) हिन्दी	कक्षा 4 से
		विशेष ध्यान दें :–कक्षा 1 से आगे शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है)
उड़ीसा	(1) उड़िया	ग्रेड 6 से 10 तक
	(2) अंग्रेजी	त्रि-भाषा सूत्र
	(3) हिन्दी	कार्यान्वित किया जा रहा है। (ग्रेड 4 से अंग्रेजी आरम्भ की जाती है)।
पंजाब	(1) पंजाबी	कक्षा 1 से
	(2) हिन्दी	कक्षा 4 से
	(3) अंग्रेजी	कक्षा 6 से
राजस्थान	(1) हिन्दी (2) अंग्रेजी (3) संस्कृत अथवा उर्दू अथवा सिंधी अथवा गुजराती अथवा पंजाबी अथवा मलयालम अथवा तमिल अथवा बंगाली	मडिल और माध्यमिक स्तरों में त्रि-भाषा सूत्र कार्यान्वित किया जा रहा है।
सिक्किम	(1) मातृभाषा (2) हिन्दी (3) अंग्रेजी	कक्षा 1 से मातृभाषा के अलावा हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य है। शिक्षण माध्यम सभी स्तरों पर अंग्रेजी है।
तमिलनाडु	(1) प्रादेशिक भाषा अथवा मातृभाषा (2) अंग्रेजी	भाग क :— क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा जब यह क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो। यह स्टैण्डर्ड 1 से पढ़ाई जायेगी। भाग ख :—अंग्रेजी अथवा कोई अन्य गैर-भारतीय भाषा। यह स्टैण्डर्ड 3 से पढ़ाई जायगी।

1	2	3
त्रिपुरा	(1) और (2) पश्चिम बंगाल की तरह (3) हिन्दी अथवा अन्य 15 भाषाओं में से कोई एक	कक्षा 6 से 10 तक के लिये त्रि-भाषा सूत्र अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश	(1) हिन्दी (2) 15 भाषाओं में से एक (3) अंग्रेजी	कक्षा 7 से 8 तक त्रिभाषा सूत्र क्रियान्वित किया जा रहा है
पश्चिम बंगाल	(1) बंगाली सहित 17 भाषाओं से एक (2) अंग्रेजी अथवा बंगला यदि अंग्रेजी प्रथम भाषा हो। (3)(क) प्राचीन भाषा समूह की भाषाओं में से एक (ख) विदेशी भाषाओं के आधुनिक समूह से एक। (ग) प्रथम भाषा के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा (घ) उनके लिये बंगाली जो इसे प्रथम अथवा द्वितीय भाषा के रूप में नहीं लेते हैं।	कक्षा 6 से 10 तक तीन भाषाएं अनिवार्य है।
अरूणाचल प्रदेश	(1) अंग्रेजी	कक्षा 1 से
	(2) हिन्दी	कक्षा 1 से
	(3) असमी अथवा संस्कृत	कक्षा 6 से 8 तक
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	(केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पद्धति)	
	(1) हिन्दी	कक्षा 1 से
	(2) अंग्रेजी	कक्षा 3 से
	(3) हिन्दी अथवा उर्दु अथवा बंगली	कक्षा 6 से 8 तक
चंडीगढ़ प्रशासन	(1) हिन्दी (2) पंजाबी (3) बगाली अथवा अंग्रेजी	कक्षा 4 से 10 तक त्रिभाषा सूत्र क्रियान्वित किया जा रहा है।
दादरा एवं नागर हवेली	(1) गुराती अथवा मराठी	स्टेडर्ड 1 से 4 तक
	(2) हिन्दी	स्टेण्डर्ड 5 से
	(3) अंग्रेजी	स्डेण्डर्ड 6 से 10 तक
दिल्ली प्रशासन	(1) कोई आधुनिक भारतीय भाषा (2) अंग्रेजी (3) हिन्दी (उच्च और निम्न स्तरों का समुच्चय)।	मिडिल और साध्यमिक स्तरों पर त्रि-भाषा सूत्र अपनाया जा रहा है।

1	2	3
गोवा, दमण तथा दीव	(1) मातृभाषा या कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा	स्टेण्डर्ड 1 से
	(2) मराठी या कोणकणी या अंग्रेजी या हिन्दी	स्टेण्डर्ड 3 से
	(3) हिन्दी या अंग्रेजी	स्टेण्डर्ड 6 से
लक्ष्यद्वीप	केरल की ही तरह	केरल की ही तरह
मिजोरम	(1) मिजो (2) अंग्रेजी (3) हिन्दी	मिडिल स्तर पर त्रिभाषी सूत्र कार्यान्वित किया जा रहा है।
पांडिचेरी	(1) पांडिचेरी और करेकल क्षेत्र तमिलनाडु की ही तरह कार्यान्वित करते हैं।	तमिलनाडु की ही तरह
	(2) यनम आन्ध्र प्रदेश की ही तरह कार्यान्वित करते हैं।	आंध्र प्रदेश की ही तरह
	(3) महे केरल की ही तरह कार्यन्वित करता है।	केरल की ही तरह

श्री हितेन्द्र देसाई : यह बड़े दुख की बात है कि भारत सरकार ने त्रि-भाषा सूत्र को क्रियान्वित करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं। मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय नीति है और इसी पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सहमति प्रदान की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई भाषा नीति है और यदि हां, तो उसे क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही क्योंकि इसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किये गये हैं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : भाषा नीति एक बड़ी कठिन समस्या है और जैसा कि आप को ज्ञान है गत कई वर्षों से यह प्रशासकों और नेताओं के लिए गंभीर विचार का विषय बनी हुई है । वास्तव में 1956 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया था। फिर पांच वर्ष बाद 1961 में मख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर आगे विचार किया गया था। फिर छः वर्ष ब द 1961 में उप-कुलपतियों के सम्मेलनों में इसी समस्या पर विचार किया गया था और त्रिभाषा सूत्र ही इस समस्या का हल समझा गया । 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया गया था ।

हाल में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। वे सिद्धान्त रूप से सहमत हो गये हैं कि स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के प्रयोजनार्थ त्रिभाषा सूत्र को जारी रखा जाये। तमिलनाड सरकार ने कहा है कि वह द्विभाषा सूत्र के पक्ष में है । वर्तमान स्थिति यह है। हम त्रिभाषा सूत्र के पक्ष में हैं। इसे क्रियान्वित करना राज्यों का कार्य है।

श्री हितेन्द्र देसाई : क्या हम समझे कि भारत सरकार त्रिभाषा सूत्र को मानती है ? परन्तु चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह राज्यों के मामले में भी इस सूत्र को क्रियान्वित करें।

मैं जानना चाहता हूं कि माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने के बारे में भारत सरकार की नीति क्या है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जहां तक शिक्षा का समवर्ती सूची में होने का प्रश्न है, माननीय सदस्य को ज्ञात है कि शिक्षा को राज्य सूची में अन्तरित करने का प्रयास किया जा रहा है और इस आशय का संशोधन करने वाला विधेयक सभा के समक्ष है ।

यह निर्णय अन्ततः इस सभा को तथा दूसरी सभा को करना है कि इस बारे में क्या स्थिति हो जब तक अन्तिम निर्णय नहीं किया जाता। हमने निर्णय किया है कि शिक्षा के समवर्ती सूची में होने का लाभ न उठाया जाये ।

जहां तक अंग्रेजी का प्रश्न है, सरकार अंग्रेजी के विरुद्ध नहीं है । परन्तु जैसाकि मैं ने पहले कहा है इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करना है कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो अथवा नहीं। हमारा निर्णय यह है कि जहां तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है, मातृ भाषा होना चाहिए ।

श्री हितेन्द्र देसाई : अंग्रेजी पढ़ाने के बारे में क्या स्थिति है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : हम अंग्रेजी पढ़ाने के विरुद्ध नहीं है । कोई भी राज्य अंग्रेजी पढ़ाने की सुविधा दे सकता हैं । वास्तव में जैसा कि मैंने कहा है अंग्रेजी के लिए शिक्षकों को निदेश देने के लिये हैदराबाद में एक संस्थान गठित किया गया है ।

श्री हितेन्द्र देसाई : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर इस सप्ताह के दौरान विस्तारपूर्वक चर्चा होनी है । भाषा के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए हम छः घंटे नियत कर रहे हैं।

श्री हितेन्द्र देसाई : वह राजभाषा के लिए है । राजभाषा अलग प्रश्न है तथा शिक्षा का माध्यम अलग प्रश्न तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सी भाषा कौन सी कक्षा से।

अध्यक्ष महोदय : उस समय मैं इस पर चर्चा करने का अवसर दूंगा।

श्री आर०के० महालगी : हमेशा यह कहा जाता है कि संस्कृत सब भारतीय भाषाओं की जननी है । परन्तु सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य से पता चलता है कि 31 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में से केवल छः अर्थात् बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अरूणाचल में पढ़ाई जाने वाली भाषाओं में संस्कृत को शामिल किया है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति को सही करने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : The Central Government have set up a National Sanskrit Institution for the propogation and spreading of Sanskrit. Formerly there were five Sanskrit Vidyapeeths and now their number has gone up to six. Other vidyapeeth known as Gurnyavar Vidyapeeth has been set up in Kerala. Grants are also given for Sanskrit and grant is also given to Sanskrit Universities by U.G.C. But the question that Sanskrit

should be compulsory is to be decided by the State Governments and Central Government has nothing to do in this regard. I was myself a Sanskrit student. But I am of the opinion that if any language is imposed it begets hatred.

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह सुविदित तथ्य है कि त्रिभाषा सूत्र, विशेषकर हिन्दी पढ़ाना, दक्षिणी राज्यों में पूर्णतया क्रियान्वित किया जा रहा है । परन्तु उत्तर में ऐसा नहीं है । उत्तर में शायद ही कोई ऐसा राज्य हो, जिसमें दक्षिणी भारतीय भाषाओं के पढ़ाने की सुविधा हो । हम असंतुलन को दूर करने के लिए, यदि सरकार कोई कार्यवाई करना चाहती है, तो क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: यह कहना सही नहीं है कि उत्तर में कहीं भी दक्षिण भारतीय भाषायें पढ़ाने की सुविधा नहीं है । मझे सूची से ज्ञात हुआ है कि हरियाणा में तेलगु एक वैकलपिक विषय है । मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तर में दक्षिण भाषायें पढ़ाने की अधिक सुविधा नहीं है । परन्तु जैसा कि मेंने कहा है यह राज्य सरकारों का विषय है ।

श्री के० गोपाल : यह बिलकुल अलग प्रश्न है । वह असत्य वक्तव्य दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा के दौरान हर प्रकार का अवसर दूंगा ।

श्री के० गोपाल : मंत्री महोदय के लिये यह कहना अनुचित है कि तमिलनाडू सरकार त्रिभाषा सूत्र को क्रियान्वित नसीं कर रही है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने तो केवल मंत्रियों की बैठक में हुई कार्यवाही पर ही बल दिया है ।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : श्री गोपाल, आवेश में आने वाली कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गोपाल द्वारा कही गयी एक बात का स्पष्टीकरण आना चाहिए । उन्होंने कहा है कि मंत्री का उत्तर असत्य था ।

अध्यक्ष महोदय : उस हेतु कार्यवाही करने के लिये प्रावधान है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों का आवंटन

212. **चौधरी बलबीर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीतमपुरा और हैदरपुरी क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास ऐसे कितने प्लाट हैं जिनकी निम्न आय वर्ग को अप्रैल, 1977 में और दिनांक 1 मई, 1978 के सार्वजनिक नोटिस द्वारा पेशकश की गई थी ?

(ख) आवेदको को प्लाटों के आबंटन का तरीका क्या है ;

(ग) यदि प्लाट लाटरी निकाल कर आबंटित किये जाने हैं तो, उन व्यक्तियों की क्या स्थिति है जिन्होंने सितम्बर, 1975 में 4,032 रुपये जमा कराये थे तथा जिनके नाम लाटरी में नहीं निकले थे और जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण से अभी तक जमा राशि वापस नहीं ली ;

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिये उन व्यक्तियों को लाटरी की बजाये सीधे ही प्लाट आबंटित करना संभव क्यों नहीं है जिन्होंने मेहनत से कमाई हुई 4,032 रुपयों की राशि लगभग तीन वर्षो से जमा करा रखा है ; और

(ङ) उन्हें कब तक प्लाट आबंटित किये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचना दी है कि उन्होंने मार्च-अप्रैल 1977 में पीतमपुरा रिहायशी योजना में 2271 व्यक्तियों को प्लाटों के आवंटन की पेशकश की। किन्तु उस समय उनके पास कोई प्लाट उपलब्ध नहीं था।

1 मई, 1978 को जारी की गई आम सूचना के संदर्भ में पीतमपुरा तथा हैदरपुरी क्षेत्र में लगभग 3000 प्लाट उपलब्ध थे। किन्तु अभी तक कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(ख) तथा (ग) निम्न आय वर्ग के लिए प्लाटों का आवंटन पर्ची डालकर किया जायेगा। जिन लोगों का पर्ची में नाम नहीं आयेगा उनकी धरोहर राशि वापिस की जा सकती है।

(घ) यद्यपि अभी काफी संख्या में प्लाट उपलब्ध नहीं हैं किन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण को कहा गया है कि वे इन व्यक्तियों के लिये अतिरिक्त प्लाटों का विकास करें।

(ङ) 1000 प्लाटों के लिए पर्चियां शीघ्र ही डाली जायेगी।

Chowdhry Balbir Singh : The hon. Minister has stated in his reply that offer was made to 2271 persons and no plots were available in 1977. Then in 1978 they issued a notice for the draw of lots for 1000 plots. It is stated at the end of the reply that next draw of lots for the 1000 plots will be held shortly. The Government says that those who depositee more than Rs. 4,000 belongs to low income group. Those who have deposited modyn some five or six years ago have not so far been given plots. Will the Govt. allot plots to such persons before starting a new scheme ?

Shri Sikander Bakht : The question of offer to 2271 persons cannot be understood easily. Out of these 2271 persons, 1979 persons are those who could not get houses in the 4 residential schemes and 292 persons are those who made applications under Gonda residential scheme. The basic policy of the then DDA was that those who make application under any scheme and do not came in draw of lots can withdraw their money and try to get houses under next schemes. Now we have come to know that no area was developed. We are trying to develop and allot 1000 plots to those people so that we could develop plots for other people.

Chowdhury Balbir Singh : The hon. Minister has stated that the plots have not been developed. It is also stated in the reply that plots were offered to 2271 persons. How could the Government make offers when there were no plots. My question is clear. I wanted to know the number of persons who deposited amount of Rs. 4,032 and have not so far been allotted the plots. It is said that they have been asked to take back the money. The hon. Minister should ask the DDA to make allotments to those who have deposited the money long ago.

Shri Sikander Bakht : This is not a question but a suggestion. I will certainly consider this issue.

श्री के० लक्कप्पा : प्रश्न प्लाटों के आवंटन के बारे में है। डी०डी०ए० द्वारा प्लाटों के आवंटन की समूची योजना आर०एस०एस० के लोगों की सहायता करने के लिये बनायी गयी है और गरीबों के साथ भेदभाव का यही कारण है। केवल कुछ ही वर्गों को लाभ पहुंचता है।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं इनकी बात नहीं सुन सका।

श्री के० लकप्पा : आप विवरण को देखें । मैं इस बात को जानता हूं कि आपका मंत्रालय डी०डी०ए० की सांठगांठ से दिल्ली में किस ढंग से काम कर रहा है । सर्वसाधारण का अहित करते हुए इन लोगों के लिये प्लाट बनाये जा रहे हैं। आप इस संबन्ध में किस प्रकार की नीति अपना रहे हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : अध्यक्ष महोदय, क्या इनका प्रश्न मूल प्रश्न से संबन्धित है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री के० लकप्पा : प्रश्न डी०डी०ए० द्वारा प्लाटों के आवंटन से संबन्धित है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

राजस्थान नहर

*213. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर के निर्माण में अब तक हुई प्रगति के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ख) विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से नहर के लिये और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिये गये प्रयत्नों का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) नहर क निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) से (ग) तक एक सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) राजस्थान नहर परियोजना का चरण-एक, जिसमें 204 किलोमीटर लम्बी पोषक (फीडर नहर, 189 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर और 3000 किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली शामिल है, लगभग पूरा हो गया है । परियोजना का चरण दो जिसमें चरण एक के अनुक्रम में 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर और लगभग 3500 किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली का निर्माण शामिल है, प्रारम्भ कर दिया गया है । 15 मई, 1978 तक इस परियोजना में हुई प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	कार्य की मद	यूनिट	अनुमानित मात्रा	15-5-78 तक किया गया कार्य
1	2	3	4	5
चरण एक				
1.	राजस्थान फीडर (203 किलोमीटर लम्बी)		जून, 1964 तक पूरी हो गई ।	
2.	राजस्थान मुख्य नहर (189 किलोमीटर लम्बी)		जून, 1975 तक पूरी हो गई ।	
3.	**वितरण प्रणाली :**			
	किलोमीटर 0–74			
	मिट्टी का कार्य . . .	हजार घनमीटर	37,785	37,478
	लाइनिंग कार्य . . .	किलोमीटर	1,850	1,392.5
	किलोमीटर 74–189			
	मिट्टी का कार्य . . .	हजार घनमीटर	8,626	8,557
	लाइनिंग कार्य . . .	किलोमीटर	715.66	711.09

1	2	3	4	5
पुगल शाखा प्रणाली				
पुगल मुख्य शाखा				
मिट्टी का कार्य	.	हजार घनमीटर	6,415	पूरा हो गया
लाइनिंग कार्य	.	किलोमीटर	66	65.09
पुगल शाखा की वितरण प्रणाली :				
मिट्टी का कार्य		हजार घनमीटर	11,113	8,528 (मार्च और मई)
लाइनिंग कार्य		किलोमीटर	280.81	195.49
लूणकर्णसागर बीकानेर				
लिफ्ट चैनल (152 किलोमीटर)				(वही) दिसम्बर, 1976 तक पूरी हुई
लिफ्ट नहर की वितरण प्रणाली				
मिट्टी का कार्य	.	हजार घनमीटर	2,460	2,188
लाइनिंग कार्य	.	किलो मीईर	158.36	157.78
पक्के जल मार्ग	.	किलोमीटर	1021.50	765.35
चरण-दो				
4. राजस्थान मख्य नहर				
मिट्टी का कार्य		हजार घनमीटर	63,721	15,759
लाइनिंग कार्य		किलोमीटर	256	44.12
5. जल सप्लाई चैनल				
मिट्टी का कार्य		हजार घनमीटर	15,292	13,617
6. वितरण प्रणाली				
मिट्टी का कार्य	. .	हजार घनमीटर	75,000	8,962
लाइनिंग कार्य	. .	किलोमीटर	3,500	16.83

(ख) राजस्थान नहर परियोजना के लिए विश्व बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से अभी तक कोई धन नहीं लिया गया है । फरवरी, 1978 में ईरान के शहंशाह की भारत यात्रा की समाप्ति के समय जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार, शहंशाह ने अन्य कार्यों के साथ-साथ राजस्थान नहर परियोजना के चरण-दो के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए, तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की कीमतों पर वार्षिक रूप से अतिरिक्त कच्चा तेल सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है । यह सप्लाई में उधार या एक मुश्त भुगतान के आधार पर जैसा भी उचित होगा, की जाएगी । इसके ब्यौरे के बारे ईरान सरकार के साथ अभी विचार-विमर्श किया जाना है और इसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राजस्थान नहर परियोजना से प्राप्त होने वाले जल और भूमि के समुचित समुपयोजन के लिए राजस्थान सरकार ने कमान क्षेत्र विकास परियोजना नामक एक अलग परियोजना भी तैयार की है। चरण-एक कमान क्षेत्र विकास परियोजना के एक भाग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा 83 मिलियन

डालर का एक ऋण दिया गया है । चरण एक की कमान क्षेत्र विकास परियोजना के शेष भाग तथा चरण-दो की कमान क्षेत्र विकास परियोजना के लिए भी विश्व बैंक या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से धन प्राप्त करने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) राजस्थान नहर परियोजना के 1983-84 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

Shri S.S. Somani : Rajasthan canal is the biggest irrigation project in the world. It is mentioned in the statement that stage I of the project is almost complete. We have been informed everytime in reply to our questions that the work is almost complete. I want to know the quantity of work pending in the 1st stage. It is also stated in the reply that stage II comprising 256 km long main canal in continuation of stage I and 3500 km long distribution system, have also been stated. I want to know the kilometerage of work completed and proposed to be completed.

Shri Bhanu Pratap Singh : It is already mentioned in the statement. If you permit, I may read it :—

राजस्थान फीडर केनाल (203 किलोमीटर लम्बी) जून, 1964 तक पूरी हो गयी। राजस्थान मुख्य नहर (189 किलोमीटर लम्बी) जून, 1975 तक पूरी हो गयी।

वितरण प्रणाली	यूनिट	अनुमानित मात्रा	15-5-78 तक किया गया कार्य
किलोमीटर 0—74			
मिट्टी कार्य	हजार घन मीटर	37,785	37,478
लाईनिंग कार्य . . .	किलोमीटर	1,850	1,392.5

यह एक लम्बा विवरण है । मेरे विचार में सूचना विवरण में दी गयी है ।

Shri S.S. Somani : I want to know the work completed in the IInd phase.

Shri Bhanu Pratap Singh : Earth work in the 2nd phase was 15,759 Th. Qm. out of 63721 Th. Qm. Lining work was 44.12 km out of 256 km. water supply channel work was 13,617 Th. Qm. out of 15,292 Th. Qm. In distribution system earth work was 8,962 Th. Qm. out of 75,000 Th. Qm. and lining work was 16.83 km. out of 3,500 km.

Shri S.S. Somani : What is the result of the efforts made to get more funds for this project from world bank and other international agencies. Are you negotiating with the international agencies about it ? According to the press reports Shah o Iran also made an offer of Rs. 200 crores. What progress has been made in this direction ?

Shri S.S. Somani : What is the progress with regard to dialoge which you had with World Bank.

Shri Bhanu Pratap Singh : Sir, this statement is also there in which it was stated that when Shah of Iran came to India, this issue was also discussed with him and principally he agreed to supply crude oil to this country. But its details are yet to be worked out. But we are hopeful of getting the amount. The act remains that this plan is not going to be stopped for want of amount. The work is in progress and as I have stated the work of second stage has also been started. The work is not likely to be stopped for want of funds.

Shri Bhanu Kumar Shastri : It is well within the knowledge of hon. Minister that after the construction of Rajasthan Canal, the basic problem of draught in Rajasthan will come to an end. There will be no draught and the Government of India, who spends crores of rupees, will not have to spend that amount. But I want to know that why length of the hundred mile long canal of second phase is being given cubic feet rather than in miles or kilometres. He has stated that it is 15,000 cubic feet whereas it should have been 21,000 feet. I want to know, what was the original amount to be spent on this plan, how much amount is now being spent, and how much amount is being given by Government of India for Rajasthan during this Five Year Plan ?

Shri Bhanu Pratap Singh : Sir, at stage I, Rs. 184 crores and at stage II Rs. 216 crores were to be spent on this plan. Out of this amount Rs. 168 crores have been spent in total on both the phases upto March, 1977. By March, 1978, Rs. 198 crores will be spent and I stated.....

Shri Bhanu Kumar Shastri : March, 1978 is gone.

Shri Bhanu Pratap Singh : It is all right. Then this much of the amount has been spent.

I have already stated that this work will not suffer because of funds. As a matter of fact the colonisation work has not been done even in the places where irrigation facilities have been provided. The real problem of Rajasthan is that the facilities which were provided at stage I, even the 60 percent of these facilities have not been utilized. This is the main problem.

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to know from the Minister what were the completion targets of phase I and II and when they are likely to be completed ? In phase one how many people have been benefited and how many people are likely to be benefited in phase two ? I would also like to know if neuclear energy can also be utilized in it for expediting this work as was done in Saiberia.

Shri Bhanu Pratap Singh : Both the phases are likely to be completed in 1983-84. The first phase is almost complete and second phase will also be completed by 1983-84.

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि इसे कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था तथा यह कब पूरा हो पाया ?

श्री भानु प्रताप सिंह : प्रथम चरण की पूर्ण क्षमता मार्च 1980 तक तैयार हो जायेगी तथा दूसरे चरण का कार्य 1983-84 तक पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय जी भी भाषा अंग्रेजी या हिन्दी ठीक से समझ पाते तो मैं उसी में अपना प्रश्न पूछ सकता हूं । मेरा प्रश्न यह है कि प्रथम चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था तथा दूसरे चरण का लक्ष्य क्या था तथा यह वास्तव में कब पूरा किया गया । प्रथम चरण तथा दूसरे चरण से कितने लोगों को लाभ होगा और क्या आप आणविक शक्ति का उपयोग नहरें खोदने के लिए करेंगे जैसाकि सोवियत संघ द्वारा किया गया ?

Shri Bhanu Pratap Singh : Your suggestions regarding using of neuclear energy in digging of rivers will be taken into consideration as untill now this energy has not been put to use for such purposes.

Shri Samar Guha : It can be replied by the Prime Minister.

अध्यक्ष महोदय : चरण एक का निर्धारित लक्ष्य क्या था ?

Shri Bhanu Pratap Singh : For that I require notice.

अध्यक्ष महोदय : इनके पास अपेक्षित जानकारी नहीं है ।

National Housing Policy

*214. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme for the construction of residential houses in urban and rural areas and if so, the outlines thereof;

(b) the number of people in the country without houses and the number living below the norms of sanitary conditions ;

(c) whether Government propose to formulate a National housing policy providing that (i) those who own a house will not be provided Government accommodation; (ii) those who have an income below Rs. 1000 will be given priority in providing accommodation; (iii) no person or officer will be provided accommodation bigger than a three roomed flat; and (iv) the limit of the area of the houses to be allotted to Members of Parliament and Ministers will also be fixed; and

(d) whether Government also propose to undertake a scheme of constructing at least fifteen 'Janta Houses' for the poor people under every Panchayat for a period of five years and if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

PART (a)

The Government have introduced the following social housing schemes for construction of houses in the urban and rural areas :

(i) *Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community :*

The scheme is intended for construction of subsidised rental houses for low paid industrial workers and other economically weaker sections of community. The income limit for allotment of houses built under the scheme is Rs. 500 per month subject to payment of some additional charges by allottees in the income group between Rs. 350 to 500. Government and Government agencies have been permitted to sell the houses constructed under this scheme to the existing occupants.

(ii) *Low Income Group Housing Scheme :*

The scheme provides for loan assistance to the extent of 80% of the approved cost of a house subject to a maximum of Rs. 14,500 to families whose annual income does not exceed Rs. 7,200.

(iii) *Middle Income Group Housing Scheme :*

The scheme provides for loan assistance to the extent of 80% of the approved cost of a house subject to a maximum of Rs. 27,500 to families whose annual income is in the range of Rs. 7,201 to Rs. 18,000.

(iv) *Village Housing Projects Scheme :*

The scheme provides for grant of loans for construction of houses by villagers and their cooperatives to the extent of 80% of the cost of construction subject to a maximum of Rs. 5,000 and also for laying of streets and drains to improve the environmental hygiene of villages.

(v) *Slum Clearance/Improvement Scheme :*

The scheme envisages grant of financial assistance to the State Governments and Union Territories and through them to the local bodies for improvement of slum areas and re-housing of slum dwellers in the lower income bracket upto Rs. 350 per month.

(vi) *Rental Housing Scheme for State Govt. Employees:*

Under this scheme, the State Governments utilise the funds exclusively for construction of new houses for allotment to State Govt. employese on payment of monthly rent in accordance with the normal rules of the State Government.

(vii) *Land Acquisition and Development Scheme :*

The scheme provides for grant of financial assistance to the State Governments for large scale acquisition and development of land to enable them to develop the plots and make them available at reasonable prices to intending house builders and for providing other community facilities.

(viii) *Scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas :*

This scheme provides house-sites, free of cost to the rural landless who do not own a house-site or a built-up house or hut on land of their own.

(ix) *Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers :*

This scheme aims at providing rent free housing to resident plantation workers who belong to weaker sections of the society. The Central Government provides financial assistance to the extent of 87-1/2% of the cost of construction of houses (50% as loan and 37-1/2% as subsidy) under the scheme. The remaining 12-1/2% is provided by the employers.

Except for the Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers, which is in the Central Sector, all other social housing schemes are in the State Sector.

The Housing and Urban Development Corporation, a Government of India Undertaking, is also providing financial assistance to the State Governments, Housing Boards, Cooperative agencies and other local bodies for implementing composite and viable housing and urban development projects.

PART (b)

The housing shortage at the beginning of the Fifth Five Year Plan i.e. on 1st April, 1974 was estimated at 15.6 million housing units. It has been estimated by the National Buildings Organisation that this shortage might increase to 19.7 million housing units in the year 1979. There is no precise data available on the number of people living below the norms of sanitary conditions.

PART (c)

The Honourable Member is evidently referring to the National policy in respect of accommodation provided by Government. As per the present policy of the Government, the house owning officers are eligible for allotment of accommodation from the General Pool. Their date of priority is reckoned from 1-6-1977, or, as the case may be, a subsequent date. Most of the quarters proposed to be taken up for construction in the General Pool during the current year are for employees drawing a pay of Rs. 1,000 or less and these quarters would not have even three rooms. Government have also decided that in future the houses to be constructed for Ministers would have a plinth area of about 3,000 sq. ft. for the main house. With regard to Members of Parliament, no decision has so far been taken.

PART (d)

Housing being a State subject, the Government of India are not considering any proposal to directly construct Janta Houses in villages. However, the State Governments are giving loans under the Village Housing Projects Scheme and a provision has been made in the Draft Five Year Plan for construction of dwellings under the scheme for allotment of house-sites to the landless workers in the rural areas.

National Buildings Organisation, however, is implementing a continuing plan scheme for the construction of clusters of demonstration rural houses alongwith environmental improvements in selected villages for landless agricultural workers.

Dr. Ramji Singh : In the statement laid on the Table National Housing Policy has been described. After bread and cloth the question of accommodation is most important. It has been stated in the World Bank Report that there are 63 per cent people in India, who cannot construct even cheap houses. There are only two schemes meant for villages out of 9 schemes referred to by the hon. Minister just now. I feel that great injustice has been done to villages in the matter of providing housing facilities. Hence, all the schemes or meant for cities only. Will the hon. Minister be pleased to state the total expenditure incurred on providing housing facilities in villages and cities separately ?

Shri Sikandar Bakht : The figures being submitted by me relate to the period upto 31st December, 1977. If we look into the schemes, we will find that all the schemes are economically weaker section oriented. It is clear from the fact that 87.83 per cent of the funds given by HUDCO have been granted to those persons whose monthly income is less than Rs. 600 and 2,08,141 dwellings out of 3,27,523 dwellings have been allotted to those persons of economically weaker sections, whose income is Rs. 350.

One hon. Member : All this was given in urban area. How much has been given in rural area.

Shri Sikandar Bakht : Besides the two rural housing schemes referred to by me, HUDCO has come out with a new scheme under which we will give 50 per cent loan for housing purposes in rural areas in the cases where the cost of a house does not exceed Rs. 4000. I would like to submit that althongh the Central Government formulate schemes, yet basically the question of housing comes under the jurisdiction of State Governments. We are giving attention particularly to villages through HUDCO. The recent scheme for plantation workers is also meant for villages.....

One hon. Member : To how many persons you have given *loans ?*

Shri Sikandar Bakht : Under the Village Housing Schemes 98,531 schemes have been sanctioned out of which 66,053 schemes have been completed and an amount of Rs. 24.24 crore has been spent on them.

Shri Bhanu Kumar Shastri : Whether all this has been done in villages or in cities ?

Shri Sikandar Sakht : All this has been done for villages only.

Dr. Ramji Singh : When Shri Hitendra Desai was the Housing Minister and International Seminar on Housing was held in Madras in which it was stated that Government should formulate a national housing scheme as the Seminar had felt that for the last 30 years injustice has been done to villages in the matter of providing housing facilities there. The hon. Minister has not been able to furnish comparative figures. All the schemes are definitely meant for cities. Huge amount has been spent on cities. Hence, it is essential that a National Housing Policy should be formulated. Unless this policy is formulated, housing problem in villages will not be solved.

The U.N.O. has also stated that small houses are required. Will you please make allocations in such a way that the amount is not divided into schemes ? Suppose you allocate Rs. 100 crore, how much of it will be given to villages and how much to cities out of it. If you do like this, we will feel that you are not showing any favouritism toward villages.

Shri Lakhan Lal Kapoor : Why there will be big houses for cities and small houes for villages ?

Shri Sikandar Bakht : I have already stated in my reply to first question that the amount referred to by me has been spent for proving housing facilities in villages only. I have also stated that the new schem announced recently is meant for proving houses in villages. The States may send us schemes, we will spend on proving housing facilities in village under those schemes.

श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य कर्नाटक में से ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में आवास निर्माण संबन्धी कितने प्रस्ताव भेजे गये हैं। यदि हां, तो उन पर मंत्रालय द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

श्री सिकन्दर बख्त : आवास सम्बन्धी-नीति के बारे में मैं पहले ही सदन को बता चुका हूं। उन योजनाओं का लाभ उठाना तथा उनके बारे में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का कार्य राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के लिए योजनायें तो तैयार नहीं करेगी। राज्यों को ही अपनी योजनायें तैयार कर, केन्द्र को भेजनी होंगी।

अध्यक्ष महोदय : कर्नाटक से आपके पास कितने प्रस्ताव आये हैं ?

श्री सिकन्दर बख्त : इसके आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

Shri R.L. Kureel : May I know whether you will demand any security for the loan of Rs. 2000 to be given under the scheme for construction of houses costing Rs. 4000 ? The scheduled castes and scheduled tribes people may not be able to give any security. Besides, in my view the house constructed with a cost of Rs. 4000 will not be worth living for human beings and about Rs. 1000 will go into the pockets of officers. May I know whether any rules will be framed under which people of weaker sections, especially scheduled castes and scheduled tribes may get loan and whether this amount will also be increased ?

Shri Sikandar Bakht : There is no question of Rs. 1000 going into the pockets of officers. Secondly, it has been said that a good house cannot be constructed with Rs. 4000. I am happy to point out that the experiments made so far reveal that very good houses have been constructed with Rs. 1500.....(*Interruption*).

Several hon. Members : How can a house be constructed with Rs. 1500 ?

Shri Sikandar Bakht : I am referring to a very good house.....(*Interruption*). Under our latest scheme such houses have been constructed.

Second question is about security against loan to be given. I may tell that there is no question of advancing loan for individual houses. Schemes have been received from State Governments for constructing some houses collectively. Under these schemes 50 per cent of the funds will be given to State Governments and they will spend this amount. It is their job to distribute it in whatever manner they like.

I may inform you that we had organised an exhibition of houses of this category costing Rs. 1500 each people have welcomed them very much.

Central directive on Grow More Food campaign

*218. **Shri Sukhendra Singh :**

Shri Sarat Kar :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Central Government have recently prepared "Grow More Food" scheme and advised the State Governments to fix annual targets in this regard; and

(b) if so, the names of the States which have accepted the scheme ?

Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir. No scheme by the name "Grow More Food" has been prepared recently by the Government of India.

(b) Does not arise.

श्री सरत कार: माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि "अधिक अन्न उपजाओ" जैसी कोई योजना नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों को अधिक अन्न का उत्पादन करने संबंधी निदेश देने का केन्द्र का दायित्य नहीं है !

श्री भानु प्रताप सिंह: यह योजना का नाम नहीं है। आने वाले मौसम में उगाई जाने वाली फसलों के बारे में हम कुछ निदेश देते हैं। उदाहरणार्थ हम वर्ष 1978 की खरीफ की फसल तथा रबी की फसल आदि के बारे में निदेश देते हैं। यह अधिक अन्न उगाओ योजना के अन्तर्गत नहीं आते।

श्री सरत कार: मैं समझता हूं कि अब स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दे दिये हैं कि सीमित खाद्य जोन अब नहीं रहेंगे तथा राज्य सरकारें इस निदेश को स्वीकार करेंगी कि उड़ीसा में चावल का उत्पादन होता है जिसे कि सम्पूर्ण भारत को भेजा जाता है। यदि केन्द्र सरकार द्वारा निदेश नहीं दिये जाते तो कोई राज्य विशेष किसी वस्तु विशेष का उत्पादन किसी समय घटा सकता है जिससे कि राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो जायेगा। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इसे किसी योजना या निदेश या किसी अन्य उपाय के नियन्त्रित करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय यह केवल अमल के लिए एक सुझाव मात्र है।

श्री पी० वेंकट्टासुब्बया: इस वर्ष सरकार को आशा है कि 1250 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा। अब इन्होंने अधिक अन्न उपजाओ योजना भी तैयार कर दी है। इन्होंने राज्य सरकारों से वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रति एकड़ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ किया जा रहा है? क्या प्रति एकड़ खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि की ओर ध्यान दिया जा रहा है या उत्पादन में वृद्धि केवल इस लिए हो रही है कि अधिक धरती पर खेती की जा रही है या अधिक सिंचाई सुविधायें जुटाई जा रही है?

श्री भानु प्रताप सिंह: उत्पादन में जो अधिक वृद्धि हुई ह उसका प्रमुख कारण यही है कि हमने खेती के अच्छे तरीके अपना लिये हैं। उत्पादन में वृद्धि केवल इसलिए नहीं हुई कि अधिक भूमि पर खेती की जा रही है। परन्तु इसके अतिरिक्त हम पौधों की सुरक्षा के उपयुक्त तरीके सुझा कर तथा अच्छे बीज उपलब्ध कराके उत्पादन में वृद्धि करवाने का प्रयत्न करते हैं। माननीय सदस्य ने जिस योगदान की बात की है, सरकार का निरन्तर ही वैसा योगदान देने का भरसक प्रयत्न रहता है।

Houses for residents of Delhi

220. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a scheme is being formulated by Government to provide houses to all the residents of Delhi;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) whether these houses will be cheaper and better than those constructed earlier ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) The Government are aiming at a target of building about 40,000 dwelling units a year. This, when achieved, will help in mitigating the housing shortage in Delhi.

(b) The target of 40,000 dwelling units in Delhi, is proposed to be achieved in the following manner :

(i) D.D.A. . .	. 10-12 thousand
(ii) C.P.W.D.	. 10 thousand
(iii) Private builders cooperatives and institutions .	. 20 thousand

(c) Yes, Sir.

Shri Hargovind Verma : I want to know from the Hon. Minister as to why so small houses are being constructed in trans-Jamuna area which have inadequate accommodation and people can not live in them. Will you construct houses having adequate accommodation so that people find their suitable to live in ?

Shri Sikander Bakht : I think perhaps this question relates to the demolished resettlement colonies. Those houses were not spacious. We have no intention to construct such houses.

Shri Hargovind Verma : Very small houses have been constructed there and no arrangements have been made for sanitation. I want to know who is responsible for sanitation work in those colonies. Insanitary conditions are prevailing there and bad smell is drifting alround. I want to know whether arrangements will be made for sanitation and cleanliness in those colonies and whether Government is prepared to formulate any scheme under which houses will be constructed which will be fit for human beings ?

Shri Sikander Bakht : We will keep all these things in view while formulating a new scheme.

श्री एल० के० होले : इस प्रश्न का संबंध दिल्ली के नागरिकों से है। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली का नागरिक बनने के लिए क्या जरूरी है ?

अध्यक्ष महोदय : आप भी उनमें से एक हैं।

श्री सिकन्दर बख्त : ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। पहले एक यह शर्त हुआ करती थी कि जो पांच वर्षों तक दिल्ली में रहा हो, वह दिल्ली का नागरिक कहलाता था।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1
Short Notice Question No. 1

श्री योहानन को चिकित्सा सहायता

1. **श्री ग्यालार रवि :** क्या शिक्षा, समाज और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, पटियाला में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय लम्बी कूद का चैम्पियन श्री योहानन घायल हो गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसकी उचित रूप से चिकित्सा नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और श्री योहानन को चिकित्सा सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे वह राष्ट्र मंडलीय खेलों में भाग तो सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1-7-78 को खुद घायल होने के तुरन्त बाद श्री योहानन का रा० खे० सं० पटियाला में प्रथम-पचार किया गया और उनके घायल घुटने को सही स्थिति में लाया गया तथा बाद में ईथल क्लोराई स्प्रे के जरिए शीत गद्दी लगाई गई और पैर में पट्टी बांध दी गई थी। चोट लगने के 15 मिनट के अंदर उन्हें राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्टाफ कार द्वारा राजेन्द्र अस्पताल, पटियाला में भेज दिया गया था।

2. अस्पताल में डा० आर० एल० मित्तल, सहायक प्रोफेसर, ओर्थोपैडिक विभाग, ने उनका उप-चार किया। उनका इलाज 'पे क्लिनिक केस' के रूप में किया गया और उन्हें जनरल वार्ड में दाखिल किया गया क्योंकि विशेष वार्ड में स्थान उपलब्ध नहीं था। क्योंकि उस अस्पताल में इलाज से श्री योहानन को संतोष नहीं था। अतः उनके नियोजकों (टेल्कों) के परामर्श से, रा० खे० संस्थान, पटियाला द्वारा श्री योहानन को 3 जुलाई, 1978 को अस्पताल से छुट्टी दिलाने और ऐम्बुलेंस द्वारा दिल्ली भेजने के लिए प्रबंध किया गया। श्री योहानन को अस्पताल से छुट्टी दिलाते समय रा० खे० सं०, पटियाला ने सभी अदायगियां की।

3. दिल्ली में श्री योहानन को सर गंगाराम अस्पताल में दाखिल किया गया और उनके घुटने का आपरेशन किया गया। नई दिल्ली अस्पताल में उनका खर्च उनके नियोजक द्वारा वहन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के निदेशक और प्रभारी प्रशिक्षक उन्हें देखने के लिए सर गंगाराम अस्पताल गए थे। शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री धन्ना सिंह गुलशन तथा अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष फील्ड मार्शल एस० एच० एफ० जे० मानिक्शा भी उन्हें अस्पताल में देखने गए। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उनकी स्थिति सुधरती जा रही है।

4. हाल ही के वर्षों में श्री योहानन का खेल इतना अच्छा नहीं रहा है जितना अच्छा कि 1974 के एशियाई खेलों में था जहां उन्होंने लम्बी कूद में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने जालंधर में मई 1978 में हुई अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता में 1978 के राष्ट्र मण्डलीय खेलों में भाग लेने के लिए चयन के वास्ते निर्धारित अर्हक स्तरों पर पहुंचने के लिए .04 मीटर पीछे रह गए जहां उनके मुकाबले में श्री सुरेश बाबू का प्रदर्शन बेहतर था। वास्तव में श्री योहानन श्री सुरेश बाबू को पछाड़ने की कठोर कोशिश कर रहे थे, जबकि वे कुछ ही पहले अपने प्रदर्शन में उनसे आगे कूदे थे, जबकि श्री योहानन दौड़ने के शुरू में ही संतुलन खो बैठे और केवल एक पैर पर कूदे तथा वह भी अपने जिस्म का सारा वजन सीधे घुटने पर डालते हुए अंगूठे के एक कौन पर ही कूदे, जो दोनों तरफ से ढलवा था। इसके फलस्वरूप, 1-7-78 को राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के प्रशिक्षण शिविर में उनका सभी स्नायु-जाल पूर्णत: छिन्न-भिन्न हो गया और उनका घुटना विस्थापित हो गया। श्री सुरेश बाबू, जिनका नाम 1978 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल में डेक्थलान प्रतियोगिता के लिए शामिल किया गया है, वह लंबी कूद प्रतियोगिता में भी खेलेंगे।

श्री वयालार रवी : मुझे आश्चर्य हो रहा है कि प्रो० चन्द्र जैसे व्यक्ति इस तरह का उत्तर दे रहे हैं। मैं यह आशा कर रहा था कि वह सभी तथ्य पेश करेंगे। मैं जानता हूं कि वह भी खेलों के विकास के लिए उत्सुक हैं। मुझे आशा है कि यदि मैं राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की आलोचना करूंगा तो वह इसे अन्य रूप में नहीं लेंगे। सभी समाचारों, विशेषकर प्रसिद्ध संवाददाता श्री श्रीमन् द्वारा टाइम्स आफ इंडिया में दी गई रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वहां क्या हुआ है। मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें चोट पहुंचने के बाद 15 मिनटों के अन्दर राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला की स्टाफ कार द्वारा राजेन्द्र अस्पताल पटियाला पहुंचाया गया। यह चोट उन्हें दो या तीन कारणों से पहुंची। समाचार पत्रों में भी यह खबर छपी है कि पिट बदल दिया गया था। मैं 2 जुलाई, 1978 के टाइम्स आफ इंडिया से उद्धरण देता हूं :—

"लम्बी कूद में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी श्री योहानन राष्ट्र मंडलीय खेलों में भाग लेने वाले देश के खेलकूद दल में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।" आगे कहा गया है।

" योहानन दर्द के मारे अपने बायें घुटने को दबा रहा था। स्पष्टतया उनका घुटना विस्थापित हो गया था और उन्हें एक्सरे के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिससे चोट के स्वरूप का पता चल सकेगा। "यदि आज के प्रशिक्षण के लिए सूची में दर्ज 6 खेलों में से ऊंची कूद के लिए समुचित व्यवस्था की होती तो यह दुर्घटना नहीं हो सकती थी।" यह महत्वपूर्ण बात है। उत्तर से दक्षिण की ओर का पुराना दौड़पथ छोड़ दिया गया था और सूर्य की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर नया पिट तथा दौड़ पथ तैयार किया गया। इससे सूरज मुंह के सामने आता था। ऐसा करने के दो कारण थे। पुराना पिट तथा दौड़-पथ हाल की वर्षा के कारण मुलायम हो गए थे और पूर्व से पश्चिम वाले दौड़पथ का एक लाभ यह था कि हवा दौड़ने में सहायक होती।"

पिट को बदलकर राष्ट्रीय खेल संस्थान के लोगों ने गलती की। यह एक नया पिट था और मिट्टी भी कुछ ठोस रही होगी।

मंत्री जी के विवरण के पृष्ठ 2, पैरा 4 को पढ़कर केवल मुझे ही नहीं बल्कि सभी खेल प्रेमियों को दुःख होगा। यह श्री योहानन के विरुद्ध एक आरोप है कि चूंकि वह श्री सुरेश बाबू को हराना चाहते थे इसलिए उन्होंने अधिक उत्साहित होकर उन्होंने स्वयं को मुसीबत में डाल दिया। मैं कभी भी यह आशा नहीं करता था कि वह श्री योहानन के विरुद्ध ऐसा आरोप लगाएंगे। मेरा प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान में प्रथम उपचार की व्यवस्था क्यों नहीं है। वहां डाक्टर भी नहीं था और निदेशक तथा उपनिदेशक या कोच उनके साथ नहीं गए। मैंने श्री योहानन से बात की। उन्होंने बताया कि मेरे साथ अस्पताल में केवल कम्पाउंडर आया। योहानन को जनरल वार्ड में भर्ती किया गया था और वह चंडीगढ़ गया। दूसरी रिपोर्ट के अनुसार पंजाब सरकार ने जांच का आदेश दिया और उनके निस्कर्षों के अनुसार डा० मित्तल उन्हें अस्पताल में समुचित चिकित्सा सहायता न देने के दोषी पाये गए हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि योहानन की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। यह केवल योहानन का ही मामला नहीं है। यह प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो प्रत्येक खेल प्रेमी के लिए गौरव की बात है। अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चिकित्सा सहायता के लिए वहां क्या सुविधाएं हैं। क्या वहां कोई डाक्टर है? निदेशक ने इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया क्योंकि वह अस्पताल नहीं आये? उन्हें दो दिनों तक समुचित चिकित्सा सहायता क्यों नहीं दी गई?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: मुझे बहुत खेद है कि यह उसी तरह की दुर्घटना हुई है जो कि हमारे परम मित्र श्री सिकन्दर बख्त के साथ हुई थी, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टीम में सम्मिलित किया जाना था। इस बारे में हमें बहुत खेद है।

श्री वयालार रवि ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैंने तत्काल इस अल्प सूचना प्रश्न को स्वीकार कर लिया। वह इस पर सभा में तथा सभा के बाहर वाद-विवाद करना चाहते थे।

जहां तक श्री रवि द्वारा उठाई गई पहली कुछ बातों का संबंध है, वे बातें घटना घटित होने से पूर्व की हैं। चूंकि प्रश्न समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के बारे में है, मुझे तथ्यों का पता लगाने का समय नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं उसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। यदि वह मुझे पूर्व सूचना तथा समय दें तो मैं जांच कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने डा० मित्तल के बारे में कहा है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: पहले भाग का संबंध फील्ड आदि में प्रबंध करने से है। उसके बारे में मुझे पता नहीं है। जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, श्री रवि ने कहा है कि एक कम्पाउंडर ने उनकी देखभाल की। यह तो बहुत विस्तृत मामला है। जब उन्हें डा० मित्तल के अस्थि उपचार विभाग में ले जाया गया तो इससे सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान यह चाहता था कि इस महान खिलाड़ी को अधिक कष्ट न पहुंचे। किन्तु कभी-कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, जिसके लिए हमें बहुत खेद है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि क्या आप इस मामले की जांच करेंगे?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: जैसा कि माननीय श्री रवि ने पहले ही कहा है। पंजाब सरकार ने इस बारे में जांच करवाई है। हम पंजाब सरकार से तथ्य जानना चाहते थे किन्तु दुर्भाग्य से हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। यदि हमें उत्तर मिल गया तो मैं श्री रवि को तथ्य बता दूंगा।

श्री वयालार रवि: पिट तथा अन्य प्रबन्धों के बारे में कृपया आप जांच करें तथा समुचित कार्यवाही करें। डा० मित्तल तथा अन्य लोगों के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि तथ्य से यह पता चलता है कि राष्ट्रीय खेल सस्थान में पर्याप्त प्रबन्ध नहीं हैं और वहां एक प्रकार उत्तराधिकार वाद चल रहा है। श्री सिकन्दर बख्त इस बारे में आपको भली भाति बता देंगे कि वहां क्या कुछ हो रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि जब यह दुर्घटना हुई तो निदेशक तथा अन्य लोगों ने उपेक्षा क्यों देखाई ? इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खेल सस्थान के बारे में कई शिकायतें हैं। क्या आप इस बारे में पूरी जांच करेंगे और समूचे ढांचे में पूरी तरह परिवर्तन करेंगे ताकि देश के प्रत्येक खिलाडी को इस संस्थान से प्यार हो तथा यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यहा अधिकाधिक खिलाडी आने के लिए प्रोत्साहित हों।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जहां तक इन बातों का संबंध है, हम इनके बारे में जांच करेंगे ताकि श्री रवि का वास्तविकता का पता चल सके।

जहां तक दूसरी बात अर्थात् प्यार तथा स्नेह का संबंध है, यह पूर्णतया माननीय दृष्टिकोण है, और मुझे आशा है कि प्रत्येक खेल प्रभारी अधिकारी स्वाभाविक रूप से ऐसी भावनाएं व्यक्त करेगा।

श्री वयालार रवि: क्या आप जांच करेंगे ? श्री सिकन्दर बख्त कृपया मेरी सहायता कीजिए।

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई दूसरा मंत्री हस्तक्षेप करेगा तो आपको पता है। क्या-क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी ?

श्री अशोक कृष्ण दत्त: क्या माननीय शिक्षा मंत्री को पता है कि वह पिट, जिस पर उन्हें कूदना था, आखिरी क्षणो में खोदी गई थी। क्या शिक्षा मंत्रालय इस बारे में विस्तृत जांच करेगा कि श्री योहानन को चोट खोदी गई नई पिट के कठोर होने के कारण लगी है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : कुछ अन्य लोगों ने भी इस कद में भाग लिया था उनमें से कोई घायल नहीं हुआ। अत: मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं कि यह सब उस पिट के कारण हुआ है ?

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : यह कहते हुए मुझे खेद होता है कि मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से ऐसा लगता है कि सरकार का खेलों तथा खिलाडियों के प्रति रवैया उदासीन है। इस घटना को घटे लगभग 4 सप्ताह हो गए हैं। इस बारे में देश के तमाम समाचार पत्रों में खबर छपी है खिलाड़ियों ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मंत्री जी को सूचना एक सप्ताह से भी अधिक समय पहले दी गई थी और अब मंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि अन्य खिलाड़ियों को, जिन्होंने उसी पिट का प्रयोग किया, किसी प्रकार की चोट नही आई। क्या इसका अर्थ यह है कि वह सही सुझाव दे रहे हैं ? क्या वह यह सुझाव दे रहे हैं कि इसकी जांच नहीं की जायेगी ? मैं इस बात का उत्तर चाहता हूं।

मैं 4 तारीख के टाइम्स आफ इंडिया का उदाहरण देता हूं। इस घटना के बाद अमेच्युअर अथलेटिक फेड्रेशन का कोई भी अधिकारी उन्हें मिलने नहीं आया। जब टाइम्स आफ इंडिया के संवाददाता ने प्रश्न पूछा तो श्री योहानन ने कहा :

"कृपया टेलको कार्यालय को सूचित कर दीजिए कि मेरा उपचार करने के लिए वह एक विशेषज्ञ भेज दें।" मैंने उनसे पूछा हैं कि "क्या अमेच्युर अथलेटिक फेड्रेशन का कोई अधिकारी आप को देखने आया है। उन्होंने नाकारात्मक उत्तर दिया। क्या इससे बढ़कर और कोई बुरी बात हो सकती है ?" यह मेरे शब्द नहीं हैं बल्कि एक संवाददाता के शब्द हैं। अत: क्या आप अमेच्युर अथलेटिक फेड्रेशन के अधिकारियों की भमिका की जांच करेंगे कि क्या उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है ?

जैसा कि मेरे मित्र श्री रवि ने बताया है, उत्तर के पैरा 4 में यह कहा गया है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है जो अशोभनीय है। इस विवरण में कुछ और भी बताया गया है कि श्री योहानन तथा उनकी योग्यता को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। समूचे विश्व में, विशेषकर उन्नत देशों में खिलाड़ी राष्ट्रीय सम्पत्ति समझे जाते हैं और उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाता है। उन्हें न केवल प्रोत्साहन ही दिया जाता है बल्कि, राष्ट्र को उनके स्वास्थ्य की पूरी चिन्ता बनी रहती है। अब मैं जानना चाहूंगा हूं कि क्या इस घटना के बारे में खेल अधिकारियों के रवैये की जांच की जायेगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने स्थिति पहले ही बता दी है। जहां तक इस घटना के घटित होने से पूर्व की घटनाओं का संबंध है, हम निश्चित ही इस मामले की जांच करेंगे और सदस्य को वास्तविकता से अवगत करायेंगे। मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं। जहां तक घटना के पश्चात् हुई बातों का संबंध है, मैं कह सकता हूं कि मेरे साथी उन्हें अस्पताल में मिले हैं तथा ए० आई० सी० एस० के नए चेयरमैन भी उन्हें देखने के लिए वहां गए हैं। अतः यह कहना उचित नहीं है कि हम इन मामलों में उपेक्षा बरत रहे हैं। मैं मानता हूं कि खिलाड़ियों को समुचित आदर तथा सम्मान दिया जाना चाहिए। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती।

प्रश्नो के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

आवासीय स्थल और नागरिक सेवा योजना को क्रियान्विति

***203. श्री सी० एन० विश्वनाथन :**

श्री पी० त्यागराजन :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार देश में मकानों का संकट दूर करने के उद्देश्य से आवासीय स्थल और नागरिक सेवा योजना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने का है ;

(ख) देश भर में योजना की व्यापक और समन्वित क्रियान्विति के लिये क्या ठोस कायवाही की गई है ; और

(ग) योजना की सघन क्रियान्विति के लिये कौन-कौन से वित्तीय, तकनीकी और पदार्थीय संसाधन जुटाये गये हैं अथवा जुटाये जायेंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) निर्माण और आवास मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्थल तथा सेवाओं की नीति के कार्यान्वयन का प्रस्ताव कर रहा है। मंत्रालय ने यह योजना, आवास और नगर विकास निगम और संपूर्ण नगर विकास के अधीन चलाई हैं।

2. हुडको ने गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्यों से प्राप्त अब तक 17,347 स्थलों के विकास के लिए 16 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। परियोजना के 538.92 लाख रुपयों की कुल लागत पर हुडको ने 448.52 लाख रुपये का ऋण देना कबूल किया है।

3. हुडको ने आवासीय एजेन्सियों को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक से अधिक स्थलों तथा सेवा नीतियों को सूत्र-बद्ध करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) यह, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों से संबंधित परिवारों के लिए (जिनकी मासिक आय 350 रुपये से अधिक न हो), स्थल तथा सेवाएं नीतियों पर 5 प्र० श० शुद्ध ब्याज लेता है।

(ii) वर्ष 1978-79 को 'स्थल तथा सेवा' वर्ष घोषित किया गया है । इस वर्ष के दौरान ये स्थल तथा सेवा नीतियों को सूत्रबद्ध करने के लिए आवासीय एजेन्सियों को मुफ्त परामर्श उपलब्ध करायेगा। इसमें आर्थिक खाके बनाना, संरचना विकास कौशल और परियोजना की रिपोर्टें बनाना शामिल है ।

(iii) यदि स्थल की प्रति इकाई लागत 2700 रुपये से अधिक नहीं है तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के स्थल तथा सेवा नीतियों के लिए 100 प्रतिशत धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(iv) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आबंटियों को स्थल की लागत के लिए जो रकम देनी पड़ेगी उसे कम करने के लिए, स्वंय सहायता पर विचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एकीकृत नगर विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न आय वर्गों के लोगों के लिए ऐसे क्षेत्रों के महानगरों तथा अन्य शहरों में जलपूर्ति तथा नालियों की व्यवस्था जैसी अन्य योजनाओं के साथ भूमि अर्जन तथा विकास योजनाओं के लिए मंत्रालय सहायता देता आ रहा है।

अफगानिस्तान को गेहूं की सप्लाई के बारे में करार

*204. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री प्रद्युम्न बाल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अफगानिस्तान को ऋण के रूप में 50,000 टन गेहूं देने के बारे में करार पर हस्ताक्षर किये हैं, और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार के बीच 4 मार्च, 1978 को जिस ऋण आधार पर 50,000 मीटरी टन गेहूं सप्लाई करने के लिए एक करार किया गया है। यह गेंहूं पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के डिपों से पाकिस्तान से होकर सड़क मार्ग से भेजा जाना है। अफगानिस्तान को गेहूं का भेजा जाना इस मास से शुरू हो चुका है और दिसम्बर, 1978 तक इस कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है। अफगानिस्तान सरकार द्वारा उधार की गेहूं को भारत द्वारा डिलीवरी के पूरा हो जाने के बाद दो वर्ष तक इसके बाद छः मास की अवधि के दौरान वापस करना है।

अपर सकरी बांध

*206. **श्री नथुनी राम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कुछ महीने पहले 'अपर सकरी बांध' के लिये केन्द्र को एक प्रस्ताव अनुमोदन/स्वीकृति के लिये भेजा था;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उल्लिखित रूप में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने के लिये केन्द्रीय अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है क्योंकि नवादा एक सूखाग्रस्त रहने वाला क्षेत्र है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को शीघ्र ही कब तक मंजूरी दी जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां। यह परियोजना अप्रैल, 1978 में प्राप्त हुई थी।

(ख) अपर सकरी जलाशय परियोजना पर 45.92 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसमें बिहार के गिरिडीह जिले में सकरी और छोटनार नदियों के संगम पर मिट्टी के एक बांध का निर्माण करने की परिकल्पना है तथा इसका उद्देश्य 29830 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई करने तथा मौजूदा पौरा हैडवर्क्स के कमान में 22186 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की पक्की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 25123 हैक्टेयर मीटर की सक्रिय (लाइव) जल संचयन क्षमता की व्यवस्था करना है।

(ग) और (घ) इस समय इस परियोजना की जांच केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है। परियोजना की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन यथासंभव शीघ्र किया जाएगा।

Dairies in Delhi

*208. **Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of plots allotted and to be allotted further by Government to dairy owners in Delhi who have buffaloes;

(b) whether all the persons, who have been allotted plots for dairy purpose, have set up dairies there;

(c) if not, the total number of persons who, even after the allotment of plots and receiving some assistance from Government have not shifted there; and

(d) the main reasons therefor and whether Government have a proposal to open dairies at one place and the main details in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Delhi Development Authority developed and allotted 465 plots/sheds. Municipal Corporation of Delhi developed 9030 dairy plots, out of which 7467 plots have been allotted and 1563 plots are still to be allotted.

(b) All the dairies from City areas of Delhi were shifted to the dairy colonies bu during last year's floods, quite a good number of them returned.

(c) Initially, almost all the allottees had set up their dairies on the allotted plots; but subsequently 30 out of the 465 DDA plots were abandoned. As for the Municipal Corporation of Delhi, 5208 out of 7467 plots were abandoned.

(d) Finding some of the sites unsuitable for dairy business and in some cases on account of last year's floods, some dairy owners abandoned the plots allotted to them. Although there is no proposal to develop new dairy sites, attempts are being mdae to accommodate such dairies by adjustments in the newly developed dairy colonies.

Admission of economically backward students in educational institutions

*210. **Shri Chhitubhai Gamit** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Central Government have issued any directive to the State Governments in regard to giving concessions to the students belonging to economically weaker sections for admission in educational institutions including vocational and other technical colleges in the country; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of Edncation, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कलकत्ता में एशियाई खेलों के आयोजन का प्रस्ताव

*211. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता में वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन करने का प्रस्ताव प्रधान मंत्री को 8 महीने पूर्व ही भेज दिया है जिसमें कहा गया है कि इनका आयोजन 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेंगाली बांध और इन्द्रावती बांध का निर्माण

*215. **श्री गणनाथ प्रधान :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में रेंगाली बांध परियोजना और इन्द्रावती बांध परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार को प्रभावित क्षेत्र के निवासियों से मुआवजे और पुनर्वास के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इन निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के क्या कदम उठाये गय हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) रेंगाली बांध परियोजना चरण एक का निर्माण -कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार ने बताया है कि 100 करोड़ रुपये की सबसे हाल की अनुमनित लागत की तुलना में मार्च, 1978 के अन्त तक इस परियोजना पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जा चके हैं।

अपर इन्द्रावती परियोजना अभी हाल ही में योजना आयोग द्वारा मई, 1978 में अनुमोदित की गई है। परियोजना पर प्रारम्भिक निर्माण-कार्य राज्य द्वारा चालू वर्ष में आरम्भ किया जाएगा।

(ख) से (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अधिक मुआवजा दिये जाने तथा पुनर्वास की बेहतर सुविधाएं प्रदान किये जाने के बारे में उन्हें कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एक अभ्यावेदन में रेंगली

परियोजना का निर्माण न करने का भी अनुरोध किया गया है। इस अभ्यावेदन में कहा गया है कि रेंगाली परियोजना से जो लाभ मिलेंगे, वे लाभ अन्य उपायों, जैसे छोटे तालों, लघु सिंचाई कार्यों तथा ताप-विद्युत् केन्द्रों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

उड़ीसा सरकार ने रेंगाली परियोजना से विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए उदार पुनर्वास सुविधाओं की घोषणा की है।

उस क्षेत्र के निवासियों से, जो अपर इन्द्रावती परियोजना से प्रभावित होगा, अभी तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

समुद्री झींगा मछली (श्रिम्प) का कम होना

216. **श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से होने वाली मछली के आयात में 90 प्रतिशत भाग मछली और समुद्री झींगा मछली का होता है और झींगा मछली समद्री तट के समीप उथलें पानी में होती है;

(ख) क्या मत्स्य नौकाओं द्वारा अधिक तादाद में अच्छी मछली पकड़ने के कारण देश के कई तटीय क्षेत्रों में समद्री झींगा मछली की अत्यधिक कमी हो गई है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि झींगा मछली का निर्यात करने वाले अमरीका, जापान और मैक्सिकों जैसे देशों ने प्रजनन मौसम आदि के दौरान मछली पकड़ने के जाल के आकार की सीमाएं निर्धारित कर रखी है जिससे उथले जल में प्राकृतिक संतुलन बना रहे; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) जी, हां देश के मछली निर्यात में झींगा मछली का बाहुल्य है वे सामान्यतया तटीय जल में अधिकता से पाई जाती है।

(ख) जी, नहीं। झींगा मछली का उपयोग, जिसकी अधिकतम मात्रा परम्परागत नावों से प्राप्त होती है, कुछ तटीय क्षेत्रों में पूर्ण अनकूलतम के स्तर पर पहुंच गया है। तथापि, झींगा मछली की अत्यधिक कमी का कोई सबूत नहीं है।

(ग) सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है कि अमरीका, जापान तथा मैक्सिको में प्रजनन ऋतु के दौरान श्रिम्प मात्स्यकी हेतु जालाक्षि नियमन लागू किया जाता है।

(घ) केरल सरकार द्वारा पश्य जल में श्रिम्प मात्यस्की नियंत्रित करने के लिए जाल के आकार के नियम लागू किये गये हैं। स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है तथा अन्य क्षेत्रों, जहां आवश्यक है, में उपयुक्त उपाय किये जायेंगे।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये विकसित पत्तन

217. **श्री अहमद एम० पटेल:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये किन पत्तनों का विकास किया गया है;

(ख) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये अगली पंचवर्षीय योजना में किन्हीं नये पत्तनों का विकास किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) विशाखापटनम् (आन्ध्र प्रदेश) रायचौक (पश्चिम बंगाल) तथा फोनिक्स ने अन्दमान में (पोर्ट ब्लेयर) में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों का विकास किया गया है। कोचीन, मद्रास, माल्वे (कर्नाटक) ,रत्नगिरि, सैसून डाक (बम्बई) वेरावल (गुजरात) तथा काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश) में ऐसे और बन्दरगाहों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) जी, हां। पारादीप (उड़ीसा), नीन्दकारा (केरल) तथा चिन्नामट्टम (तमिलनाडु) में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों के विकास के बारे में विचार किया जा रहा है। इसके अलावा मत्स्यन बन्दरगाहों से संबंधित उप-दल ने विझिन्जोम (केरल), अगरडंडा (महाराष्ट्र) तूती कोरिन-द्वितीय चरण (तमिलनाडु), ओरवा (गुजरात) तथा गोवा को छठी योजना के लिए अन्य सम्भावित स्थलों के रूप में अभिज्ञात किया है।

महाराष्ट्र से आये बंगाली शरणार्थियों का पुनर्वास

*219. **श्री राजे विश्वेश्वर राव** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र से आये बंगाली शरणार्थियों को जिन्हें सुन्दरबन भेज दिया गया था, कब तक अपने घरों में वापिस भेजा रहा है ; और

(ख) उन्हें वापिस भेजने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे वे अन्यत्र नये बनों को नष्ट न करें।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए कुल 3563 परिवारों में से, जो हाल ही में महाराष्ट्र में अपने पुनर्वास स्थलों को छोड़ गए थे, 564 परिवार पहले ही वापस आ गए हैं। शेष परिवारों के शीघ्र ही वापस जाने की आशा है।

(ख) वापस आने वाले परिवारों को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चन्द्रपुर रेलवे स्टेशन तक विशेष गाड़ियों द्वारा भेजा जाता है जहां से परिवारों को उनके पुराने पुर्नवास स्थलों में ही ले जाया जाता है। अतः अन्यत्र नए वन नष्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Indo-German project on agricultural and animal research

*221. **Shri Bharat Bhushan** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) when the term of Indo-German Project in Almora, U.P. regarding research on agriculture and animal is to expire;

(b) whether Government propose to extend the period thereof;

(c) whether thereby places besides Almora district are also proposed to be covered

(d) if so, full details in this regard; and

(e) the main achievements of the project ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) 31-8-1978.

(b) & (c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Indo-German Agricultural Development Project, Almora-High lights of activities

(i) Concerted efforts have been made to raise agricultural productivity in the project area by inducing the farmers particularly through demonstrations to undertake intensified cropping pattern, cultivation of new cash crops and application of appropriate doses of fertilisers and increasing the area under HYV.

(ii) In order to attain self-sufficiency in seed, new schemes under the expert guidance of Indo-German Agricultural Development Agency experts have been launched under which selected farmers produce registered seed which is processed in the Seed Processing Plant set up at Almora. This is then purchased by the State Agricultural Department and sold for further propagation.

(iii) A Soil Testing Laboratory with equipment supplied by Federal Republic of Germany was set up during 1975. A soil fertility map of Almora District is being prepared under the guidance of Agricultural University, Pant Nagar.

(iv) Four lift irrigation schemes are being operated.

(v) The setting up of a Liquid Nitrogen Plant, a modern Workshop and a number of Godowns are other notable additions to the infrastructure under the bilateral agreement.

(vi) To restore the ecological balance which had been greatly disturbed due to rapid increase in population, continuous tilling of land and large scale deforestation and depletion of forest wealth, the following schemes have been taken up and are now under operation :

1. Three Dimensional Forest Farming.
2. Mushroom Cultivation and Floriculture.

(vii) To up grade the local breed and provide subsidiary employment, Federal Republic of Germany donated a large flock of Rambouillet Sheep during 1974-75.

माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रमों में कमी

*222. **श्री डी०डी० देसाई :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्क्रम में कमी करने के सरकार के निर्णय को चालू शिक्षा सत्र से लागू किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो, इन निर्णयों को लागू करने के लिये कौन कौन से राज्य सहमत हो गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) डा० ईश्वरभाई पटेल की अध्यक्षता में स्थापित दस वर्षीय स्कूली पाठ्यचर्या से संबंधित पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने संबद्ध माध्यमिक स्कूलों में शैक्षिक भार को शैक्षिक वर्ष 1977-78 से ही कम कर दिया है। राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत स्कूलों में उनकी अपने अपने पाठ्यक्रम हैं। बहुत से राज्यों में माध्यमिक स्कूलों में पाठ्यचर्या का भार केन्द्रीय बोर्ड की तुलना में पहले ही बहुत कम था और उसे और अधिक कम करने की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी अपनी पाठ्यचर्या के शैक्षिक भार की पुनः जांच कर रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्मेलन की पिछली बैठक में, ईश्वरभाई पटेल समिति की रिपोर्ट सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर ली गई थी और ईश्वरभाई पटेल समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अपनी अपनी पाठ्यचर्याओं की पुनः जांच करने के लिए सहमत हो गए हैं।

सी० पी० डब्ल्यु० डी० में एसिस्टेंट इंजीनियरों को एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के रूप में प्रतिनियुक्ति

1969. **श्री मनोरंजन भक्त:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अण्डमान लोक निर्माण विभाग में एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के रूप में पदोन्नत किये जाने वाले अर्हता प्राप्त एसिस्टेंट इंजीनियरों के होने के बावजूद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एसिस्टेंट इंजीनियरों को अंडमान लोक निर्माण विभाग में पदोन्नति पर प्रतिनियुक्ति कर रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) अंडमान लोक निर्माण विभाग के कितने एसिटेंट इंजीनियरों ने वहां पर एसिस्टेंट इंजीनियर के रूप में 8 वर्ष से अधिक की सेवावधि पूरी कर ली है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अंडमान लोक निर्माण विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर इस विभाग के एसिस्टेंट इंजीनियरों को पदोन्नत करने का है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) 1966 में आरम्भ किये गये भर्ती के अनुसार जिसका अनुसरण किया जा रहा है, अण्डमान लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक इंजीनियरों के 75% पद, पदों के लिये अपेक्षित अर्हताओं के आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/भूतपूर्व केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग से प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। इस ग्रेड में शेष 25% पद अण्डमान लोक निर्माण विभाग के पात्र सहायक इंजीनियरों की पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं। अतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग /भूतपूर्व केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग के अधिकारी सामान्यतया उनके लिये निर्धारित कोटे के विपरीत अण्डमान लोक निर्माण विभाग में कार्यपालक इंजीनियर के रूप में प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं तथापि यदि अण्डमान लोक निर्माण विभाग के उपयुक्त सहायक इंजीनियर न हो जिनकी ग्रेड में 8 वर्ष के सेवा काल की निर्धारित पात्रता हो उनके लिए उद्दिष्ट पद भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भूतपूर्व केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा अस्थाई प्रतिनियुक्ति से भरे जा सकते हैं।

(ख) फिलहाल अण्डमान लोक निर्माण विभाग के दो सहायक इंजीनियर ऐसे हैं जिन्होंने सहायक इंजीनियर के रूप में 8 वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर लिया है।

(ग) अण्डमान लोक निर्माण विभाग के दो पात्र सहायक इंजीनियरों के विधिवत गठित विभागीय पदोन्नत समिति द्वारा कार्यपालक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने हैं।

प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में जांच

1970. **श्री नाथू सिंह:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के कार्यालय ने जो दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में शिकायतों की जांच कर रहा है, विश्वविद्यालय अधिकारियों से कहा है कि शिकायतों की जांच के लिए कतिपय मामलों की मूल फाइलें उन्हें भेजी जायें;

(ख) क्या आपात् स्थिति के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम स्कूल में वाणिज्य लेक्चरार के पद के लिये दो आवेदकों के सम्बन्ध में सताये जाने के मामले की भी जांच उक्त जांच में की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय के अधिकारियों को इन मामलों से सम्बन्ध मूल कागजों और फाइलों को भेजने के लिये कहा गया है और क्या अधिकारियों ने कुछ आवश्यक रिकार्ड देने से इनकार कर दिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) : विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को, पत्राचार पाठ्यक्रम तथा अविरत शिक्षा स्कूल में वाणिज्य प्राध्यापकों के पदों के लिये चयन से सम्बन्धित केस फाइल उपलब्ध करने के लिये मार्च, 1976 में कहा गया था और फाइल प्रधान मंत्री के कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई है ।

माना और तावा शिविर

1971. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माना और तावा शिविर के शरणार्थियों की इन आशंकाओं की जानकारी है कि माना शिविर का वर्तमान कमांडेंट कार्यकारी अध्ययन दल को अपने निहित स्थानों के लिए तथा माना और तावा शिविरों में व्याप्त स्थिति का तथ्यात्मक अध्ययन करने से रोकने के लिये प्रभाव डाल सकता है; और

(ख) यदि हां, तो निहित स्वार्थों को अध्ययन दल को प्रभावित करने से रोकने के लिये क्या कार्यवाहीं की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जून , 1978 के मध्य में माना मार्गस्थ शिविर समूह में भेजे गए अध्ययन दल को माना में रह रहे व्यक्तियों के किसी भी समूह ने इस प्रकार की आशंका व्यक्त नहीं की है । आशंका का कोई आधार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के लिये राज सहायता

1972. **श्री के० लकप्पा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण के लिये उपलब्ध किये जाने वाले चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के लिये प्रति क्विंटल कितनी राज-सहायता दी जा रही है ;

(ख) क्या चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के लिये दी जाने वाली राज सहायता राशियों में भारी असमानता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या चावल के लिये सहायता राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1978-79 के बजट अनुमानो के अनुसार, सार्वजनिक वितरण की सप्लाई के बारे में चावल, गेहूं और मोटे अनाज पर राज सहायता की धनराशि इस प्रकार है :—

	रुपये प्रति क्विंटल
गेहूं	23.39
चावल	0.04
मोटे अनाज	13.24

(ख) निगम की अनाज की इक्नामिक लागत और उसके निर्गम मूल्य के बीच अन्तर से प्रति क्विंटल राजसहायता निकलती है । इक्नामिक लागत में वसूली मूल्य और अन्य वसूली प्रासंगिक खर्च निगम के वितरण सम्बन्धी खर्चे शामिल होते हैं । सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के परामर्श से वसूली मूल्य निर्धारित करती है । सरकार उपभोक्ता की मूल्य देने की क्षमता, समूचे मूल्य स्तर पर प्रभाव तथा खुले बाजार में चल रहे मूल्यों को ध्यान में रखते हुए निर्गम मूल्य निर्धारित करती है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । 1978-79 मौसम के लिए धान/चावल के वसूली मूल्य और चावल के निर्गम मूल्य पर अक्तूबर, 1978 में किसी समय विचार किया जाएगा जब 1978-79 के खरीफ विपणन मौसम के लिए वसूली, मूल्य और विपणन नीति पर विचार किया जाएगा ।

पश्चिम बंगाल में गो-वध

1973. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गो-वध पर रोक के बारे में पश्चिम बंगाल राज्य का अधिनियम पूरे राज्य पर लागू नहीं होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया है कि वह 1950 का पश्चिम बंगाल गो-वध नियंत्रण अधिनियम पूरे राज्य पर लागू करे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

किसानों को उर्वरकों के प्रयोग के बारे में शिक्षा

1974. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला : कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों में उर्वरकों (रसायनिक) के प्रयोग के बारे में समुचित शिक्षा के अभाव के कारण वे केवल नाइट्रोजनी उर्वरकों का प्रयोग करना चाहते हैं अथवा उसी के प्रयोग के बारे में जानते हैं तथा वे फास्फेट के प्रयोग की उपेक्षा करते हैं जिससे अन्त में जमीन खराब हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या साधारण किसान को इस बारे में शिक्षित करने के लिये कोई उचित प्रबन्ध किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां, उर्वरकों के प्रयोग में उचित शिक्षा के अभाव के कारण कम उर्वरकों के प्रयोग करने वाले किसान प्राय: नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि उनके प्रयोग के परिणामस्वरूप वनस्पति में असाधारण वृद्धि होती है । दूसरी तरफ उर्वरकों के ऊंचे स्तरों का प्रयोग करने वाले किसानों ने संभावित उपजों को प्राप्त करने में नाइट्रोजन और फास्फेट के पारस्परिक क्रिया के प्रभाव का अनुभव किया है और इस प्रकार नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के साथ-साथ फास्फेट उर्वरकों का प्रयोग शुरू किया है । देश में पी2 ओ5 उर्वरक के उपभोग का स्तर 1974-75 में 4.71 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1977-78 में 8.66 लाख मीटरी टन यानि कि लगभग दुगना हो गया ।

(ख) उर्वरकों के सन्तुलित प्रयोग को बढ़ाने के लिए, चुने हुए जिलों में गहन उर्वरक वर्धन अभियान शुरू किए गए हैं । देश में विस्तार कार्मिकों, किसानों तथा उर्वरक व्यापारियों के लिए प्रदर्शन, प्रशिक्षण सहित संतुलित उर्वरक तैयार करने के लिए विशेष शैक्षणिक उपायों को तेज किया जा रहा है ।

स्वयंसेवी संगठनों को मद्य-निषेध के लिये सहायता

1975. **श्री एस० जी० मुरूगेयन:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्यनिषेध कार्यों के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुशलन): (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत मद्यनिषेध सम्बन्धी शैक्षिक प्रचार कार्य के लिए पंजीकृत अखिल भारतीय और प्रमुख स्वयंसेवी संगठनों या पुण्यार्थ कम्पनियों को वित्तीय सहायता दी जाती है । यह सहायता मुख्यतया निम्नलिखित के लिए दी जा सकती है :—

1. ऐसी शैक्षिक पत्रिकाओं और लेखों तथा पेम्फलटों, पुस्तिकाओं, होर्डिग्स, इश्तिहारों, नारों इत्यादि जैसे प्रचार साधनों का उत्पादन और प्रकाशन, जिन में शराबनोशी के बुरे प्रभाव दिखाए गए हों।

2. मद्यनिषेध के समर्थन में गोष्ठियों/सम्मेलनों/बैठकों/प्रदर्शिनियों का आयोजन करना ।

3. मद्यनिषेध को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाना ।

4. सर्वेक्षण, अनुसंधान अध्ययन/अनुसंधान रिपोर्टें ।

प्रत्येक मामले में गुणदोषों के आधार पर सहायता की मात्रा निश्चित की जाती है ।

Construction of Public Conveniences

1976. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state whether schemes of construction of convenient lavatories with the aid of W.H.O. and the UNICEF are being implementd in the country ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : No, Sir.

Grants to Vikram University

†1977. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 672 on the 10th April, 1978 regarding grants to Universities in M.P. and state :

(a) the amount sought as a grant by the Vikram University and the amount demanded during the years 1975-76 to 1977-78, separately;

(b) whether amount of grant sanctioned each year by the Government was less; and

(c) if so, whether the Government propose to increase the amount of grant and the items on which the grant is spent ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a), (b) and (c) The University Grants Commission does not sanction development grants to any University on the basis of its annual requirements. Therefore, the question of comparing the annual demands made for the year 1975-76 to 1977-78 with the actual grants sanctioned against them or increasing development grants on that basis, does not arise.

According to the procedure followed by the Commission, the total development requirements of any particular University for a 5-year plan period are determined on the basis of the recommendations of a Visiting Committee which scrutinises the programmes proposed by the University concerned. The development grants approved by the Commission for the Vikram University during the Fifth Plan period are as follows :—

Item	Estimated Cost (Rs. in lakhs)
Equipment	30.25
Books	17.30
Building	19.63
Others	12.30
Visiting Professor	1.50
Staff	15.37
Research Fellows	3.00
Bhoja Research Scheme	1.50

Proposals for the establishment of the College Development Council and a diploma course in Environmental Studies are under consideration.

Grants are actually released by the Commission against the approved allocation, depending upon the progress of expenditure on various items and that anticipated during a particular year.

Besides the development grants mentioned above, the Commission also provides assistance to Universities for Student amenities, publications and in the form of unassigned grants according to the norms prescribed by the Commission.

Study on Preservation of Fruits Grown in Ladakh

1978. **Shrimati Parvati Devi :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Central Food Technological Research Institute, Mysore has submitted any report after making study on preservation and use of fruits grown in Ladakh district; and

(b) if so, what further action has been taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh : (a) & (b) Central Food Technological Research Institute, Mysore has not submitted any report on preservation and use of fruits grown in Ladakh District but they have prepared a feasibility report on integrated marketing & utilisation of fresh apples of Jammu & Kashmir for Jammu & Kashmir State Industrial Development Corporation.

Price and Procurement Policy on Gradation of Wheat

1979. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the wheat price and procurement policy for the year 1978-79 has been declared and the gradation of the qualities of wheat have been reduced from four to two ;

(b) if so, the criteria on adopted for prescribing the percentage of the quantity under grade-I and grade-II ; and

(c) the steps taken to simplify the procedure of pricing and procurement of wheat as also to protect the farmers from hardship ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The criteria adopted for grading wheat are the percentages of foreign matter, other foodgrains, damaged grains, slightly damaged grains, shrivelled grains and broken grains besides other factors like moisture content and weevilled grains.

(c) Reduction in the number of grades from 4 to 2, fixing norms for price cuts on account of the defects referred to in part (b) above, opening of a large number of purchase centres and surprise inspections by supervisory staff are some of the measures adopted in the interest of farmers to simplify the procedure of pricing and procurement. The procurement agencies have also been instructed to maintain record of rejections and as an additional precaution, to supply, on demand sealed samples of the rejected lots to the farmer.

खेल-कूद विद्यालय, कालीकट को केन्द्रीय सहायता

1980. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल खेल-कूद परिषद् ने कालीकट में खेल-कूद विद्यालय तथा त्रिवेन्द्रम में डिग्री पूर्व विद्यार्थियों के खेल-कूद होस्टल के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केरल में खेल-कूद के स्तर के विकास के लिये इस अनुरोध पर सरकार ने क्या निर्णय किया है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौर क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) केरल सरकार से ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, यद्यपि केरल में खेलों के प्रोत्साहन से सम्बन्धित समस्याओं पर, सितम्बर 1977 में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को दिए गए एक नोट में राज्य सरकार ने कालीकट में एक खेल-कूद तथा केरल में एक खेल छात्रावास स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता के लिए एक अनुरोध शामिल किया था । उक्त नोट के उत्तर में राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि ऐसी कोई केन्द्रीय योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए उसके अनुरोध पर विचार किया जा सके ।

देश में आवास की कमी

1981. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आवास की कमी दूर करने के लिए और अधिक आवास सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की समग्र योजना क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्यों में और अधिक आवास सुविधाएं देने के लिये निदेश जारी किये हैं ; और

(ग) कमी को पूरी करने के लिये देश में इस समय मकानों की अनुमानतः कुल कितनी आवश्यकता है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आवास के क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य मुख्य बातें ये हैं :—

(1) आवासीय कार्यक्रम अपनाना जिसका उद्देश्य 20 वर्ष के अन्तर्गत, आवास की पिछली कमी की पूर्ति करना तथा जनसंख्या की वृद्धि के कारण अतिरिक्त मकानों की आवश्यकता की पूर्ति करना तथा प्रयोग में आने योग्य मकानों के स्थान पर मकान बनाना है ;

(2) निम्न आय वर्ग के लोगों के हित में लोक निधियों के उपयोग पर नियन्त्रण करना ताकि इस क्षेत्र को नियतन किए गये संसाधनों के अन्तर्गत अधिक से अधिक मकान बनाएं जांए ;

(3) बड़े पैमाने पर मकान निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था ; तथा

(4) भवन निर्माण तकनीकी में अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा सस्ती स्थानीय निर्माण सामग्री का विकास ।

(ख) जी, नहीं । किन्तु राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे मकान निर्माण के अपने कार्यक्रमों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि भिन्न भिन्न आय वर्गों के लिये निम्नलिखित अनुपात से टेनामेन्टों/मकानों का निर्माण हो सके :—

(1) ऐसे परिवारों के लिए जिनकी मासिक आय 350 रुपये तक है।	मकानों/टेनामेन्टों का 75 प्र० श०
(2) 350 और 600 के मध्य मासिक आय वाले परिवारों के लिय।	टेनामेन्टों/मकानों का 15 प्र० श०
(3) 600 से 1500 रुपये मध्य मासिक आय वाले परिवारों के लिये।	मकानों/टेनामेन्टों का 10 प्र० श०

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में अर्थात् 1 अप्रैल, 1974 को अनुमानत : 156 लाख एकक मकानों की कमी थी । राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने यह अनुमान लगाया था कि 1979 तक यह कमी 197 लाख तक हो सकती है ।

राजौरी गार्डन, नई दिल्ली में डी०डी०ए० द्वारा निर्मित फ्लैटों में नागरिक सुविधायें

1982. **श्रीधर राव नाथोबाजी जावदे** : : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर निगम नागरिक सुविधाओं को दिये बिना ही वर्ष 1974 से, आबंटित किये गये (निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग) राजौरी गार्डन स्थित डी० डी० ए० के फ्लैटों के अलाटियों से इनके कब्जे की तारीख से मकान कर आदि वसूल कर रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि अलाटियों द्वारा अदा की गई फ्लैटों की लागत में इन कालोनियों में डी० डी० ए० द्वारा लगाये गये 'बूस्टर' पम्पों की लागत शामिल होने के बावजूद इन फ्लैटों के निवासियों को संलग्न आलीशान कालोनियों के निवासियों द्वारा अदा की गई दरों की तुलना में पानी की दरें दुगनी अथवा तिगुनी देनी पड़ती है ;

(ग) क्या इन कालोनियों के निवासियों ने मंत्री महोदय तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को, अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिये, इन कालोनियों को नगर निगम को तत्काल सौंप देने के लिये अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो डी० डी० ए० द्वारा इन कालोनियों को नगर निगम को किस तारीख तक सौंप दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत के लिये सिंचाई परियोजना

1983. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को बम्बई के एक विशेषज्ञ से दिसम्बर, 1977 में अथवा इसके आस-पास "भारत के लिय सिंचाई परियोजना" के बारे में एक परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और किये गए निर्णय का स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और अब यह निर्णय कब लिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के एक सेवा निवृत्त कार्यकारी इंजीनियर श्री एम०डी०पोल ने दिसम्बर,1977 में "इरिगेशन प्रोजेक्ट फार इण्डिया" शीर्षक से एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । 91,157 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में देश के प्रायद्वीप और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में काफी बड़े भागों की सिंचाई के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी को व्यपवर्तित करना परिकल्पित है ।

देश में जल संसाधनों के विकास के लिए ऐसे ही अनेक प्रस्ताव और सुझाव विभिन्न अन्य सूत्रों से प्राप्त हुए हैं ।

ऐसे प्रस्तावों के बारे में कोई राय कायम करने से पहले यह जरूरी है कि देश के सूखा-प्रवण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल के अन्तर्वेसिन और अन्तर्क्षेत्रीय ट्रांसफर की संभावनाओं के अध्ययन के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों, वेसिनों और उप-वेसिनों में अतिरिक्त पानी की उपलब्धता और जल की कमी का गहराई से अध्ययन किया जाए। इस समय ऐसा अध्ययन किया जा रहा है ।

बाढ़ की स्थिति

1984. **श्री जी०एम० रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1978 के अन्त तक की बाढ़ की क्या स्थिति है ;

(ख) क्या वर्ष 1977-78 के दौरान बाढ़ से सुरक्षा के कोई कार्य किये गये थे ;

(ग) यदि हां, तो ये कार्य कौन कौन से हैं ; और

(घ) इस वर्ष बाढ़ को कम करने के लिये ये कार्य कहाँ तक प्रभावशील हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बाढ़ें आयी हैं जिनसे क्षति हुई है। कर्नाटक, केरल, पंजाब और दिल्ली के कुछ भाग भी कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं। जुलाई, 1978 के उत्तरार्द्ध में उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त सबसे हाल के अन्तरिम अनुमानों के अनुसार समूची बाढ़-क्षति इस प्रकार हैं :—

(1) प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	13.93
(2) प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	44.95
(3) फसली क्षेत्र की हुई क्षति (लाख हैक्टेयर में)	5.10
(4) क्षतिग्रस्त घर (संख्या)	1040001
(5) मृत पशुओं की संख्या	588
(6) मृत व्यक्तियों की संख्या	149
(7) जन-सुविधाओं की हुई क्षति (लाख रुपयों में)	84.25
(8) फसलों, घरों और जन-सुविधाओं को हुई कुल क्षति (लाख रुपयों में)	1870.05

(ख) और (ग) इन सुरक्षा कार्यों में मुख्य रूप से नए तटबंधों का निर्माण, कुछ मौजूदा तट-बंधों को ऊंचा तथा सुदृढ़ करना, नई निकास चैनलों का निर्माण, कटावरोधी कार्य और शहरों तथा गांवों की सुरक्षा और बाढ़ नियंत्रण घटकों सहित जल-संचय परियोजनाएं भी शामिल हैं। बाढ़ नियंत्रण स्कीमों को तैयार करने के लिए आवश्यक अन्वेषण भी किए गए हैं। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1977-78 के दौरान किया गया कुल खर्च 93.00 करोड़ रुपये है।

(घ) 1977-78 के दौरान किए गए निर्माण कार्यों से लगभग 4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।

Regulation of Sugarcane Cultivation

1985. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a scheme to regulate the Sugarcane Cultivation to ensure that crisis in regard to crushing of Sugarcane by the Mills is not faced ; and

(b) if so, the details thereof and if not, how Government propose to overcome the crisis ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) During the current sugar year due to over abundant supply of sugar-cane, estimated around 172 million tonnes, representing an increase of 18 million tonnes (about 12 percent) over the last year, there have beend difficulties in finding a remunerative outlet for the entire sugarcane crop. Sugarcane growers have, therefore, been advised in their own interest to ensure a better balance between supply of and demand for cane.

In order to tide over the crisis in regard to crushing of sugarcane by the mills, the Central Government took a number of measures namely excise duty concessions, increase in levy price for sugar, decision to export sugar to full extent ofour international quota,

increase in the domestic consumption of sugar by about 23%, reduction in bank margin for credit to gur and khandsari, removal of restrictions on export of gur and khandsari, market purchase of gur by public sector agencies like National Agricultural Cooperative Marketing Federation of Inida and Food Corporation of Inida, amendment in the rate of interest on delayed payments of cane price, etc. Some States reduced the purchase tax on sugarcane at the instance of Central Government.

As a result of the single measure of excise duty rebate the production of sugar during the off season will be over 12 lakh tonnes as against the average of a little over 2 lakh tonnes in earlier years. This alone would result in an extra off take of cane of the order of 12.5 million tonnes which is a record unparalleled in the last 30 years since independence. All bonded cane has already been crushed in the States of Uttar Pradesh, Bihar and Haryana. However, still 39 factories are continuing crushing in Uttar Pradesh.

Government will continue to watch the situation and will take such further measure as are considered appropriate.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों की लागत

1986. **श्री पायस टिर्की**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों की लागत किस प्रकार निर्धारित की थी ;

(ख) क्या आपात स्थिति से पहले और बाद की अवधि तथा आपात स्थिति की अवधि में तर्क आधार में कोई अन्तर था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आसाम आवास बोर्ड को केन्द्रीय आवास अनुदान

1987. **श्री अहमद हुसैन**: क्या **निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये गत तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) आसाम आवास बोर्ड को कितना-कितना वार्षिक अनुदान दिया गया ;

(ख) गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी राशि के ऋण की मंजूरी दी जा रही है/दिये जा रहे हैं ;

(ग) क्या केन्द्र ने ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में आवास सहायता देने के लिये इस न्यास (आसाम आवास बोर्ड) को विभिन्न क्षेत्रीय (जिला अथवा उप-खंड वार न्यासों) में विभाजन करने के लिये कभी सुझाव दिया है अथवा प्रस्ताव किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, आसाम के विभिन्न कस्बों में मध्यम आय वर्ग के लोगों को सहायता देने का केन्द्रीय तथा राज्य सरकार का प्रस्ताव क्या है और अब तक कितनी उपलब्धि हुई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) असम सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय और राज्य सरकार योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये वर्ष, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान असम आवास बोर्ड को निम्नलिखित अनुदान और ऋण दिये गये थे :—

वर्ष	अनुदान	ऋण
1975-76	37,13,500	74,36,000
1976-77	25,12,000	26,16,000
1977-78	64,98,000	1,00,32,000

(ख) 30-6-1978 तक आवास तथा नगर विकास निगम ने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 3,27,523 रिहायशी मकानों के निर्माण के लिये 328.28 करोड़ रुपये की ऋण की राशि स्वीकृत की है। इन रिहायशी मकानों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के उन परिवारों के लिये जिनकी मासिक आय 350 रुपये से कम है, 2,08,141 मकान और निम्न आय वर्ग के उन परिवारों के लिये जिन की मासिक आय 353 रुपये और 600 रुपये के बीच है, 79,529 मकान शामिल हैं। अतः आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा स्वीकृत सभी मकानों का 87.83 प्रतिशत उन परिवारों के लिये आरक्षित है जिनकी मासिक आय 600 रुपये से कम है ।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। तथापि, दिसम्बर, 1976 में कलकत्ता में हुए आवास तथा नगर विकास के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसार असम समेत राज्य सरकारों को यह सिफारिश की गई थी कि राज्यों में मौजूदा आवास बोर्डों को अपनी गतिविधियों ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने की शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये। असम सरकार ने सूचित किया था कि असम राज्य बोर्ड राज्य में विभिन्न आवास योजनाओं को शुरु करने और कार्यान्वित करने में सशक्त हैं जिनमें ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं ।

(ङ) यद्यपि संविधान के अंतर्गत, आवास को विषय राज्य क्षेत्र में आता है तथापि, समस्या की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इसे संयुक्त रूप से हल किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक योजनाएं आरम्भ की हैं जो अब राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। असम राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सुचना के आधार पर, विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अंतर्गत 31-12-1977 तक 13,777 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, 31-12-1977 तक 49,056 परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास स्थल देने की योजना के अंतर्गत बिना मुल्य के आवास स्थल आबंटित किये गये हैं।

प्रसंगवश, आवास के क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) ऐसे आवासीय कार्यक्रम की अपनाना जिसका उद्देश्य 20 वर्ष की अवधि में पिछले वर्षों की आवास की कमी को पूरा करना और जनसंख्या की वृद्धि के कारण हुई मकानों की अतिरिक्त मांग को पूरा करना तथा बेकार मकानों के स्थान पर नये मकान बनाना।

(2) सरकारी निधियों को निम्न आय के परिवारों के लिये ही नियन्त्रित करना ताकि इस क्षेत्र को नियतन किये गए साधनों से अधिक से अधिक रिहायशी मकानों का निर्माण किया जा सके।

(3) बड़े पैमानों पर मकानों के निर्माण के लिये गैर सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना।

भारतीय डेरी निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कर्मचारी

1988. **श्री महो लाल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री भारतीय डेरी निगम और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कर्मचारियों के बारे में 10 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(क) इंडियन डेरी कारपोरेशन तथा नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की श्रेणीवार तथा पद-वार कुल संख्या कितनी है।

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है और क्या इन जातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है।

विवरण

(क) तथा (ख)

पदों की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल सं०		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन-जाति	
	भा० डे० नि०	रा० डे० वि० बो०	भा० डे० नि०	रा० डे० वि० बो०	भा० डे० नि०	रा० डे० वि० बो०
1	2	3	4	5	6	7
श्रेणी 'क'	3	25	शून्य	1	शून्य	शून्य
श्रेणी 'ख'	शून्य	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रेणी 'ग'	8	12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रेणी 'घ'	2	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

भारतीय डेरी निगम आरक्षण के संबंध में सरकार के सभी नियमों का पालन कर रहा है, जबकि सरकार के आरक्षण के आदेश राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड पर लागू नहीं होते हैं, परन्तु बोर्ड की कार्यकारी समिति ने अनुसूचित जातियों के लिए 16 2/3 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 1/2 प्रतिशत पदों को आरक्षण करने का निर्णय किया है। जब आरक्षित वर्ग से पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो पदों को आरक्षित नहीं समझा जाता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन पृथक से दिल्ली के कार्यालयों के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारतीय डेरी निगम तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में किया जाता है।

(ग) क्या इन कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया जाता है और कुछ कर्मचारियों को झूठे आरोपों के आधार पर सेवा से निकाल दिया गया है, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) इस प्रकार की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(घ) इन जातियों के कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

Basic Facilities in Sultanpuri

1989. **Shri Govinda Munda :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether people were settled in the resettlement colony Sultanpuri, Delhi during emergency and if so, whether the previous Government had provided all the facilities or full development was not made there ;

(b) the details of new facilities, such as supply of pure drinking water, electricity for domestic purpose, transport and regular sanitation arrangement, opening of telephone booths, milk booths, etc. provided thereafter Janata Party came to power ; and

(c) the details of the new facilities to be provided there and by what time and the expenditure proposed to be incurred for more development of this area ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) (a) Yes, Sir, but the colony was not fully developed.

(b) Basic Facilities like water, sanitation and street lighting have been provided on community basis. It is intended to provide individual electric and water connections to to those who ask for them. As regards the other facilities, the Municipal Corporation of Delhi is being asked to pursue with the concerned Departments to provide these facilities as early as possible.

(c) Additional latrine seats, brick pavement on the road berms, additional hand pumps and improvement of roads are intended to be provided by the Municipal Corporation of Delhi in the resettlement colonies at an estimated cost of about Rs. 42 lakhs.

एडमंटन में राष्ट्रमण्डलीय खेल

1990. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एडमंटन में होने वाली राष्ट्रमंडलीय खेलों में खिलाड़ियों को सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी है ;

(ख) कुल कितने व्यक्तियों के जाने के लिए तथा किन-किन खेलों के लिए स्वीकृति दी गई है ; और

(ग) खिलाड़ियों का चुनाव करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित खेलों में ग्याहर खिलाड़ी (एथलीट)

(i) 100 मीटर

(ii) 200 मीटर

(iii) 1000 मीटर

(iv) लम्बी दौड़

(v) 110 मीटर पग बाधा दौड़

(vi) लग्गा-कूद (पोल-वाल्ट)

(vii) डेकेथलोन

(viii) चक्का फैंक (डिस्कस थ्रो)

(vix) शाट पुट

(x) लम्बी कूद

(xi) ट्रिपिल जम्प

(ग) खिलाड़ियों का चयन सरकार द्वारा अखिल भारतीय खेल परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए मानदण्डों के आधार पर किया गया है, अर्थात् इस सिफारिश के आधार पर किया गया है कि खिलाड़ियों का वर्तमान प्रदर्शन 1974 के राष्ट्रमण्डलीय खेलों में संबंधीत खेल के छठे स्थान के मुकाबले का अथवा उससे बेहतर हो ।

त्रिपुरा तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में बायो गैस संयंत्र

1991. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा :**

श्री एम० ए० हनानअलहाज :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों में पांचवीं योजना अवधि के दौरान आज तक वर्षवार, जिलावार, स्थापित किये गये बायो गैस संयंत्रों के स्थान का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन राज्यों में बायो गैस संयंत्र लोकप्रिय नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन राज्यों में राज्यवार, बायो गस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने आज तक क्या कार्यवाही की है ;

(घ) इन राज्यों में, राज्यवार, त्रिपुरा संयंत्र के विशेष संदर्भ सहित बायो गैस संयंत्रों की स्थापना से आज तक कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है और उसका क्षेत्र कितना है ; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों में राज्यवार, त्रिपुरा के विशेष संदर्भ सहित जिलावार, बायो गैस संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1977-78 तक वर्षवार आधार पर त्रिपुरा तथा अन्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में लगाए गए बायो-गैस संयंत्रों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है। तथापि इस संबंध में जिलेवार जानकारी एकत्र की जा रही है और प्रत्येक राज्य से पूरी जानकारी उपलब्ध होते ही लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) तथा (ग) इस समय उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में जलवायु की प्रतिकूल परिस्थिति, गोबर की कम मात्रा में उपलब्धि संयंत्र लगाने की लागत अधिक होने के कारण बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना करने की गुंजाइश सीमित है ।

बायो-गैस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं, जिसमें ऐसे क्षेत्र के लिए उपयुक्त सस्ते मॉडल का विकास करना शामिल है। इन क्षेत्रों के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए इस क्षेत्र में लगाए जा रहे संयंत्रों के लिए केन्द्रीय राज सहायता की मात्रा 1977-78 के वर्ष से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दी गई है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। इसके अतिरिक्त यह संयंत्रों के लिए बैंकों से ऋणों की व्यवस्था तथा निर्माण संबंधी सामग्री उपलब्ध करता है।

(घ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में 1977-78 तक लाभान्वित परिवारों की संख्या लगभग 128 है। 1977-78 तक त्रिपुरा में लगाए गए संयंत्रों के स्थानों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ङ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में चालू वर्ष के दौरान अस्थायी तौर पर 80 बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें त्रिपुरा के 10 संयंत्र भी शामिल हैं। राज्य सरकारों को जिलेवार लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल०टी० 2531/78]

राजधानी में गैर-हकदार व्यक्तियों के कब्जे में सरकारी आवास

1992. **श्री आर० डी० भूटानी:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों एवं संगठनों की संख्या कितनी हैं, राजधानी में जिनके कब्जे में सरकारी आवास हैं यद्यपि वे हकदार नहीं हैं ;

(ख) ऐसे प्रत्येक के कब्जे में यह आवास कब से हैं ;

(ग) उनमें से कितनों की राजधानी में अपनी इमारतें हैं ;

(घ) आज की बाजार दर पर उन परिसरों से अनुमानतः कितना किराया प्राप्त हो सकता है ; और

(ङ) क्या सरकार का निकट भविष्य में इन परिसरों को खाली कराने का विचार है ; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) 238.

(ख) मकान विभिन्न तरीकों से दखल में लिए जा रहे हैं। इनमें सबसे पूर्व की तारीख जून, 1946 है।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) (ग) में दिए गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) मामला पुनरीक्षणाधीन है।

Wheat Export

1993. **Shri Raghavji :** Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether wheat was exported from India during the period from 1st April, 1977 to 30th June, 1978 and if so, the quantity thereof and the names of countries to which exported ;

(b) whether wheat export transactions were made with some country during the same period ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) India has not exported wheat in the strict sense of the term on commercial basis so far. However, a quantity of 6.71 lakh tonnes of wheat was shipped to the USSR upto 30th June, 1978 in repayment of balance quantities of wheat loan obtained from that country in 1973-74.

(b) & (c) During the period in question, an agreement was entered into with the Government of Afghanistan for supply of 50,000 tonnes of wheat on commodity loan basis on 4th March, 1978. Another agreement was concluded between the Govt. of India and the Govt. of Vietnam for the supply of 3 lakh tonnes of wheat on commodity loan basis besides 70,000 tonnes of maida. In the case of Afghanistan, the loaned wheat would be returned to India two years after the completion of the delivery and within a period of six months thereafter. In consideration of the additional cost to be incurred by India in connection with the FOB delivery of wheat to Vietnam, Vietnam would repay 3,30,000 tonnes of wheat four years after the completion of delivery of the agreed quantity of wheat by India and to be completed during the period 6 to 12 months thereafter. The 70,000 tonnes of maida will be returned as 100,000 tonnes of wheat.

ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली में पानी की ऊपरी टंकी

1994. **श्री नटवरलाल बी० परमार** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री ग्रेटर केलाश पार्ट-2, नई दिल्ली में पानी की ऊपरी टंकी (ओवर हैड वाटर रिजरवायर) के बारे में 3 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5235 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ग्रेटर कलाश-2, नई दिल्ली में पानी की ऊपरी टंकी, सितम्बर, 1978 में चालू करने का लक्ष्य, जैसा कि पहले वचन दिया गया था, प्राप्त होने की संभावना नहीं है क्योंकि इसके लिए आवश्यक निर्माण-कार्य ठेकेदार के साथ किसी विवाद के कारण रुका पड़ा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : जी, हां, कार्य में तीन मास देरी हो गयी है क्योंकि पिछले ठेकेदार ने टेंक में पाईप लगाने का कार्य छोड़ दिया था। एक अन्य अभिकरण को आबंटित किया गया है और ग्रेटर कैलाश में ऊपरी टेंक चालू करने का नया लक्ष्य अब 31 दिसम्बर, 1978 है।

गवर्नमेंट हायर सैकेण्डरी स्कूल, लारेंस रोड, दिल्ली में विज्ञान तथा वाणिज्य विषय पढ़ाने की व्यवस्था

1995. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :

श्री जी०एम० बनतवाला :

श्री श्याम सुन्दर गुप्त :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि गवर्नमेंट हायर सकेन्डी स्कल, लारेंस रोड, दिल्ली में विज्ञान और वाणिज्य विषय पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह भी सच है कि उन छात्राओं को जो विज्ञान और वाणिज्य विषय लेना चाहती हैं यह स्कूल छोड़ना पड़ता है जिनको दूरी इस क्षेत्र से 3-4 मील होती है ; और

(घ) क्या दिल्ली के सभी बालिका विद्यालयों में सरकार का विचार विज्ञान और वाणिज्य विषय आरम्भ करने का है और यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां।

(ख) तथापि राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, लारेंस रोड में वाणिज्य विषय के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। परन्तु, जगह की कमी तथा अपेक्षित संख्या में प्रयोगशालाओं की कमी के कारण वहां विज्ञान विषय अभी तक शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) विज्ञान विषयों के अध्यापन के लिये आवश्यक सुविधाएं, अशोक बिहार, शकूरपुर और सराय रोहिल्ला के आसपास के स्कूलों में उपलब्ध हैं जो कि 2-3 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं और वहां के लिए बस सेवा भी अच्छी है।

(घ) जी, नहीं। वाणिज्य तथा विज्ञान विषयों का शुरू किया जाना अनेक बातों पर निर्भर करता है जैसे जगह की उपलब्धता, प्रयोगशालाओं की सुविधाएं, छात्रों की संख्या, आसपास के स्कूलों में विषयों की उपलब्धता इत्यादि।

Accommodation for Committee for Change of Food Habits

1996. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether some special accommodation was allotted to an organisation (society) named Committee for Change of 'Food Habits' in Janpath barracks;

(b) the monthly rent thereof and whether the employees thereof had also formed a cooperative society;

(c) whether the Society for the change of 'food habits' had given this accommodation on a monthly rent of Rs. 10,000;

(d) whether the members of the cooperative society were removed and a restaurant, named 'Monoranjan' had been started there; and

(e) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir, some accommodation was allotted.

(b) The accommodation was initially allotted to the Committee on payment of licence fee of Rs.1562.50 p.m. and the licence fee was revised with effect from 1st January, 1976 and 1st January, 1977. The Committee was being charged Rs. 2,322.56 per month from 1st January, 1977.

A number of representations were received from the employees of the Committee intimating that they had formed a Cooperative Society.

(c) It was alleged that the Society for the Change of Food Habits had given the accommodation to a private party on a monthly rent of Rs. 10,000. However, Government is not aware of the correctness or otherwise of the allegation.

(d) It was alleged by the employees that the Cafetaria known as 'Rasika' was not handed over to the Cooperative Society, but was given to a private party for running a Cafetaria known as "Manoranjan".

(e) The Society was evicted from the barracks.

चंडीगढ़ में गैर-मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी कालेज के प्रिंसिपल के विरुद्ध आरोप

1997. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में एक गैर-मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी कालेज के प्रिंसिपल के विरुद्ध जालसाजी और धोखाघड़ी के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख) और (ग) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार गीतांजली नाम की एक संस्था श्री के० एस० सोढी द्वारा चण्डीगढ़ के सक्टर 21 में चलाई जा रही है। उन्होंने कुछ छात्रों से वायदा किया था कि वह ओ० टी० में पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिए प्रवेश दिला देंगे और कुछ छात्र उन्हें इस कार्य के लिए फीस देते थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने छात्रों को बताया कि ओ० टी० में परीक्षा 27-5-78 को होगी और सभी छात्रों को चाहिए कि वे उनके कालेज में आएं किन्तु छात्रों को पता लगा कि कालेज में कोई नहीं था और नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा दिया गया था कि छात्र एस० जी० कालेज अम्बाला में सुबह 9.00 बजे पहुंच जाएं और वहीं उन्हें रोल नं० दे दिए जाएंगे। हरभजन सिंह नामक एक छात्र 26-5-78 को अम्बाला पहुंचा और उसी दिन 11 बजे वापस लोट आया और उसने बताया कि सभी छात्रों की परीक्षा पहले ही हो चुकी है किन्तु गीतांजली कालेज के छात्रों से उनका कोई सबंध नहीं है। उन्होंने प्रधानाचार्य श्री के० एस० सोढी और उनके भाई श्री जसविन्दर सिंह तथा लिपिक सर्वजीत सिंह की प्रतीक्षा की लेकिन शाम तक कोई नहीं आया और उन्होंने महसूस किया कि उन सभी को प्रधानाचार्य द्वारा धोखा दिया गया है। छात्रों को यह भी पता चला कि उनसे लिया गया परीक्षा शुल्क इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास जमा नहीं कराया गया है और इसलिए उन्हें कोई रोल नं० जारी नहीं किया गया। मामला, धारा 406/420/120 बी० आई० पी० सी० के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 706 दिनांक 8-6-78 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन सैक्टर 17, चण्डीगढ़ में पंजीकृत है। प्राधानाचार्य के पिता, जो पंजाब सरकार प्रेस सेक्टर 18 चण्डीगढ़ में लिपिक के रूप में कार्य कर रहें हैं, की उपस्थिति में कालेज के अहातों की पुलिस द्वारा तलाशी ली गई और सम्पत्ति अर्थात् फर्नीचर इत्यादि को केस सम्पत्ति के रूप मे अपने कब्जे में ले लिया गया। अपराधी फरार हैं और पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। यह अपराध का मामला है।

Manjara Project, Marathawada

†1998. **Shri Gangadhar Appa Burande:** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether some damages has been caused in Manjara (Project) in Marathawada Division by water in the month of June and if so, the extent to which it was caused; and

(b) who is responsible therefor and the action being taken for its recovery ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) & (b) The Govt. of Maharashtra have reported that, on the 14th and 15th of June, 1978, there was heavy rain in the vicinity of the Manjara project which caused a high flood in the river. The flood waters entered a shed near the bank of the river, where cement for the construction of the head-works of the project was stored. About 1900 cement bags were damaged.

The State Government have indicated that the flood was sudden and, being an act of God, nobody is held responsible for the loss.

Bagh and Itiadoh Project

†1999. **Shri Laxman Rao Mankar** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) the crop pattern decided about the land to be brought under irrigation under the Bagh and Itiadoh projects in Maharashtra;

(b) if so, the reason for which demand rate of water is charged from the paddy growers even after the agreement reached in respect of these projects; and

(c) whether a decision was taken to supply water at appropriate time for the paddy crops for the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) to (c) The cropping pattern as contained in the project reports of Bagh and Itaidoh projects are as under :—

Sl. No.	Name of the crop	Area in hectares
	I. BAGH PROJECT	
1.	Sugar Cane .	1481
2.	Other perennials .	247
3.	Two-seasonals .	1234
4.	Paddy . .	18762
5.	Rabi wheat .	1728
6.	Rabi jawar .	1234
	Total : . .	24686
	II. ITIADOH PROJECT	
1.	Sugar Cane	2833
2.	Other perennials . . .	405
3.	Two seasonals . . .	809
4.	Kharif paddy . . .	20235
5.	Rabi wheat . . .	4047
6.	Rabi paddy	1821
	Total	30150

The Government of Maharashtra have reported that modifications in the crop pattern are under their considearation and a final decision is yet to be taken by them.

The State Government have further intimated that paddy growers are being charged water rates as per the rates enforced in the region and that decision was taken by them to supply water at appropriate time for the paddy crops for the last two years.

दंडकारण्य में रहने वाली महिलाओं का अभ्यावेदन

2000. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को मलकन गिरि गांव संख्या 79 (दण्डकारण्य परियोजना, कोरापुट के अंतर्गत) की स्टाफ कालोनी में रहने वाली महिलाओं तथा कर्मचारियों की ओर से इस कालोनी की महिलाओं के साथ कुछ शराबी असामाजिक तत्वों द्वारा किये जाने वाले सताने तथा अशोभनीय व्यवहार के बारे में याचिकाएं मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कालोनी की शराब की दुकान बंद करने पर विचार कर रही है; और

(ग) गड़बड़ करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) शराब की दुकान को बन्द करने या उसे किसी दूरस्थ स्थान पर ले जाने क बारे में राज्य सरकार के स्थानीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

(ग) ऐसा बताया गया है कि दण्डकारण्य परियोजना के चौकीदार, श्री कुसो सोनानी ने शराब के नशे में होने के कारण दुर्व्यवहार किया है । अब मलकान गिरि गांव संख्या-79, दण्डकारण्य परियोजना को स्टाफ कालोनी से उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है। श्री कुसो द्वारा दायर की गई शिकायत पर स्थानीय पुलिस द्वारा भी मामले का जांच की जा रही है।

नये प्रकार का गोबर गैस संयंत्र

2001. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सहायना करने तथा उनकी ईंधन तथा प्रकाश का समस्याओं का समाधान करने के लिये नये प्रकार का कोई गोबर गैस संयंत्र बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके मूल्य और कार्यनिष्पादन के बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य आयोजना संस्थान, ने अपने गाबर गैस अनुसंधान केन्द्र, अजीतमाल (इटावा) मे जनता बायो-गैस संयंत्र नामक एक कम लागत का तथा ड्रम रहित बायो-गैस संयंत्र विकसित किया है।

(ख) प्रथम बार संबंधित अनुसंधान केन्द्र द्वारा विभिन्न आकारों के गोबर गैस संयंत्रों के डिजायनों का मानकीकरण किया जा रहा है। लागत अनुमान विकसित किए गए मानक डिजायनों पर आधारित होंगे। विभिन्न कृषि-जलवायु वाली परिस्थितियों इसके कार्य के संबंध में अध्ययन किए जा रहे हैं।

आयातित उर्वरक पर बिलम्ब शुल्क

2002. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पत्तनों पर वर्थों की कमी के कारण उर्वरक लाने वाले प्रत्येक जहाज को प्रतिदिन लगभग 3,000 डालर का विलम्ब शुल्क देने के कारण सरकार को आयातित उर्वरक बहुत महंगा पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी खजाने को भारी हानि से बचाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। आयातित उर्वरक लाने वाले सभी जहाजों को विलम्ब शुल्क नहीं देना होता है। इसके अलावा, विलम्ब शुल्क स्थान के अभाव के कारण ही नहीं, बल्कि अन्य कारणों जैसे जहाजों से धीमी गति से माल उतारने तथा घाटों से धीरे-धीरे माल हटाने के कारण भी देना होता है।

(ख) ऐसे उपाय किए गए हैं, जिससे जहाजों को विलम्ब शुल्क देने के हालात कम हो जायें। ये निम्नलिखित हैं :—

1. माल उतारने के लिये बड़ी संख्या में बन्दरगाहों का उपयोग ;
2. माल उतारने की गति बढ़ाने के लिए कुछ बन्दरगाहों पर यंत्रीकृत सुविधायें शुरू करना ; तथा
3. रेलवे की क्षमता की प्रतिपूर्ति के लिये सड़क परिवहन का प्रयोग बढ़ाना, आदि।

Piggeries in Delhi

2003. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the areas in Delhi and New Delhi where the piggeries are allowed; and

(b) whether Government propose to remove piggeries from these areas; and if so, when it is likely to be done ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) Delhi Municipal Corporation has not earmarked any specific areas for piggeries. Licence for keeping pigs is however not granted if the site is within 20ft. of a dwelling house other than that of the keeper of the pigs. In the N.D.M.C. jurisdiction there is no such area where pigs are allowed.

(b) There is no proposal to alter the above arrangement.

पेय '77' के विपणन में विलम्ब

2004. **श्री सौगत राय :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न बेकरीज लिमिटेड द्वारा पेय '77' के विपणन में असाधारण विलम्ब हुआ है जिसके कारण अन्य पेयजल कम्पनियां बाजार पर हावी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड विभिन्न बाटलर्ज जिन्हें साफ्ट ड्रिंक के विपणन के लिए अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है, को पेय '77' के उत्पादन के लिए केवल मिश्रण सप्लाई करती है । कम्पनी पेय '77' के उत्पादन के लिए बाटलर्ज के साथ विभिन्न शहरों में विशेषाधिकार की व्यवस्था पूरी करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है । अब तक निकले परिणाम अच्छे रहे हैं । तथापि, विशेषाधिकार को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने, बोतलें ,क्राउन काक्स, आदि उपलब्ध न होने जैसी विशेषाधिकार धारियों की कठिनाइयों के कारण कुछेक शहरों में पेय '77' का विपणन संबंधी कार्य शुरू नहीं किया गया है ।

धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में भूकम्प

2005. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जून, 1978 की रात्रि को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में भूकम्प आया था ;

(ख) यदि हां, तो जान माल और फसल को हुई हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राहत कार्यों के लिये अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार को दी गई केन्द्रीय राहत का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार सरकारी इमारतों को लगभग 3 लाख रुपये का नुकसान पहुंचा है तथा अनेक इमारतों में दरारें भी आई हैं । दो व्यक्तियों को चोटें आई हैं तथा किसी भी व्यक्ति की मौत होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के उपबन्धों का लागू किया जाना

2006. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली जैसे नगरों में स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के उपबंधों को समान रूप से लागू नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ नगरों के "रेड लाईट एरिया" नामक पृथक क्षेत्रों में वेश्यावृत्ति अभी तक चल रही है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त कानून के उपबंधों को लागू करने में इस भेद-भाव और ढील के क्या कारण हैं ; और

(घ) कानून को समान रूप से लागू करने और उन नगरों में वेश्यावृत्ति बिल्कुल बन्द करने के लिए, जहां अभी तक अनुमति दी जाती है, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्यमंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख), (ग) और (घ) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होता है । इस अधिनियम के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति अपने वाणिज्य रूप में निषिद्ध है । इस अधिनिय को लागू करना अलबत्ता राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ।

Yamuna Water for Drinking

2007. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether filtered Yamuna water is being supplied for drinking purposes to Delhi alone whereas it is not potable outside Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Filtered water is supplied in Delhi, New Delhi as well as Delhi Cantonment area and some of the rural villages. Also in other areas of the Union Territory of Delhi only potable water is supplied by the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking. The Undertaking carry out regular testing of water to ensure that water being supplied is in accordance with the prescribed standards.

(b) Does not arise.

धुएं के कारण स्वास्थ्य को खतरा

2008. **श्री बी० जो० हांडे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स साइकिल इक्विपमेंट (पी० आर० एन०) लिमिटेड, कालकाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कालकाजी नई दिल्ली के 'के' ब्लाक के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह अनधिकृत कारखाना, दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों की सांठ-गांठ से चल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) फैक्टरी 1960 से दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 416/417 के अधीन लाइसेन्स शुदा है ।

(ग) फैक्टरी की छत, नलिका, एग्जास्ट फैन और भट्टी को पर्याप्त ऊंचाई की चिमनी की व्यवस्था जैसे औपचारिक उपाय करने की सलाह दी गई है ।

कूड़ा करकट योजना कलकत्ता का विश्व बैंक द्वारा अनुमोदन

2009. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कलकत्ता में धापा के आस-पास के निचले क्षेत्र को, जो कूड़ा करकट फैंकने का एक खुला स्थान है भरने की योजना को अनुमोदित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना को क्रियान्वित कर दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां ।

(ख) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा कलकत्ते में 5 वर्ष की अवधि के दौरान (1977-78 से 1981-82 तक) निष्पादित की जाने वाली द्वितीय कलकत्ता नगर विकास परियोजना में कलकत्ता शहर मे मल निपटान प्रबन्ध सुधार योजना शामिल है । इस योजना के एक अंग के रूप में धापा तथा बनताला में सड़क का निर्माण करके प्रकाश व्यवस्था में सुधार तथा अन्य स्थल सम्बन्धी सुविधाओं के माध्यम से मलवा डालकर भूमि की भराई का कार्य किया जायेगा । इसके अतिरिक्त कूड़ा करकट डालने की भूमि के अन्तर्गत कुछ चुने हुए क्षेत्रों में स्वच्छता, भूमि की भराई का कार्य त्वरित आधार पर किया जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

भारतीय खाद्य निगम को राज सहायता

2010. **श्री ओ० वी० अलगेशन:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में कितनी राज-सहायता दी गई ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में गेहूं और चावल के लिये इसके वितरण का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	दी गई राशि
1975-76	250
1976-77 .	506
1977-78	478

(ख) राजसहायता का हिसाब, भारतीय खाद्य निगम द्वारा वितरित की गई खाद्यान्नों की मात्रा और बफर स्टाक के रूप में उसके पास पड़ी मात्रा के आधार पर लगाया जाता है और न कि राज्य से राज्य के आधार पर ।

केरल में आयल पाम की खेती के लिए 24 करोड़ रुपए की परियोजना

2011. **श्री के० ए० राजन:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लान्टेशन कारपोरेशन आफ केरल की एक सहायक कम्पनी आयल पाम इंडिया लिमिटेड ने राज्य में आयल पाम की खेती के लिए "24 करोड़ रुपए की एक परियोजना" बनाई है:

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसके लिये केन्द्र से कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केरल प्लान्टेशन कारपोरेशन की एक सहायक कम्पनी आयल पाम इंडिया लिमिटेड ने राज्य में आयल पाम की खेती के लिए 8.5 करोड़ रुपए की एक परियोजना तैयार की है, न कि 24 करोड़ रुपए की परियोजना ।

(ख) इस परियोजना का उद्देश्य इस समय क्रियान्वित की जा रही 2000 हैक्टार की बागान परियोजना के अलावा 4000 हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र में आयल पाम के बागानों की वृद्धि करना है।

(ग) सूचना मिली है कि राज्य सरकार ने 22-6-78 को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं, परन्तु वे अभी तक केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

वर्ष 1978-79 के लिए चीनी संबंधी नीति

2012. **श्री अमर राय प्रधान :**
श्री ए० आर्डो फैलीरो :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1978-79 के लिये चीनी संबंधी नीति बना ली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं । वर्ष 1978-79 के लिए सरकार की चीनी नीति तैयार की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) क्योंकि इस वर्ष पिराई कार्य की अवधि में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है इसलिए मौसम की बची अवधि और उत्पादन संबंधी कार्यचालन परिणामों के बारे में धारणा बनायी जा सकती है और उत्पादन के स्तर की जटिलताओं का केवल अब अन्दाजा लगाया जा सकता है ।

जलवायु के आधार पर क्षेत्रीय फसल प्रणाली

2013. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों से खाद्यान्नों के मूल्य किसानों के लिये लाभप्रद नहीं रहे हैं और इसी के परिणामस्वरूप कृषकों ने खाद्यान्नों के स्थान पर गन्ने की खेती आरम्भ कर दी है ; यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ख) क्या देश पर्यन्त जलवायु के आधार पर क्षेत्रीय फसल प्रणाली निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार कृषकों को इसी प्रकार हानि होती रहने देगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) गत चार वर्षों में खाद्यान्नों तथा गन्ने की फसल के क्षेत्र के आंकड़ों की विशेष बात यह रही है कि उनमें उतार-चढ़ाव होता रहा है और यह कहना कठिन है कि खाद्यान्नों के कुछ क्षेत्र में गन्ने की बुवाई की गई है । जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि खाद्यान्नों (और अन्य कृषि जिन्सों के भी) के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य मिले । यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सरकार कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए और राज्य सरकारों को सलाह से प्रमुख खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति/साहाय्य मूल्य निर्धारित करती रही है । सरकार घोषित मूल्यों पर साहाय्य खरीद भी करती रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार मूल्य, अधिप्राप्ति/साहाय्य स्तर से नीचे न गिरने पाएं । वर्ष 1977 में सरकार ने खाद्यान्नों के लाने-लेजाने के संबंध मे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है, जिसके फलस्वरूप किसान बाजार में बेचें जाने वाले अपने फालतू खाद्यान्नों के लिए अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं । किसानों द्वारा सार्वजनिक एजेंसियों को अधिप्राप्ति/साहाय्य मूल्यों पर खाद्यान्नों की बिक्री आमतौर से स्वैच्छिक रूप से की जाती है । इसके अलावा, किसान बाजार में बेचे जाने वाले अपने फालतू खाद्यान्नों का एक बड़ा भाग बाजार मूल्यों पर बेचते हैं, जो कि आमतौर से सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति/साहाय्य मूल्यों से अधिक होता है । ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादकों को मिलने वाला मूल्य लाभप्रद नहीं रहा है ।

इस समय जलवायु की स्थितियों के आधार पर क्षेत्रीय फसल के प्रतिमान निर्धारित करने के बारे में भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । फसल की बुवाई के प्रतिमान जलवायु की स्थितियों द्वारा ही नहीं, बल्कि अनेकों अन्य पहलूओं द्वारा प्रभावित होते हैं, जिनमें मृदा, सिंचाई की सुविधायें, क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, उपभोग के प्रतिमान, आदि महत्वपूर्ण हैं । तथापि, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसलों की अधिक उत्पादनशील किस्मों को लागू करके, बहुफसली खेती पर बल देकर तथा दालों, फलीदार फसलों और दाने-चारे, आदि की खेती करके बुवाई के प्रतिमानों में लाभप्रद परिवर्तन लायें । इसका उद्देश्य यह है कि अधिक उपज और कृषि तथा गौण व्यवसायों के समेकित विकास के आधार पर उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि की जा सके ।

वजीराबाद स्थित 'वाटर वर्क्स' प्रयोगशाला

2014. **श्री के० मालन्ना** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1978 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 66,000 रुपये की कीमत पर खरीदी गई एक अत्यन्त आधुनिक मशीन जो गत फरवरी में खरीदी गई थी 'वाटर वर्क्स' प्रयोगशाला, वजीराबाद में अप्रयुक्त पड़ी है क्योंकि कोई भी उसके परिचालन से परिचित नहीं है;

(ख) क्या प्रयोगशाला के परीक्षण कर्मचारियों और निदेशक के बीच मशीन के प्रयोग के बारे में विवाद है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । जब आवश्यकता होती है मशीन का उपयोग किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Financial Assistance to Public Schools

†2015. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of public schools running in Delhi and the amount of financial assistance provided to them by the Delhi Administration each year;

(b) whether all these public schools are charging equal fees from the students; if not, whether Government propose to fix equal fee for each class in these schools; and

(c) when the decision taken by the Delhi Administration to take over these public schools would be implemented ?

The Minister of State in the Minitstry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki): (a) Public Schools are generally meant to be those schools which are members of Indian Public School's Conference. There are four such Schools in the Union Territory of Delhi. No financial assistance is given to these schools by the Delhi Administration.

(b) The fees charged by the Public Schools varies from school to school. Under Section 16(3) of the Delhi School Education Act, 1973, the management of every recognised school, including the four public schools, shall, before the commencement of each academic session file with the Director of Education, Delhi, a full statement of fees to be levied by such school during the ensuing academic session, and except with the prior approval of the Director no such school shall charge during that academic session any free in excess of the fee specified by its manager in the said statement. This Section does not authorise the Administration to regulate the fees in these schools. Presently there is no proposal to fix equal fee for each class in these schools under the consideration of Delhi Administration.

(c) No time limit can be set in this regard.

असम में पटसन और धान के बीजों की सप्लाई

2016. **श्री इस्माइल हुसैन खां**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में बीज निगम द्वारा असम में किसानों को पटसन और 'आशु' धान का कितना बीज सप्लाई किया गया ;

(ख) क्या असम को खराब बीज सप्लाई किये जाने के बारे में बीज निगम के विरुद्ध कोई शिकायत की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने चालू खरीफ मौसम के दौरान अपने विक्रेताओं तथा असम सरकार के माध्यम से असम में कृषकों को पटसन के 794.15 क्विंटल प्रमाणित बीज और धान के 1817 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए ।

(ख) जी नही ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

निर्धन व्यक्तियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम

2017. **श्री जी०वाई० कृष्णन :**
श्री जर्नादन पुजारी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्धन व्यक्तियों के लाभ के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित पोषाहार कार्यक्रम से अधिकांशतः सम्पन्न व्यक्तियों को ही लाभ पहुंचा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्बद्ध एजेन्सियों जैसे मॉडर्न बेकरीज, भारतीय खाद्य निगम और खाद्य तथा पोषाहार बोर्ड द्वारा अधूरे मन से किये गये क्रियान्वयन अथवा वित्तीय बाधाओं के कारण अधिकांश योजनायें या तो शुरू नही हुई हैं अथवा अधूरी पड़ी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, नहीं । पूरक पोषाहार कार्यक्रम और विटामिन "ए" की कमी हेतु प्रोफिलेक्सिस की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यक्रम में कुपोषित और अल्प रक्त वाले बच्चों और मुख्य रूप से गंदी बस्तियों बच्चे, आदिवासी क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चे शामिल हैं ।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि अधूरी कार्यान्विति और दूसरे दबावों के कारण पोषाहार से सम्बन्धित योजना में कोई प्रगति नहीं हुई है । भारतीय, खाद्य निगम के माध्यम से खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड ने 48000 टन बालाहार प्राप्त कर लिया है जो सस्ता और असुरक्षित वर्ग के बच्चों के पूरक आहार के काम में लाया जाता है । इसी प्रकार मॉडर्न बेकरीज ने भी 400 ग्राम वाली 4.43 लाख रोटियों का उत्पादन शुरू कर दिया है जो विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त हैं ।

(ग) सरकार विभिन्न कार्यक्रमों की कार्यान्विति पर लगातार पुनरावलोकन कर रही है जिसका सम्बन्ध पोषाहार कार्यक्रमों में सुधार करने से है ।

Centre to Provide Agricultural Equipments in Adivasi Areas

2018. **Shri Shyam Lal Dhurve :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there is a scheme to set up centres to provide latest agricultural equipments in Adivasi areas to promote agriculture; and

(b) if so, the reasons for delay in setting up such centres ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) (a) There is no Central scheme to set up centres specifically to provide agricultural equipment in Adivasi areas. However, arrangements for supply of agricultural equipment in selected tribal areas exist under the eight Tribal Development Agency projects and some other Central schemes.

(b) Does not arise in view of the reply to part (a).

दक्षिण में चीनी कारखानों के लिए लेवी मूल्य में अन्तर

2019. **श्री टी० ए० पई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण में चीनी कारखानों के लिये लेवी मूल्य में अनुचित अन्तर को समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) देश में चीनी उद्योग के लिए विभिन्न मूल्य ज़ोनों में मिल रहे लेवी मूल्यों के बीच अन्तर विभिन्न कारणों (जैसे गन्ने का मूल्य, वसूली, अवधि, संयंत्र की आयु), जोकि उत्पादन लागत में दिखाए जाते हैं ; से होता है । मूल्य ज़ोनों में चीनी मिलों का ग्रुप बनाने और लेवी मूल्य निर्धारित करने के तरीके के बारे में फिलहाल एक अंतर-मंत्रालयीय ग्रुप अध्ययन कर रहा है ताकि कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में सुझाव दे सकें । सरकार ग्रुप की सिफारिशों पर शीघ्र ही विचार करेगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में दुर्विनियोग

2020. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पुर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बेहतर सामग्री प्रबन्ध तकनीकी को लागू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : कुछ समय पूर्व कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीय स्टोर डिविजन का निरीक्षण किया था और कतिपय सिफारिशें की थीं । सिफारिशें जहां आवश्यक है केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ।

Increase in Prices by Rice and Pulses Traders in Delhi

2021. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-itme published in 'Nav Bharat Times', dated 2nd July, 1978 to the effect that rice and pulses traders in the capital have increased the prices by Rs. 100 per quintal;

(b) if so, the steps being taken by the Government to check this arbitrary increase in prices; and

(c) if there is no plan to check the price rise the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh): (a) The news-item mentions that the price of Basmati rice has increased by Rs. 100 per quintal. According to market reports, the prices of gram, arhar, moong and urad recorded a rise of Rs. 16 to 40 per quintal during the period between January, 1978 and second week of July, 1978, whereas those of masoor recorded a fall of Rs. 15 per quintal during the same period.

(b) & (c) The rise in prices of Kharif pulses is seasonal due to commencement of the lean period for kharif crops. Government have taken several steps to augment the production of pulses. Support prices for gram, arhar and moong have been fixed. A national campaign based on a multipronged strategy consisting of both long term and short term measures has also been launched for intensive and extensive development of pulses.

स्लम बस्ती हटाओ योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकान

2022. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्लम बस्ती हटाओ योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों को उनमें रहने वालों को ही स्वामित्व के आधार पर देने का सरकार ने कोई निर्णय दिया है ;

(ख) तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या मंत्रालय को इस तथ्य का पता है कि इन मकानों में रहने वाले जो व्यक्ति 400 रुपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं उनसे इन मकानों का 136 रुपये प्रतिमाह किराया लिया जाता है ; और

(घ) गन्दी बस्तियों में रहने वाले इन व्यक्तियों से लिये जाने वाले असाधारण किराये को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री महोदय इन से बीच की अवधि के लिये राजसहायता प्राप्त किराया वसूल करने की सम्भावना पर विचार करेंगे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) 10 जून, 1965 को भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि गन्दी बस्ती सुधार/सफाई योजना के अन्तर्गत बनाए गए टेनामेन्टों को उनके अलाटियों को निम्न शर्तों के अन्तर्गत बेचा जा सकता है :—

(i) आबंटी को मकान की पूरी कीमत अदा करनी होगी अर्थात् अर्जन तथा भमि विकास और निर्माण दोनों की लागत जो भी सरकार द्वारा निर्धारित करे।

(ii) वह इस लागत को एक मुश्त दे सकता है अथवा 20 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत किस्तों में अदा कर सकता है ।

(iii) यदि वह किश्त देना चाहें तो उसे पूरी कीमत का 5 प्र०श० अग्रिम रूप से देना होगा और शेष राशि को 19 वार्षिक समान किस्तों में उस ब्याज की दर पर देना होगा जिसे सरकार समय समय पर निर्धारित करें । उसे इस बात की भी छूट होगी कि वह कम समय के अन्तर्गत जल्दी जल्दी किस्ते देकर कीमत अदा करें परन्तु 20 वर्ष की अवधि के दौरान वह इस छूट का लाभ अधिक से अधिक नहीं उठा सकता ।

(iv) जब तक मकान की पूरी कीमत अदा नहीं हो जाती और उसके बाद 5 वर्ष की अवधि के बाद राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की आज्ञा के बिना वह अपने मकान को बेच, उपहार में देना, रेहन रखना आदि कुछ नहीं कर सकता । शर्त कि मकान के स्थानान्तरण की सीमा अवधि उस तिथि से 20 वर्ष की अवधि से अधिक न हो जिस तिथि से आबंटी ने किस्तों के आधार पर पूरी कीमत देने का निश्चय किया हो । उदाहरण के लिये यदि कोई आबंटी 1-10-65 से किस्तों के आधार पर भुगतान करना चाहता है और वह पूरी कीमत 5 वर्ष के अन्तर्गत अर्थात् 30-9-70 तक भुगतान कर देता है तो वह इसके बाद 5 वर्ष तक अर्थात् 30-9-75 तक मकान का हस्तान्तरण नहीं कर सकता । किन्तु यदि वह पूरी लागत अदा कर देता हैं जैसे कि मान लो 17 वर्ष में अदा कर देता हैं तो वह उस मकान को 20 वर्ष बाद अर्थात् 30-9-85 तक हस्तान्तरण कर सकता है ।

(v) मकान की पूरी कीमत के लिये देय किस्तों के अलावा उसे उस भूमि का भूमि-किराया भी सरकार को देना होगा जिस पर वह मकान और उसका आंगन आदि बना हो तथा नगरपालिका कर, जल प्रभार, सफाई प्रभार आदि स्थानीय निकाय को देने होंगे ।

(ग) जिन आबंटियों की आय 350 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है उनसे टेनामेन्टों का सहायता प्राप्त किराया वसूल किया जाता है । यदि आवंटी की मासिक आय 350 रुपये से अधिक 500 रुपये प्रतिमास से कम है तो उससे सहायता प्राप्त किराये के अलावा उसके दखल के टेनामेन्ट के निर्माण की लागत से अनुमान के अंश पर देय ब्याज की राशि देनी होगी । यदि आबंटी की मासिक आय 500

रुपये से अधिक है तो उसे टेनामेन्ट का पूरा आर्थिक किराया देना होगा । इसलिए गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना के अन्तर्गत निर्मित टेनामेन्टों के सहायता प्राप्त किराया और आर्थिक किराये में अन्तर होगा ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पुस्तकों के प्रकाशन की नेशनल बुक ट्रस्ट की नीति

2023. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट ने यह नई नीति बनाई है कि केवल ऐसी ही पुस्तकें प्रकाशित की जाएं जिनका भारत और विश्व में बदलती हुई समकालीन परिस्थितियों का संबंध हो ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ;

(ग) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा अंग्रेजी हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अब तक प्रकाशित पुस्तकों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उनमें से आज तक कितनी पुस्तकें बेची गई हैं तथा बिना बिकी प्रतियों की स्टाक स्थिति क्या है ; और

(ङ) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपने वितरण और बिक्री व्यवस्था का विस्तार करने का निर्णय किया है यदि हां, तो किस प्रकार तथा उनका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा, समाज **कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का प्रकाशन कार्यक्रम तथा पुस्तकों का चयन सदैव भारतीय परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप रहा है और इस नीति को छोड़ा नहीं जाएगा । परिकल्पित कार्यक्रमों का मुख्य विशेषताएं यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय भाषाओं में मूल लेखन को प्रोत्साहित करके न्यास के प्रकाशन समकालीन परिस्थितियों के अनकूल हों ; और ग्रामीण जनसंख्या को भी इसके अन्तर्गत शामिल किया जा सके ।

(ग) इसके आरम्भ से और 30-6-78 तक न्यास ने विभिन्न भाषाओं में नीचे दर्शाये अनुसार 1740 पुस्तकें प्रकाशित की हैं :—

भाषा	पुस्तकें
हिन्दी	283
अंग्रेजी	274
उर्दू	163
मराठी	131
पंजाबी	124
गुजराती	112
तमिल	110
बंगला . . .	108

भाषा	पुस्तकें
तेलुगु	99
कन्नड	93
उड़िया	85
मलियालम	77
असमी	76
सिंधी	4
संस्कृत	1
योग	1740

30-6-78 तक न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का क्रममाला और भाषावर ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(घ) 31-3-77 की स्थिति निम्न प्रकार है :

निपटाई गई पुस्तकों की संख्या	41,63,766
(संबंधित पुस्तकों के लेखकों को मुफ्त वितरित की गई ; पुनरीक्षण के प्रयोजन के लिए दी गई ; और जिला पुस्तकालयों, नेहरू युवक केन्द्रों आदि को प्रदान की गई प्रतियों सहित)	
बकाया पुस्तकें	24,37,882

न्यास, प्रति वर्ष 31 मार्च तक की सूचना का संकलन करता है । 31-3-78 तक की स्थिति का संकलन किया जा रहा है ।

(ङ) जी, हां । 1974 में वितरकों की कुल संख्या 12 थी जिसमें स्थान पर 58 वितरक/संग्रहकर्ता कर दिए गए हैं । न्यास ने 4 क्षेत्र प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति की है । इसके अतिरिक्त न्यास ने हाल ही में नई दिल्ली में एक पुस्तकों की दुकान खोली है और इस प्रकार की देश में और खुदरा दुकानें खोलने का प्रस्ताव है ।

1973 से 78 तक न्यास के प्रकाशनों की बिक्री नीचे दी गई है :

वर्ष	रुपये लाखों में
1973-74	13.00
1974-75	13.50
1975-76	17.01
1976-77	23.55
1977-78	25.61

इन आंकड़ों से यह पता चलत है कि वितरण प्रबंधकों को मजबूत करने से बिक्री बढ़ी है ।

विवरण

30 जून, 1978 को प्रत्येक माला के अन्तर्गत प्रत्येक भाषा में न्यास द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

	अंग्रेजी	हिन्दी	असमी	बंगला	गुजराती	कन्नड़	मल-यालम	मराठी	उड़िया	पंजाबी	तेलुगु	तमिल	उर्दु	सिंधी	संस्कृत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
इंडिया दि लेंड एण्ड पिपल	110	39	2	9	9	7	4	17	4	9	17	13	1	—	—	241
नेशनल बायो-ग्राफी	65	50	7	17	24	15	10	25	17	17	16	13	9	2	—	287
फोकलोर आफ इंडिया	6	4	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	13
यंग इंडिया लाईब्रेरी	16	12	—	2	1	2	—	3	—	3	1	1	1	—	—	42
वर्ल्ड आफ टुडे	4	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	8
पापुलर साइंस	1	4	1	1	—	—	—	1	—	3	—	—	2	—	—	13
सामान्य	28	46	4	12	12	9	12	10	5	10	6	14	14	2	1	185
आदान-प्रदान	—	75	27	32	30	2:	18	37	24	33	24	32	37	—	—	392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
हरू बाल पुस्तकालय	44	48	34	35	35	37	33	37	35	47	35	34	38	—	—	492
तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	—	—	55
जाकिर हुसैन स्मृति क्रम-माला	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	6
यूनेस्को प्रका-शन	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	6
योग	274	283	76	108	112	93	77	131	85	124	99	110	163	4	1	1740

भारतीय डेरी निगम द्वारा बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम (चरण दो) के लिये राज्यों को सहायता

2024. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डेरी निगम बाढ़ नियत्रंण कार्यक्रम (चरण दो) के अन्तर्गत राज्यों को सहायता दे रही हैं और यदि हां, तो किस-किस राज्य के लिए कितनी-कितनी राशि रखी गई है, और

(ख) इस वर्ष विशेष रूप से आंध्र प्रदेश को कितनी सहायता दी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां । आपरेशन फ्लड 2 के अन्तर्गत आने वाले राज्य हैं : जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। कुछ अन्य राज्यों को इसके अन्तर्गत लाने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है । अभी तक राज्यवार आधार पर धनराशि निर्धारित नहीं की गई है ।

(ख) इस वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश को दी जाने वाली सहायता की धनराशि के बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है ।

मंत्रियों के बंगलों का निर्माण

2025. **श्री बसन्त साठे :**

श्री दया राम शाक्य :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री आर० डी० गट्टानी :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रेसीडेंट एस्टेट में मंत्रियों के 40 बंगलों का निर्माण करने हेतु कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो बनाई गई इस योजना का मुख्य ब्योरा क्या है ;

(ग) यह प्रस्ताव विचार/निपटान के किस चरण में हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने मन्त्रियों के वर्तमान बगलों वाले स्थान पर कर्मचारियों के लिये बहु-मंजिली इमारतों के निर्माण संबंधी कोई योजना बनाई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) यह निर्णय लिया गया है कि मन्त्रियों के लिए लगभग 3000 वर्ग फुट रिहायशी स्थान को छोटे मकानों का निर्माण किया जाए । यह प्रश्न राजपथ के उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों के बंगलों के पुनर्विकास के साथ विचराधीन है ।

(घ) जी, नहीं।

बीज निगम

2026. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक बीज निगमों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निगमों को किन किन स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त निगमों की स्थापना से देश में किसानों की बीजों की मांग को पूरा करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय बांज निगम के चरण 1 के अन्तर्गत पंजाब हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में राज्य बीज निगमों की स्थापना की गयी है और हाल ही में कार्यक्रम चरण-2 के अन्तर्गत कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार राज्यों में इसी तरह के निगमों की स्थापना की गयी है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य बीज निगम के कार्य को ग्रहण करने के लिए शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में तराई विकास निगम का पुनर्गठन किया जा रहा है ।

(ग) वर्ष 1975-76 में राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के आरम्भ होने से पहले बीज की औसत बिक्री करीब 1,34, 000 टन थी । अतिरिक्त निगमों की स्थापना होने से कार्यक्रम के अन्त तक यानी वर्ष 1981-82 में प्रमाणित बीज की उपलब्धता बढ़ कर 2,75,000 मीटरी टन हो जाने की संभावना है ।

Caves at Kalvi in Jhalawar District

*2027. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the caves at Kalvi in Jhalawar District of Rajasthan are being preserved by the Central Government and if so, the arrangements made for the preservation and safety of these caves;

(b) the steps being taken by the Government in order to maintain the historical importance of the caves and the history of the caves along with the details thereof; and

(c) number of caves destroyed so far due to rains and the number out of them preserved and the details of immediate arrangements being made to save them from destruction?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a), (b) and (c) Yes, Sir. The Caves at Kalvi in Jhalawar District of Rajasthan are identified as Buddhist Caves assignable to a period from 700 A.D. to 900 A.D.

The caves are protected by the Archaeological Survey of India. The caves which are excavated in a friable rock are in a fairly good state of preservation. According to the latest reports no cave has been destroyed due to rains.

Preservation works were carried out in the years 1973-74 and 1974-75 at a cost of Rs. 9990/- and Rs.8735/- respectively. A provision of Rs. 20,000/- has been made for in the current financial year's programme for the preservation of the caves. The itmes of repairs to be executed include clearance of debris, removal of jungle growth water-tightening and structural repairs.

Financial Assistance to U.P. for Small Irrigation Projects

2028. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance to be provided by the Central Government to Uttar Pradesh for small irrigation projects during the current year;

(b) whether the U.P. Government is finding it difficult to implement irrigation projects effectively due to paucity of funds; and

(c) if so, whether Government propose to increase the amount of assistance ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh):(a) According to the pattern in vogue, Central assistance to State Plan schemes is given in the form of block loans and grants for the State Annual plan as a whole and is not related to any particular head of development or scheme. However, based on the totality of State financial resources, the Planning Commission in consultation with the State Govt. and Central Ministries make recommendations in regard to sectoral outlays. The amount agreed by the Planning Commission for normal minor irrigation programme during the current year (1978-79) for U.P. State is Rs. 37.59 crores.

(b) The outlay provided during 1978-79 is appreciably higher than the approved outlays during the previous years as given below :

	(Rs. in crores)
1975-76 .	12.78
1976-77 . .	28.78
1977-78 . . .	32.35

The U.P. Government has not reported any difficulty in implementing the minor irrigation programme effectively due to paucity of funds.

(c) Does not arise in view of (b) above.

निर्यात के लिए चावल की उपलब्धता में वृद्धि

2029. **डा० बापू कालदाते :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकासशील देशों की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति में सहायता देने के लिए निर्यात हेतु उपलब्धता बढ़ाने के लिए चावल बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय ग्रुप द्वारा दिये किए सुझावों पर ध्यान दिया है, और

(ख) क्या इस बारे में सरकार ग्रुप से किसी सहायता की आशा रखती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) चावल के सम्बन्ध में अन्तर-सरकार दल जिसकी बैठक मार्च, 1978 में रोम में हुई थी, की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन से प्राप्त होने की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है । भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट के अनुसार दल का अनुमान यह था कि वर्ष 1978-79 के दौरान चावल की आयात आवश्यकताएं निर्यात प्राप्यता से अधिक होने की संभावना है। अतः दल ने यह सिफारिश की है कि (1) वे देश, जिनके पास अपनी धरेलू एवं आपातकालीन आवश्यकताओं और अन्य जरूरतें पूरी करने के पश्चात् चावल का अतिरिक्त भंडार है, निर्यात सप्लाई बढ़ाने हेतु सभी प्रयास करें, जिससे विकासशील देशों तथा विशेषकर अत्यधिक गंभीर रूप से प्रभावित देशों में मानव खपत की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें ; तथा (2) चावल की कमी वाले अनेक विकासशील देशों की भुगतान संतुलन संतुलन की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, वे सभी देश, जो ऐसा करने में समर्थ हैं, चावल की अपनी धरेलू सप्लाई अथवा चावल निर्यात करने वाले विकाशील देशों, जिनके पास निर्यात हेतु चावल उपलब्ध है, से चावल खरीद कर के यथासंभव अधिकतम सीमा में खाद्य सहायता के चावल घटक में वृद्धि करें।

चावल के संबंध में अन्तर सरकार दल केवल सिफारिश करता है तथा देशों को किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त हमें अपनी वर्तमान स्थिति में अपनी चावल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी सहायता की जरूरत अथवा आशा नहीं है।

केरल के धान उत्पादकों की कठिनाइयां

2030. **श्री बी०एम० सुधीरन्** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को केरल विशेषकर एलेप्पी के कट्टानेड स्थान पर धान उत्पादकों की कठिनाइयों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो किसानों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला केरल सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

रबी उत्पादन और वसूली

2031. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबी 1978 के दौरान गेंहूं, चना, जो, मटर, सरसों और तिल का मदवार कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) जून, 1978 तक राज्यवार , गेहूं और चना की कुल कितनी वसूली की गई तथा जुलाई तक उनका पहला स्टाक कितना था।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों से वर्ष 1977-78 की रबी फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, गेहूं का उत्पादन वर्ष 1976-77 में 290.8 लाख मीटरी टन से अधिक होने की सम्भावना है। जौ, चना, मटर तथा अन्य रबी की दालों और तौरिया के बीज एवं सरसों का उत्पादन भी वर्ष 1976-77 के स्तरों से अधिक होने की सम्भावना है।

(ख) 30 जून, 1978 तक वर्ष 1978-79 के रबी के विपणन मौसम के दौरान गेहूं तथा चने की राज्यवार अधिप्राप्ति को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास 1 जुलाई, 1978 को गेहूं का कुल स्टाक 122.7 लाख मीटरी टन चने का 22.4 हजार मीटरी टन था। इसमें पिछले वर्षों के दौरान अधिप्राप्त किए गए तथा आयातित गेहूं का शेष स्टाक भी शामिल है।

विवरण

30 जून, 1978 तक वर्ष 1978-79 के रबी के विपणन मौसम के दौरान गेहूं तथा चने की राज्यवार अधिप्राप्ति को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

(आंकड़े हजार मीटरी टनों में)

क्रम संख्या	राज्य	गेहूं	चना
1.	पंजाब	3153.6	2.3
2.	हरियाणा	928.2	11.0
3.	उत्तर प्रदेश	1140.8	15.4

क्रम संख्या	राज्य	गेहूं	चना
4.	राजस्थान	76.4	—
5.	मध्य प्रदेश	19.2	—
6.	बिहार	28.5	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	12.2	—
8.	हिमाचल प्रदेश	1.0	—
9.	मणिपुर	नगण्य	—
10.	असम	0.4	—
11.	पश्चिम बंगाल	15.7	—
12.	दिल्ली	18.0	—
13.	केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़	0.7	—
	योग	5394.7	28.7

नगण्य = 50 मीटरी टन से नीचे

दिल्ली में वक्फ सम्पत्तियों का प्रबन्ध

2032. **श्री एफ० एच० मोहसिन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वक्फ सम्पत्तियों के रखरखाव तथा प्रबन्ध के बारे में सरकार एवं मुसलमानों के बीच 1911 में अथवा उसके लगभग हुए समझौते के पुनरीक्षण के लिए भूतपूर्व पेट्रोलियम तथा रसायन सचिव, श्री बर्न की अध्यक्षता में एक समिति गाठत की गई थीं ;

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई अथवा की जानी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने अपमी रिपोर्ट पेश कर दी है इसकी सिफारिशें अनुलग्नक में दी गयी हैं। समिति की सिफारिशें उन सम्पत्तियों को भी अपने में समेट लेती है जो उल्लिखित करार नामे के अन्तर्गत नहीं आती हैं लेकिन विवादास्पद और ये विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित बताई गयी हैं।

(ग) अगस्त 1976 में भूतपूर्व निर्माण आवास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बने समिति सिफारिशों पर विचार करने के लिए स्थापित की गयी थी। उच्चस्तरीय समिति ने तीन बैठकों की लेकिन कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

तदोपरान्त यह निर्णय किया गया कि अधिकारियों की एक समिति की स्थापना का जाए जो बर्न समिति की रिपोर्ट के साथ लगे अनुलग्नकों में दी गई सूची की प्रत्येक सम्पत्ति की जांच करें और इस बारे में यह सुझाव दे कि प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में बर्न समिति की सिफारिश की कहां तक कार्यान्वित किया जा सकता है। तदनुसार निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा 15-9-77 को एक समिति की स्थापना की गयी थी।

समिति के अधिकारियों ने 6 बैठकें की जिनमें अपने कार्य में सहायता देने के लिए भूमि तथा विकास कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली वक्फ बोर्ड के सम्बन्धित अधिकारियों को समय-समय पर आमन्त्रित किया गया। क्योंकि समिति का एक सदस्य विदेश में नौकरी पर चला गया अतः 25-7-78 को समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

विवरण

बनें समिति की सिफारिशें

(क) मस्जिदें और दरगाहें :

(1) वक्फ सम्पत्तियां जो स्थल पर मौजूद हैं और नियमित रूप से प्रयोग में आ रही हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड/मुक्तावलियों को हस्तान्तरित कर दी जायेंगी और सरकार उन पर अपने स्वामित्व का दावा वापिस ले लेगी। वक्फ बोर्ड/मुक्तावलियों की बृहत योजना और नगर उपनियमों के अनुसार इन सम्पत्तियों के विकास करने की शक्तियां दी जाएंगी।

(2) वे वक्फ जो स्थल पर मौजूद नहीं हैं और जहां सरकार ने भवनों, पार्कों आदि का निर्माण किया है, सरकार को सौंप दिये जायेंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड इन सम्पत्तियों के प्रति अपना दावा वापस ले लेगा।

(3) वक्फ जो क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं लेकिन प्रयोग के योग्य हैं उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। सरकार ऐसी सम्पत्तियों के स्वामित्व के प्रति अपने दावे वापस ले लेगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी इन्हें बृहत्त योजना और नगर उप नियमों के अनुसार विकसित करने की अनुमति दे दी जाएगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड इन वक्फों को ऐसे अच्छे ढंग से विकसित करेगा जो इन क्षेत्रों के आस-पास के वातावरण के वास्तुकीय के अनुसार हो जहां वक्फ स्थित है। ऐसी सम्पत्तियों की दिल्ली राजपत्र अधिसूचना नहीं रहेगी और सरकार अपनी अधिसूचना के विरुद्ध न्यायालयों से मुकदमें वापिस ले लेगी।

(4) वक्फ जो क्षतिग्रस्त स्थिति में है और प्रयोग के काबिल नहीं है उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को नहीं सौंपा जाएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड का इन सम्पत्तियो के प्रति कोई दावा नहीं रहेगा यदि कोई करारनामा ऐसे वक्फों के बारे में होगा तो उसे समाप्त कर दिया जायेगा।

(ख) कब्रिस्तान :

(1) वे कब्रिस्तान जहां कब्रें मौजूद हैं जिन्हें इस प्रकार राजपत्रित किया गया है। सरकार सम्पत्तियों के प्रति अपने दावे वापिस ले लेगी और न्यायालयों से अपने मुकदमें भी हटा लेगी। बोर्ड को जहां सम्भव हो बृहत योजना और नगरीय उप-नियमों के अनुसार अनुरक्षण और विकास करने की अनुमति होगी। स्वामित्व, अनुरक्षण और विकास के अधिकार दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास होंगे और यदि ऐसे कब्रिस्तान के बारे में कोई करार होगा तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा।

(2) वे कब्रिस्तान जहां कब्रें मौजूद नहीं हैं और जिन्हें पार्कों में विकसित किया गया है या जिन पर सरकार या निगम प्राधिकारणों द्वारा भवनों का निर्माण किया गया है उनके बारे में दिल्ली वक्फ बोर्ड को क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी और उसके बाद वक्फ बोर्ड ऐसे कब्रिस्तानों के प्रति अपने दावे सरकार/नगर निगमों के हक में वापस लें लेगा।

रायगढ़ शिवनेरी और सिंहगढ़ किलों में शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना

2033. **श्री केशवराव धोंडगे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के शिवशाहिर बाबा साहेब पुरंदरे ने केन्द्रीय सरकार तथा पुरातत्वीय विभाग से महाराष्ट्र में रायगढ़ शिवनेरी और सिंहगढ़ आदि किलों में शिवाजी की प्रतिमाएं स्थापित करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है तथा उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Admission in Higher Classes in Universities in Delhi

*2034. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Educatioin, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Government are aware that large number of students of various colleges and University in Delhi are not getting admissions due to the shortage of seats in higher classes after getting through their examinations; and

(b) if so, whether Government are considering certain measures this year in this regard and if so, the nature thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder: (a) and (b) It is not possible for the University of Delhi and its colleges to admit all students, who pass their qualifying examination from Delhi University Colleges or other Universities, to higher Courses of Study for the reason that admissions have, of necessity, to be restricted to the number of seats available in each course. Nevertheless, the University is trying to accommodate is as large a number of students as possible to the post-graduate courses, keeping in view the available physical facilities. It has also introduced post-graudate courses through correspondence in some subjects.

राष्ट्रपति भवन में मंत्रियों के बंगलों का निर्माण

2035. **डा० बंसत कुमार पंडित :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रेसीडेंट एस्टेट काम्पलेक्स में मंत्रियों के बंगलों का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा अथवा निर्माण करने वाली कम्पनियों को टेंडर द्वारा दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा टेन्डर के आधार पर ठेकेदारों के जरिए कार्य निष्पादित कराया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल द्वारा नगरीय भूमि अधिकतम सीमा का अधिनियम का संशोधन

2036. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां ।

(ख) संशोधन के प्रस्ताव को बताना लोकहित में नहीं है । किन्तु अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन को अन्तिम रूप देते समय पश्चिम बंगाल सरकार के सुझाव पर विचार किया जायेगा।

कृषि स्नातक तथा उनको रोजगार

2037. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कृषि विश्वविद्यालयों से कितने छात्रों ने कृषि विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की है ;

(ख) क्या सभी डिग्री प्राप्त लोगों को रोजगार प्राप्त हो गया है और यदि नहीं, तो विभिन्न राज्यों में कितने स्नातक बेरोजगार रहे हैं ;

(ग) क्या नई कृषि तथा ग्राम विकास योजनाओं में लाभात्मक रूप में इनका प्रयोग करने के लिये सरकार ने कोई प्रस्ताव बनाये हैं, और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) से (घ) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

बंगलौर में केन्द्रीय सरकार के भवन

2038. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में केन्द्रीय सरकार के कितने भवन हैं और उनकी कुल लागत कितनी है ;

(ख) इन भवनों की मरम्मत के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बंगलौर में बहुत से ऐसे केन्द्रीय सरकार के भवन हैं जो टूट-फूट गये हैं और जिनकी मरम्मत नहीं हुई है ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) तथा (ख) जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का संबंध है अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है ।

मकानों की संख्या	पूंजी लागत	1977-78 के दौरान मरम्मत के लिए आबंटित धनराशि
		(लाख रुपयों में)
345 रिहायशी क्वार्टर और होस्टल	80.60	2.27
20 गैर-रिहायशी भवन	100.50	6.72

(ग) जी, नहीं ।

स्प्रिट तथा बियर की खपत में वृद्धि

2039. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली फुटकर शराब विक्रेता संघ द्वारा किये गये सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला है कि स्प्रिट तथा बियर दोनों की ही खपत बढ़ गई है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा देश में "शुष्क दिवसों" की संख्या बहुत अधिक करने तथा दुकानों की संख्या घटाने से हो रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन): (क) समाज कल्याण विभाग को ऐसे किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है ।

(ख) उपयुक्त (क) के कारण प्रश्न नहीं उठता ।

समुद्र तट के कटाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अनुदान

2040. **श्री डी० बी० पाटिल:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र सरकार ने इस राज्य में समुद्र तट के कटाव को रोकने के लिए अनुदान मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार को कितनी राशि के अनुदान दिऐ गऐ थे;

(ग) क्या भारत सरकार को इस बात का पता है कि अन्य स्थानों की तुलना में बम्बई शहर के निकट समुद्र तट का कटाव बड़े पैमाने पर हो रहा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके कारणों की जांच की गई है; और

(ड) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समुद्र द्वारा भूमि कटाव के बारे में पिछले तीन वर्षों में कोई अनुदान नहीं मांगा ।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) से (ड़): महाराष्ट्र सरकार से बम्बई के निकट समुद्र द्वारा भूमि कटाव होने के बारे में हाल में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले 1969 में महाराष्ट्र सरकार ने एक मामला भेजा था। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अब यह मामला केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान-शाला, पुणे के पास ताजा रिपोर्ट के लिए भेजा गया है, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

Meeting of Management and Union of Food Corporation of India

2041. **Shri Madan Tiwary :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a joint meeting of the management of the Food Corporation of India and its Employees' Union was held in New Delhi on 23rd May, 1978;

(b) if so, whether the question of departmentalisation of foodgrain depots of the Corporation was discussed in the meeting and certain decisions were taken therein and if so, the points on which the decisions were taken; and

(c) whether the management have implemented them fully and if not, the reasons therefor and the time by which these decisions will be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

राजस्थान नहर के लिए ईरान से सहायता

2042. **श्री चित्त बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार को ईरान सरकार से इस बीच वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इस वित्तीय सहायता की शर्तें क्या हैं ;

(ग) इस परियोजना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) फरवरी, 1978 में ईरान के शाहंशाह की भारत यात्रा की समाप्ति के समय जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार शहंशाह ने तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की कीमतों पर वार्षिक रूप से अतिरिक्त कच्चा तेल सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है। यह सप्लाई, उधार या एकमुश्त भुगतान के आधार पर, जैसा भी उचित होगा, की जाएगी। इन किस्तों या एकमुश्त राशि के बराबर की रुपया-राशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए किया जाएगा। राजस्थान नहर चरण-दो उन परियोजनाओं में से एक है जिनके लिए इस धन का उपयोग किया जाएगा। इसके ब्यौरे के बारे में ईरान सरकार के साथ अभी विचार-विमर्श किया जाना है और उसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) राजस्थान नहर परियोजना का चरण-एक, जिसमें 204 किलोमीटर लम्बी पोषक (फीडर) नहर, 189 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर और 3000 किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली शामिल है, लगभग पूरी हो गयी है। परियोजना का चरण-दो जिसमें चरण-एक के अनुक्रम में 256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर और लगभग 3500 किलोमीटर लम्बी वितरण प्रणाली का निर्माण शामिल है, प्रारम्भ कर दिया गया है। इस परियोजना में 15 मई, 1978 तक हुई प्रगति का वितरण नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	कार्य की मद	यूनिट	अनुमानित मात्रा	15-5-78 तक किया गया कार्य
1	2	3	4	5
चरण-एक :				
1.	राजस्थान फीडर	(203 किलोमीटर लम्बी)	जून, 1964 तक पूरी हो गई।	
2.	राजस्थान मुख्य नहर	(189 किलोमीटर लम्बी)	जून, 1975 तक पूरी हो गई।	

1	2	3	4	5
3.	**वितरण प्रणाली :**			
	किलोमीटर 0—74			
	मिट्टी का कार्य	हजार घनमीटर	37,785	37,478
	लाइनिंग कार्य	किलोमीटर	1,850	1,392.05
	किलोमीटर 74—189			
	मिट्टी का कार्य	हजार घनमीटर	8,626	8,557
	लाइनिंग कार्य	किलोमीटर	715.66	711.09
	पुगल शाखा प्रणाली :			
	पुगल मुख्य शाखा			
	मिट्टी का कार्य	हजार घनमीटर	6,416	पूरा हो गया।
	लाइनिंग कार्य	किलोमीटर	66	65.09
	पुगल शाखा की वितरण प्रणाली :			
	मिट्टी का कार्य	हजार घनमीटर	11,113	8,528 (मार्च (और मई)
	लाइनिंग कार्य	किलोमीटर	280.81	195.49 वही-)
	लूणकर्णसागर बीकानेर			
	लिफ्ट चैनल	(152 किलोमीटर)	दिसम्बर, 1976 तक पूरी हुई।	
	लिफ्ट नहर की वितरण प्रणाली :			
	मिट्टी का कार्य	हजार घनमीटर	2,450	2,188
	लाइनिंग कार्य	किलोमीटर	158.36	157.78
	पक्के जल मार्ग	किलीमीटर	1021.50	765.35
चरण–दो :				
4.	**राजस्थान मुख्या नहर :**			
	मिट्टी का कार्य	हजार घनमीटर	63,721	15,759
	लाइनिंग कार्य	किलोमीटर	256	54.12
5.	**जल सप्लाई चैनल**			
	मिट्टी का कार्य	हजार घनमीटर	15,292	13,617
6.	**वितरण प्रणाली :**			
	मिट्टी का कार्य	हजार घनमीटर	75,000	8,962
	लाइनिंग कार्य	किलोमीटर	3,500	16.83

मध्य प्रदेश में जलावृष्टि के कारण क्षति बिषयक केन्द्रीय अध्ययन दल का प्रतिवेदन

2043. **श्री निर्मल चन्द जैन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री बहु बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण हुई क्षति का निर्धारण करने के लिये भेजे गये केन्द्रीय दल ने क्षति के बारे में क्या निर्धारण किया है ; और

(ख) यदि इस बारे में कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय दल को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार ओलावृष्टि से 5492 ग्रामों के अन्तर्गत 5.45 लाख हैक्टर के क्षेत्र में रबी की फसलों को क्षति पहुंची थी। 745 पशुओं तथा 5 व्यक्तियों की जानें गईं और 16,000 घर भी आंशिक अथवा पूर्ण रूप से नष्ट हुए। प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने हेतु निम्नलिखित योजनाओं के लिए 6.45 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता का नियतन करने का निर्णय किया गया है :—

1. कृषि आदानों के लिए राज सहायता	1.20 करोड़ रुपए
2. लघु सिंचाई	1.55 ,, ,,
3. ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें	2.40 ,, ,,
4. पेय जल की सप्लाई	1.00 ,, ,,
5. नष्ट हुई झोंपड़ियों का पुनर्निर्माण करना	0.30 ,, ,,

भारतीय खाद्य निगम को कहा गया है कि वह निःशुल्क राहत के रूप में वितरण करने के लिए राज्य सरकार को 5,000 मीटरी टन गेहूं निर्मुक्त करे।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली में साक्षरता

2044. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में साक्षरता की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा अभियान और कक्षायें चलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या दिल्ली में कुछ संगठन प्रौढ़ शिक्षा कक्षायें चला रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 में कितना वित्तीय अनुदान दिया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 1971 की जन-गणना के अनुसार 0–4 आयु-वर्ग को छोड़कर साक्षरता की प्रतिशतता 6508 है।

(ख) दिल्ली प्रशासन का प्रस्ताव, 2 अक्तूबर, 1978 से आरम्भ किए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप, में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में वर्तमान वर्ष के दौरान 2000 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने का है।

(ग) जी, हां ।

(घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित संगठन प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं का आयोजना कर रहे हैं :—

क्रम सं०	संगठन का नाम	केन्द्रों का नाम	स्वीकृत वित्तीय अनुदान	
			1976-77	1977-78
			रुपये	रुपये
1.	कार्यरत माताओं के बच्चों के लिए चल शिशु-केन्द्र	20	—	64,000
2.	दिल्ली प्रौढ़ ऐसोसिएशन.	6	—	—
3.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ	—	—	7,050
4.	महिला पारस्परिक सहायता सोसायटी	50	36,594	62,775
5.	डा० ए० वी० बालिगा प्रतिष्ठान	5	—	—
6.	कार्यरत महिलाओं का राष्ट्रीय प्रतिष्ठान	15	—	—

इसके अतिरिक्त, यंग वीमेन क्रिशिचियन एसोसिएशन तथा कुछ अन्य संगठन/संस्थाएं भी कुछ केन्द्र चला रही हैं।

सिंचाई जल शुल्क को पुनरीक्षित करने के लिये योजना आयोग की सलाह

2035. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले भारत के योजना आयोग ने कुछ राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया था कि सिंचाई जल शुल्क की हाल की दरों की पुनरीक्षित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने सिंचाई जल शुल्क में परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया है ;

(ग) योजना आयोग द्वारा यह कदम उठाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सिंचाई दरों में वृद्धि के कारण राज्य सरकारों को कितनी अतिरिक्त राशि मिलने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) 1975-76 के दौरान देश में कुछ चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुछ विशेष अग्रिम योजना सहायता को स्वीकृति देते समय योजना आयोग ने यह शर्त लगाई थी कि इन अतिरिक्त परिव्ययों की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि राज्य सरकारें अपनी जल-दरों में संशोधन करने के लिए 1975-76 में पक्के तौर पर फैसला करेंगी ताकि राज्य की सिंचाई प्रणालियों से इतनी आमदनी हो, जिससे कि उनके कार्यचालन-व्यय को पूरी तरह पूरा किया जा सके। आगे यह भी उल्लेख किया गया था कि यह कदम एक निश्चित अवधि के अन्दर जल-दरों को लाभप्रद स्तर तक (अर्थात् उतनी दरें जिसे व्याज प्रभार और कार्य-चालन व्यय दोनों की पूर्ति हो सके) पहुंचाने की दिशा में पहला कदम है।

उस समय 1976-77 के दौरान कार्य-चालन व्यय को पूरी तरह पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और कर्नाटक के राज्यों में जल-दरों के स्तर पर्याप्त थे । बिहार, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मामले में ऐसा नहीं था जिन्होंने भी अपनी परियोजनाओं के लिए ऐसी विशेष अग्रिम योजना सहायता प्राप्त की थी। इन राज्यों ने भी अपनी जल-दरों में संशोधन किया है अथवा उनको संशोधित करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

(घ) सिंचाई दरों के बढ़ाए जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों द्वारा प्रति वर्ष प्राप्त की जाने वाली अतिरिक्त राशि नीचे दी जाती है :—

क्रम सं	राज्य	राशि (करोड़ रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.66
2.	बिहार	1.50
3.	गुजरात	0.83
4.	हरियाणा	3.95
5.	जम्मू और कश्मीर	0.4
6.	कर्नाटक	2.05
7.	केरल	0.55
8.	महाराष्ट्र	2.67
9.	उड़ीसा	0.50
10.	राजस्थान	1.83
11.	उत्तर प्रदेश	4.00
12.	पश्चिम बंगाल	0.22

अपना मकान बनाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास के पुनः आवंटन

2046. **श्री बालक राम :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने अपना मकान होने के कारण सरकार के 1975 में लिये गये निर्णय के अनुसरण में सरकारी आवास खाली कर दिये थे, उनका टाइप वार अर्थात टाइप एक, दो, तीन और चार आदि का ब्यौरा क्या है और क्या उनको सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें सरकारी आवास का आवंटन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन अधिकारियों, जिनके अपने मकान हैं, का पृथक रिकार्ड नहीं रखा जाता, उन्हें उन अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है जिनके अपने मकान हैं। उन्हें सरकारी वास का आवंटन उन की बारी के अनुसार ही किया जाएगा।

इन्स्टीट्यूट आफ तिब्बतन स्टडीज वाराणसी

2047. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्स्टीचयूट आफ तिब्बतन स्टडीज वाराणसी को गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने कितना अनुदान किया है, और

(ख) क्या सरकार इस राशि में कोई वृद्धि करना चाहती है और इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र):

(क)	1975-76	6.50 लाख रुपये
	1976-77	6.50 लाख रुपये
	1977-78	10,32,180 रुपये

(ख) संस्थान के विकास के लिए छठी योजना में और अधिक प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है। ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

More Grants to Universities in Backward States

†2048. **Shri Ram Sewak Hazari :**
Shri C.K. Jaffer Sharief:

Will the Minister of **Education, Social Welare and Culture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more amount by way of grant was given to certain Universities during the past few years ;

(b) whether Government have taken any steps to give more amount to the Universities of backward States in accordance with its new policy, if so, the details thereof ; and

(c) what steps Government propose to take in future in this direction ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder

(a) In the past, during each Plan Period within the overall outlay placed at the disposal of the Commission during a plan period, a rough indication of the ceiling allocation for each University, based on its, size, stage of development, number of courses and other relevant factors, was given. Development proposals of each University were then examined keeping this allocation also in view. In this process, certain universities received more grant compared to others.

(b) and (c) : The basis for payment of development grants to Universities during the Five Year Period 1978-83 has not yet been finalised.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास ऋण देने में ढील

2049. **श्री डी० आमत:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास ऋण देने के नियमों में ढील दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां।

(ख) गृह निर्माण अग्रिम नियमों में हाल ही में ढील दी गई है जो इस प्रकार है :—

पति और पत्नी दोनों का वेतन को केन्द्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अर्ध-सरकारी संस्थानों या स्थानीय निकायों, में क्रय करते हैं, फ्लैटों की खरीद या मकानों के निर्माण में अंकां जाता

है बशर्ते कि लागत की अधिकतम सीमा 50,000 या पति और पत्नी दोनों का 75 मास का वेतन इस में से जो भी अधिक हो बढ़नी नहीं चाहिये लेकिन इसकी भी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपये होगी। तथापि, अधिक से अधिक गृह निर्माण अग्रिम पहले की भांति सरकारी कर्मचारी के 75 मास के वेतन या 70,000 या उसकी पुनः अदायगी की क्षमता तक सीमित रहेगा।

अब गृह निर्माण अग्रिम गैर सरकारी पार्टियों से मकानों/फ्लैटों की खरीद के लिये भी अनुज्ञेय होगा और वह इस शर्त पर कि खरीदे जाने वाले फ्लैट और मकान नये और खाली हों और मकानों/फ्लैटों के मूल्य का मूल्यांकन आवेदकों ने अपने खर्चे से पंजीकृत मूल्यांकन से करवाया हो।

भारत में विश्वविद्यालय

2050. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में राज्यवार विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : 1-7-1978 तक की स्थिति के अनुसार भारत में विश्वविद्यालयों की राज्यवार कुल संख्या इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य	विश्वविद्यालयों की संख्या	विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	1
2	असम	3	शून्य
3.	बिहार	8	1
4.	गुजरात	8	1
5.	हरियाणा	3	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	1	शून्य
7.	जम्मू और कश्मीर	2	शून्य
8.	कर्नाटक	4	1
9.	केरल	4	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	10	शून्य
11.	महाराष्ट्र	10	1
12.	मेघालय	1	शून्य
13.	उड़ीसा	4	शून्य
14.	पंजाब	3	शून्य

1 2	3	4
15. राजस्थान	3	1
16. तमिलनाडु	4	1
17. उत्तर प्रदेश	19	1
18. पश्चिम बंगाल	8	शून्य
संघ शासित क्षेत्र :		
1. चण्डीगढ़	1	शून्य
2. दिल्ली	2	2
कुल	106	10

Threat to Delhi Due To rise in Jamuna Level

†2052. **Shri Rajkeshar Singh:** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state : (a) whether the rise in the level of the Yamuna water has posed a threat to Delhi and its adjoining villages, and

(b) if so, the measures taken or proposed to be taken to meet the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh : (a) and (b) With the extension this year of the river embankment upstream of the Wazirabad Barrage up to Haryana border, almost the entire area on both banks of Yamuna in Delhi Territory bas been protected by Delhi Administration against flooding from the Yamuna. Even the 13 villages in this area upstream of Bawana Escape above Wazirabad Barrage which used to get flooded so far, have now been protected. The Delhi Administration is also considering a proposal of constructing a marginal embankment along the river parallel to the Agra Canal (which at present serves as an embankments) downstream of Okhla on the rightbank of the river. However, 3 villages, namely, Wazirabad, Jagatpur, and Gopalpur, which lie between the river and the embankments get surrounded by flood waters during floods in Yamuna. The efforts made for shifting these villages outside the embankments have not been successful because of opposition from the people of these villages.

However, due to a breach in the embankment of Drain No. 6, village Jindpur and its surrounding areas were flooded on 11th July when Yamuna crossed the danger level at the Railway Bridge. The breach was closed on the next day.

Alternative House Sites to Persons Loni Road Resettlement Scheme's Delhi

2053. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some persons in the Loni Road Resettlement Scheme have now been allotted alternative plots in Haiderpuri Resettlement Scheme by Delhi Development Authority;

(b) if so, the number of such persons ;

(c) whether these are undeveloped plots and if so, the stage of the development; and

(d) whether keeping in view this fact that the said persons are experiencing difficulties for more than last two years, these plots will soon be developed and if so, the time by which these plots will be developed and the said persons allowed to construct houses ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht):

(a) Yes, Sir.

(b) 463.

(c) The detailed surveying and levelling of the entire area has been completed. Preliminary estimates for development of the land are under sanction and the work of preparation of services plan for water supply, sewerage and drainage is in hand.

(d) The Delhi Development Authority have reported that the time required for completing the development work is about two years after the same is taken up.

Ministerial Bangalows

2054. **Shri Hukmdeo Narayan Yadav :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state: the area of land in each of the bungalows allotted to Ministers and Ministers of State, the value thereof at market rates, the expenditure incurred on their construction and the monthly recurring expenditure in respect of entire upkeep of these bungalows ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : The area under each bungalow and cost of construction area as in the statement attached. The average monthly expenditure on the upkeep and maintenance of the bungalows is about Rs. 1.2 lakhs. The notional market value of land for residential use in these areas is generally Rs. 300 per sq. metre.

Statement

Statement showing area of land and cost of construction of each Bungalow allotted to Hon'ble Ministers and Ministers of State including Prime Minister.

Sl. No.	Name of Hon'ble Ministers	Bungalow No.	Plot area	Capital cost of building
1	2	3	4	5
	S/Shri		Sq. metre	Rs.
1.	Morarji Desai	1-Safdarjung Road	11736	
		1-Akbar Road	11331	5,14,496
		1-S.G. Lane	5989	
2.	S.S. Barnala	11-Race Course Road	6880	95,525
3.	H.N. Bahuguna	5, Sunehari Bagh Rd.	13112	97,775
4.	Mohan Dharia	17, Akbar Road	11291	81,701

1	2	3	4	5
5.	P. C. Chunder	7, Krishna Menon Marg	12464	92,237
6.	Brij Lal Verma	10, Raisina Road	5949	93,113
7.	Jagjivan Ram	6, Krishna Menon Marg	12464	1,30,803
8.	P. Rama Chandran	12, Janpath	14650	1,17,771
9.	Atal Behari Vajpayee	7, Safdarjang Road	7892	83,665
10.	H. M. Patel	2, Akbar Road	11331	55,589
11.	George Fernandes	9, Moti Lal Nehru Marg	9308	1,04,540
12.	L. K. Advani	C-I/5 C-1/6 Pandara Park	1634	1,02,010
13.	Shanti Bhushan	7, Race Course Rd.	5261	1,04,195
14.	Ravindra Verma	12, Akbar Road	9046	1,48,640
15.	Madhu Dandavate	8, Krishna Menon Marg	12464	1,00,690
16.	P. L. Kaushik	1, Tughlak Road	6070	63,749
17.	Sikander Bakht	5, Safdarjang Road	11736	1,05,490
18.	Biju Patnaik	12, Tughlak Road	7163	53,822
Minister of State				
19.	Bhanu Pratap Singh	22, Akbar Road	11291	56,295
20.	K. K. Goel	36, Aurangzeb Road	9634	60,586
21.	Narhari Prasad Sukhdeo Sai	21, Ashoka Road	7891	1,07,684
22.	Smt. Renuka Devi Barkataki	14, Akbar Road	11291	62,172
23.	Dhanna Singh Gulshan	1, Sunehri Bagh Rd.	5260	78,595
24.	Prof. Sher Singh	3, Krishna Menon Marg	12464	1,08,273
25.	Fazul Rehman	8, Teen Murti Marg	11493	52,848
26.	S. Kundu	1, King George Avenue	8539	50,111
27.	Satish Aggarwal	2, Jantar Mantar Rd.	8689	1,26,748
28.	Zulfiquarullah	31, Aurangzeb Road	7487	44,584
29.	Jagdambi, Prasad Yadav	5, Janpath	3330	82,542
30.	S. D. Patil	12, Safdarjang Road	7082	75,286
31.	Smt. Abha Maiti	9, Akbar Road	3182	1,06,541
32.	Larang Sai	10, Janpath	4465	1,70,567
33.	Dr. Ram Kirpal Sinha	10, Ashoka Road	7689	93,622
34.	Chand Ram	1, Motilal Nehru Marg	7851	61,122
35.	Karia Munda	19, Safdarjang Road	7082	64,185
36.	D. L. Mandal	15, Pt . Pant Marg	1431	43,865
37.	Sheo Narain	5, Tughlak Road	2418	35,335
38.	Arif Beg	6, Raisina Road	2467	78,164

Construction of LIG/MIG Houses By D.D.A.

2055. **Shri Sharad Yadav** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of persons registered with Delhi Development Authority for Lower Income Group and Middle Income Group houses respectively;

(b) whether this number is increasing day by day; and

(c) the time by which the Delhi Development Authority will construct all the Lower Income Group and Middle Income Group Houses for the people in Delhi ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) (a) : The intention perhaps is to know the number of persons awaiting allotmentt. 9050 persons registered under MIG and 8304 under LIG are awaiting allotment. In addition 98 MIG and 50 LIG persons registered under Retiring Public Servants category are awaiting allotment.

(b) The Delhi Development Authority invites applications for its various registration schemes from time to time. The number of persons applying for different categories of flats built by the Delhi Development Authority is increasing.

(c) The demand of persons registered under general Registrsion Schme is likely to be satisfied in stages in about 4 years.

सरकारी आवास का आवंटन

2056. **श्री सुधीर घोषाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 वर्ष से अधिक सेवा वाले केन्द्रीय सरकार के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को अभी तक कोई सरकारी आवास आवंटित नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनको सरकारी आवास कब तक प्राप्त हो जायेंगे और इस समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की पूर्ववर्तिता तिथि क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, आदि जैसे अधिकांश स्थानों में।

(ख) सरकार ने विभिन्न महानगरों में बड़ी संख्या में मकानों के निर्माण का त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस त्वरित कार्यक्रम के पूरा हो जाने के पश्चात आवास स्थिति सुधर जायेगी।

(ग) कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार आवंटन नही किया जाता किन्तु जिस टाईप के पात्र होते हैं उसके अनुसार किया जाता है। टाइप I तथा टाइप II में प्राथमिकता तिथि भिन्न-भिन्न शहरों में भिन्न-भिन्न है।

डी० डी० ए० द्वारा निर्मित जनता फ्लैटों की अत्याधिक कीमत वसूल किया जाना

2057. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि डी०डी०ए० द्वारा निर्मित जनता फ्लैट 'स्व वित्त पोषित आवास योजना' के अधीन पंजीकृत आवेदकों को अत्याधिक कीमत पर अर्थात् एक कमरे वाले फ्लैट के लिए 70,000 रुपये और तीन कमरे वाले फ्लैट के लिए सवा लाख रुपये कीमत की दर से बेचे जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार डी०डी०ए० द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों को इस प्रकार शोषण किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त) : (क) स्वत: वित्तीय आवास योजना के अन्तर्गत फ्लैट बिना आय का भेदभाव किये उन व्यक्तियों की आवंटित किए जाने हैं

जो इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत है। इस वर्ग के फ्लैटों को जनता फ्लैट नहीं कहा जा सकता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेपाली भाषा का विकास

2058. **डा०कर्णसिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाखों भारतीय नागरिक ऐसे हैं जिनकी मातृभाषा नेपाली है; और

(ख) यदि हां, तो इस भाषा के विकास के लिये उनके मंत्रालय द्वारा क्या सहायता दी जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) 1971 की जनगणन के अनुसार गोरखाली/नेपाली बोलने वाले 14,19,835 हैं।

(ख) साहित्य अकादमी ने नेपाली में दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं और इस भाषा के लिए पुरस्कार भी शुरू किये हैं। यह भाषा, भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति की योजना के अन्तर्गत अनुदान की भी पात्र है ।

दिल्ली में मिडिल स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाना और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (पी० ई० टी०) के पद बनाना

2059. **श्री हलीमुद्दीन अहमद**: क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा, निदेशालय दिल्ली ने 1 नवम्बर, 1972 के बाद लड़कों और लड़कियों के कितने मिडिल स्कूलों का दर्जा बढ़ाया ;

(ख) कितने नये उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गये थे ; और

(ग) जूनियर शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (जूनियर पी० ई० टी०) के कितने पद बनाये गये थे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार स्तरोन्नत किए गए मिडिल स्कूलों की संख्या निम्न-लिखित है :–

लड़के	लड़कियां	कुल
23	18	41

(ख) इस अवधि के दौरान खोले गए नए उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या इस प्रकार थी :–

लड़के	लड़कियां	कुल
28	22	50

(ग) दिल्ली में शिक्षा सुविधाओं के सन्तुलित वितरण की आवश्यकता को देखते हुए स्कूलों के विलय के कारण कनिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 71 पदों को समाप्त करने के पश्चात् इस अवधि के दौरान कनिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 74 नए पदों का सृजन किया गया था।

कच्छ जिले में केन्द्रीय विद्यालय

2060. **श्री अन्नत दवे:** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ जिला एक पिछड़ा जिला है और वहां केन्द्रीय सरकार के डाक तथा तार विभाग रेलवे, सीमा शुल्क, आयकर, एफ० सी० आई, सेना मुख्यालय, सीमा सुरक्षा दल तथा वायु सेना जैसे कार्यालय स्थिति हैं ;

(ख) क्या उस जिले में केन्द्रीय विद्यालय नहीं हैं ;

(ग) क्या उस क्षेत्र से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) इस समय कच्छ में कोई केन्द्रीय विद्यालय स्थित नहीं है। केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संगठनों द्वारा, जो 15 एकड़ भूमि और केन्द्रीय विद्यालय संगठन का भवन बन जाने तक केन्द्रीय स्कूल चलाने के लिए अस्थायी भवन देने को सहमत हो जाते हैं, विधिवत प्रायोजित प्रस्तावों के आधार पर उन सिविल स्टेशनों पर प्रति वर्ष केवल चार केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं जहां रक्षा कर्मचारियों सहित काफी संख्या में स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी रहते हैं। कच्छ जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है।

भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भाण्डारागार निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूजिचत जन-जातियों के लिये आरक्षण

2061. **श्री छबिराम अर्गल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भांडागार निगम में आरक्षण के बारे में सरकारी अनुदेश पहली बार कब जारी किये गये थे ;

(ख) 1 जनवरी, 77 को श्रेणी I,II,III तथा IV में कितने अधिकारी रोल पर थे, उनकी नियुक्ति तिथियां क्या हैं और केन्द्रीय भांडागार निगम में प्रत्येक सम्वर्ग में बाद में कितनी पदोन्नतियां हुईं और इस संगठन में पदोन्नति की प्रक्रिया क्या है ;

(ग) 1 जनवरी, 77 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये निर्धारित दरों के अनुसार सीधी नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों में कितने स्थान आरक्षित किये गये हैं ;

(घ) आरक्षित कोटे में 1 जनवरी, 77 तक कितने स्थान भरे गये तथा पदों का भरा जाना शेष रह जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या आरक्षित कोटे के शेष रहे पदों पर नियमित कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया जाता है और यदि नहीं, तो वर्तमान कर्मचारियों के बारे में विचार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकारी उद्यम ब्यूरों के निदेश के आधार पर खाद्य विभाग ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण का अनुपालन करने संबंधी अनुदेश भारतीय खाद्य निगम/ केन्द्रीय भाण्डागार निगम को 29-9-69 को जारी किए

थे। तथापि, उक्त निगम सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य अनुदेशों के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण का 29-9-69 से भी पहले की तारीखों से अनुपालन कर रहे हैं।

(ख), (ग), (घ) और (ङ): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Floods in Kama, District Bharatpur, Rajasthan

†2062. **Shri Ram Kishan :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there has been great loss of life and property as a result of floods in Kama district Bharatpur in Rajasthan for the last several years and whether this loss has been suffered because Haryana and Uttar Pradesh have not implemented fully the agreement reached for draining out flood water ;

(b) whether the Irrigation Minister of Rajasthan has written a letter to him (the Union Minister) making a demand for take over by the Central Government the management of the nullah which drains out flood water so that justice may be done to the three States signing this agreement; and

(c) if so, the decision taken by the Central Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) (a) The Kama area of Bharatpur district in Rajasthan has been subjected to inundation due to floods during the years 1976 and 1977, on account of drainage congestion for considerable periods, which is mainly attributable to the inadequate capacity of the inter-State drainagesystem which has been serving this area.

(b) and (c) The Irrigation Minister of Rajasthan has addressed the Union Minister for Agriculture and Irrigation requesting for the take-over of the operational control by the Centre.

A draft resolution for the Centre taking over the operational control of the Ujjina-Pahari-Kama-Goverdhan Drainage System has been formulated and sent to the Governments of Haryana, Rajasthan, and U.P. for their views and for conveying their acceptance to the proposals. Replies have been received from the state Governments mentioning certain reservations on the proposals.

संयुक्त नदी आयोग की बैठक

2063: **श्री किरित विक्रम देव बर्मन**
श्री ईश्वर चौधरी :
श्री डी० अमात :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री सी० आर० महाटा :
श्री लखन लाल कपुर :
श्री जी० एम० बनतवाला :
डा० बापू कालदाते :
श्री श्याम सुन्दर गुप्त :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष भारत और बंगलादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बैठक में बंगलादेश द्वारा फनी नदी में "स्पर" बनाये जाने और उसके परिणामस्वरूप त्रिपुरा के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाने के प्रश्न पर विचार किया था यदि हां, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या उस बैठक में बंगलादेश और भारत द्वारा अन्य प्रस्तावों पर विचार किया गया था और उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1978 में हुई संयुक्त नदी आयोग की पंद्रहवीं बैठक में रामगढ़/साबूराम और दोलबारी/बेगमबाजार में फनी नदी से कटाव की समस्याओं पर विचार किया गया था। आयोग ने यह निर्णय किया है कि संयुक्त नदी आयोग के दो सदस्य, प्रत्येक देश से एक, संयुक्त रूप से उस स्थल का बेगमबाजार/ दोलबारी सहित दौरा करेंगे और उपर्युक्त सिफारिशें देंगे ।

(ग) पंद्रहवीं बैठक में आयोग ने मुख्य रूप से दो मदों (1) गंगा के बहाव में सूखे के मौसम में वृद्धि करना, और (2) सीमा नदी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया था। उपर्युक्त (1) के संदर्भ में प्रत्येक देश के प्रस्तावों पर प्रारंभिक विचारों का आदान-प्रदान किया गया। भविष्य की बैठकों में विचार-विमर्श/ अध्ययन जारी रहेंगे। उपर्युक्त (2) के बारे में स्थिति का अध्ययन करने के लिए संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया जायेगा और तब आगे की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

Grants to Sagar University

*2064. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 672 on 10th April, 1978 regarding grant to Universities in M.P. and state :

(a) the amount sought by the Sagar University from 1975-76 to 1977-78, year-wise, as a grant; and

(b) whether the grant provided by the Government yearwise is less than required, and if so, whether Government propose to increase the grant and the items on which the amount of grant is being spent ?

Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) and (b) : The University Grants Commission does not sanction development grants to any University on the basis of its annual requirements. Therefore, the question of comparing the annual demands made for the years 1975-76 to 1977-78 with the actual grants sacntioned against them or increasing development grants on that basis, does not arise.

According to the procedure followed by the Commission, the total development requirements of any particular University for a 5-year plan period are determined on the basis of the recommendations of a Visiting Committee which scrutinises the programmes proposed by the University concerned. Tne development grants approved by the Commission for the Sagar University during the Fifth Plan period are as follows :

Items of Expenditure	Estimated Cost
	(Rupees in lakhs)
Books	28.00
Equipment	39.49
Building	38.65
Staff	25.79
Visting Professor	1.50
Research Fellows	3.00
Others	5.22

The proposals of the University for development of Departments of Geography and Applied Geology, provision of an Auto-Exchange for 100 lines, and construction of Canteen are still under consideration.

Grants are actually released by the Commission against the approved allocation, depending upon the progress of expenditure on various items and that anticipated during a particular year.

Besides the development grants mentioned above, the Commission also provides assistance to Universities for Student amenities, publications and in the form of unassigned grants according to the norms prescribed by the Commission.

Grant to Ravi Shanker University

†2065. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 672 on the 10th April, 1978 regarding grants to Universities in M.P. and State :

(a) the amount asked for by Ravi Shanker University as grant and the figures thereof for the period from 1975-76 to 1977-78 year-wise;

(b) whether the amount given by the Government as grant for the above period is not less than required;

(c) if so, whether Government propose to increase the amount of grant in future; and

(d) the heads on which this amount of grant is spent ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) to (d) The University Grants Commission does not sanction development grants to any University on the basis of its annual requirements. Therefore, the question of comparing the annual demands made for the year 1975-76 to 1977-78 with the actual grants sanctioned against them or increasing development grants on that basis, does not arise.

According to the procedure followed by the Commission, the total development requirements of any particular University for a 5-year plan period are determined on the basis of the recommendations of a Visiting Committee which scrutinises the programmes proposed by the University concerned. The development grants approved by the Commission for the Ravi Shankar University during the Fifth Plan period are as follows :—

Item	Estimated Cost
	(Rs. in lakhs)
Equipment	26.85
Books	23.00
Building	10.25
Visiting Professor	1.50
Staff	15.99
Research Fellows	2.00

Proposals for the establishment of a Post-graduate department of Geology and a post of Lecturer for Anthropology are under consideration.

Grants are actually released by the Commission against the approved allocation, depending upon the progress of expenditure on various items and that anticipated during a particular year.

Besides the development grants mentioned above, the Commission also provides assistance to Universities for Student amenities, publications and in the form of unassigned grants according to the norms prescribed by the Commission.

Printing of Annual Reports of various Ministries

2066. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) which of the Government of India Presses at Ring Road, Minto Road and Faridabad were given the job of printing the annual reports of Government of India from 1st January, 1978 to 7th April, 1978;

(b) the names of the presses where minimum and maximum over-time allowance was paid per worker, per month and the total amount thus paid between January 1 to March 31, 1978;

(c) the time taken in the publication of each report and when the reports were sent back to the Ministries; and

(d) whether special orders were issued to allow or not to allow over-time work in the Press at Faridabad; if so, whether a copy of the said orders will be laid on the Table of the House ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) (a) Government of India Presses at Ring Road, New Delhi and Faridabad.

(b) The information is given in Annexure-I.

(c) The information is given in Annexure II to V.

(d) No, Sir.

[Placed in Library. See.-No. LT./2532/78].

शांति निकेतन, नई दिल्ली में स्कूल भवन के लिये निर्धारित किये गये प्लाट का दुरुयोग

2067. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या शांति निकेतन, जो नई दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति है, में स्कूल भवन के लिय आरक्षित पहाड़ी जैसे प्लाट/ भूमि को प्रयोग जन सुविधा के स्थान के रूप में किया जा रहा है और मानव और पशुओं के इस मल-मूत्र से आसपास के निवासियों के लिय निरतंर स्वास्थ्य का खतरा बना हुआ है ;

(ख) क्या उक्त समिति को सुझाव दिय गय हैं कि वह इस प्लाट में से प्लाट काटे जहां 10 वर्षों से अधिक समय से स्कूल नहीं बना है ; और

(ग) कुछ समय पूर्व बाड़ लगाय जाने के उपरान्त भी यह सार्वजनिक खतरा बना हुआ है और यहां पर वर्षा ऋतु में मक्खियों और मच्छर पैदा हो जाते हैं और वातावरण खतरनाक हो जाता है और इस प्लाट को उपयोग करने के लिय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क), (ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान से प्राप्त स्वीकृति हेतु विचाराधीन सिंचाई परियोजनाएं

2068. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार से सिंचाई परियोजनाओं के लिय प्राप्त हुए उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) उन पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त नई सिंचाई परियोजनाओ की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।

(1) नोहर सिंचाई परियोजना :

केन्द्रीय जल आयोग में यह परियोजना 1-8-1977 को प्राप्त हुई थी और इसकी अनुमानित लागत 790.42 लाख रुपय है। इस परियोजना में ओट्टू वीयर के जरिय घग्घर नदी के बाढ़ के पानी का समुपयोजन करना परिकल्पित है एवं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में अंशत: जल-प्रवाह द्वारा और अंशत: 60 फुट तक लिपट करके 25,850 हैक्टयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था होगी।

(2) गेसुन्दा सिंचाई परियोजना :

केन्द्रीय जल आयोग में यह परियोजना 4-8-1975 को प्राप्त हुई थी और इसकी अनुमानित लागत 607.20 लाख रुपये है। इस परियोजना में चम्बल नही की एक सहायक नदी बेराव नदी पर 66 मिलियन घन मीटर को ऊपर की मात्रा में सक्रिय जल-संचय के साथ संचय के साथ एक जल-संचयन बांध का निर्माण करना परिकल्पित है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिल में 9,570 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था होगी।

(ख) राज्य सरकार के साथ परामर्श से विस्तृत जांच करने के पश्चात् परियोजना के तकनीकी ब्यौरों और आर्थिक व्यवहार्यता को अंतिम रूप दिया जाना है। परियोजना के इन पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग के प्रेक्षणों को समय-समय पर राज्य सरकार को भेजा जा चुका है और कुछ मुद्दों पर अभी तक स्पष्टीकरण दिया जाना है तथा हल किया जाना है।

(सोनीपत) हरियाणा में वक्फ जमीन पर कब्जा

2069. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार को ऐसी अनेक शिकायतें मिली हैं कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने सोनीपत (हरियाणा का एक जिला) तथा चहूं ओर लाखों रुपये की वक्फ जमीन पर कब्जा कर लिया है ;

(ख) उक्त व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने उक्त सम्पत्ति वापस लेने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) प्रश्न में उल्लिखित इस बारे में कोई शिकायत केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुई। तथापि, सोनीपत में वक्फ-सम्पत्तियों के कथित अतिक्रमण के बारे में पहले प्राप्त हुई शिकायतें पंजाब बोर्ड को उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेज दी गई थी। पंजाब वक्फ बोर्ड से यह पता चला है कि सोनीपत में कतिपय सम्पत्तियों के अतिक्रमण के बारे में हरियाणा के मुख्य मंत्री को सम्बोधित शिकायत की एक प्रतिलिपि हरियाणा सरकार द्वारा बोर्ड को अग्रेषित

की गई थी। यह शिकायत सम्पत्तियों के बारे में थी। इनमें से तीन वक्फ सम्पतियां नहीं हैं। शेष चार सम्पत्तियों में से जो वक्फ सम्पत्तियां हैं, तीन सम्पत्तियां पंजाब वक्फ बोर्ड के बनने से पूर्व कस्टोडियन द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर दी गई थी और चौथी सम्पत्ति का हस्तान्तरण बोर्ड बनने से पूर्व नगरपालिका सोनीपत के हक में कर दिया गया था। ये भी उल्लेखनीय होगा कि वक्फ बोर्ड बनने से पूर्व कस्टोडियन द्वारा हस्तान्तरित वक्फ सम्पत्तियों के बारे में सभी मामलों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा एक तदर्थ समिति की नियुक्ति की गई थी। सोनीपत में उल्लिखित चार सम्पत्तियां भी इस समिति द्वारा जांच की विषय वस्तु है।

किन्तु हरियाणा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी सम्पत्तियों में से 3 अनधिकृत दखल में है और सरकार इस पर विचार कर रही है।

लद्दाख में कृषि तथा सब्जियों की खेती

2070. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में इस समय कृषि तथा सब्जियों की खेती के लिये कौन सी योजनाएं चल रही हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लद्दाख में प्राचीन स्थलों की खुदाई

2071. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लद्दाख के विगत इतिहास का पता लगाने के लिये इसके प्राचीन स्थलों की खुदाई करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : लद्दाख में किसी भी प्राचीन स्थल की खुदाई करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

साहित्य अकादमी द्वारा लद्दाखी भाषा को मान्यता दिया जाना

2072. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी द्वारा लद्दाखी भाषा की मान्यता दिये जाने का प्रस्ताव है क्योंकि यह भाषा समस्त हिमालय के सीमावर्ती इलाके और इससे परे के बहुत से क्षेत्रों में प्रचलित है और इसका औषध, संगीत, कला नीतिशास्त्र और दर्शन में समृद्ध साहित्य है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) लद्दाख भाषा सहित कुछ भाषाओं की मान्यता का प्रस्ताव साहित्य अकादमी के विचाराधीन है।

छात्रावासों में रहने वाले लद्दाख के छात्रों को छात्रवृतियां

2073. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साक्षरता का प्रसार करने के उपाय के रूप में सरकार का विचार लद्दाख के विभिन्न स्कूलों के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां देने तथा जिन छात्रों को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी की यात्रा करनी होती है उन्हें रियायत बस टिकट देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) भारत सरकार / राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों/ एजेंसियों द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए अन्यों के साथ-साथ लद्दाख के छात्र भी विचार किए जाने के पात्र हैं, बशर्ते कि वे संबंधित योजनाओं की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। इन योजनाओं में, शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित-छात्रवृत्ति योजना तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की विज्ञान प्रतिभा खोज योजना सम्मिलित है । तथापि, इन योजनाओं के अन्तर्गत किसी भी छात्र को, इस आधार पर कि वह लद्दाख का है, कोई विशेष रियायत नहीं दी जाती है। तथापि, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली, में एक विशेष केन्द्रीय विद्यालय चला रहा है जिसमें लद्दाख सहित उत्तरी सीमा के छात्र दाखिल किए जाते हैं। सभी छात्रों को छात्रावास का खर्च वहन करने के लिए प्रतिमाह 100/- रुपये की वृत्तिका दी जाती है। उनके लिए स्कूल छात्रावास में निःशुल्क आवास निःशुल्क बिजली और पानी तथा अन्य छात्रावास संबंधी सुविधाओं की भी व्यवस्था है। छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें भी प्रदान की जाती हैं। छात्रों से कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है।

परिवहन के दौरान खाद्यान्न की हानि

2074. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम को 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में खाद्यान्नों के परिवहन में कुल कितनी हानि हुई और इस हानि के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ख) भविष्य में इन हानियों को कम करने के लिये क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्ग में हानि की स्थिति इस प्रकार थी :—

	(करोड़ रुपये में)
1975-76	24.86 (1.1 प्रतिशत),
1976-77	21.57 (0.86 प्रतिशत)
1977-78	लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया

मार्गस्थ हानि के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारण इस प्रकार हैं :—उठाईगिरी, दानों का बिखराव और संचलन में क्षति, प्रेषण और प्राप्ति केन्द्रों पर अपनाए गए तौल के विभिन्न तरीके, खरीदारी के समय अनाज में नमी और अन्य विजातीय पदार्थों की ऊंची प्रतिशतता और उचित देखभाल की कमी के कारण प्रेषण तथा अन्य स्टेशनों पर कम लदान और बोरियों की कम गिनती।

(ख) अनाज के संचालन की योजना इस तरह बनाई जाती है जिससे निष्फल संचालन, अनावश्यक नौकांतरण और मार्गस्थ हानि को कम किया जा सके। जब स्टाक को सड़क द्वारा भेजा जाता है तब रेल छोरों और/या गोदामों पर प्रेषणों की प्रभावशाली ढंग से जांच करने के लिए ट्रक चिटें/कन्वाय नोट ठीक-ठीक तैयार किए जाते हैं।

2. खुले वैगनों में लदान यथासम्भव नहीं किया जाता है। तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियों में खुले वैगनों को तिरपालों से अच्छी तरह ढक कर और रस्सों से अच्छी तरह बांध दिया जाता है। उनकी सुरक्षा

के बारे में महत्वपूर्ण जांच केन्द्रों पर रास्ते में ऐसे वैगनों की जांच की जाती है। खुले वैगनों में लादे गए खाद्यान्नों के प्रेषणों के पीछे प्रायः हमेशा विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं जिन पर रेलवे रेल सुरक्षा दल रखता है।

3. प्रेषक रेलवे स्टेशनों पर रेलवे रसीदों में 'सैड टूकनटेन' जिससे गंतव्य स्टेशनों पर भी कदाचार को बल मिलता है, की बजाय लादी गयी बोरियों की संख्या की स्पष्ट रेलवे रसीद प्राप्त करने के लिए बराबर प्रयत्न किए जाते हैं।

4. भरे हुए वैगनों पर यह देखने के लिए अचानक छापे मारे जाते हैं कि वैगनों में लादी गई बोरियों की संख्या सही है।

5. सावधानी से सम्भालने पर बल दिया जाता है। खासकर बोरियों की सिलाई और पार्किंग के बारे में रेलवे द्वारा निर्धारित पैकिंग के अनुदेशों का अनुपालन कराने पर विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात के भी अनुदेश हैं कि खाद्यान्नों की बोरियों को फलाप दरवाज़े से दूर रखा जाए ताकि चोरी की सम्भावनाओं को कम किया जा सके।

6. डिपो पर तौल पुल स्थापित किए गए हैं और सोपानवार स्थापित किए जा रहे हैं ताकि डिपो में आने वाले और बाहर जाने वाले अनाज के तौल पर कड़ी नज़र रखी जा सके।

7. खाद्यान्नों की वसूली के समय विनिर्दिष्टियों का कड़ाई से पालन करने की सभी सम्भव कोशिश की जाती है।

Drop out at Primary/Secondary Stage

†2075. **Shri Dharmasinghbhai Patel** : Will the Minister of **Education, Social welfare and Culture** be pleased to State the percentage of children who study upto primary school in India and the percentage out of them who leave their studies after sometime and the percentage of those who reach upto Higher Secondary ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): The percentage of the children in the age-group 10-11 years studying in class V ranged between 45.5 to 50.1 during the period 1969-70 to 1975-76. Out of the children studying in class V in 1969-70, 36.7% left their studies before reaching class VIII in 1972-73 and 55% before reaching class X in 1974-75. 15.4% reached class XI in 1975-76.

Facilities of Primary Education in Villages

†2076. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the total number of villages in India and the number out of them, having the facilities of primary education; and

(b) the percentage of such primary schools in the country having only one teacher?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) According to 1971 census, the total number of villages in India is 5,75,936 out of which 3,59,677 villages have facilities for primary education in them.

(b) 41.9% in 1970-71.

"ग्रापरेशन फ्लड–2" कार्यक्रम की प्रगति

2077. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने और विभिन्न दूध शेडों को परस्पर मिलाने के लिए "ग्रापरेशन फ्लड-2" कार्यक्रम ग्रारम्भ करने के बारे में क्या प्रगति हुई है,

(ख) क्या उचित सहयोग के लिये राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया है, और

(ग) इस "ग्रापरेशन" के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सार्वजनिक निवेश मंडल ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है। विश्व बैंक तथा योरोप ग्रार्थिक समुदाय ने भी परियोजना में शामिल होना स्वीकार कर लिया है। प्रथम चरण में, विश्व बैंक ने 129 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति दी है।

(ख) सबंधित राज्य सरकारों से क्रियान्वयन की पद्धति के संबंध में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) (1) लगभग 100 लाख ग्रामीण दुग्ध उत्पादक परिवारों को समर्थ बनाना, जिससे कि वे 1985 के मध्य तक एक विकासक्षम एवं ग्रात्मनिर्भर डेरी-उद्योग का निर्माण कर सकें।

(2) 1985 के मध्य तक लगभग 150 लाख संकर नस्ल की गऊओं के राष्ट्रीय दुधारु पशुयूथ के पालन के लिए दुग्ध उत्पादकों को समर्थ बनाना।

(3) एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की स्थापना करना जो एक लाख से ग्रधिक ग्राबादी (1971 की जनगणना) वाले 155 जिलों एवं 148 कस्बों को 25 ग्रामीण दुग्ध स्रवण क्षेत्रों से जोड़ेगा।

तूफान पीड़ित लड़कियों को बहकाना

2078. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला:**

श्री ग्रोम प्रकाश त्यागी:

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-भारत की तूफान पीड़ित लड़कियों को सुनियोजित ढंग से बहकाकर वेश्याएं बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इस शारीरिक व्यापार को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) सरकार को ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है । तथापि स्त्री तथा लड़की ग्रनैतिक व्यापार दमन ग्रधिनियम, 1956 के लागू होने से व्यावसायिक रूप में वेश्यावृत्ति निषिद्ध है। वेश्यालय चलाना या किसी मकान को वेश्यालय के रूप में उपयोग करना इस ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत विशिष्ट ग्रपराध है। इस ग्रधिनियम को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाता है।

मोटे ग्रनाज की वसूली

2080. **श्री ग्रहमद एम० पटेल** : क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रागामी मौसम के दौरान मोटे ग्रनाज की वसूली करने पर भी विचार कर रही है ;

(ख) क्या मक्का, ज्वार, बाजरा आदि के लिये कोई मूल्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) कितने अनाज की वसूली की जानी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) अतीत की भांति, आने वाले मौसम के दौरान मोटे अनाजों के बारे में मूल्य समर्थन खरीदारी की जाती रहेगी।

(ख) खरीफ विपणन मौसम, 1978-79 की मूल्य नीति पर कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकारों के मतों पर विचार करने के बाद दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह के आस-पास निर्णय लिया जाएगा।

(ग) सरकार द्वारा तय समर्थन बमूफय पर जितनी मात्राएं पेश की जाती हैं उनकी खरीदारी की जाएगी। ठीक-ठीक मात्रा बताना मुश्किल होगा क्योंकि यह बाज़ार स्थितियों पर निर्भर करेगा।

पशुओं के प्रति अत्याचार निवारक अधिनियम का कार्यान्वयन

2081. **श्री अहमद एम० पटेल:**

श्री अमरसिंह वी० राठवा:

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं के प्रति अत्याचार निवारक समिति भंग कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पशु कल्याण बोर्ड ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसने क्या सुझाव दिये और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सुझाव है कि यह कार्य पशु कल्याण बोर्ड की एक उप-समिति द्वारा किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने यह सुझाव मंजूर कर लिया है।

Theft of Water Meters in Sarojini Nagar, New Delhi

2082. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether large number of water meters were stolen from Government quarters in Sarojini Nagar, New Delhi during January, 1978;

(b) if so, whether the C.P.W.D. had installed new meters in place of those stolen meters during the said period but the C.P.W.D. have neither carried out the repairs nor removed the debris from the spot;

(c) whether water has collected in the pits caused as a result of digging in the court-yard of these quarters and in the absence of storm water drains it is resulting in the breeding of mosquitoes and consequently there is danger of spreading of malaria;

(d) Whether no action has been taken in this regard so far; and

(e) if so, the steps Government proposed to take in this matter ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) New water meters have been installed inside the quarters. The meter chambers were constructed in the walls in the quarters. Necessary repairs have been carried out and the debris already removed.

(c) The digging done was filled up and there is no stagnation of water.

(d) & (e) Do not arise.

Miserable Plight of Refugees in India

2083. **Dr. Laxmi Narayan Pandey :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the press statement by the officiating District Magistrate, Burdwan (West Bengal) published in the Statesman of 25th June, 1978 and regarding the miserable plight of the refugees; and

(b) if so, the number and the steps taken by the Government to improve their condition ?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation(Shri Sikander Bakht): (a) Yes, Sir.

(b) Deserter Displaced Persons from various rehabilitation sties and *karm. shibirs/* worksite camps numbering 1,538 are now at Burdwan Railway Station and a little over 18,000 in Burdwan camps. These persons are being sent back by West Bengal Government to their respective rehabilitation sites and *karmi shibirs*/worksite camps by three special trains on an average per week. The deserters in camps are being paid cash and dry doles by West Bengal Government. When sent back by special trains, these persons are also being paid Rs. 8 per adult and Rs. 4. per child for journey expenses by the West Bengal Government.

भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

2084. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके अनुरोध पर भारतीय खादय निगम के कर्मचारियों ने 3 जुलाई, को अपना आन्दोलन वापस ले लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों की मांगें पूरी हो गई हैं ;

(ग) क्या इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप आयातित उर्वरकों की उतराई और वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या खरीफ की फसल भी प्रभावित हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। पहली जुलाई, 1978 से नियमानुसार कार्य आन्दोलन बंद कर दिया गया था ;

(ख) कुछ मांगें जोकि अभी लम्बित पड़ी हैं जिन पर पहले की तरह बातचीत जारी रहेगी;

(ग) पिछले कुछ सप्ताहों में बन्दरगाहों पर उर्वरकों के उतरान तथा निकासी के काम पर अंशतः इस आन्दोलन और अंशतः बन्दरगाहों पर जहाजों के जमाव, डाक लेबर बोर्ड और पोर्ट ट्रस्ट लेबर की कम

सप्लाई, वैगनों की अनियमित और अपर्याप्त सप्लाई और कुछेक गंतव्य स्थानों को भेजने पर रेलवे द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों जैसे अन्य कई तथ्यों से कुछ हद तक असर पड़ा था ;

(घ) जी नहीं।

Jayakwadi and Manjalgaon Projects, Maharashtra

†2085. **Shri Gangadhar Appa Burande :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Jayakwadi project is the major project in Maharashtra; What is the Scheduled period for its completion according to the plan and whether it is being completed within the scheduled period and if not, the reasons therefor; and

(b) whether Manjalgaon project is in its second stage and whether work is not progressing there and the reasons therefor and whether financial assistance for this project has been received from World Bank and if so. the amount thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The Jayakwadi Project is a major irrigation project in Maharashtra and is being executed in two stages. The Government of Maharashtra have intimated that the Stage I works are scheduled to be completed in 1981-82 and the Stage II works in 1984-85. They have also indicated that the present progress of the project works is according to the scheduled programme.

(b) The Manjalgaon Dam and the Manjalgaon Right Bank Canal are parts of the Jayakwadi Project—Stage II. The Govt. of Maharashtra have intimated that the World Bank assistance to Jayakwadi Project does not include the component of Manjalgaon Dam and Manjalgaon Right Bank Canal.

दादरा-नगर हवेली में शिक्षा सुविधाएं

2086. **श्री राजे विश्वेश्वर राव :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादरा-नगर हवेली क्षेत्र में बहुत कम शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या बहुत कम शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या 10-11 से अधिक नहीं हैं ; और

(ग) दादरा-नगर हवेली क्षेत्र में शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितना होता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख) और (ग) दादरा, नगर हवेली प्रशासन द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार दादरा और नगर हवेली में डेढ़ कि० मी० की दूरी पर, 11 पूर्व -प्राथमिक स्कूल, 144 प्राथमिक स्कूल, तीन हाई स्कूल और एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं जिनमें दाखिल बच्चों की कुल संख्या 11,524 है। इनमें 14 पूर्व-प्राथमिक, 318 प्राथमिक और 68 हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल अध्यापक हैं। इसके अतिरिक्त, दो महिला छात्रावासों सहित 9 समाज कल्याण केन्द्र हैं जहां अनुसूचित जाति/जन जाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मुफ्त भोजन तथा आवास की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर व्यावसायिक विषयों के अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार यह पता चलता है कि दादरा और नगर हवेली में पर्याप्त तथा अच्छी शैक्षिक सुविधाएं विद्यमान हैं।

यद्यपि कुल पांच सौ तैंतीस कक्षाओं में से सैंतीस प्रतिशत कक्षाओं में 10 विद्यार्थियों से कम है, तथापि ये सभी कक्षाएं एक अध्यापक वाले स्कूलों में चलाई जा रही हैं और एक अध्यापक वाले सभी स्कूलों में छोत्रों की कुल संख्या 10 से कम नहीं हैं। सभी स्कूल एक अध्यापक वाले हैं जिनमें तीन कक्षाएं हैं। एक अध्यापक वाले स्कूल में छात्रों की न्यूनतम संख्या बाईस है।

वर्ष 1977-78 के दौरान शिक्षा पर हुआ कुल व्यय 84,79,000 रु० है। इस राशि में अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन के परिणामस्वरूप वेतन के बकाया के भुगतान के लिए दिए गए 31,46,000 रुपये भी शामिल हैं।

राप्ती और घाघरा नदियों में बाढ़ नियंत्रण के बारे में नेपाल के साथ वार्ता

2087. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राप्ती और घाघरा नदियों में बाढ़ नियंत्रण करने के लिये नेपाल में बनाये जाने वाले बांधों के सम्बन्ध में नैपाल सरकार के साथ हो रही वार्ता में अब तक कितनी प्रगति में हुई है;

(ख) क्या इस बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) करनाली (करनाली घाघरा नदी की एक सहायक नदी है) परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रारम्भिक मामलों की जांच करने के लिए एक संयुक्त भारत-नैपाल समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक अप्रैल, 1978 में हुई थी, जिसमें परियोजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और अपनी रिपोर्ट तीन महीनों के अन्दर समिति को देने के लिए दो संयुक्त दलों और प्रत्येक देश में दो अलग दलों का गठन का निर्णय किया गया था।

पंचेश्वर जल-विद्युत्त परियोजना (घाघरा नदी की सहायक नदी, शारदा पर) के अन्वेषण के लिए संयुक्त विशेषज्ञ दल गठित किया गया है। इस दल की पहली बैठक अप्रैल, 1978 में हुई थी। विशेषज्ञ दल ने सिफारिश की है कि किए जाने वाले अन्वेषणों के लिए विचारार्थ विषय तथा उसकी अनुमानित लागत तैयार करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी टीम का गठन किया जाना चाहिए । इस टीम के लिए भारतीय प्रतिनिधि का नाम नैपाल सरकार को भेज दिया गया है। इस टीम के लिए उनके प्रतिनिधियों के नामांकन की प्रतीक्षा है।

जहां तक राप्ती (भालूभंग) परियोजना का संबंध है, परियोजना के अन्वेषण के लिए अपेक्षित तैयारियां को अन्तिम रूप देने और विस्तृत परियोजना प्राक्कलनों को तैयार करने के लिए नैपाल सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों के मध्य जनवरी, 1978 में एक बैठक हुई थी। बैठक में यह निर्णय किया गया था कि क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए लागत प्राक्कलनों तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय अधिकारियों की एक टीम को नैपाल सरकार की सहायता करने ले लिए काठमांडू जाना चाहिए। यह टीम मार्च, 1978 में काटमांडू गई थी और उसने अन्वेषण पर 5.34 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया है। परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अन्शेषण करने का काम किस एजेन्सी को दिया जाए, इस बारे में और फील्ड अन्वेषण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर आने वाली लागत को आपस में बांटने तथा परियोजना के अन्वेषणों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति का गठन करने के बारे में नैपाल सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

कालका जी, नई दिल्ली में दूषित पेय जल

2088. **श्री बी० जी० हान्डे :**

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी के 'के' ब्लाक में गत तीन वर्षों से दूषित पेयजल की सप्लाई की जा रही थी; और

(ख) यदि हां, तो इस दूषण के क्या कारण हैं और सरकार का इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्वेत चीतों की संख्या में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही

2089. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में मुडवास के समीप सिधी वन में एक श्वेत चीता देखा गया; और

(ख) यदि हां, तो श्वेत चीतों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) उक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

राशन की दुकानों पर चीनी के कोटे में कमी

2090. **श्री जर्नादन पुजारी :**
श्री सुखेन्द्र सिंह :
श्री के० मालन्ना :
श्री ईश्वर चौधरी :
श्री सरतकार :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 जुलाई, 1978 से दिल्ली में राशन कार्ड धारियों के चीनी के कोटे को 1000 ग्राम से घटाकर 950 ग्राम कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने पहली जुलाई, 1978 से दिल्ली के राशनकार्डधारियों का चीनी का कोटा 1000 ग्राम से घटाकर 950 ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति माह कर दिया है।

(ख) जून, 1976 और उसके बाद से, दिल्ली प्रशासन को प्रति मास 5304 मीटरी टन चीनी का कोटा मिल रहा था। 27 अक्तूबर, 1977 को राज्यों की जनसंख्या के आधार पर कोटे आवंटित करने और शहरी तथा ग्रामीण जनता के साथ वितरण के बारे समान व्यवहार करना सुनिश्चित करने का निर्णय किया गया था। तदनुसार, उपलब्धता की स्थिति को ध्यान में रखकर, 1-4-1978 को प्रायोजित जनसंख्या के संदर्भ चीनी के राज्यवार मासिक कोटों का पुनः निर्धारण किया गया था जिससे दिसम्बर, 1977 से 425 ग्राम प्रति मास प्रति व्यक्ति उपलब्धता सुनिश्चित की गई। तथापि, दिल्ली सहित कुछेक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मामले में, जहां वर्तमान कोटे को उपर्युक्त प्रायोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्धता को 425 ग्राम से अधिक पाया गया था, वहां कोटे को पूर्व के स्तर पर बनाए रखने का निर्णय किया गया था। अतः दिल्ली प्रशासन के 5304 मीटरी टन के कोटे जिसके अन्तर्गत 1-4-1978 को 54.39 लाख की प्रायोजित जनसंख्या के आधार पर प्रति मास प्रति व्यक्ति उपलब्धता 975 ग्राम बैठती है, जबकि मापदंड 425 ग्राम का है, में कोई कटौती नहीं की गई और उसे दिसम्बर, 1977 और उसके बाद से उसी स्तर पर बनाए रखा गया। मौजूदा राशन कार्ड यूनिटों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली प्रशासन ने 1-7-1978 से लेवी चीनी वितरण की मात्रा 950 ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रति माह निर्धारित की है।

शिक्षा स्तर का गिरना

2091. **श्री राज कृष्ण डान :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रत्यक्ष क्या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों की दखलन्दाजी के कारण भारत में वर्तमान शिक्षा के स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा के स्तर को बनाये रखने पर विचार कर रही है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सामान्य रूप से यह कहना संभव नहीं है कि राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हस्ताक्षेप के कारण वर्तमान शैक्षिक स्तरों में तेजी से गिरावट आ रही है।

(ख) शैक्षिक स्तरों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार अनेक कदम उठाने पर विचार कर रही है जिनमें असन्तोष की समस्या को कम से कम करने तथा शैक्षिक संस्थाओं को सुचारु रूप से कार्य करने देने के लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित करना भी शामिल है।

मेरठ के समीप पुरातत्वीय महत्व के क्षेत्र का विकास

2092. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों द्वारा उपेक्षा के कारण मेरठ के समीप पुरातत्वीय महत्व और पर्यटन की क्षमता वाले क्षेत्रों का महत्व समाप्त होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पुरातत्वीय और पर्यटन की दृष्टि से ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) पर्यटन विभाग ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से निवेदन किया है कि वे पर्यटकों की अभिरूचि के स्थानों के विकास के लिए अपनी अपनी अभिप्रेत योजनायें तैयार करें। मेरठ जिले में केन्द्र द्वारा संरक्षित चौदह स्मारक और स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन हैं, जिनकी देखभाल और उनका रख-रखाव इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम के कर्मचारियों से अभ्यावेदन

2093. **श्री समर मुखर्जी**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय मत्स्यपालन निगम लिमिटेड कर्मचारी संगठन से कोई अभ्यावेदन मिला है कि निगम के समापन से पूर्व उसके कर्मचारियों को अन्य उपक्रमों में काम पर लगाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके अनुरोध पर सहानुभूति से विचार कर रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) फालतू कर्मचारियों को काम पर लगाने के सभी प्रयास किए जाएंगे, पर यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि निगम के समापन से पूर्व ही उन्हें काम पर लगा लिया जाएगा। तथापि, जो कर्मचारी काम पर नहीं लगाए जाते उन्हें नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सेवांत लाभ दिया जायगा।

Coverage Under Small Farmers Development Agency

2094. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the details of the scheme formulated by Government for providing assistance to all small farmers for minor irrigation; and

(b) the targetted number of small farmers proposed to be provided assistance under this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) The scheme of Small Farmers' Development Agency which is being implemented in 169 project areas provides for implementation of different minor irrigation schemes such as dugwells, tubewells, pumpsets, supply of electric motors/diesel engines, renovation of old wells, lift irrigation, etc. with subsidy of 25% to small farmers and 33-1/3% to marginal farmers. In respect of community irrigation schemes 50% subsidy is allowed based on the cost attributable to the small and marginal farmers. The balance amount is expected to be covered by loan from financing institutions in the area. Similar assistance will also be available to small and marginal farmers under the special programmes of DPAP, CAD, etc. Recently, a decision has been taken that the benefit of subsidy should also be made available to small and marginal farmers in areas not covered by any of the special programmes like Small Farmers' Development Agency, Drought Prone Area Programme, Command Area Development, etc. The State Governments have been requested to assess the requirement of funds for extending subsidies on minor irrigation works against such minor irrigation schemes, taken up on an area basis after obtaining clearance of the State Ground Water Directorate. No specific targets have been laid down for this purpose.

Rented Building for Central Government Offices

2095. **Shri Sukhendra Singh :**
Dr. Vasant Kumar Pandit :
Shri S.G. Murugaiyan :

Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the news item appearing in the daily "Nav Bharat Times" dated the 6th June, 1978 is correct that an amount of Rs. 6 crores has to be paid in the form of rent for Central Government offices in the capital ;

(b) if so, the steps being taken by Government for construction of building for housing the Government offices and the time by which these buildings will be constructed; and

(c) the annual amount of rent paid for Central offices in various States/Union Territories ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) No Sir. An amount of Rs. 2.21 crores is being paid as annual rent/compensation by the Ministry of Works and Housing and other Ministries/Departments for office accommodation in the capital.

(b) Several buildings are already under construction in Delhi and some more buildings are proposed to be constructed. Details are given below :—

(i) Office buildings sanctioned and under construction in Delhi :—

Name of the building	Carpet area (In Sq. Metres)
Building on Badarpur-Mehrauli Road	19,970
Building on plot No. 35, South of South Block, New Delhi (Blocks B&C)	18,238
Multi-Storeyed Building in Sector XI, R.K. Puram	28,606
Administration Building for the Department of Publications in Civil Lines .	2,742

The above mentioned buildings are expected to be completed by the end of 1979.

(ii) Office building sanctioned but construction not yet taken up.

	Approximate carpet area (Sq. Meters)
Office Building Phase I in Lodi Road area	60,714

Construction of this building is likely to start by December 1978 and will take 3 years for completion. There is a proposal to construct another office building with a carpet area of 65,000 sq. metres approximately.

(c) Information is being collected an will be laid on the Table of the House.

महाराष्ट्र में जंगली भैंस शरणास्थल

2096. **श्री राजे विश्वेश्वर राव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगली भैंस की जाति के पशु मध्य प्रदेश के बस्तर जिले और महाराष्ट्र के ममनागढ़ के बीच इंद्रावती नदी की पट्टी में अत्यधिक संख्या में पाये जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस जाति को बचाने के लिये मामनागढ़ क्षेत्र में उनके लिये बड़ा शरणास्थल बनाने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस जाति के पशु समाप्त होते जा रहे हैं तथा केवल लगभग 60-70 की संख्या में बचे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) चन्द्रपुर जिले में भामरगढ़ के वनों के अन्तर्गत महाराष्ट्र में इन्द्रावली बेसिन शामिल है तथा महाराष्ट्र में इस क्षेत्र के सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां जंगली भैंसों का पूर्ण अभाव है। तथापि जंगली भैंसे मध्य प्रदेश में इन्द्रावती नदी के आसपास पाई जाती हैं।

(ख) भामरगढ़ में जंगली भैंस आश्रयस्थल स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच महाराष्ट्र सरकार द्वारा सितम्बर, 1977 में की गई थी, परन्तु राज्य में जंगली भैंसों के पूर्ण अभाव के कारण इस प्रस्ताव को छांटना पड़ा।

(ग) लगभग 60 से 70 जंगली भैंसे केवल मध्य प्रदेश में हैं।

(घ) इस वन्यजाति को नष्ट होने से बचाने के लिये भारत सरकार ने वर्ष 1977-78 में 3,44,000 रुपये (केवल तीन लाख और चवालिस हजार रुपये) के परिव्यय से मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कुटरु आश्रयस्थल की स्थापना तथा सहायता हेतु एक योजना को स्वीकृति दी हैं। स्वीकृत परिव्यय में से भारत सरकार ने वर्ष 1977-78 के दौरान 1,00,000 रुपये की राशि पहले ही जारी कर दी है।

राज्यों में शिक्षा को 10+2 पद्धति

2097. **श्री दुर्गा चन्द :**

श्री आर० मोहनरंगम :

श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने शिक्षा को 10+2 पद्धति लागू कर दी हैं;

(ख) किन-किन राज्यों ने अभी तक यह पद्धति लागू नहीं की है और प्रत्येक राज्य ने उसके क्या कारण बताये हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार 10+2 शिक्षा पद्धति लागू करने वाले राज्यों को अध्यापकों को नई पद्धति के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के लिए विशेष धनराशि उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी धनराशि दी गई है और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि दी जानी है; और

(ङ) देश में इस पद्धति के लोकप्रिय होने के बारे में सरकार का क्या मूल्यांकन है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा शिक्षा को 10+2 प्रणाली को अपनाने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :—

स्कूल शिक्षा को 10+2 प्रणाली का अपनाने वाले राज्य/संघ शासित क्षेत्र हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश	2. असम
3. बिहार	4. गुजरात
5. जम्मू तथा कश्मीर	6. कर्नाटक
7. केरल	8. महाराष्ट्र
9. मणिपुर	10. मेघालय**
11. नागालैण्ड**	12. उड़ीसा
13. सिक्किम	14. तमिलनाडु
15. त्रिपुरा	16. उत्तर प्रदेश (पुरानी पाठ्यचर्या का पालन कर रहा है)
17. पश्चिम बंगाल	18. अरुणाचल प्रदेश
19. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	20. चण्डीगढ़
21. दादरा तथा नागर हवेली	22. दिल्ली
23. गोवा, दमन तथा दीव	24. लक्षद्वीप
25. मिजोरम**	26. पांडिचेरी

संभवतः 1979-80 से 10+2 प्रणाली अपनाने वाले राज्य हैं :—

1. हरियाणा	2. पंजाब

वे राज्य, जो नई प्रणाली को अपनाने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गए हैं किन्तु अन्तिम तारीख का अभी निर्धारण किया जाना है।

1. हिमाचल प्रदेश	2. मध्य प्रदेश
3. राजस्थान	

कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देरी के मुख्य कारण हैं :—

(1) वित्त की कमी;

(2) संशोधन कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता तथा अध्यापकों का प्रशिक्षण; और

(3) क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों तथा नई पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम के अनुसार अन्य शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायतः संगठन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य

**इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दस वर्षीय स्कूल प्रणाली तथा उसके बाद दो वर्षीय पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम है।

सरकारों को निम्नलिखित निधियां स्वीकृत कीं। उसके बाद योजना को बन्द कर दिया गया क्योंकि इस प्रयोजन के लिए राज्य उनके लिए अनुमोदित समग्र, योजनाओं में से निधियां प्रदान कर रहे हैं।

क्रम सं०	राज्य सरकार का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये)	आयोजित किए जाने वाले पाठ्य-क्रमों की सं०
	1975–76		
1.	हरियाणा	71,400	12
2.	राजस्थान	2,70,900	30
3.	महाराष्ट्र	2,64,900	94
4.	आन्ध्र प्रदेश	72,150	17
5.	तमिलनाडु	2,20,125	60
6.	केरल	1,52,400*	31
7.	दिल्ली	2,70,500	29
	ग्रीष्म संस्थान		
	1976–77		
8.	असम	2,06,500	45
9.	उडीसा	1,83,000	60
10.	जम्मू और कश्मीर	94,300	46
11.	दिल्ली (ग्रीष्म संस्थान)	2,63,660	25

(ङ) 26 राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों द्वारा नई प्रणाली को स्वीकार कर लेने से यह प्रतीत होता है कि 10+2 पद्धति सामान्य रूप से स्वीकार्य है।

12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होना

2098. **श्री दुर्गा चन्द:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 10+2 पद्धति के अन्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा दिल्ली के स्कूलों के लिये 12वीं कक्षा की पुस्तकें इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में छात्रों को उपलब्ध नहीं की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है;

(ग) कौन-कौन सी पुस्तकें बाजार में दी गई और वे किस-किस तारीख को दी गई;

(घ) क्या यह सच है कि पुस्तकों के समय पर उपलब्ध न होने के कारण 10+2 पद्धति के अन्तर्गत कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों में से कुछ पाठ वार्षिक परीक्षा के समय छोड़ दिय जाते हैं;

*उन्होंने लगभग एक लाख रुपये खर्च किए और बाकी राशि लौटा दी।

(ङ) यदि हां, तो वार्षिक परीक्षा से काफी समय पूर्व उन पाठों को पाठ्यक्रम से निकाल देने के लिये क्या प्रबन्ध किय जाते हैं; और

(च) 10वीं तथा 12वीं कक्षा के प्रत्येक विषय से पाठ्य पुस्तकों में से कौन-कौन से पाठ पाठ्यक्रम से निकाले जाने हैं और वे कब तक पाठ्यक्रम से निकाल दिये जायेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं। कक्षा 12 के लिए सभी 22 पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग से दिल्ली प्रशासन के स्कूलों के पुनः खुलने तक उपलब्ध करा दी गई थीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) कक्षा 10 के लिए अन्तिम परीक्षा में, पटेल पुनरीक्षण समिति की सिफारिश पर, दिसम्बर, 1977 में कुछ अंश, अंतिम परीक्षा से काफी पहले हटा दिय गये थे। कक्षा 11 की परीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण, कुछ अंशों को अन्तिम परीक्षा में शामिल नहीं किया गया था।

(ङ) तथा (च) फिलहाल, किसी पाठ्यक्रम को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

दिल्ली में कक्षा 12 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता की तिथियां।

क्रम सं०	पुस्तक का नाम	उपलब्ध होने की तिथि	
		रा०शै० अनु० प्र० परिषद्	प्रकाशन विभाग (सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय
1.	विविध कोर	27-3-78	28-4-78
2.	कथा भारती कोर .	20-2-78	13-4-78
3.	अंग्रेजी पूरक रीडर . . .	20-4-78	5-5-78
4.	डीयर टू आल दी म्यूसेज (इलेक०) .	11-4-78	4-5-78
5.	ए कोर्स इन रिटिन इंगलिश (कोर) .	17-7-78	1-7-78
6.	आख्यानिका संस्कृत गद्य पाठ्य पुस्तक	17-7-78	—
7.	गणित भाग III (अंग्रेजी) .	19-7-78	18-7-78
8.	गणित भाग III (हिन्दी) . .	22-7-78	18-7-78
9.	मिडिवल इण्डिया (अंग्रेजी) . .	5-7-78	6-7-78
10.	मध्य कालीन भारत (हिन्दी)	17-7-78	—

क्रम सं०	पुस्तक का नाम	उपलब्ध होने की तिथि	
		रा० शै० अनु० प्र० परिषद	प्रकाशन विभाग सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय
11.	ह्यूमन एण्ड इकानमिक ज्योग्राफी (अंग्रेजी)	18-5-78	19-5-78
12.	—वही— (हिन्दी)	8-5-78	19-5-78
13.	नेशनल अकाउंटिंग (अंग्रेजी)	15-7-78	18-7-78
14.	नेशनल अकाउंटिंग (हिन्दी)	10-7-78	13-7-78
15.	इंडियन कांस्टीट्यूसन एण्ड दी गवर्नमेंट (अंग्रेजी)	5-7-78	6-7-78
16.	भारतीय संविधान तथा सरकार (हिन्दी)	28-6-78	1-7-78
17.	बायोलाजी भाग-II (अंग्रेजी)	30-6-78	1-7-78
18.	जीव विज्ञान भाग-II (हिन्दी)	7-7-78	13-7-78
19.	कैमिस्ट्री भाग-II (अंग्रेजी)	14-7-78	21-7-78
20.	रसायन शास्त्र भाग-II (हिन्दी)	17-7-78	—
21.	फिजिक्स भाग-II (अंग्रेजी)	21-6-78	22-6-78
22.	भौतिक विज्ञान भाग-II (हिन्दी)	29-5-78	22-6-78

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को अनुदान

2099. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को अनुदान के बारे में 24 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7882 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई किसी दौरा करने वाली समिति ने गत तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक दौरा समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) हिमाचल प्रदेश में उन कालेजों के नाम क्या हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विकास सहायता पाने का हक है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में विकास सहायता के अन्तर्गत उस राज्य में प्रत्येक कालेज को वर्षवार कितना अनुदान दिया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) पांचवीं योजना में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की विकास आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई निरीक्षण समिति ने नवम्बर, 1974 में विश्वविद्यालय

का दौरा किया था। उसकी सिफारिशों पर आयोग ने विश्वविद्यालय के लिए निम्नलिखित विकास सहायता अनुमोदित की :—

चौथी आयोजना की सभी योजनाओं के लिए	42.45 लाख रुपये
पुस्तकें तथा पत्रिकाएं . . .	7.60 लाख रुपये
उपस्कर . . .	5.98 लाख रुपये
भवन	32.78 लाख रुपये
अतिथि (विजिटिंग) प्रोफेसर	1.00 लाख रुपये
स्टाफ (एक रीडर तीन लेक्चरर और तीन अन्य)	—
जूनियर अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियां (4 प्रति वर्ष) . .	—

आयोग द्वारा पांचवी योजना के दौरान सभी कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित कुल राशि 98.65 लाख रुपए है।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के 16 कालेज आयोग से विकास सहायता पाने के पात्र हैं। उनमें से प्रत्येक की अनुदान की अदायगी से संबंधित स्थिति इस प्रकार है :—

कालेज का नाम	अनुमोदित अनुदान	दिया गया अनुदान			टिप्पणियां
		1975-76	1976-77	1977-78	
1	2	3	4	5	6
	रुपये				
1. राजकीय कालेज बिलासपुर .	75,000	—	—	44,500	एक स्टाफ क्वार्टर एक गैर-छात्र आवास केन्द्र और सिद्धांत रूप में पशु गृह भी अनुमोदित
2. राजकीय कालेज, हमीरपुर .	90,000	—	—	—	महिला छात्रावास सिद्धान्त अनुमोदित
3. राजकीय कालेज, धर्मशाला .	2,64,000	—	—	97,000	—
4. राजकीय कालेज, मण्डी .	2,28,000	—	33,000	—	—
5. राजकीय कालेज, शिमला .	99,000	—	—	50,000	दो अध्यापक अधिछात्रवृत्तियां अनुमोदित।

1	2	3	4	5	6
6. आर० पी० सी० एस० डी० बी० कालेज, शिमला	24,000	—	6,000	—	पुरुष छात्रावास सिद्धांत रूप में अनुमोदित
7. राजकीय कालेज, सोलन .	48,000	—	—	—	—
8. महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कालेज, सुन्दरनगर	45,000	—	—	—	—
9. राजकीय कालेज, नाइन .	प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अतिरिक्त आंकड़ें प्राप्त किये जा रहे हैं।				
10. राजकीय कालेज, ऊना .	—वही—				
11. एस०बी०एस०डी० कालेज, भतोली, ऊना .	—वही—				
12. राजकीय कालेज, चम्बा .	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।				
13. जी० जी० दत्त कालेज, बैजनाथ	—वही—				
14. राजकीय कालेज, कुलु . .	—वही—				
15. सेंट बेडे कालेज, शिमला .	—वही—				
16. राजकीय शिक्षा कालेज, धर्मशाला	—वही—				

दिल्ली में सरकारी आवास

2100. **श्री दुर्गा चन्द:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में सरकारी बंगलों के बारे में एक व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय के नियंत्रण में दिल्ली में कुल कितने बंगले हैं और इन बंगलों के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र कितना है;

(घ) क्या इन बंगलों को चरणबद्ध कार्यक्रम से गिराने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रियों के लिये रिहायशी कम्पलैक्स बनाने की योजना को छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) मंत्रियों के लिए निवास स्थान समूह के निर्माण के साथ साथ राजपथ के उत्तर व दक्षिण की ओर बंगलों वाले क्षेत्र के पुनर्विकास का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) ये 723 है। इन बंगलों की भूमि का क्षेत्रफल लगभग 726.26 एकड़ है।

(घ) तथा (ङ) इन बंगलों को गिराने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है।

(च) जैसे कि (क) के उत्तर में बताया गया है, मंत्रियों के लिए निवास स्थान समूह के निर्माण के प्रश्न के साथ साथ राजपथ के उत्तर व दक्षिण के बंगलों वाले क्षेत्र का पुनर्विकास के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच

2101. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री श्याम सुन्दर गुप्त :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के विरुद्ध आरोपों की इस बीच जांच कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : **(क), (ख) और (ग)** कृषि और सिंचाई मंत्रालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के विरुद्ध किसी ऐसे आरोप की जानकारी नहीं है जो जांच के योग्य हो। अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक के विरुद्ध किसी आरोप के संबंध में कोई जांच नहीं की गयी है।

जोन-वार गन्ने की उत्पादन लागत

2102. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति टन गन्ने की जोन-वार वर्तमान उत्पादन लागत तथा चीनी की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत क्या है;

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : प्रमुख फसलों की खेती की लागत के अध्ययन की बृहत्त योजना के अन्तर्गत संकलित आंकड़ों के आधार पर गन्ने की प्रति मीटरी टन उत्पादन की लागत के नवीनतम उपलब्ध अनुमान संलग्न अनुबन्ध 1 में दिए गए हैं।

1977-78 के चीनी वर्ष के लिए चीनी के उत्पादन की लागत अनुबन्ध 2 में संलग्न है।

विवरण 1

गन्ने की प्रति मीटरी टन उत्पादन लागत

राज्य	सर्वेक्षण का वर्ष	गन्ने की प्रति मीटरी टन उत्पादन लागत (रुपये में)
उत्तर प्रदेश	1975-76*	76.5
पंजाब	1975-76*	85.0
महाराष्ट्र	1974-75*	77.8
तमिलनाडु	1974-75*	72.7

*आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण 2

1977-78 के चीनी वर्ष के लिए चीनी के उत्पादन की अंचलवार अनुमानित लागत

अंचल	रुपए/क्विंटल
पंजाब	249
हरियाणा	244
राजस्थान	245
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	221
केन्द्रीय उत्तर प्रदेश	220
पूर्वी उत्तर प्रदेश	230
उत्तरी बिहार	245
दक्षिणी बिहार	284
गुजरात	224
मध्य प्रदेश	240
महाराष्ट्र	218
कर्नाटक	231
आंध्र प्रदेश	208
तमिलनाडु और पाण्डिचेरी	219
असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नागालैण्ड	258
केरल और गोवा	250
अखिल भारत	223

कृषि मूल्य आयोग नियुक्त करने का उद्देश्य

2103. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गेहूं, रूई, मूंगफली, गन्ना आदि के कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये मूल्यों से भिन्न मूल्य निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कृषि मूल्य आयुक्त की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है जब सरकार आयुक्त की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती है;

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) कृषि मूल्य आयोग एक सलाहकारी निकाय है, जिसका गठन सरकार को विभिन्न कृषि जिंसों हेतु उचित मूल्य नीति तैयार करने में सहायता देने के लिए किया गया है। यद्यपि निर्धारित कीमतों के स्तर का निर्णय करने में आयोग की सिफारिशों का पूरा ध्यान रखा जाता है, फिर भी सरकार को राज्य सरकारों के विचारों और देश की समग्र आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना होता है। उपर्युक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1977-78 और 1978-79 के विपणन मौसमों हेतु गेहूं की अधिप्राप्ति कीमत और वर्ष 1977-78 के विपणन मौसम हेतु मूंगफली की सहायक कीमत कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश की गई कीमतों से थोड़ा अधिक निर्धारित की गई। कपास के संबंध में आयोग द्वारा सिफारिश की गई कीमत सरकार द्वारा मान ली गयी। गन्ने के वसंबंध में, यद्यपि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सहायक कीमत, आयोग द्वारा सिफारिश की गई कीमत से कुछ कम थी, फिर भी सरकार की चीनी नीति इस ढंग से तैयार की गई थी कि चीनी मिल मालिकों से गन्ना उत्पादकों द्वारा वास्तविक रूप से प्राप्त गन्ने की औसत कीमत कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये सहायक मूल्य से कहीं अधिक थीं।

अक्तूबर, 1978 के अन्त में चीनी का अनुमानित स्टाक

2104. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1978 के अन्त में निर्यात कोटे को निकाल कर उपभोक्ताओं में वितरण के लिये लेवी और गैर लेवी चीनी का अनुमानित स्टाक क्या होगा;

(ख) अक्तूबर, 1978 के अन्त में संभवतः स्टाक में रहने वाली गैर लेवी चीनी के भारी भंडार का वितरण करने के लिये सरकार की क्या योजनाएं हैं; और

(ग) 1978-79 के आगामी मौसम में चीनी का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1977-78 के मौसम के उत्पादन से 6.5 लाख मीटरी टन चीनी की सारी मात्रा को निकालने के बाद जो कि 1977-78 मौसम के उत्पादन से निर्यात के लिए निर्धारित की गई हैं, 31-10-78 को लेवी और गैर-लेवी चीनी (अर्थात् लेवी मुक्त) का अनुमानित स्टाक क्रमशः लगभग 7.5 लाख मीटरी टन और 17.25 लाख मीटरी टन होगा।

(ख) अगले मौसम के पहले तीन महीनों अर्थात् अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर के दौरान आन्तरिक खपत के लिए चीनी की जरूरत पिछले मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी के उत्पादन से पूरी करनी होगी। इसके बाद, 1977-78 के मौसम में उत्पादन से लेवी मुक्त चीनी का कुछ अधिशेष

स्टाक अगले तीन महीनों के लिए आन्तरिक खपत के लिए अपेक्षित होगा। इसके अलावा, कुछ स्टाक अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन विशेष स्टाक तैयार करने के लिए भी अपेक्षित होगा। इसके अलावा, चीनी की वार्षिक आन्तरिक खपत में भी भविष्य में और वृद्धि होने की संभावना है। लेवी मुक्त चीनी की आवश्यकता से ज्यादा उपलब्धता साथ में अन्य संगत तथ्यों को अगले चीनी वर्ष 1978-79 के लिए नीति के बारे में फैसला करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) क्योंकि 1978-79 मौसम के लिए गन्ने के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं इसलिए इस मौसम के दौरान चीनी उत्पादन के पक्के अनुमान तैयार करना जल्दबाजी होगी।

लेवी चीनी मूल्यों का पुनरीक्षण

2105. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1978 में निर्धारित चीनी के लैवी मूल्य अनन्तिम तथा अवैज्ञानिक थे;

(ख) यदि हां, तो क्या लेवी मूल्य निर्धारित करने के लिये सरकार कोई वैज्ञानिक आधार अपनायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या चीनी के लैवी मूल्य के पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) से (घ) प्रत्येक जोन में चीनी फैक्ट्रियों को लेवी चीनी के दिए जाने वाले मूल्य का निर्धारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षाओं के आधार पर किया जाता है जैसे कि ने गन्ने का निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य, चीनी की उत्पादन लागत, शुल्क या कर, यदि कोई हों और चीनी के निर्माण में लगाई गई पूंजी पर उपयुक्त लाभ की प्राप्ति। ऐसे मूल्य आमतौर पर वर्ष में दो बार पहली बार मौसम के शुरू में और फिर पिराई मौसम के अन्त में निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, इस वर्ष फैक्टरियों के ग्रुप बनाने के तरीके और मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के बारे में सरकार का निर्णय होने तक, 1-3-1978 को मूल्य में 18.03 रुपये प्रति क्विंटल को समान रूप से तदर्थ वृद्धि की घोषणा की गई थी। यह इसलिए किया गया था ताकि चीनी फैक्ट्रियों इस वर्ष गन्ने की पैदावार में वृद्धि को खपा सकें और चीनी अर्थव्यवस्था को सक्षम बना सकें। फैक्ट्रियों के ग्रुप बनाने और चीनी के मूल्य निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए अन्तर मंत्रालयीय ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो मूल्य के पुनरीक्षण के बारे में निर्णय किए जाने की आशा है।

अन्ध कन्या पाठशाला, नई दिल्ली में कर्मचारी/छात्राएं

2106. **श्री दयाराम शाक्य:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित अंध कन्या पाठशाला में 130 छात्राओं को शिक्षा देने के लिये 30 अध्यापिकाएं हैं;

(ख) उस संस्था को चलाने में कितनी धनराशि खर्च होती है तथा केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन दोनों द्वारा उसे प्रति वर्ष कितना अनुदान दिया जाता है; और

(ग) इतने अधिक कर्मचारी रखने के क्या कारण हैं तथा सरकारी धनराशि के अपव्यय की जांच के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, नहीं। बताया गया है कि राष्ट्रीय विरजानन्द अंध कन्या विद्यालय, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में इस समय 21 अध्यापक हैं, जबकि छात्रों की संख्या 148 है। तीन और पद—ब्रेल प्रूफ रीडर, ब्रेल ट्रांसफ्राइबर और इंगलिश टाइपराइटिंग इंस्ट्रक्टर—इस स्कूल के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) इस विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस संस्था को दिया गया सहायक अनुदान 2.78 लाख रुपए बैठता है, जिसमें दिल्ली प्रशासन द्वारा 1977-78 के लिए दिया गया 95 प्रतिशत अनुदान भी शामिल है। समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार ने अलग से 2.5 लाख रुपए का भवन निर्माण अनुदान दिया है, जिसका स्कूल द्वारा उपयोग किया जा चुका है।

(ग) इस स्कूल में दृष्टिहीन लड़कियां भर्ती की जाती हैं। सामान्य स्कूलों पर लागू होने वाले अध्यापक-छात्र अनुपात मानदण्ड विकलांग व्यक्तियों के स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि वहां छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उनके मामले में अनुपात लगभग 1 : 6 से 1 : 8 के बीच है।

500 करोड़ रुपयों की लागत की डेरी योजना

2107. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 500 करोड़ रुपयों के मूल्य की डेरी योजना बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस राशि को राज्यों को किस प्रकार वितरित किया जाता है, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों द्वारा इस राशि को किन बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां। आपरेशन फ्लड-2 नामक परियोजना की कुल लागत का अनुमान 485.51 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ख) विभिन्न राज्यों के लिए आबंटन तथा वितरण की प्रक्रिया को अंनतिम रूप दिया जा रहा है।

खाद्य सामग्री के परिवहन के लिये की गई अग्रिम कार्यवाही

2108. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के गोदामों अथवा सुरक्षित स्थानों तक परिवहन के लिये खाद्य सामग्री जैसे गेहूं चना की कितनी मात्रा खुले में पड़ी हुई है;

(ख) वैगनों की सप्लाई अथवा अन्य सड़क परिवहन के लिये अग्रिम योजना कब बनाई गई थी और खाद्य सामग्री उठाने के लिये संबंधित प्राधिकारियों को कब सूचित किया गया था;

(ग) कितने रेलवे वैगनों की, महीनेवार, मांग की गई थी और कितने सप्लाई किये गये थे और देश के विभिन्न स्थानों में पड़े हुए स्टाक की स्थिति क्या है और वर्षा से अथवा अन्य कारणों से इसकी कितनी मात्रा नष्ट हुई और इसकी लागत क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय वस्तुओं के परिवहन के लिये वैगन प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करता है; और यदि हां, तो वैगनों की उपलब्धता के आधार पर स्टेशन यार्डों में खुले में पड़े हुए स्टाक पर नियंत्रण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पहली जुलाई, 1978 को लगभग 188 लाख मीटरी टन (गेहूं 122, चावल 66) की कुल मात्रा में से लगभग 41.5 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों को प्लिंथ पर ढक कर (कैप) रखा गया था । कैप स्टोरज में रखे गए खाद्यान्नों में से, लगभग 6.1 लाख मीटरी टन खाद्यान्न (अधिकांशतः गेहूं) पंजाब और हरियाणा में पड़े थे, जिन्हें धीरे-धीरे अन्य राज्यों को भेजा जा रहा है ।

(ख) रेलवे के साथ समन्वय कर रेल संचलन हेतु पाक्षिक/मासिक योजना बनायी जा रही है । प्रत्याशित आवश्यकताओं के अनुसार सड़क द्वारा परिवहन हेतु योजना बनाई जाती है ।

(ग) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश प्रमुख प्रेषण क्षेत्र हैं । मांगी गई और सप्लाई की गई वैगनों की मासवार स्थिति नीचे दी जाती है :—

मास	मांगी गई वैगनें	सप्लाई की गई वैगनें
जनवरी, 1978 . .	30774	19298
फरवरी, 1978	33967	25021
मार्च, 1978	37575	27671
अप्रैल, 1978	37401	24792
मई, 1978	36700	22542
जून, 1978	38383	20503

आन्ध्र प्रदेश में जनवरी, जून, 1978 की अवधि के दौरान वैगनों की मांग और सप्लाई की मासिक औसत क्रमशः लगभग 100 और 45 वैगनें थी ।

वैगनों और परिवहन के कारण स्टाक क्षतिग्रस्त हुआ था, इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, खुले में पोलीथीन की चादरों से ढककर रखी 41.5 लाख मीटरी टन की कुल मात्रा में से जून, 1977 से जून, 1978 तक 337840 मीटरी टन खाद्यान्न बाढ़ों, तूफानों और भारी वर्षा से प्रभावित हुए थे । कुछेक मामलों में प्रभावित स्टाक की अभी भी सप्लाई की जा रही है । 30 जून, 1978 तक 5.6 करोड़ रुपये मूल्य के 41757 मीटरी टन क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को अगल किया गया था ।

(घ) रेलवे के साथ समय समय पर समन्वय बैठकें की जाती हैं । रेलवे के परामर्श से अग्रिम रूप से प्रत्येक मास के लिए संचलन संबंधी कार्यक्रम तैयार किया जाता है । मांगे गए और सप्लाई किए जा सकने वाले वैगनों की संख्या को दृष्टि में रखकर रेल-छोरों तक स्टाक भेजे जाते हैं । रेलवे के परिसरों में निकासी हेतु स्टैक किए हुए स्टाक को क्षति से बचाने के लिए तिरपालों से ढककर रखा जाता है ।

Underground Shopping Centres in Connaught Place, New Delhi

2109. **Shri Ishwar Chaudhry:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the underground shopping centre of Connaught Place is lying vacant for the last six months;

(b) if so, the resons thereof; and

(c) the amount spent on its cost?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikandder Bakht) : (a) & (b) No, Sir. The main building alongwith services has been completed only in the first week of June, 1978.

(c) The total cost of the project is Rs. 2.04 crores.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

2110. **श्री टी० ए० पई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को देश में भारतीय चिकित्सा परिषद् की भांति जिसे संसद् के अधिनियम द्वारा विशेष अधिकार दिए गये हैं, शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने का कोई सांविधिक अधिकार दिया गया है;

(ख) क्या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा एक बार संस्थान का निरीक्षण करने और उसे संबद्ध घोषित करने के बाद, डिग्री को स्वतः मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती है; और

(ग) क्या देश में विभिन्न कालेजों की बी०ए० की डिग्री का मूल्यांकन करने के लिए भारत सरकार ने कोई व्यवस्था की है और क्या सरकार के पास उसके द्वारा मान्यता दिए गए ऐसे कला, विज्ञान और वाणिज्य कालेजों की सूची है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अथवा किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत अथवा उनके द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय समझी जाने वाली किसी संस्था द्वारा ही कोई डिग्री प्रदान की जा सकती है । भारत सरकार द्वारा ऐसी डिग्रियां स्वतः ही मान्यता प्राप्त होती हैं । अतः किसी डिग्री के कालेजवार मूल्यांकन का प्रश्न नहीं उठता ।

कपास की फसल के आंकड़ों में भिन्नता

2111. **श्री टी० ए० पई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट इंडिया काटन एसोसियेशन द्वारा प्रति वर्ष कपास की फसल का अनुमान तैयार किया जाता है ; और

(ख) ये आंकड़े प्रायः सरकारी आंकड़ों से भिन्न क्यों होते हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । ईस्ट इंडिया काटन एसोसिएशन द्वारा कपास के उत्पादन का अनुमान आमतौर पर कपास उत्पादन के सरकारी अनुमान की अपेक्षा अधिक हैं । अनुमान के दोनों ओर सही अर्थों में तुलनीय नहीं है । जबकि सरकारी अनुमान पूर्ण गणना द्वारा क्षेत्र के अनुमान प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया और यादृच्छिक नमूना तकनीक द्वारा फसल काटने के प्रयोगों के जरिये प्रति हैक्टार उपज पर आधारित है, लेकिन ईस्ट इंडिया काटन एसोसियेशन द्वारा किया जाने वाला अनुमान वस्तुनिष्ठ है जो बैलगाड़ियों में बाजार में पहुंचने वाली वस्तुओं और ओटी गई तथा दबाई गई कपास की मात्रा जैसे घटकों पर निर्भर होता है । इसके अतिरिक्त व्यापार का अनुमान सामान्य गांठ के रूप में किया जाता है, जिसका अनेक मामलों में, 170 किलो की मानक गांठ से कम भार होता है ।

मैसर्स कैलबीनेटर्स को समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए अनुमति

2112. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स केलबीनेटर्स ने अपने समुद्री उत्पादों के निर्यात करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने समुद्री उत्पादों का निर्यात करने की सिद्धांत रूप से स्वीकृति दे दी है, परन्तु इस प्रकार की प्रक्रिया तथा पद्धतियों को सम्बंधित मंत्रालयों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

दिल्ली में चावल के मूल्यों में वृद्धि

2113. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :**

श्री पी० के० कोडिडियन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बासमती तथा अन्य दूसरे प्रकार के चावलों के मूल्यों में हाल में बहुत वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या इस मूल्य वृद्धि का कारण राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चावल का निर्यात बन्द करने का सरकार का निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली की मंडियों में पिछले कुछ महीनों के दौरान चावल के थोक मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति आई है । प्रति क्विंटल मूल्य नीचे दिये जाते हैं :—

(रुपये/प्रति क्विंटल)

	अप्रैल 78	मई 78	जून 78	22 जुलाई 78
बासमती . . .	370	460	475	475
गोल्डन सेला . . .	360	390	390	390
बेगमी . . .	165	170	180	178

(ग) जी नहीं ।

चीनी नीति संबंधी समिति

2114. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई चीनी नीति बनाने के लिये एक समिति स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई नीति तैयार करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने मौजूदा चीनी नीति की समीक्षा करने और वर्ष 1978-79 के लिए नीति की सिफारिश करने के लिए मंत्रिमंडल की एक उपसमिति नियुक्त करने का फैसला किया है । इस समिति में रक्षा, कृषि और सिंचाई, वित्त, वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता, इस्पात तथा खनिज, पेट्रोलियम कैमिकल तथा उर्वरक और विधि, न्याय और समवाय कार्य मंत्री हैं ।

(ग) नई नीति तैयार करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है लेकिन इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय लिये जाने की संभावना है ।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उसके भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 1977 को संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का अनुरोध

2115. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1977 को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : **(क) तथा (ख)** पश्चिम बंगाल सरकार ने यह अनुरोध किया था कि पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1977 का संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए । इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

बालबाड़ी केन्द्र

2116. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महिलाओं के लिये समाज कल्याण बोर्ड कितने बालबाड़ी और प्रशिक्षण एवं कार्य केन्द्र चला रहा है तथा पहले 1975, 1976 और 1977 में उनकी संख्या कितनी थी;

(ख) 1975, 1976 और 1977 में इन बालबाड़ी केन्द्रों और कार्य केन्द्रों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) उपर्युक्त संस्थाओं के लिये बजट में कितनी राशि मंजूर की गई ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इस समय महिलाओं के लिए 5868 बालबाड़ियां और 261 प्रशिक्षण-एवं-कार्य केन्द्र चला रहा है । पिछले वर्षों में (31 मार्च को स्थिति) इन की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	बालबाड़ियां	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं कार्य केन्द्र
1	2	3
1975 . .	5951	136
1976	6073	205
1977	6010	245

(ख) और (ग) बोर्ड द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों अर्थात् कल्याण विस्तार परियोजनाओं, सीमावर्ती क्षेत्र परियोजनाओं, प्रदर्शन परियोजनाओं, परिवार और बाल कल्याण परियोजनाओं तथा महिला मंडलों का बालवाड़ियां एक भाग है । बोर्ड द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों जिनमें बालवाड़ियां एक भाग के रूप में शामिल हैं तथा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं कार्य केन्द्र पर किया गया खर्च और उनके लिए बजट में रखी गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यक्रमों, जिन की बालबाड़ियां एक भाग हैं, तथा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं कार्य केन्द्रों पर किया गया खर्च तथा अनके लिए बजट में रखी गई धनराशि

(रु० लाख की राशियों में)

क्रमांक	वर्ष	कार्यक्रम, जिनका बालवाड़ियां एक भाग हैं		महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कार्य केन्द्र	
		खर्च की गई धनराशि	बजट की मंजूरी	खर्च की गई धनराशि	बजट की मंजूरी
1.	1974-75 . . .	282.69	341.09	56.14*	65.19
2.	1975-76	255.13	333.21	23.68	40.41
3.	1976-77 . .	276 75	332 49	17.67	16.30
4.	1977-78 . . .	264.30	325.57	16.66	35.27

*यह धनराशि 31 मार्च, 1975 तक एकीकृत है

चावल और गेहूं का उत्पादन

2117. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1977 और 1978 के पूर्वार्ध में कुल कितना चावल और गेहूं पैदा हुआ; और

(ख) गेहूं और चावल उत्पादन से उन्हें राशन की दुकानों से वितरित करने में सरकार को कहां तक मदद मिली और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) फसल मौसम (जुलाई-जून) 1977–78 के दौरान चावल तथा गेहूं के उत्पादन के अन्तिम प्राक्कलन बहुत से राज्यों से अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार 1977–78 के दौरान चावल तथा गेहूं का उत्पादन 1976–77 के दौरान के 427.8 लाख मीटरी टन तथा 290.8 मीटरी टन की तुलना में क्रमश: 520 तथा 530 लाख मीटरी टन और 300 तथा .....310 लाख मीटरी टन के बीच होने की सम्भावना है।

(ख) वर्ष 1977–78 की फसल के उत्पादन में से अब तक 47.6 लाख मीटरी टन चावल और 54.2 लाख मीटरी टन गेहूं की मात्रा प्राप्त की गई है। सरकारी वितरण प्रणाली से जनवरी से जून 1978 तक चावल तथा गेहूं की अनुमानित बिक्री क्रमश: 16.3 लाख मीटरी टन और 39.4 लाख मीटरी टन हुई है।

Fixation of Price of Paddy on the basis of cost of Production

2118. **Shri Laxman Rao Mankar**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Government fixed paddy price last year without taking into consideration the cost of production and the paddy growers are losing as a result thereof; and

(b) whether the cost of production will be taken into consideration before determining paddy price next year ?

Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) : No, Sir. The Government fixes prices of paddy and other agritural commodities on the basis of the recommendations of the Agricultural Prices Commission and the views of the State Governments. In making its recommendations, the Commission takes into account the available data on cost of production, changes in input prices and all other relevant factors. While the Agricultural Prices Commission does not follow a machanical formula for recommending the level of prices, they are enjoined to protect the interests of the growers.

As in the previous years, the data on cost of production collected under the Comprehensive Scheme for Studying the Cost of Production of Principal Crops will be taken into account in determining the paddy prices for the next year.

Construction of Central School Building in Jawahar Nagar Ordnance Factory

+2119. **Shri Laxman Rao Mankar** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the Government have formulated a scheme to construct a building for the Central School in Jawahar Nagar Ordnance Factory area in district Bhandare;

(b) if so, the estimated cost thereof; and

(c) when the work on this building will start and by what time it will be completed?

Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 34,96,000.

(c) The construction of school building started on 1-6-1978 and the target date of completion of this work is 31-7-1979.

Funds for Building of Veterinary College of Punjab Rao Krishi Vidyapeeth, Nagpur

2120. **Shri Laxman Rao Mankar** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether I.C.A.R. had purchased 3 acres of land in Nagpur for the offices of Soil Sample Survey and Land Utilisation Project ;

(b) whether it was decided not to construct office building on this land and to provide office accommodation by repairing the building of the old Veterinary College of Punjab Rao Krishi Vidyapeeth;

(c) whether Rs. 4 lakhs were sanctioned by the ICAR for the repairs of this building;

(d) whether instead of constructing a new buiding an amount of Rs. 4 lakhs were given for repairing the building of Krishi Vidyapeeth and that the said building is not yet ready for use and whether a new building could not have been constructed with this money;

(e) whether it is a fact that Punjab Rao Krishi Vidyapeeth College had demanded Rs. 2 to 3 lakhs more to complete the Krishi Vidyapeeth building; and

(f) whether so much amount can be given under rules to Krishi Vidyapeeth for repairing this building and who sanctioned this amount?

Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) to (f) A plot of land measuring 3.66 acres at Nagpur had been purchased in 1962 by the then Ministry of Food and Agriculture (Deptt. of Agriculture) for construction of laboratory buildings for the use of the Regional Centre at Nagpur of the All India Soil and Land Use Survey Scheme.

Due to emergency in 1962, it was decided by the Govt. of India to defer the construction of the laboratory buildings for the above mentioned scheme. This scheme was subsequently transferred to the Indian Council of Agricultural Research with effect from 1-4-1969 and formed part of the National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning. Keeping in view the urgent requirement of accommodation for housing the headquarters of the above organisation and its regional centre, Nagpur, it was decided to get the old veterinary College building offered by the Punjab Rao Krishi Vidyapeeth free of rent, repaired. The Indian Council of Agricultural Research accordingly sanctioned Rs. 3.30 lakhs for renovating the old Veterinary College building at Seminary Hills, Nagpur.

The building has since been repaired and is now ready for use. The headquarters office of the Bureau with its regional centre, Nagpur has already been shifted to this building. Permanent construction would cost Rs. 80 lakhs Rs. 1 Crore and would take normally 3-4 years for completion of the building for the use of National Burea of Soil Survey and Land Use Planning and its Regional Centre at Nagpur.

The Original estimate of Rs. 3.30 lakhs (for renovating the building) had been revised by the Punjab Rao Krishi Vidyapeeth which had undertaken this work when it was found that a number of other items of work of essential nature had to be undertaken in order to make the building functional as laboratory and office of the National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning with its Regional Centre. The Punjab Rao Krishi Vidyapeeth has now asked for an amount of Rs. 4,07,800 in addition to the amount already paid to them for some more work in the building. But the matter is still under correspondence between the University and the Director of the Institute.

'एरगोनोमिक्स' प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये सोवियत रूस से सहायता

2121 **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में 'एरगोनोमिक्स' प्रयोग शालाओं की स्थापना में सोवियत रूस ने सहायता देना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो हस्ताक्षरित समझौतों की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त 'एरगोनोमिक्स' प्रयोगशालाएं तथा सोवियत रूस के विशेषज्ञ किस प्रकार कब और कितनी लागत पर भारत में कार्य करेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क), (ख) और (ग): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई तथा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद में एरगोनोमिक्स' प्रयोग-शालाओं को स्थापित करने के लिए अभी तक किसी भी नयाचार (प्रोटोकोल) पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। तथापि, प्रयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए 2 अक्टूबर, 1972 के भारत सोवियत रूस करार के अनुसार, एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करके 19 मार्च, 1975 को उस पर हस्ताक्षर किये गये, जिसके अंतर्गत औद्योगिक डिजाइन (एरगोनोमिक्स) को सहयोग के एक क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया था। एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में सोवियत रूस का दौरा किया तथा प्रस्तावित सहयोग के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बेर के वृक्ष लगाना

2122. **श्री पी० राजगोपाल नायडू:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बेर के वृक्ष लगाने के लिये प्रोत्साहन दे रही है:

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य के लिये कोई सहायता दे रही है; और

(ग) इस संबंध में किन राज्यों को सहायता दी जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई सामाजिक वनविद्या योजनाओं और बागबानी योजनाओं के अधीन बेर के वृक्ष लगाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा में बेर की खेती के लिए विशेष रूप से 0.948 लाख रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक के लिए 27,354 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

केन्द्रीय आवासन निधियां

2123. **श्री वसन्त साठे :**

श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि आवासन के लिए निर्धारित धन राशि अन्य कार्यों पर व्यय न की जाये;

(ख) यदि हां, तो जारी किये गये निदेशों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) वार्षिक आवंटन की तुलना में गत तीन वर्षों में राज्यवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकारों को सभी राज्य क्षेत्र प्लान योजनाओं के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'समेकित ऋणों' और 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से संबद्ध नहीं है । तथापि, पिछले 3 वर्ष में आवास पर अनुमोदित परिव्यय इस प्रकार है :—

1975-76	85.59 करोड़ रुपये
1976-77	99.85 करोड़ रुपये
1977-78	135.30 करोड़ रुपये

वर्ष 1978-79 के लिये आवास के अन्तर्गत अनुमोदित परिव्यय 138.82 करोड़ रुपये है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सत्रीय मूल्यांकन के लिए सुझाव

2124. **श्री वसन्त साठे :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुझाव दिया है कि सत्रीय मूल्यांकन करने की पद्धति को अवर-स्नातक स्तर पर लागू करने से पूर्व इसे स्नातकोत्तर स्तर पर लागू किया जाय;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कार्यान्वयन समिति की परीक्षा सुधारों संबंधी अन्य सिफारिशें क्या हैं, और

(ग) सिफारिशों पर कियें गयें अन्तिम निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशें हैं :—

1. सत्रीय मूल्यांकन तथा बाह्य परीक्षा के अंकों/ग्रेडों को कुल अंकों में शामिल नहीं किया जाना चाहियें । यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से कुल/समग्र ग्रेड निर्धारित करने के लिये उन्हें जोड़ना

आवश्यक हो, तो हर हालत में, उन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। ग्रेड कार्ड में कालेज/संस्थान का नाम दर्शाया जाना चाहिए।

2. क्योंकि सत्रीय मूल्यांकन की मुख्य बात यह है कि यह गोपनीय नही होता। छात्रों को उत्तर-पुस्तिकायें दिखा दी जानी चाहिए। सत्रीय टैस्टों तथा अध्ययन के दौरान छात्रों के निष्पादन के बारे में उनकी शिकायतों की जांच करने के लिए एक शिकायत कार्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।

3. यह देखा गया है कि सत्रीय मूल्यांकन एकात्मक विश्वविद्यालयों में अच्छा कार्य करता है, परन्तु अवर स्नातक स्तर पर कभी-कभी यह कालेजों के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। इससे पहले कि इसे अवर-स्नातक स्तर पर शुरू किया जाए, समिति ने अनुभव के आधार पर सत्रीय मूल्यांकन की स्नातकोत्तर स्तर पर जांच करने के महत्व को फिर से जोर दिया है।

4. ऐसे विश्वविद्यालय जिनमें कि अभी तक सत्रीय मूल्यांकन शुरू नहीं किया गया था, या जिनमें आरम्भ करके फिर इसे बन्द कर दिया गया था, वे प्रथम चरण में इसे स्वैच्छिक आधार पर आरम्भ कर सकतें हैं और तदनन्तर इसे अनिवार्य बना सकते हैं।

5. जहां तक सत्रीय मूल्यांकन में छात्रों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए अदायगी करने का संबंध है, यह बताया गया था कि परीक्षा सुधार की समस्या की अदायगी करने से न जोड़ा जाए।

6. सत्रीय मूल्यांकन को कार्यात्मक बनाने के लिए पर्याप्त शिक्षा शिक्षार्थी अनुपात की समस्या का भी उल्लेख किया गया था। इस संबंध में इस बात पर जोर दिया गया था कि एक शिक्षक द्वारा प्रति सप्ताह 40 घण्टे काम करने से संबंधित सेन समिति की सिफारिश को स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि इसमें शिक्षक तथा मूल्यांकन दोनों को ही शामिल किया जा सके। इसके साथ-साथ, अनुसंधान छात्रवृत्तियों तथा सहयोजिता से संबंधित विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार अनुसन्धान छात्रों तथा एसोसिएटों को शिक्षण तथा मूल्यांकन कार्य में शामिल किया जाना चाहिये।

(ग) आयोग ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें, सूचनार्थ, मार्गदर्शन तथा कार्यान्वियन हेतु विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है।

मंत्रालयों को घटिया माल सप्लाई किया जाना

2125. **श्री वसन्त साठे:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन ठेकेदारों द्वारा, जिनके नाम मंत्रालयों की सूची में है, रक्षा, निर्माण और आवास मंत्रालयों को घटिया माल की सप्लाई करने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त ठेकेदारों के नाम हटा दिये हैं अथवा हटाने की सिफारिश की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के ठेकेदारों की संख्या कितनी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): [(क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा।

अपर कलाब सिंचाई परियोजना

2126. **श्री के० प्रधानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर कलाब सिंचाई परियोजना कब तक पूरी हो जायगी;

(ख) क्या इसके जल से (उड़ीसा के) कोरापुट जिले के नवरंगपुर सब-डिविजन क्षेत्रों की सिंचाई हो सकेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सब-डिवीजन के लिए कौन सी ऐसी अन्य बड़ी परियोजना बनाई जायगी, जो इस जिले की विशालता और इसके धान-उत्पादक क्षेत्र की विशालता के अनुरूप होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) अपर कोलाब सिंचाई परियोजना की योजना आयोग द्वारा जून, 1976 में स्वीकृति दी गई थी, और स्वीकृत परियोजना के अनुसार, परियोजना के पूर्ण होने की अवधि 8 वर्ष है ।

(ख) परियोजना से कोरापुट जिले में 93927 हैक्टेयर क्षेत्र प्रति वर्ष लाभान्वित होगा । इस परियोजना से कोरापुट जिले के नवरंगपुर सब-डिविजन के किसी भी क्षेत्र के लिए सिंचाई लाभों की परिकल्पना नहीं की गई है ।

(ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि नवरंगपुर सब डिविजीन में 9600 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए अपर इन्द्रावती बांध के प्रति प्रवाह में एक और जलाशय स्कीम का प्रस्ताव है । राज्य सरकार द्वारा इस स्कीम को अन्वेषण के लिए स्वीकृत किया जा चुका है ।

Development Programme of Command Areas of River Valley Project

2127. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have issued directives to States for speedy execution of development programmes of command areas of river valley projects;

(b) whether financial assistance has also been received from World Bank for the development of command areas for irrigation facilities; and

(c) if so, the funds made available during 1978-79 and the share of U.P. Government therein ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Prata p Singh) : (a) Yes, Sir

(b) Yes, Sir. Financial assistance from the World Bank is being received for the following projects for command area development.

1. Chambal Project (Madhya Pradesh).
2. Chambal Project (Rajasthan).
3. Rajasthan Canal Project (Rajasthan).
4. Andhra Pradesh Irrigation and Command Area Composit Project (A.P.)
   (a) Tungabhadra Project.
   (b) Nagarjuna-Sagar Project; and
   (c) Bochampad Project.

5. Maharashtra Irrigation-cum-CAD Project (Maharashtra).

(a) Jayakwadi Project.

6. Jui Command Area Project (Haryana)

7. Upper Krishna Project (Karnataka).

(c) None of the Command Area Development Projects in Uttar Pradesh is being financed by the World Bank. Hence, the question of making available any funds under the World Bank Programme to U.P. does not arise.

Agricultural University in Uttar Pradesh

2128. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up another Agricultural University in Uttar Pradesh ;

(b) if so, its proposed location and by when; and

(c) if not, how Government propose to deal with the increasing number of students?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) No, Sir. Indian Council of Agricultural Research has no information that Government of Uttar Pradesh proposes to set up another Agricultural University in that State.

(b) Does not arise.

(c) The existing three Agricultural Universities namely G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar; C.S. Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur; and Narendra Deo University of Agriculture and Technology, Faizabad are catering to the needs of different regions of Uttar Pradesh. Besides, there are 23 Affiliated Colleges of General Universities and one Constituent College of Central University which are also preparing graduates.

ज्वार के बीज का निर्यात के लिए उत्पादन

2129. **श्री आर० के० महालगी :**

डा० बापू कालदाते :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ज्वार के बीजों का अफ्रीकी देशों को निर्यात करने हेतु उसकी खरीद करने अथवा उसका उत्पादन बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

चावल, गेंहूं, धान और पटसन के मूल्यों में वृद्धि

2130. **श्री आर० के० महालगी**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या चावल, गेहूं, धान और पटसन के मूल्यों में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क), (ख) और (ग) सभी कृषि जिन्सों के मूल्यों में वृद्धि की कोई सामान्य प्रवृत्ति नहीं हैं। मार्च के अन्त और जून, 1978 के अन्त के बीच के मूल्यों की तुलना करने पर विदित होता है कि चावल, खरीफ की दालों, पटसन और तिलहनों के मूल्यों में वृद्धि हुई, धान के मूल्य स्थिर रहे अथवा उनमें मामूली वृद्धि हुई, कच्चे कपास, ज्वार तथा मक्का के मूल्य में समतुल्यता रही और गेंहूं, चना, बाजरा, जौ तथा रागी के मूल्यों में गिरावट आई।

इस अवधि के दौरान चावल और खरीफ की दालों में जो यह वृद्धि हुई है; वह कम सप्लाई की अवधि शुरू होने के कारण मुख्यतया मौसमी है।

Drinking Water in Gujarat

2131. **Shri Dharmasinhbhat Patel**: Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the amount of grant provided by Government of India to Gujarat State during 1977-78 for supply of drinking water in rural areas and the names of districts where the Gujarat government have undertaken or completed schemes for supply of drinking water in rural areas with the assistance of this grant and the number of such schemes in each distict;

(b) the grant allocated to Gujarat State for supply of drinking water in rural areas during 1978-79 and the amount so far given out of it; and

(c) the number of villages where drinking water would be made available in Gujarat State during 1978-79 with this assistance of the Central Government?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Rs. 332.80 lakhs were released to the Government of Gujarat as Central grant-in-aid during 1977-78 for implementation of schemes for provision of safe drinking water to problem villages under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme. The number of villages, district-wise, which were provided with safe drinking water under this Programme during 1977-78 in Gujarat State is as under:—

Sl. No.	Name of the District	Villages completed during 1977-78
1	2	3
1.	Ahmedabad	3
2.	Bhavnagar	10
3.	Kutch	1
4.	Surendranagar	5
5.	Banaskantha	4
6.	Kheda	11
7.	Mehsana	7

1	2	3
8.	Sabarkantha	14
9.	Vadodara	7
10.	Panchmahals	2
11.	Bharuch	91
12.	Surat	30
13.	Valsad	2
14.	Rajkot	7
15.	Amreli	7
16.	Jamnagar	11

(b) and (c) The state-wise allocation of Central grant during 1978-79 under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme has not been finalised yet.

ईस्ट आफ कैलाश, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा मंजूर नक्शों के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण

2132. **श्री के० लकप्पा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ईस्ट आफ कैलाश स्थित कम्युनिटी सैन्टर में बहुमंजिली इमारत वाले प्लाट होल्डरों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर नक्शों का उल्लंघन करके अनधिकृत रूप से तहखानें बना लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्लाट धारियों के विरुद्ध अनिधिकृत, रूप में 'कवर्ड एरिया' में वृद्धि करने तथा इस प्रकार से किये गये निर्माण से किराया पाने के लिये क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है;

(ग) निर्माण स्तर पर गलती ठीक करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्या कार्यवाही की और क्या प्लाट धारियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से सांठ-गांठ करके ये निर्माण किये और गलती के बावजूद भी इन इमारतों के मालिकों को निर्माण पूर्ति प्रसाणपत्र दिये गये; और

(घ) ईस्ट आफ कैलाश के कम्युनिटी सेन्टर में जिन प्लाटों पर ऐसी इमारतें बनी हैं उनमें ऐसे कितने मामले हैं जिनमें इमारत मूलत: प्लाटधारी के नाम में थी और बहुमंजिली इमारत बनने के पश्चात् वहीं इमारत कई व्यक्तियों के नामों में अन्तरित की गयी और क्या प्लाट का अंतरण कई व्यक्तियों के नामों में किये जाते समय, तहखाने के अतिरिक्त 'कवर्ड एरिया' को भी ध्यान में रखा गया ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली में अनधिकृत वाणिज्यिक मकान

2133. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अप्रैल, 1977 से अनेक अनधिकृत वाणिज्यिक मकानों का निर्माण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मकानों का निर्माण हुआ है और इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बक्त) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उन के रिकार्ड के अनुसार अप्रैल, 1977 से 659 अनधिकृत वाणिज्यिक संरचनाओं का निर्माण किया गया था । इन में से 388 निर्माणों को गिरा दिया गया है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 1-4-1977 से रिकार्ड किये गये अनधिकृत निर्माणों (रिहायशी तथा वाणिज्यिक दोनों) की कुल संख्या लगभग 8090 थी।

प्राधिकरण और निगम दोनों अनधिकृत निर्माणों को रोकने और उन्हें शीघ्र गिराने के आवश्यक उपाय कर रहे हैं।

मत्स्य पालन का विकास

2134. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने मत्स्य पालन के विकास के लिए क्या कार्यवाही की है और उपर्युक्त अवधि में इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) इस बारे में राज्यवार, क्या प्रगति की गई, और

(ग) सरकार ने मत्स्यपालन के विकास द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) समुद्री क्षेत्र में मात्स्यकी के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं:- गहरे समुद्र तथा समुद्र तटीय मात्स्यिकी जलयानों को शुरू करना, इन जलयानों के अधिग्रहण के लिए ऋण प्रदान करना, मछली पकड़ने के बन्दरगाहों का निर्माण करना, वृहत् तथा छोटे पत्तनों में माल उतारने तथा चढ़ाने की सुविधाओं की व्यवस्था करना, तटीय मछली पकड़ने वाले ग्रामों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना, राज्य निगमों को सहायता देना और मात्स्यकी संसाधनों के सर्वेक्षण में तेजी लाना। अन्तर्देशस्य क्षेत्र में कार्यक्रम पर अधिक जोर मछली पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से दिया गया है, जिनका उद्देश्य मत्स्य पालन की उन्नत पद्धतियों में मछुओं को प्रशिक्षण देना तथा मत्स्य पालन के लिए अपेक्षित निवेशों की व्यवस्था करना है। खारे पानी में मत्स्य पालन की आर्थिक व्यवहार्यता के प्रदर्शन के लिए समुद्र तटीय राज्यों में मार्गदर्शी परियोजनाएं भी स्थापित की गई हैं। डिमपोना का उत्पादन करना राज्य क्षेत्र का मुख्य कार्यक्रम है।

वर्ष 1974-75, 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान मात्स्यकी विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के (केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित) परिव्यय को प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) राज्यवार प्राप्त प्रगति के स्तर को दिखाने वाले तीन विवरण संलग्न है। विवरण-1 में अब तक शुरू किए गए तटवर्ती मछली पकड़ने के जलयानों की संख्या का उल्लेख किया गया है, विवरण-2 में डिमपोना के उत्पादन के संबंध में प्रगति का उल्लेख किय गया हैं और विवरण-3 में प्रत्येक राज्य में अन्तर्देशस्य तथा समुद्री दोनों के उत्पादन स्तर का उल्लेख किया गया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मछली तथा मछली उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा का अर्जन निम्न प्रकार था :–

वर्ष	विदेशी मुद्रा का अर्जन (करोड़ रूपयों में)
1975	104.9
1976	179.9
1977	179.7

[ग्रन्थालय में रखा गया । दखिये संख्या एल० टी० 2533/78]

मगरमच्छ पालन केन्द्र

2135. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मगरमच्छ पालन केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है और उन राज्यों तथा स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये केन्द्र हैं ;

(ख) इन केन्द्रों को चलाने पर राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि खर्च की जा रही है,

(ग) गत तीन वर्षों में उनको राज्यवार, कुल कितनी आय हुई; और

(घ) उपरोक्त अवधि में उन्होंने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में 'आपरेशन फल्ड' योजना

2136. **श्री बापू कालदाते :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त वित्तीय सहायता और सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) क्या बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में 'आपरेशन फ्लड' योजना को कार्यक्रम दिया गया है; और

(ग) क्या महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के भूम क्षेत्र में इस योजना को लागू करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सामान्य: नदी के किनारों के क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते है और संबंधित इलाके में हाथ में ली गई जल संसाधन परियोजनाओ से इन क्षेत्रों में सिचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है । जहां तक बाढ़-ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में वित्याय सुविधाओं का प्रश्न है, बाढ़ नियंत्रण एक विषय है और बाड़ नियंत्रण स्कीमों के प्रारभ, आयोजन, उनको तैयार करने, उनके क्रियान्वयन और उनकी वित्तीय व्यवस्था का कार्य राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है । किन्तु छठे वित्तयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, केन्द्र बाढ़ों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राहत कार्य पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को 'सीमान्तिक धनराशि' (मार्जिन मनी) प्रदान करता है । बुनियादी गैर-योजना व्यय की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है ।

बहुत गंभीर एवं व्यापाक हानि होने की स्थिति में, राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार योजना के अन्तर्गत अग्रिम सहायता के रूप में नितान्त अनिवार्य धनराशि देती है और ऐसी अग्रिम राशि योजना के लिए आबंटित की जाने वाली धनराशि में से घटा दी जाती है ;

(ख) आपरेशन फ्लड दुग्ध विपणन एवं डेयरी विकास परियोजना है। इस परियोजना में शामिल किये जाने वाले किसी क्षेत्र का फैसला इस कसौटी के आधर पर नहीं किया जाता कि वह क्षेत्र बाढ़ प्रवण है या नहीं ;

(ग) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का भूमक्षेत्र 'आपरेशन फ्लड' के अन्तर्गत नहीं आता।

लघु किसान विकास एजेन्सी का मूल्यांकन तथा उसमें बलिया और मथुरा (उत्तर प्रदेश) यूनियन को सम्मिलित किया जाना।

2137. **श्री उग्रसेन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसान तथा खेतिहर मजदूर विकास योजना को शामिल करने के लिये वर्ष 1971 में योजना के आरम्भ होने पर ही बलिया तथा मथुरा जिलों को योजना के लिये छांटा गया था;

(ख) क्या इस क्षेत्र में निर्धनतम वर्ग के सामाजिक आर्थिक स्तर पर इसके प्रभाव और सुधार के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां। चौथी योजना के दौरान बलियर तथा मथुरा के जिलों में सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को आर्थिक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए लघु सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसी स्थापित की गई थी। तदुपरान्त, परियोजनाओं को पांचवी योजना के आरम्भ में छोटे किसानों को भी उनके अन्तर्गत लाने के लिए सयुंक्त बना दिया गया था।

(ख) व (ग) श्रीराम सेन्टर फार इण्डस्ट्रीयल रिलेशन्स एण्ड ह्यूमन रिसोर्सिज द्वारा मथुरा जिले में कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया था। लाभभोगियों के समाजार्थिक स्तर में सुधार से संबंधित रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिये गये है। जहां तक बलिया जिले का संबंध है, कार्यक्रम मूल्यांकन सगंठन ने अध्ययन किया था परन्तु उनकी रिपोर्ट अभी उपलबध नहीं हुई है।

विवरण

श्रीराम सेन्टर फार इण्डस्ट्रीयल रिलेशन्स एण्ड ह्यूमन रिसोर्सिज द्वारा मथुरा जिले में सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक कार्यक्रम के किए गये मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य परिणाम।

(1) अधिकांश लाभभोगी प्रतिवादियों ने सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक सहायता के कारण अपनी घरेलू आय में शुद्ध वृद्धि सूचित की थी यद्यपि अधिकांश मामलों में यह वृद्धि उनकी प्रत्याशाओं के अनुरूप नहीं पाई गई थी।

(2) सीमान्त कृषि श्रमिक सहायता की मदद से लाभभोगियों द्वारा शुरू की गई अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों से 128 परिवारों के बीच प्रति माह 1897 श्रम दिनों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ है। प्रत्येक श्रमिक को औसतन प्रति माह लगभग 14 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त हुआ।

(3) सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक सहायता से लाभभोगी परिवारों के व्यावसायिक ढ़ाचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। गैर-लाभभोगी सीमान्त किसानों की अपेक्षा अधिकांश लाभभोगियों तथा उनके परिवारों के काम करनेवाले सदस्यों को अब डेरी में लगाया गया है।

(4) सीमान्त कृषक तथा कृषि तथा कृषि श्रमिक सहायता के माध्यम से सृजित की गई अतिरिक्त आय से लाभभोगियों के व्यय के स्तर तथा प्रतिमान पर निश्चय ही प्रभाव पड़ा है।

(5) गैर-लाभभोगी सीमान्त किसानों की अपेक्षा लाभभोगियों में गरीबी का आपतन काफी कम देखा जाता है।

Cultivation of Virginia Tobacco

2138. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme to grow virginia tobacco in the country;

(b) if so, the salient features thereof and the aid and facilities provided to the farmers for it; and

(c) whether this tobacco is exempted from excise duty ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) Yes, Sir. In order to increase the production of exportable types of VFC tobacco in the country, a Centrally sponsored scheme for the development of VFC tobacco in the light soil areas of Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu and U.P. was taken up in the year 1966-67 and is continuing during 1977-78. Since the crop is new to the growers, incentives in the form of subsidy at the rate of 20% of the cost of construction of barns subject to a ceiling of Rs. 1500 per barn, Rs. 375 per hectare for production of nematode-free seedlings and Rs. 250 per hectare for field demonstrations for a unit of 3 hectare plot are provided to the growers covered under the scheme. In addition the farmers are given the necessary technical advice in improved methods of tobacco cultivation by the staff provided under the scheme. Exploratory trials are also being conducted to locate the suitable areas for production of VFC tobacco in the States of Bihar, Orissa, Maharashtra and West Bengal under the scheme. During 1978-79 an additional area of 12200 hectares is proposed to be covered in the above States for which a budget provision of Rs. 93.93 lakhs has been made under the scheme.

(c) No, Sir.

क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में निर्देश का अस्वीकार किया जाना

2139. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धातों को राज्य स्तर तक विस्तार करने सम्बधी सरकारी निदेशों को मानने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा अगला क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) भारत के क्रिकेट नियत्रंण बोर्ड ने, राज्य स्तरीय यूनिटों पर सरकार की कुछ मार्गदर्शी रूप रेखाएं लागू करने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां बताई हैं।

(ख) 21 और 22 जुलाई, 1978 को हुई अखिल भारतीय खेल परिषद की बैठक में इस मामले पर विचार किया गया था। परिषद ने यह सिफारिश की कि सभी राष्ट्रीय खेल संघों को 1978 के अन्त तक उनके राज्य स्तरीय यूनिटों द्वारा सरकार की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिये कहा जाना चाहिए। सरकार इस सलाह पर विचार कर रही है।

छठी योजना अवधि में स्वीकृत योजनाओं को पूरा किया जाना

2140. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत 235 बड़ी मध्यम सिंचाई योजनाओं में से कितनी योजनाएं पूरी की गई हैं; और

(ख) शेष पूरी न की गई योजनाओं को कब तक पूरा किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पांचवीं योजना (1974—78) के दौरान 292 बृहत और मध्यम सिंचाई स्कीमों को स्वीकृत किया गया था। इनमें से 16 मध्यम सिंचाई स्कीमें काफी हद तक पूर्ण हो चुकी हैं।

(ख) अधिकांश बृहत स्कीमों के पूर्ण होने में 5 वर्ष से अधिक समय लगेगा। किन्तु शेष मध्यम सिंचाई स्कीमों के 1982-83 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

लघु किसान विकास एजेन्सी के अंतर्गत पंचायत यूनियन खंडों को सम्मिलित करने के लिए तमिलनाडु से अनुरोध

2141. **श्री के० राममूर्ति:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लघु किसान विकास एजेन्सी योजना के अंतर्गत पंचायत यूनियन खण्डों को सम्मिलित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) लघु कृषक विकास एजेन्सी, थंजावुर ने कार्यक्रम के अंतर्गत पहले से लाये गये 16 खण्डों के अलावा परियोजना क्षेत्र को 8 खण्डों में बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तथापि, राज्य सरकार ने केवल 7 खण्डों को शामिल किए जाने की सिफारिश की। अनुमान है कि माननीय सदस्य इसी प्रस्ताव का उल्लेख कर रहे हैं।

परियोजना क्षेत्र के विस्तार का प्रस्ताव एजेंसी तथा राज्य सरकार द्वारा लघु सिंचाई योजनाएं प्रारम्भ करने हेतु रखा गया था। भारत सरकार ने हाल ही में सामान्य आदेश जारी किए हैं जिनमें सभी लघु कृषक विकास एजेन्सियों को यह अनुमति दी गई है कि वे लघु तथा सीमान्त किसानों के लिए लघु सिंचाई के उद्देश्य से सम्पूर्ण जिले को परियोजना क्षेत्र के रूप में समझें। इसको ध्यान में रखते हुए, लघु कृषि विकास एजेंसी, थंजावुर लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले के छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता कर सकती है।

Foodgrains Storage

2142. **Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Government is aware of the fact that in the absence of proper arrangements for storage of foodgrains in the country most of the foodgrains are damaged each year;

(b) if so, by what time the Government would make proper arrangements for storage of foodgrains in the different parts of the country; and

(c) how much foodgrains had been stored at places other than foodgrains stores upto the end of June, 1978 ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) it is not correct that most of the foodgrains are damaged each year in the absence of proper arrangements for storage. Although some pressure had been felt on the available storage capacity due to unprecedented stocks of foodgrains with Government agencies, all possible steps had been taken to meet the situation and provide storage for the foodgrains procured by Government. These include building of additional storage capacity, optimum utilisation of the existing capacity by raising height of stacks, utilising private parties for construction of godowns on guaranteed basis and provision of CAP etc. However, damage to a very small percentage of foodgrains in storage over a period due to various factors, like moisture, insects, rodents etc. is unavoidable.

(c) A quantity of about 4.1 million tonnes is stored by Food Corporation of India under cover and plinth as on 30th June, 1978.

Fall in Prices of Gur

2143. **Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the prices of Gur have come down considerably this year upto June, 1978 as compared to the prices prevailing during the same period last year and the cane growers are very frustrated as a result thereof;

(b) if so, on how many occasions the prices of Gur crashed upto June this year as compared to the fluctuations occurred during the same period last year; and

(c) why the Food Corporation of India does not purchase Gur from the farmers when it is lying surplus in abundant quantities with them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) A statement showing month-end wholesale prices of Gur at selected centres in the country during the period October to June in the sugar years 1976-77 and 1977-78 is attached (Appendix-I). As may be seen from the statement of month-end wholesale prices of Gur the price of gur did not go below Rs. 100/ per quintal at any of the centres during 1976-77. During the same period this year at the centres in Assam, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Karnataka, Orissa and Pondicherry the prices did not go below Rs. 100/ per quintal. At the other centres the prices fell below Rs. 100/ per quintal 1 to 6 times during this period.

(c) There are limitations on the part of Central Government agencies like Food Corporation of India for the purchase of Gur from the farmers because of its very poor keeping quality and lack of suitable special storage facilities. However even so a certain quantity of Gur was purchased by agencies like FCI and NAFED with a premium over market rate to assist the farmers in the situation.

[Placed in Library. See No. L.T.-2534/78.]

Social transformation by education system

†2144. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the present system of education has failed to bring social transformation; and

(b) if so, whether effective steps will be taken to make education an instrument of social transformation and also to decentralise it; if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) Educational system alone cannot bring about social transformation, though it can help to a considerable extent to promote social transformation. The present system has not proved effective in this direction. The Government are attempting a revision of the content of education at all stages and this can certainly, when fully implemented, contribute decisively to social transformation. The Government favour a flexible, dynamic system of education which is relevant to our needs and environment. This certainly implies decentralisation.

Report of expert from Netherlands in development of small and marginal farmers and agricultural labour

2145. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether a report has been submitted by an expert from Netherlands on the development programmes for small and marginal farmers and agricultural labour as well as on unemployment problem;

(b) whether it has also been stated in the report that for the improvement of eeonomic and social conditions of rural masses their agricultural activities can be promoted only through administrative and managerial efficiency; and

(c) if so, whether steps have been taken to bring administrative and managerial efficiency and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Dr. H. ten Have, an economist, who visited a few SFDAs in 1977 has given a Report on "Programmes for Small and Marginal Farmers and for Agricultural Labourers in India".

(b) This Report, *inter alia*, mentions that an active and dedicated agency with adequate administrative and managerial skills can be effective in motivating the weaker sections and stimulate their activities in the development programmes.

(c) The Government of India had been making a number of suggestions on administrative and organisational matters regarding the SFDAs to the State Governments from time to time. The need for selecting and posting appropriate persons to the key posts under the agencies and continuity of such persons has been impressed upon the State Governments. Programmes for training the key personnel have also been organised by the Government of India.

Proposals from various States regarding irrigation schemes

†2146. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether proposals and project reports regarding new irrigation schemes have been received by the Centre from various States; and

(b) if so, when these schemes will be approved and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The projects are presently under examination. The evaluation of the technical and economic feasibility of the projects will be done and the projects placed for consideration by the Technical Advisory Committee of the Planning Commission as early as possible

केन्द्रीय मत्स्य पालन संस्थान के द्वारा झींगा मछली के प्रजनन के बारे में प्रगति

2147. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मत्स्य पालन संस्थान ने नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत झींगा मछली प्रजनन की परियोजना में कोई प्रगति की थी,

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक स्तर पर अण्डे सेने के केन्द्र स्थापित करने, झींगा बीज की उपलब्धता, मत्स्य पालन जल तथा झींगा पालन के विकास के लिए नये प्रकार के बारे में क्या योजना है, और

(ग) क्या योजना आयोग ने वाणिज्यिक स्तर पर अण्डा सेने के केन्द्रों की उपर्युक्त योजना को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो इस परियोजना के लिए सरकार ने कितनी धनराशि नियत की है तथा इसके क्या लाभ हुए हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, बम्बई, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन और केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान बैरकपुर नियंत्रित परिस्थितियों में झींगा मछली के प्रजनन करने में समर्थ हुए हैं ।

(ख) विभिन्न राज्यों तथा उद्यमियों को झींगा मछली के डिनपोनो की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अर्थ-वाणिज्यिक स्तर पर अंडे सेने के केन्द्र स्थापित करने की योजनाओं पर केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान विचार कर रही है। इन संस्थानों में झींगा लार्वे के आहार तथा पालन पोषण लिए फाइटोप्लाकटन तथय जूपलाकटन के पालन की तकनीकों का विकास किया गया है।

(ग) जी नहीं ।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा बाढ़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण

2148. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष, 1976 में स्थापित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले,

(ख) 31 मार्च, 1978 तक आयोग के कितने प्रश्नों के उत्तर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग को प्राप्त हो गये थे और अंतिम रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी; और

(ग) आयोग कौन-कौन सी बड़ी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर विचार कर रहा है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अभी तक असाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों का दौरा किया है। इन दौरों के दौरान कुछ बाढ़-प्रवण क्षेत्रों और बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया गया है। इन निरीक्षणों का उद्देश्य यह था कि निहित समस्या के स्वरूप और आकार को समझा जा सके और रिपोर्ट को तैयार करते समय उचित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए अध्ययन करने में सहायता मिल सके।

(ख) 31 मार्च, 1978 तक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से जम्मू और कश्मीर से उत्तर प्राप्त हुए थे तथा आंशिक रूप से उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से उत्तर प्राप्त हुए थे। ये उत्तर योजना आयोग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग तथा केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला पुणे से कुछ एवं प्रश्नों के उत्तर रेल मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, नौवहन और परिवहन मंत्रलय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, कृषि विभाग तथा सिंचाई विभाग से भी प्राप्त हो गये हैं। आयोग द्वारा 31 दिसम्बर, 1979 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

(ग) आयोग का गठन भविष्य में देश में बाढ़ों की समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त कार्य पद्धति का सुझाव देने तथा नीति संबंधी मुख्य मामलों को तैयार करने के लिए किया गया है। विशिष्ट स्कीमों पर विचार करना आयोग के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है।

Shortage of Bullock

2149. **Shri O.P. Tyagi** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Government are aware that most of the farmers in India are small farmers and they are not able to make use of tractors thereby depending upon bullocks only for agriculture;

(b) whether the Government are also aware that the number of bullocks in the country has been heavily reduced on account of cow-slaughter as a result of which the farmers and agriculture have been adversely affected; and

(c) if so, the steps being taken by the Government to make up the shortage of bullocks ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pra tap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of bullocks (working male cattle) has increased by nearly 21% between 1951 and 1972.

(c) In view of position explained on (b) above, there is no shortage of bullocks.

पशु चिकित्सा और पशु पालन स्नातक

2150. **श्री एस०आर० दामाणी**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष पशु चिकित्सा कालेजों से कितने पशु चिकित्सक और पशु पालन स्नातक उत्तीर्ण हुए !

(ख) क्या कुछ राज्यों में ऐसे योग्य व्यक्तियों की कमी है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में इनके रिक्त स्थानों और ऐसे योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है, और

(ग) इस शिक्षा का अध्ययन करने के लिए अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश की सुविधा देने के लिए यदि कोई प्रस्ताव है तो उनका ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह):

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पशु चिकित्सा और पशु पालन में अर्हता प्राप्त स्नातकों की संख्या निम्नलिखित है :—

1974-75	764
1975-76	1024
1976-77	1223

(ख) राज्यों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही वह प्राप्त होगी उसे लोकसभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) अगर अधिक विद्यार्थियों की भर्ती की आवश्यकता महसूस हुई तो उस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं।

विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान

2151. **श्री ए०आर० बद्रीनारायण** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान राज्यों में कई विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितना अनुदान दिया गया और

(ख) प्रत्येक राज्य में विशेषकर कर्नाटक में कितनी प्रगति हुई?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनदान आयोग द्वारा, विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वीकृत कार्यक्रमों के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं? अनुदान, प्रति वर्ष प्रत्येक योजना पर व्यय की प्रगति के आधार पर किए जाते हैं। आयोग द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों को 1977-78 में दिए गए अनुदान और विश्वविद्यालयों की राज्य वार संख्या निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	विश्वविद्यालयों की संख्या और 1-7-1978 को विश्वविद्यालय समझी जानेवाली संस्थाएं	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1977-78 के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदान (लाख रुपये)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	246.86
2.	असम	3	55.89

1 2	3	4
3. बिहार . .	8	89.12
4. गुजरात .	9	125.43
5. हरियाणा . .	3	44.62
6. हिमाचल प्रदेश .	1	9.56
7. जम्मू और काश्मीर	2	39.26
8. कर्नाटक	5	196.33
9. केरल	4	98.66
10. मध्य प्रदेश	10	180.44
11. महाराष्ट्र .	11	318.62
12. मेघालय .	1	—
13. उड़ीसा . . .	4	83.73
14. पंजाब . . .	3	70.43
15. राजस्थान . .	4	120.38
16. तमिलनाडु . .	5	206.96
17. उत्तर प्रदेश . .	20	187.04
18. पश्चिम बंगाल . .	8	289.03
19. चण्डीगढ़ . .	1	65.03
20. दिल्ली	1	..

ऊपर कालम 4 में बताए गए अनुदानों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं को दिए गए अनुदान सम्मिलित नही हैं। आयोग, विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान स्वीकृत नहीं करता है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिये जाते हैं।

डी० डी० ए० के बारे में बावेजा समिति का प्रतिवेदन

2152. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए गत अक्तूबर में गठित बावेजा समिति ने यह कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण का ऊपरी खर्च देश में सबसे अधिक है ।

(ख) यदि हाँ, तो तत्तसम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क), (ख) तथा (ग) बावेजा समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक 'शक्ति प्राप्त समिति' की नियुक्ति की गई है। इस ने सरकार के अनुमोदनार्थ अभी अपने सुझाव प्रस्तुत नहीं किये हैं।

त्रिपुरा से बंगला देश के विस्थापितों का पुनर्वास

2153. **श्री चित्त बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा राज्य में जिसमें विस्थापितों की संख्या 8.03 लाख है, पूर्वी पाकिस्तान से आए हुएं विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास कार्यक्रम की सफलता की समीक्षा की है;

(ख) क्या शेष समस्याओं के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन समस्याओं का स्वरूप क्या है और उन्हें हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) क्या त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में इस बारे में कोई ज्ञापन भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को काफी समय पहले बसा दिया गया था और उनका राज्य की सामान्य जनसंख्या की मुख्य धारा में विलय हो चुका है। अतः इस प्रकार की समीक्षा करने का कोई अवसर या आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) 1971 में, त्रिपुरा सरकार ने अवशिष्ट समस्याओं का मूल्यांकन किया था और 6 करोड़ रुपये की सहायता के लिए एक ज्ञापन भेजा था। राज्य सरकार का यह सुझाव था कि 1960 से पूर्व के प्रवासियों को दी गई पुनर्वास सहायता पर्याप्त थी। विस्थापित व्यक्तियों को दिए गए 5000 रुपए का कारोबार ऋण अप्रयाप्त थे। उन्होंने अपताली एवं अरुणधुतिनगर में दो लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए के ऋण की मांग की थी। ऐसे प्रवासियों को भी पुनर्वास सुविधाएं देने की मांग की थी जो या तो राहत शिविरों को छोड़कर चले गए थे या जिन्होंने राज्य से बाहर पुनर्वास स्थलों में आने से इंकार कर दिया था; नलकोटा के 148 नए प्रवासी परिवारों को 1450 रुपए का अतिरिक्त ऋण और अपताली के 29 परिवारों को दुकान ऋण देने का सुझाव दिया था; और विवाह /दाह संस्कार अनुदान आदि की राशि में वृद्धि का भी प्रस्ताव किया था।

राज्य सरकार को यह सलाह दी गई थी कि प्रवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने और रोजगार आदि के अवसर उत्पन्न करने आदि की योजनाओं को राज्य की योजना में समुचित रूप से शामिल किया जाए जिससे प्रवासियों सहित राज्य के सभी लोगों के कल्याण की आवश्यकता पूरी हो सके। विवाह अनुदान /दाह अनुदान में वृद्धि करने सम्बन्धी राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और नलकोटा में बसाए गए नए प्रवासियों को अतिरिक्त ऋण देने संबंधी एक अन्य प्रस्ताव के बारे में यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकार एक व्यवहार्य भूमि उधार योजना तैयार करे, जिसके प्राप्त होने पर, उसके सम्बन्ध में इस विभाग में आगे कार्यवाही की जाएगी।

बारंगी बांध और अपर गंगा परियोजना के लिए सहायता

2154. **श्री निर्मल चन्द जैन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश में (एक) जबलपुर जिले में बारंगी बांध परियोजना और (दो) सिवनी जिले में अपर बैन गंगा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के आयोजन, उनको तैयार करने तथा कार्यान्वित करने का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। बृहद/माध्यम सिंचाई कार्यों के लिए धन की व्यवस्था राज्य योजनाओं के अंतर्गत की जाती है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशिष्ट सैक्टर के साथ जुड़ी नहीं होती।

किन्तु 1977-78 के दौरान केन्द्र द्वारा अपर बेनगंगा परियोजना के क्रियान्वयन की गति में तेजी लाने के वास्ते इस परियोजना के लिए 2.99 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता दी गई थी ।

मध्य प्रदेश में नई परियोजनाओं के अन्तर्गत लाई गई भूमि

2155. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता पार्टी के सत्ता में आने के समय से केन्द्रीय सरकार की निधि की सहायता से मध्य प्रदेश में कितने एकड़ भूमि (पहले जिसमें सिंचाई नहीं होती थी) नयी सिंचाई परियोजनाओं के अतर्गत लायी गयी है; और

(ख) वर्ष 1978-79 के अंत तक केन्द्रीय सरकार की निधि की सहायता से और कितने एकड़ भूमि कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत लाये जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के आयोजन, उन्हें तैयार करने और क्रियान्वयन का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। बृहद/मध्यम सिंचाई कार्यों के लिए धन की व्यवस्था राज्य योजनाओ के अंतर्गत की जाती है । राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है और इसका संबंध किसी सेक्टर विशेष से नहीं होता।

लेकिन 1977-78 में केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश को चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन की रफ्तार में तेजी लाने के लिए 11 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता दी गयी थी । इसके अलावा, सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश को चुनी हुई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी थी ।

इसके अतिरिक्त, एस०एफ०डी०ए०, डी०पी०ए०पी०, सी०ए०डी० आदि जैसे विशेष केन्द्रीय सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण के लिए छोटे और मार्जिनल किसानों को 25 से 33⅓ प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) दी जाती है। सामुदायिक वर्क्स के मामले में, 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। डी०पी०ए०पी० के मामले, में, सिंचाई कार्यों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को खर्च के 50 प्रतिशत के बराबर अनुदान दिये जाते हैं।

1977-78 में मध्य प्रदेश में बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 131000 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया और इन स्कीमों से 1978-79 में 150000 हैक्टेयर की क्षमता के सृजन का लक्ष्य है। जहां तक लघु सिंचाई स्कीमों का संबंध है, आंकड़े इस प्रकार हैं:—

1977-78 (प्रत्याशित)	1,30,000 हैक्टेयर
1978-79 (लक्ष्य)	1,45,000 हैक्टेयर

टिप्पणी—ये सकल लाभ हैं और इनमें मौजूदा वर्क्स के ह्रास और अन्य बातों के कारण होने वाली कमियों को हिसाब में नहीं लिया गया।

हार्वेस्टिंग कम्बाइनों का आयात

2156. **श्री यज्ञदत्त शर्मा: क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पुराने हार्वेस्टिंग कम्बाइनों के स्थान पर नए हार्वेस्टिंग कम्बाइनों का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने हार्वेस्टिंग कम्बाईन उपयोग में हैं और उनमें से कितने खराब हो गये हैं;

(ग) क्या उनके स्थान पर दूसरे कम्बाइन मंगवाने के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) देश में कुल कितने हार्वेस्टिंग कम्बाइनों की आवश्यकता है; और

(ङ) कृषि का अधिक महत्व देने की दृष्टि से उनका देश के भीतर निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं;

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह). (क) जी नहीं। मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) और (ग) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) कम्बाइनों की वर्तमान आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ङ) देश में उनके निर्माण के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

हैलीकाप्टरों का आयात

2157. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार को कृषि कार्यों के लिए हैलीकोप्टरों का आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या अन्य राज्यों ने भी ऐसी मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) कृषि के कार्यों के लिए हेलीकाप्टरों का आयात करने के सम्बन्ध में भारत सरकार को पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अतः राज्य सरकार को आयात करने की अनुमति देने का प्रश्न हीं नहीं होता।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

खाद्यानों के भंडारण के लिये गोदाम

2158. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) खाद्यान्नों को रखने के लिए सम्पूर्ण देश में अब तक कितने गोदाम बनाये गये हैं तथा कुल भण्डारण क्षमता कितनी है; और

(ख) अधिक खाद्यान्न के भण्डारण के लिए अधिक गोदाम बनाने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के अपने 381 गोदाम हैं और केन्द्रीय भण्डारण निगम के अपने 123 गोदाम हैं। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास 1-6-78 को उपलब्ध कुल भण्डारण क्षमता इस प्रकार है :-

(लाख मीटरी टन में)

	ढके हुए		प्लिथ		जोड़
	अपने	किराये के	अपने	किराये के	
भारतीय खाद्य निगम	64.91	42.81	15.99	56.39	180.10
केन्द्रीय भण्डागार निगम	16.36	8.12	4.48	—	28.96
राज्य भाण्डागार निगम	17.58	32.94	—	—	50.52
राज्य सरकारें*	17.77	17.30	—	—	35.07
	116.62	101.17	20.47	56.39	249.65

*राज्य सरकारों से समय समय पर प्राप्त सूचना पर आधारित उपर्युक्त क्षमता के अलावा, सरकारी समितियों ने भी अपनी भण्डारण क्षमता का निर्माण कराया है जिसका खाद्यान्न समेत विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भण्डारण निगम का 1981-82 तक लगभग 40 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता के गोदामों को बनवाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा, प्राइवेट पार्टियों भी कृषि पुनर्वित विकास निगम की वित्तीय सहायता के अन्तर्गत लगभग 30 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण करा रही हैं जिनका भारतीय खाद्य निगम द्वारा गारंटीबद्ध अधिभोग के आधार पर उपयोग किया जाएगा।

प्रमाण-पत्र (सार्टिफिकेट) और डिप्लोमा देने वाली विदेशी संस्थाएं

2159. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ऐसी विदेशी परीक्षा संस्थायें हैं जो छात्रों की परीक्षा ले रही हैं और उन्हें प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परीक्षा संस्थाएं कौन-कौन सी हैं और क्या उनके प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा भारत में मान्य हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी परीक्षा संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता दे रही है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क), (ख) और (ग) सरकार की, भारत में कार्यरत और प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा जारी करने वाली किसी विदेशी परीक्षा संस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतः ऐसे प्रमाणपत्रों और डिप्लोमाओं को मान्यता देने अथवा ऐसी संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता मंजूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तथापि, कुछ विदेशी विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाओं में भारतीय नागरिकों का भारतीय केन्द्र से सम्मिलित होने की अनुमति देते हैं। इसी तरह विदेश स्थित विभिन्न व्यावसायिक संस्थाएं भारतीय नागरिकों को भारत में अपनी परीक्षाओं देने की अनुमति देती है। कुछ विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय छात्रों के प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। ऐसे मामलों में अर्हताएं की मान्यता के प्रश्न पर सरकार ऐसी अर्हताएं प्राप्त करने वालों से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, समुचित मामलों में, उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार करती है ऐसे किसी मामले में इन परीक्षाओं संस्थाओं को सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई कालोनी को दिल्ली नगर निगम को सौंपना

2160. **श्री श्रीधर राव नाथोवाजी जावदे**: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी-8 क्षेत्र में राजोरी गार्डन आवास योजना में मध्य आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग की कालोनियों को, जिनका आबंटन क्रमशः वर्ष 1973 तथा 1974 में हुआ था, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक दिल्ली नगर निगम के नहीं सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम उन व्यक्तियों से, जिन्हें वर्ष 1973, 1974 में मध्य आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के फ्लैट आबंटित किये गये थे, कब्जा लेने की तारीख से ही भवन कर आदि ले रहा है जब कि ये कालोनियां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अभी तक दिल्ली नगर निगम को नहीं सौंपी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (घ) सूचना और एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में प्राइवेट मुजरे

2161. **श्री माधवराव सिंधिया**: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अंतर्गत वेश्या-वृत्ति पर रोक सारे देश में एक समान नहीं है और कुछ शहरों के "रेड लाइट" क्षेत्रों में अब यह भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं, जहां यह सामाजिक बुराई अब भी जारी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्राइवेट मुजरों की व्यवस्था के माध्यम से नाचने वाली लड़कियां इस सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में आ रही है और इसके अंतर्गत दिल्ली की एक कालोनी ग्रेटर कैलाश के एक ठेकेदार ने हाल में मुजरे का आयोजन किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन भोली भाली लड़कियों का शोषण मानती हैं जिन्हें ऐसे तरीकों से रोटी रोजी कमानी पड़ती है ; और

(ङ) यदि हां तो भोली भाली लड़कियों के शोषण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए इस सामाजिक बुराई को निषिद्ध करने के लिए कानून के एक समान क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी): (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत वेश्यावृत्ति अपने वाणिज्य रूप में निषिद्ध है। नाचने वाली लड़कियों द्वारा जो नाच किए जाते हैं वे अपने आप में स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं।

कोसी बेसिन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए संयुक्त आयोग हेतु नेपाल का सुझाव

2162. **श्री डी० अमात**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नेपाल ने समूचे कोसी बेसिन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए संयक्त आयोग गठित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) और (ख) कोसी परियोजना के बारे में 1966 के भारत-नेपाल समझौते में दी गई व्यवस्था के अनुसार 'भारत नेपाल कोसी परियोजना संयुक्त आयोग' की स्थापना के प्रश्न पर 4-7-1978 और 5-7-1978 को काठमांडू में हुई कोसी समन्वय समिति की 15वीं बैठक में विचार किया गया था। यह तय हुआ था कि इस आयोग के गठन और क्षेत्राधिकार आदि के नियमों पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर कार्यवाही की जाएगी ।

गुड़ और खांड़सारी का उत्पादन और मूल्य

2163. **श्री पी० वेंकटासुब्बचा :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 मई, 1978 तक गुड़ और खाँडसारी का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) पिछले वर्षों 1975-76 और 1976-77 की तुलना में इस वर्ष के जनवरी, फरवरी मार्च और अप्रैल में गुड़ और खांडसारी का क्या मूल्य रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 4976-77 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में गुड़ (खांडसारी समेत) का अनुमानित उत्पादन बताने वाला एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-1) । 1977-78 के दौरान इसी प्रकार के उत्पादन के अनुमान अब तक तैयार नहीं किए गए हैं ।

(ख) 1976-77 के दौरान और 1978 में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में चुने हुए केन्द्रों पर गुड़ और खांडसारी के मास के अन्त में थोक मूल्य बताने वाले दो विवरण संलग्न हैं (परिशिष्ट 2 और 3।

[ग्रंथालय म रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 2335/78]

रूई का उत्पादन

2164. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्यों **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 मई, 1978 तक वर्ष में रूई का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष 1975-76 और 1976-77 की तुलना में इस वर्ष जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में रूई की कितनी कीमत रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान कपास के उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं । वर्तमान मूल्यांकन से पता चलता है कि 1977-78 के मौसम के दौरान कपास का उत्पादन लगभग 70 लाख गांठें (170 किलोग्राम की प्रत्येक गांठ) होने की आशा है।

(ख) वर्ष 1975, 1976 तथा 1977 में जनवरी से अप्रैल के महीनो के दौरान के मूल्यों की तुलना में 1978 के इन्हीं महीनों की अवधि के दौरान चुने हुए केन्द्रों में बिना औटी कपास के माह के अंत में थोक मूल्य प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(रुपए प्रति क्विंटल)

राज्य/केन्द्र	किस्म	वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छोटे रेशे						
पंजाब अबोहर	देशी	1975	315	242	210	230
		1976	206	190	216	225
		1977	355	385	340	250
		1978	351	351	290	235
भटिंडा	देशी	1975	284	243	215	220
		1976	208	207	185	—
		1977	320	360	367	—
		1978	325	328	290	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मध्यम रेशे						
आन्ध्र प्रदेश अदोनी	**लक्ष्मी**	1975	376	295	253	270
		1976	152	277	290	294
		1977	426	481	390	376
		1978	341	226	200	162
गुजरात भड़ोच	दिगविजय	1975	375	328	305	325
		1976	368	337	360	430
		1977	560	610	630	555
		1978	505	450	480	465
कर्नाटक हुबली	जयाधर	1975	265	301	288	283
		1976	287	237	266	320
		1977	431	478	452	457
		1978	265	368	355	333
जाब अबोहर	अमेरीकन	1975	256	350	295	322
		1976	267	265	290	260
		1977	460	480	440	350
		1978	400	375	302	282
भटिंडा	अमेरीकन जे-34	1975	329	300	280	292
		1976	252	247	230	—
		1977	430	471	503	—
		1978	382	345	300	290
लम्बे रेशे						
आन्ध्र प्रदेश अदोनी	बारालक्ष्मी	1975	456	351	375	495
		1976	468	335	439	476
		1977	617	646	589	636
		1978	618	609	625	569
कर्नाटक रायचूर शंकर-5		1975	389	383	352	—
		1976	448	403	430	460
		1977	640	670	605	632
		1978	494	522	432	447
तमिलनाडु त्रिपुर	एम• सी• यू-5-1	1975	412	330	315	347
		1976	441	419	442	527
		1977	592	594	560	597
		1978	540	525	530	549

चीनी मिलों द्वारा बंधकाधीन रखी गई चीनी

2165. **श्री के० मलन्ना** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश में चीनी मिलों द्वारा कुल कितनी चीनी बंधकाधीन रखी गई, राज्यवार रखी गई;

(ख) बंधकाधीन रखे गये ऐसे कितने गन्ने की पिराई की गई थी; और

(ग) इस प्रकार के कितने गन्ने की पिराई विभिन्न कारणों से नहीं हो सकी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) तक निम्नलिखित राज्य में चीनी मिलों द्वारा अनुबद्ध/पंजीकृत गन्ने की कुल मात्रा तथा पेरे गये गन्ने की कुल मात्रा इस प्रकार है :–

	अनुबद्ध/पंजीकृत कुल मात्रा	पेरे गये गन्ने की कुल मात्रा
	(लाख मीटरी टन में)	
उत्तर प्रदेश	212/202*	200.3
हरियाणा	18.00	17.75
बिहार	12.70	31.38
तमिलनाडु	52.10	52.80
पांडिचेरी	1.58	1.56
पंजाब	10.20	10.20
केरल	2.78	2.17
आन्ध्र प्रदेश	44.50	46.15
गुजरात	30.75**	30.75
नागालैन्ड	शून्य	शून्य

*212 लाख मीटरी टन गन्ना प्रारम्भ में अनुबद्ध गन्ना है जिसमें 202 लाख मीटरी टन पेश किया गया ।

**अनुबद्ध करने संबंधी कार्यविधि गुजरात में नहीं है क्योंकि सभी फैक्टरियां सहकारी क्षेत्र में हैं ।

अन्य राज्यों के बारे में अनुबद्ध /पंजीकृत कुल मात्रा के बारे में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी । अन्य राज्यों के बारे में गन्ने की पेरी गई कुल मात्रा संबंधी सूचना इस प्रकार है :–

(1)	(लाख मीटरी टनों में) पेरे गये गन्ने की कुल मात्रा (2)
पश्चिमी बंगाल	1.65
असम	0.81
मध्य प्रदेश	7.45
राजस्थान	4.79

(1)	(2)
उड़ीसा	2.03
महाराष्ट्र .	192.21
कर्नाटक .	53.00
गोआ .	1.04
जोड़	262.98

जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि 25-7-78 को 27 चीनी फैक्टिरयां अभी तक गन्ने की पिराई कर रही थीं । अत: जब तक सभी फैक्टिरयां बन्द नहीं हो जाती हैं तब तक गन्ने, जिसकी पेराई नहीं की जा सकी है, की मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं होगा ।

L.I.G. Group houses by DDA

2166. **Shri Ganga Bakht Singh :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that Low Income Group houses built by Delhi Development Authority in Delhi are in heavy demand; and

(b) the time by which Government will ensure that the houses may be allotted to almost all the applicants ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) It will take about 4 years for the Delhi Development Authority to satisfy the demands of those who have registered themselves with the Delhi Development Authority under its various advance registration schemes.

गवर्नमेंट मैडीकल स्टोर डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण

2167. **श्री ए०के० सुब्रमणियन :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंन्ट मैडिकल स्टोर मद्रास के अनुसूचित जातियों के पांच कर्मचारियों के अपने मकानों की पूरी तथा अधूरी मदों के लिए गृह निर्माण ऋण में वृद्धि के लिये आवेदन, उनके इसके लिये पात्र होने पर भी, आवेदन प्राप्ति के तीन वर्ष पश्चात् आवास मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिये थे ; यदि हां, तो किस आधार पर और इस विलंबित कार्यवाही के लिये कौन उत्तरदायी है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को आवास मंत्रालय के विलंबित निर्णय तथा उन्हें देर से सूचना देकर भारी हानि पहुंचाई गई ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि आवास मंत्रालय ने उन लोगों के मामले में मंजूरी की सूचना दे दी है जिन्होंने 18 से 24 मास पश्चात आवेदन किया था; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्द बख्त) : (क) तथा (ख) पहले स्वीकृत किये गये गृहनिर्माण अग्रिम को बढ़ाने के लिये 5 आवेदकों के अनुरोध 1975 में प्राप्त हुए थे जिनमें से 4 मामले एक महीने के भीतर विचार करने के बाद और एक मामला 4 महीने के बाद इस आधार पर रद्द कर दिये गये कि अग्रिम बढ़ाने का आवेदनपत्र पहली किस्त लेने की 18 मास की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं दिया गया था। क्योंकि निर्णय लेने में कोई देरी नहीं थी, अतः आवेदक को निर्णय लेने में देरी के कारण हुई हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस विषय में आदेशों के अनुसार बढ़ोतरी के लिये अनुरोध, निर्माण के मामले में पहली किस्त लेने के 18 महीनों के भीतर अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । यह बताना संभव नहीं है कि किसी व्यक्तिगत मामले में किसी आधार पर ढील दी गई हो क्योंकि केस की फाइलें स्वीकृति के साथ संबंधित विभागों को लौटा दी जाती हैं ।

धान और पटसन की वसूली मूल्य

2168. **श्री राज कृष्ण डान** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या कृषि कार्य के आवश्यक मूल वस्तुओं, जैसे कि उर्वरक, श्रमिक, रसायन कीटनाशी औषधियां खल, बीज, पम्प सेट आदि के मूल्यों तथा किसानों के लिये अति आवश्यक वस्तुओं के मूल्य, धान और पटसन के निर्धारित वसूली मूल्यों की तुलना में कई गुना बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों की कठिनाईयों को कम करने के लिये सरकार वसूली मूल्यों को पुनरीक्षित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार राजसहायता के रूप में किसानों को कोई सहायता देने का विचार कर रही है जैसे गेहूं उत्पादकों को दी गई थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित कुछ आदानों के मूल्यों में पिछले बारह महीनों के दौरान वृद्धि हुई है और कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्य स्थिर हैं या कम हुए हैं । उसी अवधि के दौरान कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में थोड़ी वृद्धि हुई है । मूल्यों में किसी हद तक वृद्धि और कमी हुई है यह संलग्न विवरण में दिया गया है । इसके विपरीत, 1977-78 के दौरान धान के अधिप्राप्त मूल्य में 1976-77 की अपेक्षा 4.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी जबकि 1978-79 के मौसम में जूट के समर्थन मूल्य में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि की गई । इसके अतिरिक्त, कृषकों ने बाजार में बेचे जाने वाले अपने फालतू वस्तुओं का एक बड़ा भाग बाजार मूल्यों पर बेचा है जो सामान्य तौर पर सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति समर्थन मूल्यों की अपेक्षा अधिक है और इस तरह उनकी औसत प्राप्ति (मूल्य प्राप्ति) अधिक है ।

(ख) सरकार की मूल्य नीति का एक मुख्य उद्देश्य उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है और इस उद्देश्य के लिये प्रति वर्ष विभिन्न कृषि जिन्सों की अधिप्राप्ति समर्थन मूल्यों की समीक्षा की जाती है ।

(ग) गेहूं उत्पादकों को आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है और मौजूदा समय में धान या जूट उत्पादकों को आर्थिक सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, सिंचाई के विकास और कुछ फसलों में प्रयोग किये जाने वाले विशिष्ट आदानों के लिये अनेक तरह की आर्थिक सहायतायें दी जा रही हैं,

ऐसा विशेष तौर पर लघु और सीमांत कृषकों, सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों, जनजातीय तथा पर्वतीय विकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है ।

विवरण

थोक मूल्यों का सूचकांक

भाग-1—कृषि आदान और जिन्स

(आधार : वर्ष 1970-71=100)

जिन्स	जून, 1977	जून, 1978	जून, 1977 की अपेक्षा जून, 1978 में मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि/ह्रास
डिजल तेल	213.9	216.4	+1.2
स्नेहक तेल	314.2	311.8	+0.8
विद्युत .	177.2	192.4	+8.6
सीमेंट . .	174.5	187.8	+7.6
कच्चा लोहा .	181.6	187.4	+3.2
उर्वरक . . .	178.5	176.0	—1.4
कीटनाशक दवाएं (कृमिनाशी दवाएं)	232.7	231.1	—0.7
रसायन और रासायनिक उत्पाद	172.5	175.5	+1.7
ट्रैक्टर .	202.3	218.8	+8.2
कृषि फावड़ा	222.3	227.8	+2.5
कृषि छिड़काव	152.2	156.0	+2.5
खली .	243.4	201.5	—17.2
शक्ति चालित पम्प	162.9	160.5	—1.5
निर्मित उत्पाद	181.8	176.9	—2.7

भाग 2—राष्ट्रीय बीज निगम के धान और जूट के प्रमाणित बीजों के मूल्य

बीज का नाम	1977	1978	1977 की अपेक्षा 1978 में प्रतिशत वृद्धि/ह्रास
1. धान :			
(क) मोटा और मध्यम मोटा	180	180–200	0 से 11.1 तक
(ख) बारीक और मध्यम बारीक	190–216	200	1.8 से 15.8 तक
2. जट			
(क) फूटने वाली (डोंडी) किस्में	750	950	26.7
(ख) शाकीय किस्में	750	870	16.0

भाग 3--कृषि मजदूरों के प्रतिवेदित मजदूरी दरों में प्रतिशत परिवर्तन

राज्य	श्रमिकों की श्रेणी	अप्रैल, 1977 की अपेक्षा अप्रैल, 1978 में वृद्धि (+) /ह्रास (—)
आन्ध्र प्रदेश	क्षेत्र श्रमिक	+7.4
असम	क्षेत्र श्रमिक	+8.5
केरल	हल चलाने वाले श्रमिक	—3.1
मध्य प्रदेश	हल चलाने वाले श्रमिक	—1.9
पंजाब	हल चलाने वाले श्रमिक	+7.0
कर्नाटक	क्षेत्र श्रमिक	+3.2
राजस्थान	हल चलाने वाले श्रमिक	—10.6
तमिलनाडु	हल चलाने वाले श्रमिक	+7.3
उत्तर प्रदेश	हल चलाने वाले श्रमिक	+6.3

भाग-4--कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1960-61-100)

	अप्रैल, 1977	अप्रैल, 1978	अप्रैल, 1977 की अपेक्षा अप्रैल, 1978 में प्रतिशत वृद्धि
खाद्य	334	336	+0.6
सामान्य	310	313	+1.0

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको लिखा था कि राष्ट्रीय डेरी विकास निगम ने सरकारी कम्पनी इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम को आर्डर देने की बजाय बहुराष्ट्रीय कम्पनी यूनियन कार्बाइड को 15 करोड़ रुपये का आर्डर दिया है। **कृषि** मंत्री इस पर एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे नियम 377 के अन्तर्गत उठा सकते हैं।

श्री जोतर्मय बसु : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना भी दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा।

सदस्य के निवास स्थान से उसके परिवार की बेदखली के बारे में
EVICTION OF A MEMBER'S FAMILY FROM HIS RESIDENCE

Shri Mani Ram Bagri (Mathura) : I rise on a point of order. A very shameful incident occurred Yesterday when the family members of an MP were forcibly evicted from their house. No intimation has been given to house in this regard. I want you to take serious note of it.

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले की जांच करूंगा।

Dr. Laxminarayan Pandeya (Mandsaur) : I was present there and requested the officials to stay their action for two days. I also contacted the Minister for Parliamentary Affairs. Perhaps he also asked the officials to stay their action. But they did not care to listen. It is an unfortunate incident.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : (गांधीनगर) : आप कह रहे हैं कि आप मामले की जांच करेंगे। यह कहने से काम नहीं चलेगा। आप इस पर अपना विनिर्णय दें। यदि संसद सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो आम नागरिक के साथ क्या किया जाता होगा।

श्री पी० वैंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मंत्री महोदय परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य दें

श्री के० लकप्पा : मकानों के आबंटन में भेदभाव बरता जाता है। आप आवास समिति का पुर्नगठन करें और पूरे मामले की फिर से जांच करें।

श्री सी० एम० संटीफन (इदक्की) : आज सुबह भी ऐसा ही मामला देखने में आया। जब एक संसद सदस्य बाहर से अपने घर लौटे तो उन्होंने अपने घर पर ताला लगा पाया और वह घर में नहीं घुस सके और उन्हें गन्दे कपड़े पहन कर संसद में आना पड़ा। इसलिए आपको यह सब देखना चाहिए। कोई भी पुलिस का आदमी आपकी अनुमति के बिना संसद सदस्य के घर न जाए। यदि आवास समिति मामले को नहीं सुलझा सकती **तो** आपके पास मामला आना चाहिए क्योंकि सभा को आपका संरक्षण प्राप्त है। उन दोनों संसद सदस्यों को उनके अपने घरों में वापिस जाने की व्यावस्था की जानी चाहिए।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं मंत्री महोदय को इस घटना का जिम्मेदार मानता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह घटना परसों हुई है और परिवार बेचारा सड़क की पटरी पर बैठा होगा। सभा यह जानना चाहती है कि वह परिवार किस हालत में है। क्या आपने उनको अस्थायी निवास दिलवाने के बारे में पूछताछ की है। हमें बताया गया है कि संसदीय मंत्री को मामले का पता है।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : जी नहीं।

श्री श्यामानन्दन मिश्र : क्या सरकार की ओर से कोई बता सकता हैं कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ऐसे मामलों में दो या तीन संसद सदस्यों की समिति बनाकर मामले की जांच करवानी चाहिए।

मैं दो मांग करता हूं। पहली यह कि संसद सदस्य की बेदखली अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं होनी चाहिए। दूसरे, यदि कोई ऐसी घटना घटती है तो उसकी जांच सभा द्वारा कराई जानी चाहिए।

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : State Minister for Parliamentary Affairs had been informed. I would like to know what action was taken by taker and if no, the reasons therefor ? This is a very serious matter.

श्री बापू साहिब परूलकर (रत्नगिरी) : जब मुझे समाचार पत्र से इस घटना का पता चला तो मैंने संसदीय कार्य मंत्री से टेलीफीन पर सम्पर्क स्थापित किया। उनके निजी सहायक ने बताया कि वह आगरा गए हुए हैं। तब मैंने उन्हें सारी घटना पढ़ कर सुनाई और उन्होंने कहा कि वह मुझे कार्यवाही के बारे में सूचित करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे कोई सूचना नहीं दी है। जब हम दिल्ली से बाहर हों और हमारे परिवार के सदस्य घर में हों तो ऐसी घटना काफी खतरनाक है। मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। आप इसे स्वीकार करें ताकि सभी सदस्य अपनी बात कह सकें।

Shri Raj Narain (Rai Bareli) : It is not an ordinary incident. Such a barbarous treatment cannot be tolerated. I want that the Minister concerned should peresent himself in the House and feel sorry for this shocking incident and clarify why he has not taken any action in this matter. This House has no confidence in the Minister concerned and he should be expelled from the House. House would like to know what has happened to the family members of M.P. who were forcibly evicted day before Yesterday. This incident is no less than Turkmangate incident. Such a barbarous treatment towards Members of Parliament can dislodge the present Government.

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले की गंभीरता से जांच करूंगा ।

Shri Lalji Bhai (Salumber) : A Committee should be set up consisting of Members of Parliament and you should get the matter investigated. Full enquiry should be conducted into the matter.

Shri Mani Ram Bagri : **

Shri Baldev Singh Jassotia (Jammu) : There is no charge of corruption. You are wrong.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : (बेगूसराय) : मेरा व्यावस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने आवास समिति और उसके अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ टिप्पणी की है। यह टिप्पणी कार्यवाही में शामिल नहीं की जानी चाहिए।

Shri Raj Narain : The hon. Member is levelling charges of corruption before the eyes of the Members of the House. Let it be on record and if charges are proved to be untrue matter can be brought before committee of Privilege.

You have nominated me in the House committee and if any charges of bribe are made agaist me, where should I go? He will have to explain this in the House because this House is supreme.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यदि कोई सदस्य आवास समिति के एक सदस्य पर रिश्वत लेने का आरोप लगाता है तो वह सदस्य उसके विरुद्ध विशेषधाधिकार का प्रस्ताव ला सकता है । नियम 380 में यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह विशिष्टि अंश को सभा के कार्यवाही वृतान्त से निकाल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। यदि इस मामले में नियम 380 का प्रावधान लागू होता है तो मैं निश्चय ही विशिष्ट अंश को सभा के कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा। लेकिन आरोप लगाने से पूर्व उस सदस्य को नोटिस देना चाहिए। वह अचानक ही बिना अनुमति के आरोप नहीं लगा सकता। सभा में प्रत्येक सदस्य की प्रतिष्ठा सर्वोच्च है। मैं मामले की जांच करूंगा। यदि सदस्य शिकायत को लिखकर दें तो मैं सभा की समिति नियुक्त करके मामले की जांच करवा सकता हूं। यदि आरोप सत्य न हुए तो मैं उन पर सभा का अवमान करने का आरोप लगाऊंगा ।

मैं इस मामले की जांच करूंगा कि बेदखली के मामले में मंत्री महोदय दोषी हैं या आवास समिति, उसके बाद ही मैं निर्णय करूंगा।

अध्यक्ष के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

*Expunged as ordered by the speaker.

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं संसद सदस्यों की भावनाओं से सहमत हूं यह एक दुखद घटना है। आवास समिति और मंत्री के विरुद्ध कुछ बातें कही गई हैं। लेकिन इस मामले में प्रक्रिया नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती। विपक्ष के नेता ने कहा है कि ऐसे मामले अध्यक्ष के ध्यान में लाए जाने चाहिए। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। अब आपही निर्णय करें कि किस प्रकार की जांच कराई जाए। हम इस मामले में आपको पूरा सहयोग देंगे। यह आवश्यक है कि आवास समिति माननीय सदस्य की आवश्यकताओं पर अच्छी तरह विचार करे।

श्री बयालार रवि : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संसद सदस्यों कार्यों के बारे में अखबार में उल्लेख होता है। यह सभा संविधान के अधीन बनाई गई है। कोई भी नियमों या संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 105(4) में संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लेख है।

संविधान के सम्मुख सभी बराबर कुछ सदस्यों को गृह मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच हुए पत्राचार को दिखाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : हम उस विषय पर आ रहे हैं। पहले मैं इस पर अपना मत दे दूं तब आप कुछ कहें।

श्री मल्लिकार्जुन : श्री चरण सिंह और प्रधान मंत्री ने कुछ आरोप लगाए हैं। इसे सार्वजनिक कागजात का रूप दिया जाए।

**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में शामिल न किया जाए।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा संसदीय औचित्य के कथित उल्लंघन के बारे में

Re. ALLEGED VIOLATION OF PARLIAMENTARY PROPRIETY BY MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मैंने बम्बई हाई और गुजरात की मांग के विषय में 28 जुलाई को एक वक्तव्य दिया था और पेट्रोलियम मंत्री श्री बहुगुणा से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने की मांग की थी। परन्तु वह सब वाद विवाद सारांश तक में शामिल नहीं किया गया जबकि इस बीच समाचार पत्रों में उस सबके बारे में बड़े विस्तार से छपा जो मैंने सदन में मांग की थी। जबकि संसद का अधिवेशन चल रहा है और जबकि मैंने इस सम्बन्ध में सरकार से पूछा था तब सदन में वक्तव्य देने के बजाय समाचार पत्रों को वक्तव्य देना संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात समझ ली है श्री रवीन्द्र वर्मा इस सम्बन्ध में पेट्रोलियम मंत्री से पूछेंगे। उनकी बात इस बारे में सुन लें।

भूतपूर्व गृह मंत्री श्री चरण सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विनिर्णय

RULING ON QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI CHARAN SINGH, FORMER MINISTER OF HOME AFFAIRS

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री बयालार रवि और के० पी० उन्नीकृष्णन ने दिनांक 19 जुलाई, 1978 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में छपी निम्नलिखित रिपोर्ट के बारे में भूतपूर्व गृह मंत्री श्री चरण सिंह के विरुद्ध

**कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

**Not recorded.

विशेषाधिकार प्रश्न की एक सूचना दी थी : "श्री चरण सिंह ने एक वक्तव्य में कहा : 'मेरे तथा श्री बंशी लाल के बीच हाल की एक बैठक के बारे में संसद में श्री उन्नीकृष्णन, संसद सदस्य ने जो कुछ कहा, उसे जानबूझकर तथा अनिष्टकर वक्तव्य कहा जा सकता है' ।"

मैंने श्री चरण सिंह से टिप्पणी मांगी । 25 जुलाई, 1978 के अपने पत्र में श्री चरण सिंह ने यह बताया कि उनके अनुसार उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार तथा अपमानजनक हैं, अतः उनकी तत्काल प्रक्रिया कुछ कठोर थी । स्पष्टतः उन्होंने यह महसूस किया कि उनकी राजनीतिक निष्ठा को उस वक्तव्य से हानि पहुंचती है और इससे उनकी राजनीतिक जीवन पर भारी आक्षेप होता है ।

श्री चरण सिंह ने यह बताया कि उनकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए वह सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने यह वक्तव्य जारी किया । उन्होंने अपने पत्र के अन्त में यह लिखा कि उनका आशय माननीय सदस्य के प्रति किसी द्वेष भाव का नहीं था और यदि ऐसी भावना बन गई है तो उन्हें इसका खेद है ।

ऐसी परिस्थितियों में मैं इन प्रस्तावों के प्रति अपनी सहमति नहीं देता । परन्तु इसे उदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए । सभा में किसी प्रकार के विचार से असन्तुष्ट होने पर कोई भी माननीय सदस्य सभा में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है ।

भूतपूर्व गृह मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच पत्र व्यवहार को सभा पटल पर रखने के बारे में

Re. LAYING THE CORRESPONDENCE BETWEEN FOMRER MINISTER OF HOME AFFAIRS AND PRIME MINISTER

अध्यक्ष महोदय : भूतपूर्व गृह मंत्री और प्रधान मंत्री के बीच पत्र व्यवहार को सभा पटल पर रखने या अन्यथा सदस्यों को उपलब्ध कराने का प्रश्न सभा में कई बार उठाया गया है । मैंने 26 जुलाई के सभा में पार्टियों तथा ग्रुपों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शुरू में पत्र व्यवहार लोक सभा में पार्टियों और ग्रुपों के नेताओं को दिखाई जाये । इसे सभा पटल पर रखने सम्बन्धी प्रश्न पर बाद में विचार किया जाये ।

मुझे पत्र व्यवहार की प्रतियां प्रधान मंत्री से 28 जुलाई, 1978 को प्राप्त हुई और मैंने उसी दिन दोपहर बाद लोक सभा में दलों और ग्रुपों के नेताओं की बैठक बुलायी और पत्र व्यवहार उनके समक्ष रखा ताकि वे उसे पढ़ सकें और उनसे अनुरोध किया कि इसका प्रचार न किया जाये ।

विपक्ष के दलों और ग्रुपों के नेताओं ने उक्त पत्र व्यवहार को 28 जुलाई, 1978 को पढ़ा ।

अब मुझे विपक्ष के नेता श्री सी० एम० स्टीफन से पत्र प्राप्त हुआ है और उन्होंने अनुरोध किया है कि पत्रों को सभा पटल पर रखने की मांग पर सदस्यों को बोलने दिया जाये ।

इसमें संगत नियमों, और संसदीय परम्पराओं और संविधान के संगत उपबन्धों की व्याख्या का प्रश्न आता है । मैं इस पर सदस्यों के विचार जानना चाहूंगा ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा निवेदन यह है कि निर्णय देने से पूर्व सदन को सूचित किया जाना चाहिये था ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मैंने इस प्रश्न को शुक्रवार को उठाया था और सभापति श्री डी० एन० बसु से कहा था कि वह सभा की भावनाओं को अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाएं । मैंने कहा था कि एक विषय जो पूरा सप्ताह चर्चा का विषय बना किस प्रकार अध्यक्ष महोदय के कक्ष में कुछ सदस्यों की बैठक में तय कर लिया गया है । यह निर्णय कैसे कर लिया गया है ?

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : सभा पटल पर पत्र रखने संबंधी नियम सम्पूर्ण नहीं हैं। नियमों में केवल यही कहा गया है कि पत्र रखने के लिये क्या किया जायगा। कुछ मामलों का हवाला दिया गया है कि किस प्रकार के पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे। उसमें सभी संभाव्यताएं नहीं आती।

आजादी से पहले पत्र रखने की प्रथा बहुत सीमित थी। कार्यपालिका को विधानमंडल के नियम बनाने का पूरा अधिकार प्राप्त था। और वह कि पत्र को पेश करने और उसकी जानकारी बिना कारण बताये से इन्कार कर सकती थी। परन्तु आजादी के बाद हालात बदले हैं। यह संसद सर्वोच्च है और मंत्रिपरिषद इसे जबाबदेह है। ऐसे अनेक मामले हुए जो कि प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं आते। जहां मंत्रियों और सदस्यों को सभा पटल पर पत्र रखने के लिये मजबूर किया गया है। प्रत्येक मामले का निर्णय गुणादोष के आधार पर होगा। हां, कुछ सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। जिस मामले में जनहित का प्रश्न आता हो उसमें अध्यक्ष निदेश न दें कि उसे सभा पटल पर रखा जाये।

यह ध्यान में रखना होगा किसी पत्र को 'गोपनीय' मात्र लिख देने से वह गोपनीय पत्र नहीं बन जाता और जब तक कि वह जनहित से सम्बन्धित न हो। संविधान में कुछ विशेषाधिकार दिये गये हैं। मंत्रिमंडल में होने वाली चर्चा को प्रकट नहीं किया जा सकता उसमें भी मंत्रिमण्डल के निर्णय विशेषाधिकार के मामले नहीं होते। वहां पर होने वाली चर्चा ही विशेषाधिकार का विषय है। इसमें मान्य सिद्धांत यह है कि यदि कोई मंत्री त्यागपत्र देता है और वह मंत्रिमण्डल में होने वाली किसी बात को बताना चाहता है तो उसे प्रधान मंत्री की अनुमति लेनी होती है। और प्रधान मंत्री साधारणतः अनुमति दे देते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जहां अनुमति न दी गई हो। यदि अनुमति दे दी गई हो तो मंत्रिमंडल में होने वाली चर्चा को भी सभा में बताया जा सकता है। यह मान्य बातें हैं।

जहां तक भूतपूर्व गृह मंत्री और प्रधात मंत्री के पत्र व्यवहार का संबंध है, हमने उसे गम्भीरता से देखा है और हमारी यह प्रतिक्रिया है कि यह पत्र सभा पल पर रखे जायें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर इन्हें सभा पटल पर न रखा जाए।

श्री चरण सिंह या उनके निकटस्थ लोगों ने इस पत्र व्यावहार के कुछ अंशों को प्रकट किया है, और वह समाचारपत्रों में छपे हैं। अब अध्यक्ष की अनुमति से विपक्ष के नेताओं ने इन पत्रों को देखा है और वे उन्हें अपनी पार्टी के अन्य सदस्यों को बता सकते हैं। बात इतनी सी है कि वे कागजात सदन के पास नहीं हैं और उनके बारे में विभिन्न प्रकार के कथन पेश किए जा रहे हैं। इनके बारे में इस प्रकार का सन्देह बनाए रखना देश के हित में नहीं होगा।

जहां तक त्यागपत्र का प्रश्न है, प्रधान मत्री इस बारे में त्यागपत्र की मांग करने वाला पत्र सभा के सामने रखने को तैयार हैं। परन्तु ऐसा उन्होंने किया नहीं है। हो सकता है कि वे हमसे ऐसी मांग किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हों। वे पत्र भी सभा के सामने आना चाहिए। जिससे हमें कारणों का पता चल सके।

प्रधान मंत्री ने उन कागजातों को रोकने का एक मात्र कारण नियम और गोपनीयता दिया है। यदि मामला किसी भी छोटी से छोटी अदालत में हो तो वह समन जारी कर सकता है और उन्हें देना ही होगा। अतः कोई बात ऐसा करने के आड़े नहीं आती। यदि ये अदालत के लिये उपलब्ध है तो उन्हें सभा के सामने भी रखा जाए।

इसमें किसी प्रकार की खतरनाक प्रथा का भय नहीं है क्योंकि ऐसा मामला पहले कभी नहीं उठा और न ही कभी उठने वाला है। प्रत्येक मामले का गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए और इस सम्बन्ध में सब कुछ जनता के सामने है। अतः अध्यक्ष प्रधान मंत्री से कागजात सभा पटल पर रखने को कहें।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : There are certain provisions under Article 151 etc. of the Constitution of India wherein those papers have been specified which must be laid on the Table of the House. There are also certain Rules in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha which govern laying of papers on the Table. During all these years amendments have been made in the Constitution. Rules committee is also there for this purpose. The business of the House cannot be conducted beyond the provisions of the constitution and the Rules of Procedure. The Leader of the opposition has stated that the Rules of Procedure are not comprehensive, they are incomplete. It means that as far as the provisions of constitution and Rules of Procedure are concerned, there is no weight in his demand to ask the Government to lay the correspondence on the Table and the demand does not stand on any valid reasoning.

The Leader of the opposition referred to Rule 368. This Rule clearly lays down that even if a Minister quotes in the House from a paper, it is the Minister himself who will decide whether it is in public interest or not to lay that document on the Table, the final authority for judging the 'public interest' vested in the Minister only. As such, in this case also the authority to decide whether it is in public interest or not to lay on the Table the correspondence exchange between the Prime Minister and the ex-Home Minister vests in the Prime Minister only. Neither the Speaker nor anyone else has the power to decide this.

If the demand made by Shri Stephen is accepted, it will create a very bad and dangerous precedent and no Government will be able to run smoothly as they will not be able to maintain secrecy.

It has been the convention of this House that if a Minister, in reply to a question admitted by the Speaker, says that it is not in public interest to disclose the information, this is treated as final. The Speaker can not force him to answer to a particular question. If this is the case with questions, why can it not be applied in the case of correspondence exchange between the two Ministers ?

The leader of the opposition has stated that there is confusion in regard to the exact reasons for the resignations by the Ministers which they have come to know so far. I would advise the Leader of the opposition that if he thinks that there is some substance in the charges reported to have been levelled in the letters, he should make out a *prima facie* case against the persons concerned and send it to Lokpal or raise it in this House. Such things should not be raised in the House in this manner just to make a political capital out of it.

श्री यशवंत राव चव्हाण (सतारा) : केवल मात्र प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करना पर्याप्त नहीं होगा ।

मंत्रिमण्डल में किया गया विचार विमर्श निश्चय ही गोपनीय होता है तथा उसके बारे में बताया नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनके लिये गोपनीयता की शपथ ली गई होती है परन्तु इस बात को मंत्रियों के साथ हुए पत्र व्यावहार पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें ऐसे लोग भी हैं जो कि मंत्री नहीं हैं । यह मामला केवल श्री मोरारजी देसाई तथा श्री चरण सिंह से सम्बद्ध नहीं है इस मामले में पुत्र, दामाद आदि अन्य अनेक लोग भी सम्बद्ध हैं । यह मामला उनके सरकारी कार्यों से सम्बद्ध नहीं अपितु इसमें अन्य अनेक मामले भी सम्बद्ध हैं ।

अतः केवल इस विषय पर तर्क वितर्क करना पर्याप्त नहीं है कि इन पत्रों को सभा पटल पर रखना लोक हित में नहीं होगा । मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह लोकहित राष्ट्रीय हित और सबसे

अधिक सरकार तथा शासक दल के हित को दृष्टीगत रखते हुए इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रख दें ।

जहां से मैं बोल रहा हूं, एक समय इसी स्थान से बोलते हुए स्वयं श्री देसाई ने यह अनुरोध किया था कि सरकार को संसद से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिये। यह अच्छा ही होगा यदि वह स्वयं अपने ही तर्कों को स्मरण करें जो कि उन्होंने इस समय संसद के समक्ष किये थे।

यह ऐसा प्रश्न है जिसके साथ सरकार, प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व गृह मंत्री की गरिमा का प्रश्न जुड़ा हुआ है, हम यह चाहते कि जो शंका के बादल हमारे मन मष्तिष्क पर छाये हुए हैं उन्हें दूर करना सदन, सरकार तथा जनता सभी के हित में होगा ।

प्रधान मंत्री ने तो यह दावा भी किया है कि इन दस्तावेजों को दिखाना 'लोक हित' में नहीं होगा यदि वह उन दस्तावेजों में कुछ सदस्यों को दिखाने के लिए अध्यक्ष को देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बिल्कुल अलग बात हो जाती है। अतः मेरा सरकार तथा अध्यक्ष दोनों से अनुरोध तथा अपील है कि वह नियमों के बारीकियों का आश्रय न लें अपितु वह बहादुरी दिखाते हुए इस दस्तावेजों को सभा पटल पर शीघ्र रख दें ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ बहुत सी संवैधानिक पेचीदीगियां जुड़ी हुई हैं। इसलिये अगर इसके लिये कोई पूर्व उदाहरण नहीं है तो अध्यक्ष महोदय इस सदन का रक्षक होते हुए इस प्रकार के उदाहरण स्थापित कर सकते हैं ताकि यह संस्था जीवित बनी रहे।

मार्च 1977 में श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नये मंत्रिमण्डल का गठन किया गया तथा नये मंत्रियों का सदन में परिचय करवाया गया। अब सरकारी कक्ष में बैठने वाले कुछ सदस्य दूसरी ओर आ बैठे हैं तथा एक अन्य ऐसे ही सदस्य अनुपस्थित भी हैं। हमने इस आशय का समाचार भी पढ़ा है कि उनमें से कुछ ने त्यागपत्र दे दिया है उन्होंने क्यों त्यागपत्र दिया है, यह जानने का सदन को अधिकार है। आज इस बात को 15 दिन हो गए हैं परन्तु अभी तक हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। प्रधान मंत्री ने अभी तक सदन को यह नहीं बताया कि उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया और न ही उन सदस्यों ने ही सदन को कुछ बताया है। हम केवल इतना जानते हैं कि उनके दृष्टिकोणों से कुछ मतभेद था और इसका सम्बन्ध भूतपूर्व गृह मंत्री श्री चरण सिंह तथा प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के बीच हुए पत्र व्यवहार से था ।

मंत्रिमंण्डल के सामूहिक दायित्व वाले सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए भी हम यह मांग कर रहे हैं यदि मंत्रिमण्डल का कोई सदस्य त्यागपत्र देता है तो लोक सभा तथा संसद को उसके कारण जानने का अधिकार है क्योंकि वह उसके प्रति उत्तरदायी है। वह ऐसा नहीं कर सकते कि एक ओर तो संविधान का अनुसरण करें तथा दूसरी ओर जहां उन्हें सुविधा न हो, उसका अनुसरण करें।

यह एक ऐसा मामला है जिसमें कुछ व्यक्तियों के चरित्र तथा व्यवहार आदि पर प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व गृह मंत्री द्वारा छीटाकशी की गई है। अतः मेरी मान्यता यही है कि संसद को इस मामले सम्बन्धी तथ्य जानने का पूरा अधिकार है।

दिसम्बर, 1974 में श्री मोरारजी देसाई ने एक सदस्य के रूप में इसी सभा में कहा था कि कोई सरकारी गुप्त पत्र संसद के लिए गुप्त नहीं हो सकता क्योंकि संसद का स्थान सरकार से ऊपर है न कि सरकार का संसद से ऊपर। यदि सरकार ऐसा महसूस नहीं करती तो संसदीय लोकतंत्र के लिए यह बड़े खेद की बात होगी और ऐसे में संसद अपने आधिकार का समुचित उपयोग नहीं कर सकती। यह तर्क दिया जा सकता है कि ऐसा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्टों तथा फाइलों के बारे में कहा गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट जांचकर्त्ता ऐजेन्सी की रिपोर्ट होती है, जो कि अनिवार्य रूप से गुप्त स्वरूप की होती है। यदि श्री देसाई ऐसी मांग कर सकते थे तो प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के बीच हुए पत्र व्यवहार को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सकता।

तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करना संसद का अपना अधिकार है और यदि उसे इस अधिकार का उपयोग नहीं करने दिया जाता है तो इस देश में संसदीय लोकतंत्र जीवित नही रह सकता।

श्री कृष्ण चन्द हाण्डर: (दुर्गापुर) प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के बीच हुआ पत्र व्यवहार कोई केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट नहीं है। यह कोई मन्त्रि मंडल का निर्णय नहीं है। यह तो प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के बीच एक दूसरे को लिखे गए पत्र हैं।

इस पत्र व्यवहार में भ्रष्टाचार में अन्तर्ग्रस्त कुछ रिस्तेदारों का उल्लेख है। मेरा दल भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और साफ सुथरा प्रशासन चाहता है। इसलिए केवल राष्ट्र के हित में ही नहीं बल्कि जनहित में भी प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के बीच हुए इस पत्र व्यवहार को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि देश में लाखों लोगों के मन से संदेह दूर हो जाये।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : अध्यक्ष महोदय की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें वे पत्र दिखाये हैं किन्तु हमें पत्रों से कोई नई जानकारी नहीं मिल पायी है।

प्रत्येक को हर बात का पता है। केवल सरकारी तौर पर संसद सदस्यों को वह नहीं दिखाया गया है। सरकारी तौर के दृष्टिकोण से यह कैसे गुप्त रह सकता है? क्या यह कोई मंत्रि मंडल की बातचीत है? क्या दो मंत्रियों के बीच हुए पत्र व्यवहार को केवल इस आधार पर गुप्त कहा जा सकता है क्योंकि पत्र के ऊपर "अत्यधिक गुप्त" लिखा हुआ है? यह कहने में कोई औचित्य नहीं है कि यह गुप्त दस्तावेज है जिसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता।

मैं चाहता हूं कि सभा पटल पर केवल वे पत्र ही नहीं रखे जाने चाहिए बल्कि प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है। उनके पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी के हैं, उन्हें जिम्मेदारी से बोलना तथा लिखना चाहिए। अतः यदि गृह मंत्री ने कहा है कि प्रधान मंत्री के पुत्र के विरुद्ध आरोप हैं तो उन्हें सभा में बताना चाहिए और प्रधान मंत्री को भी वास्तविक तथ्य सभा में पेश करने चाहिए।

श्री निर्मल चन्दों जैन (सिवना) : इस चर्चा से तीन बातें सामने आई हैं। पहली कानूनी बात है। दूसरी औचित्य की बात है और तीसरी बात सतारूढ़ दल को सलाह दी जाती है कि बेहतर यही है कि उन पत्रों के बारे में संसद सदस्यों को बताया जाये।

जहां तक गोपनीयता का संबंध है, यदि कुछ बातचीत मंत्रि-मंडल में हुई होती तो वह गुप्त हो सकती है अन्यथा कोई बात गोपनीय नहीं हो सकती। इसलिए प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के बीच हुआ पत्र व्यवहार एक गुप्त दस्तावेज है और इस पर गोपनीयता की शपथ लागू होती है। यह केवल मंत्रि-मंडल का निर्णय ही नहीं है बल्कि दो व्यक्तियों के बीच गोपनीय पत्रों की अदला बदली हुई है और वे गोपनीयता की शपथ के अन्तर्गत आते हैं यदि सरकार उन्हें गोपनीय समझती है तो अध्यक्ष उन्हें उन पत्रों को सभा पटल पर रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और न ही उनके बारे में किसी को बताया जा सकता है।

इन पत्रों में कुछ नहीं है और कोई भी सभा उन्हें सभा पटल पर रखने के लिए नही कह सकती। जिनकी लम्बी-लम्बी जांच करने के पश्चात कुछ भी सामने नहीं आयेगा। अतः संवैधानिक पहलू को ध्यान में रखते हुए इन पत्रों को सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिए।

डी० वी० ए० सैयद मुहम्मद (कालीकट) : संसदीय लोकतंत्र तथा जिम्मेदार सरकार के बारे में कुछ मूलभूत बातें उठाई गई हैं। कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री इसलिए कहलाता है कि उस पर सब को विश्वास है । जब पत्र व्यवहार किया गया तथा प्रधान मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं तो सभा काउन बातों से पूरा संबंध हो जाता है। जब कोई ऐसा मूलभूत मामला हो, जिसमें इस सभा का प्रधान मंत्री में विश्वास की बात अंतग्रस्त हो तो फिर नियम विनियमों की बात करना व्यर्थ है। नियमों का मूलभूत मामलों से कोई संबंध नहीं है।

यहां तो केवल नियम 389 लागू होता है जिससे अध्यक्ष को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं और उनका स्वैच्छा से प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रियों द्वारा वक्तव्य देने या सभा पटल पर पत्र रखने संबंधी नियमों का इनसे कोई संबंध नहीं है। उन नियमों का इस मौलिक मामले से कोई संबंध नहीं है। मुख्य बात सभा का प्रधान मंत्री में विश्वास होना है।

कुछ आरोप लगाए गए हैं। जो कि प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व गृह मंत्री के विरुद्ध लगाए गए हैं। इसलिए इस सभा को यह जानने का अवसर दिया जाना चाहिए कि क्या सभा का प्रधान मंत्री में विश्वास है अथवा नहीं। और क्या प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री सभा के विश्वास के पात्र हैं।

गोपनीयता की शपथ के बारे में संविधान के अनुच्छेद 74 का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की स्थिति में नियम 389 ही लागू किया जाना चाहिए और प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व गृह मंत्री को कहना चाहिए कि वे सभा के समक्ष आकर दस्तावेज पेश करें। उन्हें प्रधान मंत्री बने रहने के लिए सभा के विश्वास की आवश्यकता है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : कुछ लोगों को ये पत्र देखने का अवसर मिला है जबकि मुझे इस तरह का कोई अवसर नहीं मिला है।

यह मामला बहुत ही नाजुक है क्योंकि इसका संबंध प्रधान मंत्री तथा भूतपूर्व गृह मंत्री से है। इसमें जनता सरकार की विश्वसनीयता अन्तर्गस्त है। आप जहां कहीं जाइये, आपको पता चलेगा कि लोगों का जनता सरकार से विश्वास हट रहा है। मैं तो चाहता हूं कि जनता सरकार में लोगों का विश्वास घटने की बजाये बढ़ता रहे। यदि वे उन पत्रों को सभा पटल पर रख देते हैं और देशवासियों को यह पता चल जाता है कि इनमें क्या कुछ है तो इससे उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः कायम हो सकती है। विधि मंत्री कानूनी तथा तकनीकी तर्क देकर हमें बनाने का प्रयास करेंगे किन्तु हम नहीं मानेंगे। वे पत्र यहां पेश किए जाने चाहियें अन्यथा लोगों को सच्चाई का पता नहीं चलेगा।

हिन्दुस्तान टाइम्स में सभी बातें आई हैं। वास्तव में सभी पत्र व्यवहार समाचार पत्रों में आया है, जिसके बारे में जांच होनी चाहिए कि यह समाचार पत्रों में कैसे आ गया।

इस प्रकार की स्थिति में नियम 368 तथा 369 की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में नियम 368 तो मंत्री की रक्षा करता है। यह बताना कि जनता सरकार के उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार नहीं है, क्या जनहित में नहीं है ?

मैं समझता हूं कि देश का हित इसी बात में निहित है कि इसे पूरी तरह प्रकाश में लाया जाना चाहिए ताकि लोगों के मन में जो संदेह तथा शंकाएं हैं, उन्हें दूर किया जा सके।

प्रधान मंत्री कहते हैं कि जो चीज मुझे विश्वास में लेकर की गई है, उसे मैं प्रकट कैसे कर सकता हूं। यह ठीक है किन्तु जब लोगों का विश्वास उठ गया है तो फिर विश्वास की बात ही कहां

रह जाती है। इस लिए संसद से कोई बात छिपाई नहीं जानी चाहिए। संसद को सब कुछ बताया जाना चाहिए। हमारा, जनता सरकार का, देश का तथा लोकतंत्र का हित इसी में है। मुझे आशा है कि वे ऐसा करेंगे।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है कि यह मामला तकनीकियों वाला है. किन्तु मैं समझता हूं कि यह मामला उच्च सिद्धान्तों वाला है। इस मामले में माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। कुछ का कहना है कि इस पत्र-व्यवहार को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए जबकि कुछ सदस्यों का कहना है कि इन गोपनीय पत्रों को सभा पटल पर रखना एक खतरनाक पूर्वोदाहरण स्थापित करना होगा। क्योंकि इन पत्रों पर गोपनीय लिखा हुआ है। कानून कहता है कि सरकार को किसी गोपनीय पत्र व्यवहार को सभा पटल पर रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहा गया है कि इस बारे में कुछ बातें समाचार पत्रों में क्यों आई हैं। यह भी कहा गया है कि पत्र व्यवहार में ऐसी कोई बात नही है जिसे प्रकट करने से कोई जनहित होता हो।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसू (कटवा): उन पत्रों को देखने का अवसर सभी सदस्यों को क्यों नहीं दिया गया। सब सदस्य बराबर हैं।

श्री शांति भूषण: निस्संदेह सभी सदस्य बराबर हैं।

यदि एक बार कोई दस्तावेज सभा पटल पर रख दिया जाता है तो वह फिर सभा की सम्पत्ति बन जाता है। वह प्रेसों में छापा जा सकता है। अतः पत्र व्यवहार को सभा पर रखने तथा कुछ विशिष्ट, सदस्यों द्वारा पढ़े जाने में अंतर है। किसी दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में जनहित हो अथवा नहीं यह निर्णय करना सरकार का काम है।

प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के बीच हुए पत्र-व्यवहार को सभा पटल पर रखना जनहित के विरुद्ध होगा क्योंकि वह संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के सामूहिक दायित्व के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा। सरकार के सामूहिक दायित्व के कार्यकरण संबंधी सिद्धान्त के रास्ते में कुछ नही आना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार मंत्रि मंडल का कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य के साथ पत्र व्यवहार कर सकता है तथा उसे इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि उनका पत्र व्यवहार लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक): हम इस बात पर नहीं जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बीच कितने पत्र-व्यवहार हुए हैं। और कौन-कौन से गोपनीय हैं। (**व्यवधान**) किन्तु दुर्भाग्य से इस पत्र व्यवहार की कुछ बातें प्रकट हो गई हैं और लोगों को इसका पता चल गया है।

(**व्यवधान**)

क्या मंत्रिमंडल की बैठकों में किए गए विचार विमर्श तथा मंत्री मंडल की बैठक के बिना मंत्रियों के बीच हुए विचार विमर्श में कोई अंतर है? उसी बात पर बैठक में भी बातचीत हो सकती है तथा मंत्रियों के बीच पत्र-व्यवहार भी हो सकता है। (**व्यवधान**) **

अध्यक्ष महोदय: कोई भी बात रिकार्ड में मत रखिए।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में किया गया विचार विमर्श गोपनीय होता है तथा उसे लोगों को बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह सिद्धान्त विभिन्न मंत्रियों के बीच हुए पत्र-व्यवहार पर भी उसी प्रकार लागू होता है।

विपक्ष के नेता ने कहा है कि यदि पत्र व्यवहार का कुछ अंश यदि एक बार प्रकट हो जाता है तो फिर समूचा पत्र व्यवहार प्रकट कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसमें फिर किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं रहती। यदि उन दस्तावेजों का अपर्याप्त कथन समाचार पत्रों में छप जाता है या उन दस्तावेजों की सही विषय वस्तु समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाती है तो भी उस आधार पर उन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

लोगों को पता है कि समाचार पत्रों में जो कुछ छपता है, वह कभी सही होता है तो कभी गलत। कभी आंशिक रूप से सही होता है।

श्री चव्हवाण ने कहा है कि यदि इस पत्र व्यवहार को सभा पटल पर नहीं रखा जायेगा तो इससे सरकार पर से लोगों का विश्वास हट जायेगा।

श्री के० पो० उन्नीकृष्णन्: सरकार के कोई भी गोपनीय पत्र संसद से गोपनीय नहीं हो सकते।

श्री शांति भूषण: हां यह कहा गया था कि सरकार का कोई पत्र संसद से गोपनीय नहीं है परन्तु साथ-साथ गोपनीय सत्र की बात भी कही गयी थी। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ बातों को सदस्यों से छिपाया जाये बल्कि जिन बातों के प्रचारित करना सार्वजनिक हित में नहीं उन्हें प्रचारित न किया जाये। सभी सदस्य बराबर हैं तो केवल नेताओं को ही देखने की अनुमति क्यों दी गई है। सदस्यों को अपने नेताओं पर विश्वास रखना चाहिये।

इस बात की पूरी व्याख्या कपैल और शकधर ने अपनी पुस्तक में की है कि सरकार ही जानती है कि पत्रों में क्या लिखा है और क्या इन्हें प्रचारित करना सार्वजनिक हित में है अथवा नहीं।

Shri Raj Narain (Rae Bareli) : I am rising on a point of order some news reg. correspondance between PM and former Home Minister has appeared in the "Patriot". How has this secrecy leaked out ? Shri Charan Singh in his last letter reiterated his demand for a probe into the charges against Kanti Desai.

All the Hon. Members should express their views freely. Members both from treasury and opposition benches should not conceal the truth. If there is substantial proof to prove the charges then it is the duty of the House to enquire into it.

श्री सी० एम० स्टीफन: अध्यक्ष पीठ ने अनेक निदेशों द्वारा विनिर्णय दिये हैं कि जिन पत्रों को अनिवार्य रूप से सभा पटल पर नहीं रखा जाता, उन्हें भी सभा पटल पर रखा जाये। अध्यक्ष महोदय के इस बारे में पूरे अधिकार प्राप्त हैं। आप इन का उपयोग करें अथवा नहीं, यह आप पर निर्भर करता है।

श्री वयालार रवि: श्री राज नारायण ने कहा है कि भूतपूर्व गृह मंत्री ने आपने वक्तव्य में कहा है कि वे सभी आरोपों को सिद्ध कर सकते हैं--(**व्यवधान**)

श्री राज नारायण: मैंने ऐसा नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रमाणित लेखे आदि

निर्माण तथा आवास और पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (पेंशन) संशोधन नियम, 1978 हिन्दी (तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 693 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये सं० एल० टी० 2512/78]

(2) (एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1975-76 के लेखे संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा।

(तीन) उपर्युक्त पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 2513/78]

(3) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जल प्रदूषण निवारण तथा (नियंत्रण) संशोधन नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 377(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 2514/78]

श्री एडुअर्डो फैलीरो (मरमागोआ) : ये प्रमाणित लेखे 28 महीने के बाद सभा पटल पर रखे जा रहे हैं । सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों सम्बन्धी समिति ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध समय पर लेखे पेश न करने के बारे में टिप्पणियां दी हैं। वहां राशि के दुरुपयोग की कई घटनायें हो चुकी हैं। 1976-77 के लेखे तो अभी पेश ही नहीं हुये हैं। इन बातों में विलम्ब के क्या कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय : विलम्ब के क्या कारण हैं। आपने इन्हें पहले न रखने के कारण क्यों नहीं बतायें?

श्री सिकन्दर बख्त : विलम्ब लेखों के तैयार करने तथा इनकी लेखा परीक्षा के कारण हुआ है । डी० डी० ए० द्वारा लेखों के देर से पेश करने के बारे में अक्तूबर 1977 में एक समिति का गठन हुआ था जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सरकार इस पर विचार कर रही है ।

मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम मर्यादित का वर्ष 1975-76 का प्रतिवेदन तथा अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं आदि ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं श्री सुरजीत सिंह बरनाला की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विबरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 2515/78]

(2) (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सो० सां० नि० 269 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो उर्वरकों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश से सम्बन्धित है।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 2516/78]

हैदराबाद विश्वविद्यालय का वर्ष 1976-77 का प्रतिवेदत तथा विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखाता हूं :—

(1) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेख (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त लेखे को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 2517/78]

दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 1978

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : श्री भानु प्रताप सिंह की ओर से, मैं दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 63 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) (सामान्य) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 मार्च, 1978 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 6(1)/77-डीएएम में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये सं० एल० टी० 2518/78]

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि विभिन्न राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में क्या स्थिति है ? मुझे पता चला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत

करने में 44 महीने की देरी हो गई है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें 24 1/2 महीने की देरी हो गई है। सदन को इनके बारे में अवगत करवाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। सदन की कार्यवाही तो नियमानुसार ही चलनी चाहिये।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 148/78-कस्टम्स (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा कॉफी पर निर्यात शुल्क घटाने के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2518/78]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्यसभा के महा-सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है :

"कि राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबन्ध के अन्तर्गत मुझे लोकसभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा, 27 जुलाई, 1978 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 19 जुलाई 1978 को अपनी बैठक में पास किये गये आन्तरिक सुरक्षा (निरसन) विधेयक, 1978 से बिना किसी संशोधन के, सहमत हो गई है।

सरकारी उपक्रमों समबन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

14वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं भारतीय पटसन निगम लिमिटेड—संगठनात्मक मामले पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 14वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सदस्य के परिवार के उसके सिकास स्थान से बेदखली के बारे में वक्तव्य
STATEMENT Re. EVICTION OF A MEMBERS FAMILY FROM HIS RESIDENCE

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हारबर) : अच्छा हो यदि आप हमें यह बतला दें कि श्री सिकन्दर बख्त, प्रातः उठाये गये मामले के बारे में कब वक्तव्य देने वाले हैं। ताकि हम उस समय उपस्थित रहें तथा उनकी बात को सुन सकें।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : मुझे केवल सदन को इतना बताना है कि आज प्रातः सदन में जिस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख किया गया था, उसके साथ मेरे मंत्रालय का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री द्वारका नाथ तिवारी (गोपालगंज) : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन का मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है। इस का अर्थ है कि आवास समिति जिम्मेदार है। आवास समिति ने मंत्रालय को कुछ आवासों की बेदखली के लिये लिखा था। यह कार्य उन्होंने किस ढंग से तथा कैसे करवाया इससे आवास समिति का कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Samjibhai Damor (Dohad) : Mr. Speaker Sir my house has been got locked by the Chairman House Committee and I have to come here even without changing my clothes. Under the circumstances I have to resort to hunger strike.

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले की जांच करता रहा हूँ।

विश्वविद्यालयों में छात्रों में बढ़ते हुए असंतोष के बारे में वक्तव्य

MOTION Re. GROWING STUDENT UNREST IN UNIVERSITIES

श्री यशवंत बोरोले : (जलगांव) विद्यार्थी असंतोष बहुत ही गंभीर मामला है जिसने विभिन्न राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विश्व भर की संस्थाओं का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। भारत में भी इस समस्या के बारे में समय समय पर विभिन्न समतियों का गठन किया जाता है। इन समितियों ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये है। इस समस्या की गंभीरता की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है परन्तु इसके लिए जो समाधान सुझाये गये थे, वह कारगर साबित नहीं हुये।

सम्पूर्ण समाज में बढ़ता हुआ अनुशासन ही इस समस्या की गभीरता का बड़ा कारण है अतः इसके लिए हमें केवल विद्यार्थियों को दी दोषी नहीं ठहराना चाहिये। समाज में जो कुछ होता है, विद्यार्थियों का जीवन तो उसी का प्रतिबिबं होता है।

(श्री राममूर्ति पीठासीन हुए)

[SHRI RAM MURTHI *in the Chair*]

जहां तक सम्भव हो सके, विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिये। उन्हें केवल राजनीति का ज्ञान होना चाहिये परन्तु उन्हें राजनीति में भाग नहीं लेने दिया जाना चाहिये। अनेक अवसरों पर जब कभी राष्ट्र ने अपेक्षा की उन्होंने राजनीति में भाग लिया है। उन्होंने अनेक आन्दोलनों में भरपूर भाग लिया केवल मात्र ऐसे छोटे छोटे अवसरों को छोड़ कर, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये। यह हम राजनीतिज्ञों का ही दायित्व है कि हम विद्यार्थियों को राजनीति में अलग रखे। हमें विद्यार्थियों की सहायता लेकर फिर उन्हें पथभ्रष्ट नहीं करना करना चाहिये। किसी भी राजनीतिक नेता या सामाजिक कार्यकर्त्ता को अपने स्वार्थो के लिये विद्यार्थियों का शोषण नहीं करने दिया जाना चाहिये। हमारे विश्वविद्यालयों कालिजों तथा स्कूलों आदि की दुनिया ही अलग होनी चाहियें जहां तक कि आदर्शवाद का ही बोलबाला हो।

श्री वी०एम० सुधीरन (अलप्पी) : विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष का प्रमुख कारण यही है कि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जब कभी भी विद्यार्थी अपनी मांगें प्रस्तुत करते है, तो उनकी ओर उचित ध्यान नही दिया जाता।

यदि छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया जये तो इससे उनमें व्याप्त असंतोष बड़ी सीमा तक समाप्त हो जायेगा। इसके लिये सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक विधान बनाने के लिये तुरन्त निदेश दे।

शिक्षा सुविधाओं का अपर्याप्त होना छात्र असंतोष का एक अन्य कारण है। उनके लिये आवास, परिवहन आदि की उचित व्यवस्था नहीं है।

सरकार छात्रों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करे, जो उनका गहराई से अध्ययन कर उनके हल के लिये सुझाव राज्य सरकारों को दे :—

छात्रों, अध्यापकों, विश्वविद्यालयों और सरकारी प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की जाये। यह समिति छात्र असंतोष का व्यापक और गहराई से अध्ययन करे। समिति समय समय पर अपनी बैठकें करे। वह सरकार को छात्रों की समस्याओं के हल के लिये अपनी सिफारिशें दे ऐसा करके हम बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट): छात्र आपातकाल की ज्यादतियों को समाप्त की मांग करते आ रहे हैं। यह सच है कि उन दिनों छात्र असंतोष कुछ समय के लिये दब गया था। अतः सरकार उस समय की व्यवस्था को समाप्त कर छात्रों की अधिकतर शिकायतों को दूर करे।

छात्रों को राजनीति के दर्शन, सरकार और प्रशासन चलाने की विद्या को सीखना चाहिये।

समूचा छात्र समुदाय समाज विरोधी तत्वों की दया पर है। अतः राजनीति पर प्रतिबन्ध न लगाया जाये, बल्कि स्वस्थ राजनीति का प्रवेश कराया जाये। जिससे छात्रों को राजनीति का वास्तविक प्रशिक्षण मिल सके। वे देश के भावी प्रभावी नागरिक बन सकें।

देश के राजनीतिक दलों का सम्मेलन बुलाने के भारत सरकार के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इसे सम्मेलन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये। इसे आगे भी बढ़ाया जाये और कुछ ठोस सिफारिशों की जानी चाहिये।

मेरे सुझाव हैं। (1) सभी विश्वविद्यालयों के लिए परिसर सुविधाओं का मानकीकरण तथा मुक्तिकरण होना चाहिये। विश्वविद्यालय के प्रबन्ध कार्यों में छात्रों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परीक्षा प्रणाली में तुरन्त सुधार किए जाने चाहिए। संघों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिये। इससे विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों में सोहार्द की भावना बढ़ेगी।

अन्त में मेरा एक सुझाव यह है कि राज्य सरकारें भले ही छात्र असन्तोष केवल कानून और व्यवस्था की समस्या माने लेकिन भारत सरकार को इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालय परिसरों में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही हो।

जहां तक छात्रों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है हमारे देश के छात्रों को "कल" की चिंता है क्योंकि उन्हें रोजगार की गारन्टी नहीं दी गई है। इसलिए देश में जब तक समूची शिक्षा प्रणाली को रोजगार प्रधान नहीं बनाया जाता तब तक यहां छात्र असंतोष बना रहेगा।

भारत सरकार को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के बारे में विचार करना चाहिये और सामाजिक तथा आर्थिक असमानतायें दूर की जानी चाहिए। छात्र असंतोष की इस महत्वपूर्ण समस्या का हर सम्भव समाधान किया जाना चाहिये।

Shri Yuvraj (Katihar) : Sir, our education should be such that student may get real inspiration. Unless it is done, and we are able to do so, student unrest will continue to mount in the country. There is need for a radical change in our system of education in the country.

Socio-economic situation in the country has an impact on the students. There is a feeling of uncertainty among students about their future prospects. They are not at all sure to get a job after completing their education. This uncertainty is also responsible for unrest among students.

There should be uniformity in education being given to different sections of our society. At present, there is wide-spread disparity in the types of education being imparted to the students. The so-called public schools should be immediately abolished.

Students have certain ambitions as well as problems. We should try to understand them.

Political parties who are running student unions are not giving them proper guidance. Politicians are also responsible for leading the students astray. Students should receive proper guidance from political parties who are running their unions. They should make their character and future prospects bright and optimistic.

Our education should be such as may help us in tackling our social problems. Education today does nothing to build character of the students. That is why we find wide spread corruption prevalent in different walks of life. There is no change in the system of our education even in the Janata Government. Dozens of Commissions and committees have been appointed. But no proper and adequate attention has been paid to their recommendations. No change has been carried out in this age old system of our education. Therefore, there is crying need for a fundamental change in our system of education. We are not implementing the provisions in the constitution for compulsory education to the children between age group from 6 to 14 years.

In a number of countries there is compulsory education and youth and students are given unemployment allowance. In addition, there is guarantee of providing employment. It is a serious problem. Radical changes should be made in our education policy.

श्री वी० अरुणाचलम उर्फ "अलादी अरुण" (तिरूनेलवेली) : छात्र असंतोष देश की समृद्धि के लिए चुनौती है। दुःख की बात है कि विकास के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी हम अनुमान एवं दृष्टिकोण की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं।

छात्र असंतोष पूरे देश में फैला हुआ है। यदि वे लोग, जिन्हें छात्र असंतोष के कारणों को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस समस्या का हल नहीं कर पाते तो देश प्रगति करने की वजाय अवनति करना शुरू कर देगा।

हर वर्ष हम शिक्षा पर 3000 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। हमें संदेह है कि यह राशि हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ है अथवा छात्र इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्थिति शोचनीय है। छात्र न तो अपनी कक्षा में ही नियमित रूप से जाते हैं और न ही शिक्षक दिल से पढ़ाते हैं। आए दिन विश्वविद्यालय परिसर में हिंसात्मक प्रदर्शन एवं हत्याएं होती रहती हैं। ज्ञान मन्दिर विधिहीनता के केन्द्र बनकर रह गए हैं। छात्र राजनीतिक दलो के शिकार होते जा रहे हैं।

कोठारी आयोग ने छात्र असंतोष एवं अनुशासनहीनता का कारण शिक्षण विधि में दोष, अभिभावकों द्वारा नियन्त्रण का अभाव, राजनीतिज्ञों द्वारा उत्पन्न वातावरण और बेरोजगारी बताया है। राजनीतितिज्ञों को शिक्षा संस्थानों से अपने को दूर रखना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन अति आवश्यक हैं।

छात्रवृत्ति की राशि अंकों के अनुसार दी जानी चाहिए ताकि छात्र अपनी जिम्मेदारी समझ सकें। इस प्रकार अभिभावकों का नियन्त्रण भी बना रहेगा।

Shri Raj Narain (Rae Bareli) : There are certain causes for unrest among students. Limited admissions to educational institutions, controlled education, costly education, favourtism in education and continued use of English as the medium of instruction are the main causes of student unrest. A number of commissions are appointed on education, but their recommendations have not been implemented.

There is unrest in Kashi Vishva vidyalaya and the situation is grave there. Mere transfer of the Vice-Chancellor would not solve the problem. Unless the report of the Gajendragadkar Commission is implemented, the problem of Kashi Vishvavidyalaya could not be solved. The Government should implement the recommendations contained in this report.

Our education policy should enable children belonging to poorer sections of the society to get education. All facilities should be provided to them so that they are able to pursue their studies.

Public schools are still running although greatmen like Gandhiji and Dr. Ram Manohar Lohia had raised their voice against their continuance. The hon. Minister should state the Government's policy in this matter.

Our education policy is defective and needs a complete overhaul. The Government should make radical changes in the policy.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं छात्र असंतोष पर माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता को समझता हूं। हम स्थिति की गम्भीरता से अवगत हैं और स्थिति को सुधारने के लिए यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की शक्तियां बहुत ही सीमित है। कई स्थानों पर शिक्षा का प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा ही किया जा रहा है। यह सच है कि शिक्षा समवर्ती सूची में है लेकिन हम इसे राज्य सूची में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

माननीय सदस्य स्थिति का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर कर रहे हैं। एक सदस्य ने तो यहां तक कहा कि आधे से ज्यादा विश्वविद्यालय बंद पड़े हैं। यह सत्य नहीं है। सितम्बर 1977 और फरवरी, 1978 के बीच केवल 13 विश्वविद्यालय बंद हुए और वह भी दो-चार छः दिन के लिए। मार्च, 1978 के आरक्षण के मामले को लेकर जो कि मात्र राजनीतिक समस्या है, बिहार में लगभग सारे विश्वविद्यालय बंद हो गए। ऐसे आन्दोलन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय में भी हुए। पंतनगर विश्वविद्यालय का मामला सर्वविदित है।

इस समय कुल 105 विश्वविद्यालय हैं। अभी हाल में कुछ नए विश्वविद्यालयों को मान्यता दी गई है। अतः यह प्रतीत होता है कि बहुत कम विश्वविद्यालय बंद हुए हैं। लेकिन घटनाओं की संख्या बढ़ी है। वर्ष 1974 में छात्र असंतोष के 11540 मामले हुए जिनमें से 20 प्रतिशत मामलों में हिंसात्मक घटनाएं भी हुई। वर्ष 1975 में यह संख्या घटकर 3847 हुई और 19 मामलों में हिंसात्मक घटनाएं हुई। 1977 में 7520 घटनाएं हुई जिनमें से 15 प्रतिशत हिंसात्मक थी। अतः यह कहना ठीक नही है कि हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि हुई हैं। लेकिन मैं भी इस बारे में सदस्यों की तरह ही चिंतित हूं।

सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों में से कुछ की ओर सरकार ने ध्यान दिया है और उनके बारे में निश्चित कार्यवाही की है। उदाहरण के लिए हमने सत्ता में आते ही विश्वविद्यालयों को निदेश भेजे हैं कि प्रजातंत्रीय वातावरण में विद्यार्थियों के चुनाव कराए जाएं और कई विश्वविद्यालयों में चुनाव हुए है। 10 जून, 1977 को शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को सही अभ्यावेदनों तथा आवेदनों पर उचित विचार करने के बारे में लिखा था।

इसके बाद 27 मार्च, 1978 को शिक्षा सचिव ने उन सबको लिखा कि शिकायतों पर शीघ्र विचार किया जाना चाहिए और जहां तक सम्भव हो उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं 31 मार्च, 1978 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा था। बहुत से मुख्य सचिवों और मुख्य मंत्रियों ने उन पत्रों का उत्तर भेज दिया है। मैंने इस मामले पर चर्चा हेतु मुख्य राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक भी बुलाई थी। उस बैठक में कोरम स्थापित करने तथा वार्ता शुरू करने सम्बन्धी मुख्य सुझाव दिया गया था ताकि छात्र अपनी शिकायतें अधिकारियों को बता सकें। हमने इसे लागू करने का प्रयास किया है। हाल में हमने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ भी बैठक की। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर रही है।

शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। हम निम्न स्तरों पर शिक्षा को अधिक प्राथमिकता देकर शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं। राज्य सरकारों ने इनमें से कुछ उपायों को लागू करने का प्रयास किया है। केन्द्रीय स्तर पर हमारे केन्द्रीय विद्यालयों ने इनमें से कुछ सुझावों को लागू किया है।

श्री सुधीरन ने सुझाव दिया है कि यदि विश्वविद्यालय निकायों में छात्रों का प्रतिनिधित्व हो जैसे कि केरल में है, तो छात्रों में कोई असंतोष नहीं होगा या असंतोष पत कम हो जाएगा। परन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1977 में छात्र असंतोष के कुल 7520 मामलों में से 2029 मामले केवल केरल में हुए। अतः यह कोई हल नहीं है। हम समस्या का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए।

मैंने विश्वभारती विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश किया है और इसमें हमने शैक्षणिक परिषद् तथा विश्वविद्यालय कोर्ट में छात्रों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। इस प्रकार हमने छात्रों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में दिए गए प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र : इसके लिए वह अल्प सूचना प्रश्न का नोटिस दे सकते हैं।

Shri Nathu Singh (Dausa) : What action has been taken against such officials working in universities as had committed excess during emergency ?

Dr. Pratap Chandra Chunder : We will go according to the law.

श्री सी० के० चन्द्रपन्न (कलाशूर) : विश्वविद्यालयों में छात्र प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर सरकार की नीति क्या है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने जो विश्वभारती विधेयक पेश किया है इसमें शैक्षणिक परिषद् और विश्वविद्यालय कोर्ट में छात्रों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It is unfortunate that the hon. Minister has tried to establish on the basis of statistics that there has been a decline in violent activities in universities. The Ministry is charged with inaction and no action is taken on the enquiry committee reports against Vice-Chancellors of Jawahar Lal Nehru University and Delhi University. The Prime Minister has stated that decision would be taken by 15th July, but no decision has so far been taken.

The main reason for student unrest today is that no action is being taken against those Vice-Chancellors who committed atrocities during the emergency. There has been

no dialogue between students and the Vice-Chancellor of Delhi University. He is the man who got 200 lecturers and about 300 students arrested. Can he talk with them ? He is still there. I do not know why he is still being sheltered by some boys.

Socio-economic problem is also there. The hon. Minister should be consulted in all the matters connected with this problem.

It is not stated why the Chief Minister's meeting is not called and a national consensus is not evolved on this issue with a view to curbing violence and disorder.

It is also not known to what extent circulars issued to universities have been implemented ?

Whether any audit report of central Universities have been received since last 3-4 years ? What action can be taken if it is received after 4 years ?

The Ministers should be more alert. Simply to say that he cannot take any action as they are autonomous bodies or they are under states will not solve the problem.

The report of Jawahar Lal University should be placed before the house, as well as the inquiry committee report of Delhi University. It must be informed what action has been taken on the reports. Otherwise student unrest will continue there.

सभापति महोदय ने संशोधन संख्या 1, 2. 4, 6 और 7 मतदान के लिए रखे और अस्वीकृत हुए ।

The Amendment Nos. 1, 2, 4, 6 and 7 were put and Negatived

सभापति महोदय : आधे घंटे की चर्चा श्री ज्योतिर्मय बसु।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) साउथ इण्डिया विस्फोट और मद्रास एल्यूमिनियम में बड़ा गोलमाल और कुप्रबन्ध है (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब मैं प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय समझे जाने वाले उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में बढ़ते हुए छात्र असन्तोष पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से सिफारिश करती है कि असंतोष के कारणों को दूर करने के लिए समुचित पग उठाये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री तेज प्रताप सिंह : प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ।

सभापति महोदय : मतदान हो चुका है 'हां,' या 'ना,' कहा गया निर्णय 'हां' के पक्ष में रहा। आपने यह नहीं कहा कि 'नहीं' के पक्ष में रहा।

श्री सैयद काजिम अली मिर्जा (मुर्शिदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या प्रस्ताव प्रस्तावक में पेश किया था ?

सभापति महोदय: प्रस्ताव सभा के सामने था। विषय सूची में था। श्री कंवर लाल गुप्त ने उसे पेश किया था। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ?

श्री पी० जी० मावलंकर: जब आप एक बार अपना निर्णय दे चुके हैं तब सरकार या सत्ताधारी दल की ओर से उसे चुनौती क्यों दे।

श्री सईद काजिम अली मिर्जा: प्रस्ताव पेश ही नहीं किया गया। मैं निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा।

श्री के० गोपाल: चर्चा प्रस्ताव के पेश किए जाने के बाद ही होती है।

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती (रेणुका देवी बड़कटकी): जब मंत्री महोदय चले गए तब आपने प्रस्ताव मतदान के लिए रखा क्योंकि उससे पहले आप श्री बसु से बोलने को कह चुके थे। मंत्री महोदय ने समझा कि इसे मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा और वे बाहर चले गए किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ।

श्री बयालार रवि: अध्यक्ष पीठ के निर्णय को कभी सत्ताधारी दल ने चुनौती नहीं दी। पहली बार ऐसा हो रहा है। यह नहीं होना चाहिए।

प्रो० पी० जी मावलंकर: पहले विषय के समाप्त होने से पहले श्री ज्योतिमर्य बसु को बोलने के लिए कहने पर जब मैंने उन्हें रोक कर प्रस्ताव को मतदान के लिए रखने को कहा तब वह मतदान के लिए रखा गया। जब एक बार विषय सभा के समक्ष आ गया तब उसे पेश किए जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपने दो बार उसे पेश किया, हमने 'हां' कहा। किसी ने 'ना' नहीं कहा। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अब उसे वापिस नहीं लिया जा सकता।

श्री कंवर लाल गुप्त: मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि मेरी अनुपस्थिति में मेरा प्रस्ताव पास हो गया।

श्री शांति भूषण: प्रो० मावलंकर सब मामला ब्यौयेवारे रख दिया है। अगले विषय पर चर्चा शुरू हो गई थी। ऐसी स्थिति में क्या उस विषय को फिर से लिया जा सकता है जो पहले समाप्त हो गया था (व्यवधान)

Mr. Chairman: It so happens generally. You can see the proceedings.

श्री श्याम नन्दन मिश्र: मेरा यह कहना है कि आपको नियम 184 के अन्तर्गत मतदान प्राप्त करना है। इसे यूं ही नहीं टाला जा सकता। यह एक प्रस्ताव है। आप बढ़ाये गये समय में मतदान नहीं करा सकते। इसके लिए कोई अन्य दिन नियत करें या इसे स्थागित कर दें।

श्री एम० सत्यनारायण राव: श्री कवंर लाल गुप्त द्वारा पेश किया गया संशोधन हानिकारक नहीं है। इसे प्रतिष्ठा का मामला नहीं बनाना चाहिए। अन्यथा कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी (व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त: क्या आप अपना निर्णय बदल रहे हैं ?

सभापति महोदय: नहीं।

श्री कंवर लाल गुप्त फिर मामला ही समाप्त हो गया।

श्री शांति भूषण : यह निर्धारित समय पर ही हुआ है। इस मद पर 6 बजकर 5 मिनट तक समय बढ़ाया गया था। इसी बढ़ाये गये समय में इस पर मतदान किया जाना चाहिए। लेकिन समय समाप्त हो गया और इस पर मतदान नहीं किया जा सकता, माननीय मंत्री जी और प्रस्तावक भी सदन से चले गये हैं। अतः इस प्रस्ताव को स्थागित कर दिया गया है। और इस पर अब मतदान नहीं किया जा सकता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आपने निर्णय ले लिया है जिसको मंत्रियों तक ने चुनौती दी है। यह अत्यन्त खेदजनक है। (व्यवधान)

श्री समर गुह : मेरा एक निवेदन है। प्रश्न संकल्प के गुणावगुणों का नहीं है। प्रश्न तो प्रक्रिया के मामलों का है जिसके बारे में विधि मंत्री ने उचित ही कहा है और आप ने भी स्वीकार किया है। जब तक आप किसी कार्यवाही को स्थगित करने की सदन की अनुमति नहीं लेते आप अन्य मदों पर नहीं जा सकते। आप को उसी समय मतदान करा लेना चाहिए था लेकिन आप ने दूसरे विषय पर चर्चा आरम्भ कर दी।

सभापति महोदय : कभी-कभी ऐसा होता है। बीच में व्यवधान आ जाता है। अब एक ही रास्ता है। यदि सरकार चाहे तो अन्य प्रस्ताव लाया जा सकता है। (व्यवधान)। (**श्री शांति भूषण**)

यहां उपस्थित थे। उन्होंने संपूर्ण कार्यवाही को सुना है।

श्री शांति भूषण : मैं अब इस सदन का सदस्य नहीं हूं। मैं मतदान में भाग नहीं ले सकता और न ही किसी बात की चुनौती दे सकता। माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था। क्या उस समय मतदान कराया जा सकता है जबकि सदस्यों की कोई जानकारी न हो? कुछ अन्य सदस्यों को इस प्रस्ताव में रुचि थी। मैं तो केवल आधे घंटे की चर्चा में भाग लेने के लिए ही यहां आया हूं। जिन सदस्यों को इस प्रस्ताव में रुचि थी वे चले गये। अचानक ही दूसरे विषय पर विचार नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : मैंने प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा था। यह सभी को पता था। किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने प्रतीक्षा की और उस तरफ देखता रहा।

श्री राम जेठामलानी : सभी ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। कुछ ने इसके विपक्ष में मत दिया था। किसी ने इसके पक्ष में मतदान नहीं किया। जब कोई व्यक्ति 'हां' या पक्ष में नहीं बोला तो दूसरी बार कुछ व्यक्तियों ने पक्ष में मतदान किया। लेकिन पहली बार किसी ने पक्ष में मतदान नहीं किया।

सभापति महोदय : जब मैंने यह कहा कि प्रस्ताव पारित हुआ है तो किसी ने इसको चुनौती नहीं दी।

आधे घंण्टे की चर्चा

Half-an-Hour Discussion

साउथ इंडिया विस्कोस के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आरोप

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मद्रास एल्युमिनियम तथा साउथ इण्डिया विस्कोस में बहुत कुप्रबंध, कदाचार, घोखाधड़ी, बीजक में गड़बड़ी, सरकारी धन का दुरुपयोग और आर्थिक कानून

व्यवस्था का उल्लंधन किया गया है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि वह इस संबंध में क्या करना चाहती है? हम पारिवारिक विवाद में नहीं पड़ना चाहते। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस निर्णय से किसी प्राइवेट पार्टी को नाजायज फायदा या लाभ न पहुंचे। दो भाइयों के झगड़े में राष्ट्र को हानि नहीं होनी चाहिए। अत्यन्त खेदजनक बात यह है कि कम्पनी के वर्तमान प्रबंध निदेशक ने इन्दिरा गांधी और यूथ कांग्रेस के नेताओं 21-2-78 के अतांरांकित प्रश्न संख्या 55 के उत्तर में कम्पनी कार्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि की थी कि साउथ इण्डिया विस्कोस और मद्रास एल्युमिनियम कं० लि० के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध बड़े गम्भीर आरोप थे। सदन को बताया गया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो, आसूचना और सीमा शुल्क विभागों से इस की जांच करने के लिए कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार की जांच करने के लिए कहा गया । क्या उन्हें विशिष्ट आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया था? क्या जांच कम्पनी अधिनियम की धारा 237 के अन्तर्गत की गई थी। यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

क्या यह भी सच है कि नायडू ने एक विदेशी कम्पनी की भारतीय शाखा, एस० ए० ई० (इण्डिया) लिमिटेड में रुपया लगाया था? क्या यह भी सच है कि उसने 5 करोड़ रुपये का एक ऋयादेश ए० सी० सी० एल० को दिया था जिसका कि वह अध्यक्ष था? क्या उसने साउथ इण्डिया विस्कोस के रुपये को उसी प्रबंध के अन्तर्गत चलने वाली अन्य कम्पनियों में लगाने के लिए कम्पनी कानून बोर्ड की अनुमति प्राप्त की थी? इस बारे में इन्दिरा गांधी की सरकार ही नहीं बल्कि यह सरकार भी समान रुप से दोषी है।

श्री नायडू और उनके भाई साउथ इंडिया विस्कोस के प्रबंध निदेशक के लिए किस प्रकार योग्य हैं? औद्योगिक विकास बैंक से इस संबंध में जांच करने को कहा गया था। यह कहा जाता है कि नायडू ने बैंक के अधिकारियों को प्रभावित कर प्रतिवेदन को दबा दिया। मैं चाहता हूं कि वह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये।

बीजक में हेराफेरी देश में बड़ी सामान्य बात है। श्री नायडू ने विदेश से मशीनें और अन्य उपकरण खरीदने में बड़ी कटौती की। क्या कुप्रबंध के कारण मद्रास एल्युमीनियम के शेयरों का मूल्य घट कर आधा हो गया है? क्या हानि के कारण 1975–76 में अवमूल्यन नहीं किया जा सका?

यह आरोप लगाया गया है कि ए० सी० सी० एल० को 3 करोड़ रुपये की हानि होने पर श्री नायडू डा० रोसी की सहायता से इस कम्पनी के अध्यक्ष बन गए। क्या यह सच है कि श्री नायडू ने साउथ इण्डिया विसकोस के उपकरणों की आवश्यकता पूरी करने की आड़ में ए० सी० सी० एल० को 3 करोड़ का आर्डर दिया? साउथ इण्डिया विसकोस को लूटने का यह भी एक तरीका था। क्या साउथ इण्डिया विसकोस ने इस आर्डर के लिए ए० सी० सी० एल० को 75 लाख रुपये पेशगी दिए हैं?

क्रय और बिक्रय बड़ी हेराफेरी है। बाजार भाव के आधार पर इसकी जांच की जा सकती है क्योंकि प्रतिदिन इनकी घोषणा होती है।

साउथ इण्डिया विसकोस को बड़ी मात्रा में सरकारी ऋण और पेशगी रुपया मिला। अब अंश-धारियों के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसी भी भाई को इस कम्पनी के पास न आने दिया जाए। इसका एक मात्र तरीका कम्पनी को सरकार का अपने हाथ में लेना है।

**सभापति की अनुमति से सदन कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।
Expunged as orderd by the Chairman.

Shri Yuvraj (Katihar) : Some serious allegations were levelled against Shri Naidu and according to Law Minister he has ceased to be the Director of Madras Aluminium. Inquiries were started against him. The CBI report received during the regime of former Government stated that there is no address entry. His character rolls and confidential reports were examined. I want to know the legal difficulty in disallowing further extension and re-employment of such a corrupt officer ?

श्री वी० किशोर चन्द्र एम० देव (पार्वतीपुरम) : 25 जुलाई को जब इस प्रश्न का उत्तर दिया गया तो हमें बताया गया कि इस कम्पनी की आयकर संबंधी फाइलें दिल्ली लायी गयी हैं। आयकर अधिकारियों द्वारा की गयी जांच के बारे क्या कम्पनी ला बोर्ड को सूचित किया गया ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आई० डी० बी० आई० के किसी रिश्तेदार को मंत्रालय की स्वीकृति से प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया ?

श्री मल्लिकार्जुन (मेढक) : मैं जानना चाहता हूं कि की गयी जांच के क्या निष्कर्ष निकले ? एक दूसरे प्रबंध निदेशक श्री पी० आर० रामकृष्णन् तथा उनके पुत्र श्री प्रभु, जो इस फर्म के जनरल मेनेजर हैं, की नौकरी समाप्त करने का निर्णय भी कार्यकारी निदेशकों ने लिया है । इसका क्या कारण है ?

सभापति महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री मल्लिकार्जुन : मेरा प्रश्न यह है।

जब हम आधे घंटे से चर्चा कर रहे हैं तो आप धैर्य से क्यों नहीं सुनते ?

मैं इस पत्र को सभा पटल पर रख रहा हूं ताकि इस जांज के लिए कि यह असली या नकली उसे सी० बी० आई० के पास भेज दिया जा सके। (**व्यवधान**)

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या विसकोस के प्रबंध निदेशक को केवल इस कारण अनुमति न देना उचित है कि कुछ काला बाजारियों ने उनके विरुद्ध आरोप लगाये हैं । दूसरे क्या, श्रीमती राजेश्वरी रामकृष्णन् को अनुमति दी जायेगी जो जयपुर शूगर मिल की प्रबंध निदेशक हैं ?

जिन लोगों ने यह नकली पत्र रखा है उनके विरुद्ध मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

अब सभा कल म० पू० 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 1 अगस्त, 1978/10 श्रावण, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 1st August 1978/Sravana 10, 1900 (Saka)

MGIPRRND—IV—(Day)—28 LSS/78—25-11-78—210